एडवान्स्ड वेपन्स एण्ड इक्विपमेन्ट इण्डिया लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

रक्षा उत्पादन विभाग

रक्षा मंत्रालय

की

चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

विजन और मिशन

विजन

'आत्म-निर्भर भारत' के अंतर्गत भारत की रक्षा क्षमता को सशक्त करने और एक बृहद्तर वैश्विक उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु: हमारे अपने और अपने राष्ट्र के लिए भी।

मिशन

एडब्ल्यूईआईएल गुणवत्ता के उच्चतम मानकों पर तत्पर सेवा, पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायत निवारण तंत्र के साथ उत्पाद की निर्धारित समय में आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।

विषय-सूची

चतुर्थ आम सभा की नोटिस

कारपोरेट-सिंहावलोकन 04

एडब्ल्यूईआईएल - एक दृष्टि में 08

अध्यक्ष का संदेश 09

एडब्ल्यूईआईएल के नेतृत्वकर्ता 12

कॉर्पोरेट जानकारी 17

हमारे उत्पादों का विवरण 18

अत्याधुनिक विनिर्माण क्षमता 23

गणमान्य अतिथियों का आगमन और अन्य गतिविधियाँ 29

वैधानिक रिपोर्टें

बोर्ड की रिपोर्ट 36

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 73

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ 77

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट 80

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट 84

वित्तीय विवरण

स्टैंडअलोन

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 88

वित्तीय विवरण 112

समेकित

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 167

वित्तीय विवरण 182

एडवान्स्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड

CIN: U29270UP2021GOI150734
पंजीकृत कार्यालय: आयुध निर्माणी कानपुर, कालपी रोड, कानपुर-208009, उत्तर प्रदेश
फोन: 0512-2986979। फैक्स: 0512-2216040
ई-मेल: csaweilhq@aweil.in वेबसाइट: www.aweil.in

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण की चतुर्थ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, दिनांक 30 सितंबर 2025 को शाम 04.45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य अक्रूडियो-विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") से निम्नलिखित व्यवसाय के संचालन के लिए आयोजित की जाएगी।

साधारण गतिविधि

1. दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण पर निदेशकगण की रिपोर्ट और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ-साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करने तथा उन्हें स्वीकार करने और निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित किए जाने हेतु:

"संकल्प लिया गया कि दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर निदेशकों की रिपोर्ट और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को एतद्द्वारा प्राप्त तथा विचारोपरांत उन्हें स्वीकार किया गया।"

2. कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 और उसके बाद के लिए विधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु अधिकृत करना और निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 और कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 द्धतत्समय प्रवृत्त किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के साथ पठित धारा 139(5) के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 और उसके बाद के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C-AG) द्वारा नियुक्त विधिक लेखा परीक्षक के लिए लेखा परीक्षा के संबंध में व्यय राशि की प्रतिपूर्ति सहित पारिश्रमिक और अन्य नियम व शर्तें तय करने और निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

II. **विशेष गतिविधि: -**

3. श्री उमेश सिंह (डीआईएन: 08373608) की कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की पुष्टि करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने तथा उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित किए जाने हेतु:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित) की धारा 152, 161, 196, 203 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में श्री उमेश सिंह (डीआईएन: 08373608),जिन्हें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 1(5)/2023/ बीओडी(पीईएसबी)/एडब्ल्यूईआईएल सीएमडी/(एमएंडपी) दिनांक 21.03.2025 द्वारा कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था। दिनांक 01 अप्रैल 2025 से भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों पर कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में श्री उमेश सिंह की नियुक्ति के लिए सदस्यों की सहमति प्रदान की जाती है।"

4. डॉ. गरिमा भगत (डीआईएन: 10881164) को कंपनी की निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में नियुक्त करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने तथा उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किए जाने हेतु:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित नियमों (तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित) और कंपनी के संगत अनुच्छेदों के अनुसरण में डॉ. गरिमा भगत (डीआईएन: 10881164), जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 8(32)/2019-(समन्वय/डीडीपी) दिनांक 10.12.2024 के माध्यम से निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में नामित किया गया था, रक्षा, भारत सरकार और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 24.12.2024 (डीआईएन के आवंटन की तिथि)

से कंपनी के निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के पद पर अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सदस्यगण की सहमति से डॉ. गरिमा भगत को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों पर कंपनी के निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

5. श्री मानस कविराज (डीआईएन: 11068445) की कंपनी के निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्ति तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने तथा उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या बिना संशाधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किए जाने हेतु:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) के अनुसरण में श्री मानस कविराज (डीआईएन:11068445), जिन्हें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 1(5)/2023/बीओडी(पीईएसबी)/एडब्ल्यूईआईएल;डीआईआर(एचआर)/(एम एंड पी) दिनांक 22.08.2025 द्वारा कंपनी के निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात कंपनी के बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया था।

निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त और दिनांक 09 सितंबर 2025 से निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में पदनामित श्री मानस कविराज को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों पर कंपनी के निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्त किए जाने की सदस्यगण द्वारा सहमति दी जाती है।

6. कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने और उचित समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किए जाने हेतु:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार, मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी के लागत लेखा परीक्षक को देय 2,00,000/- रुपये. जीएसटी प्रति वर्ष का पारिश्रमिक, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों का लेखा परीक्षण करने हेतु विधिवत नियुक्त किया गया है, एतद्द्वारा अनुसमर्थित और पुष्टि की जाती है।"

"इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, विलेख तथा ऐसे समस्त दस्तावेज, उपकरण और लिखा-पढ़ी को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो कि पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड

(मनीष कुमार सिंह)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफसीएस: 12879

स्थान: कानपुर
दिनांक: 30.09.2025

टिप्पणियाँ:-

1. एमसीए ने सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19.09.2024 के अंतर्गत उन कंपनियों को, जिनकी एजीएम वर्ष 2025 में होने वाली हैं, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार दिनांक 30 सितंबर, 2025 को या उससे पहले अपनी एजीएम आयोजित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। उक्त सामान्य परिपत्र दिनांक 05.05.2020 के अनुसार वित्तीय विवरण की भौतिक प्रतियों (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट या इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों सहित) का प्रेषण, बैठक की सूचना के साथ ऐसे विवरण केवल ईमेल द्वारा सदस्यों और अन्य सभी हकदार व्यक्तियों को भेजे जाएंगे। इस सुविधा के साथ कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

(वीसी)/ अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से अपनी एजीएम आयोजित करने की अनुमति है।

2. कंपनी की चतुर्थ वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य- श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित की जा रही है। हालाँकि, उक्त बैठक मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को शाम 4:45 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, अर्थात आयुध निर्माणी कानपुर, कालपी रोड, कानपुर-208009, उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी। इसका लिंक अलग से साझा किया जाएगा।

3. अधिनियम की धारा 112 के अनुसार भारत के महामहित राष्ट्रपति, जो कंपनी के सदस्य हैं, से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधियों) को वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले नामांकन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति वीसी/ओएवीएम के माध्यम से csaweilhq@aweil.in पर ईमेल द्वारा भेजें।

4. संलग्न सूचना और रजिस्टरों में उल्लिखित सभी दस्तावेज वार्षिक आम बैठक की तिथि तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में कार्य-समयावधि (शनिवार और रविवार को छोड़कर) में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। हालाँकि, ऐसे दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण करने हेतु इच्छुक सदस्य csaweilhq@aweil.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

5. वार्षिक रिपोर्ट 2024-25, 04वीं एजीएम की सूचना तथा अन्य दस्तावेज सदस्यों को कंपनी के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जा रहे हैं, बशर्ते किसी सदस्य ने भौतिक प्रति के लिए अनुरोध किया हो।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले विशेष कारोबार से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

7. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैठक में उपस्थित होने और मतदान के लिए अधिकृत सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने हेतु अधिकृत हैं। उस प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूँकि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति समाप्त कर दी गई है।

तदनुसार, इस एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और एजीएम का रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है।

8. अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति (कोरम) की गणना के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्यों की गणना की जाएगी।

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित विवरण संलग्न सूचना में उल्लिखित विशेष व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करता है।

मद संख्या 3, 4 और 5 के संबंध में:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशकगण की नियुक्ति कंपनी के संगत अनुच्छेदों के अनुसार भारत के महामहिम राष्ट्रपति को समय-समय पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशकगण को नियुक्त करने और ऐसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशकगण के कार्यकाल का निर्धारण करने का अधिकार है। तदनुसार, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के निर्देशानुसार आपकी कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित नियुक्तियाँ की गईं:

i) श्री उमेश सिंह (डीआईएन:08373608) को रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 1(5)/2023/बीओडी(पीईएसबी)/एडब्ल्यूईआईएल सीएमडी/(एमएंडपी) दिनांक 21.03.2025 द्वारा कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने दिनांक 01.04.2025 से पदभार ग्रहण किया।

ii) डॉ. गरिमा भगत (डीआईएन: 10881164) को रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 8(32)/2019-डी (समन्वय/डीडीपी), दिनांक 10.12.2024 द्वारा कंपनी का सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। हालाँकि, नियुक्ति दिनांक 24.12.2024 (डीआईएन आवंटन की तिथि) से प्रभावी थी।

iii) श्री मानस कविराज (डीआईएन: 11068445) को रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 1(5)/2023/बीओडी(पीईएसबी)/एडब्ल्यूईआईएल डीआईआर(एचआर)/(एम एंड पी) दिनांक 22.08.2025 द्वारा निदेशक (मानव संसाधन) के पद पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने दिनांक 09.09.2025 से पदभार ग्रहण किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त नियुक्तियों को कंपनी के सदस्यगण के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है।

बोर्ड, मद संख्या 3, 4 और 5 में दिए गए प्रस्तावित साधारण प्रस्ताव को सदस्यों के अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता है।

कंपनी के अन्य निदेशकगण/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, सूचना में दिए गए प्रस्ताव से वित्तीय या अन्यथा संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

मद संख्या 06 के संबंध में:

लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

कंपनी ने सीपीपीपी पोर्टल पर खुली निविदा के माध्यम से दो वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। निविदा सूचना के अनुसार पात्रता पूरी करने वाले लागत लेखाकार मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, कानपुर को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा-परीक्षा कराने हेतु मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार को 2,00,000/- रुपये जीएसटी प्रति वर्ष के पारिश्रमिक पर नियुक्त करने संबंधी मंजूरी दे दी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के प्रावधानों और कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14(क)(ii) के अनुसार, लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक का कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक पर विचार करें और उसका अनुमोदन करें, जैसा कि उपरोक्त सेवाओं के लिए प्रस्ताव में निर्धारित है।

बोर्ड प्रस्तावित साधारण प्रस्ताव को सदस्यों के अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके रिश्तेदार, उपरोक्त प्रस्तावित प्रस्ताव से किसी भी तरह से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड

(मनीष कुमार सिंह)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफसीएस: 12879

स्थान: कानपुर
दिनांकरू 30.09.2025

एडब्ल्यूईआईएल – एक दृष्टि में

एडवान्स्ड वेपन्स एण्ड इक्विपमेन्ट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) आयुध निर्माणी बोर्ड का विलय करके निगमित किए गए सात (7) रक्षा पीएसयू में से एक है, जो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।

- इसे 14 अगस्त 2021 को निगमित किया गया और इसने 1 अक्टूबर 2021 से अपना कारोबार शुरू किया।
- इसमें आठ निर्माणियाँ और एक गैर-उत्पादन इकाई शामिल हैं।
- डीपीएसयू किए जाने से एडब्ल्यूईआईएल को स्वायत्तता मिली है, जिससे यह कंपनी वैश्विक रक्षा बाजार में नए अवसर तलाशनें की दिशा में अग्रसर हुई है।
- हथियारों और उपकरणों की व्यापक उत्पाद श्रृंखला।
- उच्च गुणवत्ता, कम लागत पर प्रभावी उत्पादन के लिए एकीकृत अत्याधुनिक सुविधाएँ।
- एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के साथ निरीक्षण और सामग्री परीक्षण के लिए व्यापक सुविधाएँ।

क. उद्पादन इकाइयाँ:

राइफल फैक्टरी, ईशापुर

लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर

तोप गोला निर्माणी, कोलकाता

आयुध निर्माणी, तिरुचिरापल्ली

आयुध निर्माणी, कानपुर

फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर

तोपगाड़ी निर्माणी, जबलपुर

आयुध निर्माणी परियोजना, कोरवा

ख. गैर उत्पादन इकाइयाँ:

शस्त्र तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान, ईशापुर

कंपनी मुख्य रूप से निम्नलिखित हथियार प्रणालियों और एम्युनिशन हार्डवेयर का निर्माण कर रही है:

i. बड़े कैलिबर के आर्टिलरी गन सिस्टम जैसे 155X45 एमएम धनुष गन, 130 एमएम गन को 155 एमएम शारंग में अपग्रेड, 105 एमएम एलएफजी।

ii. टी-90, टी-72 और अर्जुन टैंक के लिए टैंक गन सामग्री।

iii. टी-90, टी-72, एलएफजी और आईएफजी तोपों की मरम्मत।

iv. 120 एमएम, 81 एमएम और 51 एमएम मोर्टार।

v. 40 एमएम एअर डिफेंस गन सिस्टम।

vi. एके-630 नेवल गन और 12.7 एमएम एसआरसीजी।

vii. मध्यम मशीन गन, हल्की मशीन गन, जैसे असॉल्ट राइफल, स्नाइपर, कार्बाइन, पिस्टल, रिवॉल्वर और स्पोर्टिंग राइफल सहित छोटे हथियारों की विस्तृत श्रृंखला।

viii. 14.5 एमएम और 20 एमएम की एंटी-मैटीरियल राइफलें।

ix. 30 एमएम से 155 एमएम तक के एम्युनिशन हार्डवेयर।

x. बड़े, मध्यम और छोटे कैलिबर हथियारों के लिए पुर्जे।

एडब्ल्यूईआईएल भारत में हथियार निर्माण पारिस्थितिक तंत्र में बाजार की अग्रणी कंपनी है, जिसके पास सैन्य बलों, केंद्रीय सशस्त्र अर्ध-सैन्य बलों, राज्य पुलिस बलों, निर्यात और अनुमन्य बोर वाले हथियारों के लिए सिविल मार्केट की आवश्यकताओं को पूरा करने की विशेषज्ञता और क्षमताएँ हैं।

एडब्ल्यूईआईएल के पास शेल, फ्यूज, प्राइमर और स्टेबलाइजर असेंबली सहित छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के हथियार, मोर्टार उपकरण और एम्युनिशन हार्डवेयर में प्रमुख रूप से दक्षता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

इस वर्ष आपकी कंपनी की उपलब्धियों को देखते हुए मुझे अत्यधिक गर्व और संतुष्टि की अनुभूति हो रही है। हमने उल्लेखनीय प्रगति की है और हितधारकों की पूँजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे द्वारा दर्शायी गई वृद्धि पहले से ही मौजूद सशक्त नींव पर आगे बढ़ने, प्रदर्शन की अपेक्षाओं को पूरा करने और लगातार ऐसे मूल्यों के सृजन के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता का परिचायक है, जिसे आँकड़ों में नहीं दर्शाया जा सकता है।

हम आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उन्नत हथियार और गोला-बारूद तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही हम कॉर्पोरेट प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और अपने ग्राहकों एवं हितधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु भी प्रतिबद्ध हैं।

वित्तीय प्रदर्शन

व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में हमने गतिशील नियामक परिवेश और कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ प्रभावी तालमेल बिठाया है। इन बाधाओं के बावजूद, हम सशक्त संचालन प्रदर्शन बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। इस वर्ष एडब्ल्यूईआईएल ने बिक्री में एक नया मुकाम हासिल करते हुए अपनी विकास यात्र में एक उल्लेखनीय मानक स्थापित किया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपकी कंपनी ने उत्पाद और सेवाओं की बिक्री से अब तक का सर्वाधिक राजस्व 2502.68 करोड़ रु. दर्ज किया, जबकि विगत वर्ष यह 2009.81 करोड़ रु. था, जो 24.52% अधिक है और संचालन से 2530.93 करोड़ रु. का राजस्व दर्ज किया, जबकि विगत वर्ष यह 2041.73 करोड़ रु. था, जो 23.96% (वर्ष दर वर्ष) अधिक है।

कंपनी ने कर से पहले 90.00 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 29.79 करोड़ रु. था, जो 202: (वर्ष दर वर्ष) अधिक है और कर के बाद लाभ 82.74 करोड़ रु. है, जबकि पिछले वर्ष यह 20.24 करोड़ रु. था, जो 309: (वर्ष दर वर्ष) अधिक है।

उत्पादन का मूल्य 2214.16 करोड़ रु. की तुलना में 2370.40 करोड़ रु. है, जो 7.06% (वर्ष-दर-वर्ष) अधिक है।

कंपनी की ऑर्डर बुक ₹8,229 करोड़ है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त ₹1,913 करोड़ मूल्य के ऑर्डर शामिल हैं।

निर्यात: सीमा-विस्तार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने, राष्ट्रीय संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने और सैन्य श्रेष्ठता हासिल करने के लिए आवश्यक है। इस प्रयास से न केवल सामरिक स्वायत्तता और लागत-प्रभावी रक्षा उपकरणों का विकास होता है बल्कि इसमें रक्षा आयात बिल को भी काफी हद तक कम किए जाने का सामर्थ्य भी होता है।

ए. एडब्ल्यूईआईएल निर्यात के अवसरों का पूरी तत्परता से लाभ उठा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी को 125 करोड़ रु. के 4 निर्यात ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

बी. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एडब्ल्यूईआईएल ने 37.58 करोड़ रु. की निर्यात बिक्री सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसके अलावा, ग्राहक को अंतिम निर्यात शिपमेंट के लिए मार्च 2025 के दौरान व्यापारी निर्यातक को 72.71 करोड़ रु. मूल्य की वस्तुओं का चालान भेजा जा चुका है।

स्वदेशीकरण: राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को संबल

एडब्ल्यूईआईएल स्वदेशीकरण के माध्यम से रक्षा उत्पादन में श्आत्मनिर्भर भारतश की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। एडब्ल्यूईआईएल के कुल कारोबार में स्वदेशी सामग्री 94% है। एडब्ल्यूईआईएल की आयात निर्भरता केवल उन्हीं आइटम पर है जो सतत् आयात श्रेणी में आते हैं और विदेशी ओईएम से टीओटी उपलब्ध नहीं है।

एडब्ल्यूईआईएल छोटे और बड़े कैलिबर हथियारों के क्षेत्र में राष्ट्र को "आत्मनिर्भर" बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। निगमीकरण के बाद स्वदेशीकृत प्रमुख उत्पाद निम्नानुसार हैं: -

ए) पावर पैक (धनुष गन सिस्टम)

बी) एओ-18 क्लस्टर (एके-630 गन की क्रिटिकल सब-असेंबली)

सी) बेयरिंग (टी-90 टैंक आयुध)

डी) शॉक कार्ट्रिज (धनुष गन सिस्टम)

ई) एल-70 गन के लिए एक्चुएटर स्प्रिंग

एफ) टी-90 आर्टिकल के लिए चार्जिंग वाल्व असेंबली

एडब्ल्यूईआईएल ने विभिन्न हितधारकों, जैसे निजी कंपनियों, पीएसयू (सेल आदि), डीपीएसयू (मिधानी, वाईआईएल, बीईएल, आईओएल आदि), सरकारी प्रतिष्ठान (ब्रिट आदि) से सीधे संपर्क किया है ताकि एडब्ल्यूईआईएल को आपूर्ति के दायरे में आने वाली आयातित वस्तुओं की पहचान की जा सके और उन्हें अपने स्तर पर स्वदेशीकरण हेतु जोर दिया जा सके।

अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी क्षमताएं: नवाचार का मूलमंत्र

एडब्ल्यूईआईएल ने बड़े कैलिबर वाले हथियारों और छोटे हथियारों के क्षेत्र में वैश्विक तकनीकों की पहचान की है और कंपनी अपने अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से उन्हें अपने उत्पादन क्षेत्र में शामिल करने हेतु प्रयास कर रही है। अनुसंधान एवं विकास केंद्र बड़े कैलिबर, मध्यम कैलिबर, छोटे हथियारों और गोला-बारूद के हार्डवेयर के विकास में कार्यरत हैं। एडब्ल्यूईआईएल अत्याधुनिक तकनीक वाली विभिन्न हथियार प्रणालियों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। एडब्ल्यूईआईएल ने आर्टिलरी गन, मोर्टार और छोटे हथियारों के अनुसंधान एवं विकास) पर ध्यान केंद्रित किया है। एडब्ल्यूईआईएल ने इन प्रयासों में शिक्षा जगत को भी शामिल किया है और कंपनी आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईआईटीडीएम जबलपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर प्रयास कर रही है।

बदलती तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आंतरिक अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से शुरू किए गए कुछ प्रमुख उत्पादध्परियोजनाएँ निम्नानुसार हैं:

ए) 155 एमएम/52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम (एमजीएस)।

बी) 155 एमएम/52 कैलिबर टोड गन सिस्टम (टीजीएस)।

सी) 60 एमएम मोर्टार।

डी) 40 एमएम एमजीएल-एम3 (विस्तारित रेंज)।

ई) 7.62X51 एमएम मीडियम मशीन गन (एमएमजी) अपग्रेड।

एफ) त्रिची असॉल्ट राइफल (टीएआर 25)।

एडब्ल्यूईआईएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपने संचालन से प्राप्त राजस्व का लगभग 1.49% अनुसंधान एवं विकास पर व्यय किया है और इसमें आगामी वर्षों में वृद्धि होने की संभावना है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व: सामुदायिक सशक्तिकरण

सफलता का सही मायने में अर्थ केवल वित्तीय प्रदर्शन नहीं बल्कि समाज में हमारे द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव से भी परिलक्षित होता है। अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के माध्यम से हमने स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्या के समाधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। हमें सामुदायिक उत्थान और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ प्रभावी साझेदारी पर गर्व है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित किए और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कुपोषण को दूर करने के लिए 26.08 लाख रु. की खाद्य किट प्रदान की, जो सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कॉर्पोरेट प्रशासन: विश्वास और पारदर्शिता का समावेश

आपकी कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों का अक्षरश: पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम अपने व्यावसायिक संचालन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ईमानदारी और जवाबदेही हमारे कॉर्पोरेट प्रशासन के ढाँचे की नींव है। हम पारदर्शिता, नियामक अनुपालन और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं। हमारी शासन प्रणाली, हितधारकों के हितों की रक्षा, जिम्मेदारीपूर्ण निर्णय लेने और निवेशकों के विश्वास को दीर्घकाल तक कायम रखने के लिए बनाई गई है।

भावी संभावनाएँ: क्षमता तथा अवसर का समावेश

भावी परिदृश्य के प्रति हम आशावादी होने के साथ-साथ सतर्क भी हैं। वैश्विक आर्थिक चुनौतियाँ के साथ-साथ नवाचार, सहयोग और विकास के नए अवसर भी प्राप्त होते हैं। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, जिसके फलस्वरूप हम अपनी संचालन दक्षता में वृद्धि, बड़े संभावित बाजार में पदार्पण, लोगों और प्रक्रियाओं में निवेश कर सकेंगे तथा अपने ग्राहकों तथा हितधारकों की आगामी जरूरतों के साथ तालमेल बनाए रख सकेंगे।

एडब्ल्यूईआईएल विभिन्न भारतीय दूतावासों में रक्षा अताशे के साथ बातचीत से निर्यात के अवसरों की पूरी जीवटता से प्रयासरत है तथा रक्षा सेवाओं/सीएपीएफ/एसपीएफ को अत्याधुनिक रक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए निजी रक्षा उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन के अवसरों की तलाश में है। एडब्ल्यूईआईएल दक्षता में निरंतर आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ के प्रति सजग है, ताकि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था बनाई जा सके और रक्षा सेवाओं को सर्वोत्तम उत्पाद/प्रणालियाँ उपलब्ध कराई जा सकें। आगामी परिप्रेक्ष्य से जुड़े कार्यक्रमों और अनुसंधान एवं विकास तथा व्यावसायिक विस्तार हेतु किए जा रहे प्रयासों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए एडब्ल्यूईआईएल प्रतिवर्ष 10-12% की वार्षिक वृद्धि की योजना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

एडब्ल्यूईआईएल का वार्षिक कारोबार वित्तीय वर्ष 2027-28 तक ₹3,600 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है।

आभार

अंत में, मैं अपने सभी हितधारकों - शेयरधारकों, ग्राहकों, व्यावसायिक साझेदारों और कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपका सतत् समर्थन और सहयोग हमारे विकास और मूल्य संवर्धन के लिए प्रेरणास्रोत रहा है।

मैं कंपनी की निरंतर सफलता में निर्णायक भूमिका निभाने वाले निदेशक मंडल के सदस्यगण और वरिष्ठ प्रबंधन को विशेषज्ञ मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं

रक्षा मंत्रलय (एमओडी), रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा सेवाओं के प्रति विशेष आभार, क्योंकि आपके निरंतर विश्वास, मार्गदर्शन और प्रदत्त अवसरों के फलस्वरूप हम उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम हुए।

कार्य के प्रति जुनून, समर्पण और उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता हेतु अपने कार्मिकों का धन्यवाद। साझा मूल्यों को हासिल करने में आपके अथक प्रयासों से एडब्ल्यूईआईएल के नवोन्मेषी विचार निरंतर सशक्त हो रहे हैं और असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, जो हितधारकों की अपेक्षाओं से भी बढ़कर हैं।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें उत्साहवर्धक अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिनके फलस्वरूप हम अधिक मूल्य अर्जित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी हितधारकों के निरंतर सहयोग और समर्थन से हमारा लक्ष्य निरंतर विकास और दीर्घकालिक समृ) प्राप्त करना है।

आइए, हम सभी एकजुट होकर नवाचार/सत्यनिष्ठा से आगे बढ़ें और एक ऐसे स्थायी भविष्य का निर्माण करें, जो सभी के लिए हितकर हो।

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड को निरंतर सहयोग देने के लिए धन्यवाद।

शुभकामनाओं सहित,
सादर

उमेश सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एडब्ल्यूईआईएल के नेतृत्वकर्ता (दिनांक 25.09.2025 तक)

श्री उमेश सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
निदेशक (संचालन), अतिरिक्त प्रभार

डॉ गरिमा भगत
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री जय गोपाल महाजन
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

श्री मानस कविराज
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री उमेश सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
निदेशक (संचालन), अतिरिक्त प्रभार

श्री उमेश सिंह वर्ष 1988 में पूर्ववर्ती रुड़की विश्वविद्यालय (टब आईआईटी रुड़की) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि से विभूषित हैं। आप अगस्त, 1991 में भारतीय आयुध निर्माणी सेवा में जुड़े। सेवा के दौरान आपने 1998-1999 के दौरान डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन से रक्षा एवं सामरिक सेवा में एमएससी किया। आपने यूनाइटेड किंगडम के क्रैनफील्ड विश्वविद्यालय के डिफेंस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से गन सिस्टम डिजाइन में भी एमएससी किया, जिसके लिए आपको कॉलेज द्वारा 'रॉयल ऑर्डनेंस ट्रॉफी' से सम्मानित किया गया।

आपने फील्ड गन फैक्टरी (एफजीके) कानपुर, गन कैरिज फैक्टरी (जीसीएफ) जबलपुर, गन एंड शेल फैक्टरी (जीएसएफ) काशीपुर, आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता तथा न्यु डिफेंस कंपनी डिवीजन, डीडीपी, नई दिल्ली में 34 वर्षों से अधिक समय तक अपनी सेवाएँ दी हैं। एफजीके, जीसीएफ और जीएसएफ में सेवाकाल के दौरान आपने जटिल संयंत्र और मशीनरी के रखरखाव, आर्टिलरी गन, टैंक गन और एअर डिफेंस गन की उत्पादन योजना के क्षेत्र में बृहद अनुभव प्राप्त किया। आपने आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता में उत्पाद विकास, भारतीय/विदेशी निजी कंपनियों के साथ सहयोग के माध्यम से संगठन के विकास के लिए नीति-निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मार्च, 2022 से अक्टूबर, 2023 के दौरान आप डीओओ (सी एंड एस) नई दिल्ली में न्यू डिफेंस कंपनी डिवीजन के डीडीजी थे। डीडीजी/एनडीसीडी के रूप में आपने नवगठित डीपीएसयू को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एडब्ल्यूईआईएल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी सेवाएँ दी हैं।

आपने एडब्ल्यूईआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार दिनांक 01.04.2025 से ग्रहण किया।

डॉ. गरिमा भगत
सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. गरिमा भगत (डीआईएन: 10881164), संयुक्त सचिव (भूमि प्रणाली) को दिनांक 24 दिसंबर, 2024 से एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड का अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) नियुक्त किया गया है।

डॉ. भगत बी.टेक (सवर्ण पदक विजेता), एम.टेक, एमए (टर्थशास्त्र), एलएलबी (सवर्ण पदक विजेता) और आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की उपाधि से विभूषित हैं। आपने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (1990) में प्रथम स्थान और यूपीएससी की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (1994) में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप 1996 बैच की भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी (टाईआरएस-आईटी) हैं।

भारत सरकार में 28 वर्षों से अधिक समय की सार्वजनिक सेवा के अनुभव से परिपूर्ण डॉ. भगत ने कराधान, भ्रष्टाचार निवारण, सार्वजनिक खरीद, प्रशासन और प्रतिस्पर्धा कानून जैसे क्षेत्रों में व्यापक विशेषज्ञता अर्जित की है। आपने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएँ दी हैं। आपने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में मुख्य सतर्कता अधिकारी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में संयुक्त महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। डॉ. भगत विभिन्न शीर्ष शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित विजिटिंग फैकल्टी सदस्य भी रही हैं। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई शोध पत्रों के प्रकाशन के साथ-साथ आपने कराधान पर 3 पुस्तकें भी लिखी हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव (भूमि प्रणाली) के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका से पहले आपने दिल्ली में आयकर आयुक्त के रूप में भी कार्य किया।

कंपनी के अन्य निदेशकगण के साथ उनका कोई परस्पर संबंध नहीं है। पुनश्च, उनके पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

श्री जय गोपाल महाजन
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

श्री जय गोपाल महाजन (डीआईएन: 10824241) ने दिनांक 30.10.2024 को एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) के निदेशक (वित्त) और बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। एडब्ल्यूईआईएल में शामिल होने से पहले वे रक्षा मंत्रलय के अंतर्गत एक प्रमुख बहु-प्रौद्योगिकी 'शेडड्यूल ए' सीपीएसई बीईएमएल लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक (वित्त) के रूप में कॉर्पोरेट प्रमुख/वित्त और कंपनी सचिव के पद पर (7 वर्ष) कार्यरत थे। इससे पहले वे कपड़ा मंत्रलय के अंतर्गत एक सीपीएसई, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में कॉर्पोरेट प्रमुख/वित्त और कंपनी सचिव के रूप में (14 वर्ष) तथा उससे पूर्व भारत के लुधियाना में स्थित एक प्रमुख कपड़ा समूह वर्धमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में (11 वर्ष) कार्य कर चुके हैं।

श्री महाजन 1991 बैच के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, जो कंपनी सचिव, एमबीए (वित्त) और मार्केटिंग मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा (गोल्ड मेडलिस्ट) उपाधियों से विभूषित हैं। उन्हें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में एम.कॉम में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता से 'अंतर्वैयक्तिक प्रभाव और नेतृत्व उत्कृष्टता' पर प्रबंधन विकास प्रोग्राम का कोर्स और 'अंतर्राष्ट्रीय परियोजना एवं कार्यक्रम प्रबंधन संस्थान' से 'परियोजना प्रबंधन में कार्यकारी डिप्लोमा' पूरा किया है।

उनके पास वित्तीय प्रबंधन, लेखा, लेखा परीक्षा, सतर्कता, डिजिटलीकरण और कंपनी कानून के सभी पहलुओं में रक्षा और एयरोस्पेस, रेल एवं मेट्रो, खनन तथा निर्माण उपकरण, हथकरघा, कपड़ा और दवा उद्योग सहित सार्वजनिक क्षेत्र में 21 वर्षों एनं निजी क्षेत्र में 11 वर्षों सहित कुल 32 वर्षों का समृद्ध और बहुमुखी अनुभव है, जिनमें ट्रेजरी और फंड प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, निर्यात ऋण, खातों का अंतिम रूप देना, आंतरिक लेखा परीक्षा, प्रत्यक्ष और परोक्ष कराधान, बीमा, लक्ष्य लागत, वाणिज्यिक, एमआईएस, प्रणालीगत सुधार, नीति निर्माण और कंपनी अधिनियम तथा सेबी विनियमों के अंतर्गत अनुपालन शामिल हैं।

उन्होंने संगठन के मूल्य संवर्धन, अभिनव पहल के कार्यान्वयन में प्रभावी किरदार निभाया है। उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाते हुए 'मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट' के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की 'असुरक्षित ऋण सुविधा' शुरू की, ताकि 'बैंकरों के संघ' की विरासत के एकाधिकार को समाप्त किया जा सके और कुल ब्याज लागत में लगभग 40% और एलसी/बीजी शुल्क में लगभग 50% की कमी लाई जा सके। उन्होंने 2.1% प्रति वर्ष (नेट) की सबसे कम ब्याज दर पर 'निर्यात ऋण सुविधा' के लिए समझौता किया।

प्रक्रिया को चुनौती देने की उनकी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप विभिन्न कर विवादों का तेजी से निपटारा हुआ, जिससे 73 करोड़ रुपए के कर रिफंड की वसूली हुई, 500 करोड़ रुपए का अंडर-इंश्योरेंस चिह्नित करते हुए उसका समाधान कराया, उचित बीमा प्राप्त करने के लिए एसओपी तैयार कराई, 3 महीने की रिकॉर्ड अवधि में टैली 9 ईआरपी को लागू कराया और जुलाई से अप्रैल तक वार्षिक खातों को जल्दी अंतिम रूप देने की पहल करते हुए उसे व्यवस्थित कराया। उनका दृढ़ विश्वास है कि काम के प्रति प्रतिबद्धता ही सफलता की कुंजी है।

श्री मानस कविराज
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री मानस कविराज, निदेशक (मानव संसाधन) ने एडब्ल्यूईआईएल, कानपुर में दिनांक 09 सितंबर, 2025 को सेवाभार ग्रहण किया। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, रांची से कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में स्नातकोत्तर तथा श्रम प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधियों से विभूषित श्री कविराज आईआईएम रोहतक से प्रमाणित रणनीतिक मानव संसाधन विश्लेषक भी हैं।

आपके पास मानव संसाधन के क्षेत्र में 34 वर्षों से अधिक का समृद्ध तथा व्यापक अनुभव है। एडब्ल्यूईआईएल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री कविराज ने हिंडाल्को लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, मेकॉन लिमिटेड और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड जैसे विभिन्न संगठनों में भी कार्य किया है। आपने एनबीसीसी (टी) लिमिटेड के संगठन की संरचना, विशेष रूप से प्रतिभा प्रबंधन, शिक्षा एवं विकास, कार्मिक कल्याण एवं प्रेरणा, विविधता प्रबंधन, क्षमता विकास और पदोन्नति में सुधारात्मक बदलाव किया है। आपके नेतृत्व में एनबीसीसी ने मानव संसाधन योजना, मानव संसाधन विश्लेषण और मानव संसाधन व्यवसाय साझेदारी (HRBP) के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

श्री कविराज ने मानव संसाधन को सटीक और उद्देश्यपरक बनाने के लिए पारंपरिक, प्रतिक्रियात्मक कार्य-प्रणाली के स्थान पर इसे गत्यात्मक और अग्रसक्रिय बनाया है जो न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि प्रतिभाओं की कद्र करती है, विकास को बढ़ावा देती है और एक सतत् एवं दूरदर्शितापूर्ण कार्य-परिवेश भी उपलब्ध कराती है। दक्षता तथा पलटवार के मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए आपने मानव संसाधन को इस हद तक सशक्त बनाया है कि इसमें सहज परिवर्तन की स्वीकार्यता के साथ-साथ चुनौतियों का सामना करने का भी सामर्थ्य हो, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानव संसाधन किसी संगठन की सफलता का एक अडिग स्तंभ बना रहे।

मानव संसाधन के क्षेत्र में योगदान के लिए आपको कई सम्मान से विभूषित किया गया है, जिनमें प्राइड आफॅ एचआर प्रोफेशनल इन पीएसयू, इंडियाज बेस्ट एचआर लीडर इन पीएसयू, एचआर कोर्पोरेट अवार्ड 2017-18, बेस्ट इन क्लास फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, इंडिया द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन शामिल हैं। आप एआईएमए, राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क (एनएचआरडीएन) और राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएम) के आजीवन सदस्य हैं। श्री कविराज ने इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (टाईओडी) से प्रतिष्ठित मास्टरक्लास फॉर डायरेक्टर्स भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है और एक प्रमाणित कॉर्पोरेट निदेशक हैं। आपने IICA&UNDP से ईएसजी प्रमाणन भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। हाल ही में आपने नेतृत्व कौशल हासिल करने के लिए आईआईएमए में भी भाग लिया था।

नेतृत्व संबंधी भूमिका को और सशक्त करते हुए श्री कविराज ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड संयुक्त उद्यम (REDCOR) के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

कॉर्पोरेट जानकारी

निदेशक मंडल

श्री उमेश सिंह	: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 01/04/2025 से)
डॉ. गरिमा भगत	: सरकार द्वारा नामित निदेशक (दिनांक 06.11.2024 से)
श्री अखिलेश कुमार मौर्य	: निदेशक (संचालन) 30.06.2025 तक
श्री जय गोपाल महाजन	: निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (दिनांक 30.10.2024 से)
श्री मानस कविराज	: निदेशक (मानव संसाधन) (दिनांक 09.09.2025 से)

कंपनी सचिव

श्री मनीष कुमार सिंह

एम. सं. एफसीएस 12879

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री पंकज गुप्ता, आईटीएस

फोन: 033-22485486

ईमेल: cvo@ord-gov-in

विधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स बी.सी. जैन एंड कंपनी,
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
FRN: 001099C

लागत लेखा परीक्षक

आर.एम. बंसल एंड कंपनी,
लागत लेखाकार
FRN: 000022

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स जानवी मोर्दानी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
एम. संख्या 28157
सी.ओ.पी. संख्या 10094

पंजीकृत कार्यालय

आयुध निर्माणी कानपुर, कालपी रोड,
कानपुर-208009, उत्तर प्रदेश

वेबसाइट: www-aweil-in
ईमेल: contact@aweil-in
फोन: 0512-2986979

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक
एचडीएफसी बैंक
यूको बैंक

हमारे उत्पाद प्रोफाइल

एडवान्स्ड वेपन्स एण्ड इक्विपमेन्ट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल), भारत में सर्वश्रेष्ठ हथियार प्रणाली प्रदाता हैं, हमारे पास छोटे कैलिबर 5.56 मिमी राइफलस से लेकर 155 मिमी आर्टिलरी गन, टैंक गन, जैसे अर्जुन टैंक, टी-90 टैंक, टी-72 टैंक के साथ-साथ मोर्टार, नेवल गन और एंटी-एयरक्राफ्ट गन के रूप में व्यापक उत्पाद मैट्रिक्स है। हम 30 मिमी से 155 मिमी तक गोला बारूद हार्डवेयर भी बनाते है।

धनुष/आर्टिलरी गन प्रणाली/155 मिमी x 45 कैली:-

- स्वदेशी आर्टिलरी गन प्रणाली
- रेंज > 36 कि.मी
- एजीएसएस - एडवांस गन साइटिंग सिस्टम
- शूट और स्कूट क्षमता
- जीपीएस की सहायता से जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली (टाईएनएस)
- प्रत्यक्ष फायरिंग क्षमताएं: दिन और रात
- आग की दर:
  - बर्स्ट: 30 सेकेंड में 3 राउंड
  - तीव्र: 3 मिनट में 12 राउंड
  - गोला-बारूद और शुल्कों की विस्तृत श्रृंखला के साथ काम करता है

लाइट फील्ड गन (एलएफजी) 105 मिमी

- कैलिबर: 105 मिमी
- रेंज: 17.2 किमी
- ऊंचाई: -5 डिग्री से 73 डिग्री
- पार करना: फायरिंग प्लैटफोर पर 360 डिग्री

मोर्टार 120 मिमी

- ट्रैवर्सलाइट आर्टिलरी हथियार
- रेंज: 8.9 किमी
- फायर एचई, स्मोक एवं इल्युमिनेटिंग एम्युनिशन

मोर्टार 81 मिमी

- इन्फैंट्री की लड़ाकू शक्ति को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया हल्का और शक्तिशाली हथियार
- रेंज: 5 किमी

एके-630 नेवल गन 30 मिमी

- कैलिबर: 30 मिमी
- रेंज: 5000 मीटर
- आग की दर: 5000 आरडीएस/मिनट

स्टैब्लाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन प्रणाली (एसआरजीसी)

- 12.7 मिमी
- कैलिबर: 12.7 मिमी
- इफेक्टिव रेंज: 1.89 किमी
- आग की दर: 450-630 आरडीएस/मिनट
- पूरी तरह से दूर से नियंत्रित, डेक माउन्टेड
- बेल्ट फेड

मैग

- 7.62 X 51 मिमी
- बेल्ट फेड
- प्रभावी रेंज: 1800 मीटर
- आग की दर: 1000 आरडीएस/मिनट

एलएमजी

- 7.62 X 51 मिमी
- बेल्ट फेड
- प्रभावी रेंज: 800 मीटर
- आग की दर: 600 आरडीएसधमिनट

त्रिची असाल्ट राइफल

- 7.62 x 39 मिमी
- प्रभावी रेंज: 350 मीटर
- आग की दर: 600 आरडीएस/मिनट
- सिंगल शॉट और स्वचालित मोड

ईशापुर असाल्ट राइफल

- 7.62 x 51 मिमी
- प्रभावी रेंज: 500 मीटर
- आग की दर: 700 आरडीएस/मिनट
- सिंगल शॉट और स्वचालित मोड

संयुक्त उद्यम सुरक्षात्मक कार्बाइन (जेवीपीसी)

- 7.62 x 51 मिमी
- बेल्ट फेड
- प्रभावी रेंज: 1800 मीटर
- आग की दर: 1000 आरडीएस/मिनट
- सिंगल शॉट और स्वचालित फायरिंग मोड

ट्राइका

- 7.62 x 39 मिमी
- प्रभावी रेंज: 140 मीटर
- आग की दर: 600 आरडीएस/मिनट
- सिंगल शॉट और स्वचालित फायरिंग मोड

पम्प एक्शन गन

- 12 बोर
- सिंगल शॉट
- मैगजीन - 4 राउंड

अश्रु गैस गन

- 38.8 मिमी बोर
- सिंगल शॉट
- आग की दर: 10 गोला/मिनट

स्पोर्टिंग राइफलें

- 0.22 स्पोर्टिंग राइफलें
- 0.315 स्पोर्टिंग राइफलें
- 30-06 स्पोर्टिंग राइफलें

पिस्तौल

- 9mm पिस्तौल
- -32 mm पिस्तौल और वेरिएंट

रिवाल्वर

- 0.32" रिवॉल्वर और वेरिएंट
- 0.22" रिवॉल्वर और वेरिएंट

एम्यूनीशन हार्डवेयर:

- 30 मिमी केगोले
- 40 मिमी के गोले
- 105 मिमी के गोले (डच्च विस्फोटक, रंग, धुआँ, प्रकाश)
- 120 मिमी के गोले (टैंक गोला बारूद)
- 125 मिमी के गोले (टैंक गोला बारूद)
- 130 मिमी के गोले (टार्टिलरी गन गोला बारूद)
- 155 मिमी के गोले (टार्टिलरी गन गोला बारूद)

हमारे आधारभूत ग्राहक

अत्याधुनिक विनिर्माण क्षमताएँ

सीएनसी मशीनिंग सेन्टर

अत्याधुनिक सीएनसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मशीनिंग केंद्र

बैरल विनिर्माण सुविधाएं

मैन्ड्रेल मैन्यूफैक्चरिंग मशीन

कोल्ड स्वैगिंग मशीन

एनएबीएल प्रत्यायित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला

क्यूसी लैब

स्पेक्ट्रोमीटर

यूटीएम

3डी कोआर्डीनेट मेजरिंग मशीन

3D CMM (छोटे घटकों के लिए)

फायरिंग स्थिरता

टूल रूम सुविधाएं

राष्ट्रीय/घरेलू प्रदर्शनियों में सहभागिता

10.04.2024 को भारत-श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी

30.04.2024 को जकार्ता, इंडोनेशिया में भारत-इंडोनेशिया रक्षा उद्योग प्रदर्शनी सह संगोष्ठी।

25 और 26 अप्रैल 2024 को मापुटो में भारत-मोजाम्बिक रक्षा उद्योग बातचीत

यूरोसेटरी-2024, 17 से 21 जून 2024 तक पेरिस में

प्रतिज्ञा 2024, 22 से 24 अगस्त 2024 तक भिवानी, हरियाणा में

5वां एमईटी 15वां एचटीएस एक्सपो 2024, 4 से 6 सितंबर 2024 तक बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में

एडब्ल्यूईआईएल की विभिन्न इकाइयों में गणमान्य व्यक्तियों का दौरा

श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री

श्री किशोरी लाल शर्मा, माननीय सांसद, अमेठी

रोसोबोरोन निर्यात प्रतिनिधिमंडल, रूस

चीफ आफॅ डिफेंस स्टाफ प्रतिनिधिमंडल/गुयाना रक्षा बल

लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीवीएसएम, एवीएसएम, उप सेना प्रमुख

श्री संजीव कुमार, सचिव डीपी

कार्यक्रम

गणतंत्र दिवस समारोह

"योग" के स्वास्थ्य लाभ पर व्याख्यान।

योग प्रतियोगिता

15-08-2024 को **IOFS** अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण

एक पेड़ माँ के नाम

राजभाषा कार्यक्रम

सीएसआर के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट

एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड

निदेशक रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल को कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर चौथी वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम और निष्पादन के मुख्य घटक:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय मुख्य घटक के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित निष्पादन का विवरण निम्नवत है

(करोड़ रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
संचालन से राजस्व	2530.93	2041.73
अन्य आय	326.22	379.72
मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पहले लाभ	230.10	165.51
मूल्यह्रास	139.91	134.71
वित्तीय लागत	0.19	1.01
कर पूर्व लाभ	90.00	29.79
कम: कर के लिए प्रावधान	7.26	9.55
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ	82.74	20.24

पूंजी संरचना

31 मार्च, 2025 को कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी रु. 2,05,00,00,00,000/-(बीस हजार पांच सौ करोड़ रु. मात्र) और इक्विटी शेयरों के रूप में चुकता शेयर पूंजी 1,78,60,79,00,000/- (सत्रह हजार आठ सौ साठ करोड़ और उन्नासी लाख रुपये थी।

भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता:

कंपनी में भारत के महामहिम राष्ट्रपति की शेयरधारिता 100% है।

लाभ:

कर-पूर्व लाभ वित्तीय वर्ष 2023-24 में 29.79 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 90.00 करोड़ रुपये हो गया, जो 202% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि है।

समेकित वित्तीय विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के प्रावधानों और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी की संयुक्त उद्यम कंपनी इंडो-रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड (टाईआरआरपीएल) के लिए तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरण लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

वित्तीय स्थितिरू 31 मार्च 2025 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है:

अनुपात के प्रकार	2024-25	2023-24
(i) वर्तमान अनुपात (समय में)	2.16	2.33
(ii) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (%)	1.61	0.46
(iii) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	0.90	0.81
(iv) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	1.83	2.19
(v) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	2.19	3.32
(vi) शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात (समय में)	0.77	0.67
(vii) शुद्ध लाभ अनुपात (%)	2.89	0.84
(viii) नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	4.06	3.10

पूंजी और वित्त:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को भारत सरकार से इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में कैपेक्स फंड प्राप्त हुआ है, जिसे इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में विभाजित किया जाना आवश्यक है।

अचल परिसंपत्तियां:

31 मार्च, 2025 तक संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का वहन मूल्य 1880.68 करोड़ तथा पूंजीगत जारी कार्य का 226.19 करोड़ रुपये है।

लाभांश:

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन, कर पश्चात लाभ के न्यूनतम 30% या निवल मूल्य के 4%, जो भी अधिक हो, उसका वार्षिक लाभांश देगा।

हम एक नवगठित कंपनी हैं और अपने परिचालन को स्थिर करने की प्रक्रिया में हम अर्जित लाभ का उपयोग पूंजीगत व्यय की आवश्यकता को पूरा करने में करते हैं।

जमा की स्वीकृति:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय ट के अंतर्गत आने वाली कोई भी जमा स्वीकार नहीं की है। इस प्रकार, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 के अंतर्गत नहीं आती है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

परिचालन प्रदर्शन और प्रमुख उपलब्धियाँ

1. बिक्री लक्ष्य और उपलब्धियाँ

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक लक्ष्य और उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु. में)

2024-25 के लिए राजस्व लक्ष्य	प्राप्त राजस्व 2024-25
2550	2531

एडब्ल्यूईआईएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिचालन से अब तक का सर्वाधिक 2531 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया है। जबकि, पिछले वित्तीय वर्ष में यह 2042 करोड़ रुपये था। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 24% की राजस्व वृद्धि दर्ज की है। एडब्ल्यूईआईएल ने पिछले पाँच वर्षों में सर्वाधिक बिक्री भी दर्ज की है, जिसमें पूर्ववर्ती ओएफबी का कार्यकाल भी शामिल है।

2. आर्डर बुक:

दिनांक 01-04-2025 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 8229 करोड़ रुपये है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त 1913 करोड़ रुपये के ऑर्डर शामिल हैं:

ऑर्डर संबंधी विवरण	मूल्य (करोड़ रु. में)
एनजीपीओवी परियोजनाओं के लिए ऑर्डर	586
एलएफजी	90
अन्य डीपीएसयू/एमएचए/सीटी/आईए	1112
निर्यात आदेश	125
कुल	1913

3. अनुसंधान एवं विकास तथा स्वदेशीकरण:

ए. एडब्ल्यूईआईएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 37.73 करोड़ रुपये किए हैं, जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह 40.51 करोड़ रुपये था।

बी. एमआरजीएस योजना के अंतर्गत एडब्ल्यूईआईएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक के सर्वाधिक (36) आईपीआर दाखिल किए हैं।

सी. फील्ड गन फैक्टरी (एफजीके), कानपुर ने टी-90 एक्सट्रैक्टर के संशोधित इंडक्टर के डिजाइन को अनुमोदित किया है।

डी. भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने एडब्ल्यूईआईएल की एक इकाई, आयुध निर्माणी कानपुर (टोएफसी) को दिनांक 15.10.2024 को एक पेटेंट प्रदान किया है। यह पेटेंट फिन सिलेंडर असेंबली के कैंट एंगल को मापने वाले उपकरण के लिए प्रदान किया गया है। यह उपकरण भारत में ही विकसित किया गया है और इसका प्रयोग पिनाका रॉकेट असेंबली के स्टेबलाइजर के उत्पादन में किया जाता है।

ई. एडब्ल्यूईआईएल की एक इकाई, आयुध निर्माणी कानपुर (टोएफसी) को दिनांक 22.10.2024 को "130 एमएम कैरिज पर 105 एमएम एलएफजी को माउंट करने के लिए एडाप्टर डिजाइन करने" के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है।

एफ. टी-90 टैंक आर्टिकल के बियरिंग का स्वदेशीकरण पूरा हो गया है। यह स्वदेशीकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण सफलता मील का पत्थर है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है।

4. प्रदर्शनियों में भागीदारी:

ए. एडब्ल्यूईआईएल ने पेरिस, फ्रांस में आयोजित थल और वायु रक्षा एवं सुरक्षा उद्योग की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, यूरोसैटरी-2024 में भाग लिया। एडब्ल्यूईआईएल ने अपने हथियारों की उत्पाद श्रृंखला प्रदर्शित की, जिसमें आर्टिलरी गन और छोटे हथियार के साथ-साथ गोला-बारूद हार्डवेयर भी शामिल थे। यूरोसैटरी-2024 ने एडब्ल्यूईआईएल को यूरोपीय बाजारों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर दिया। वहाँ व्यावसायिक विचार-विमर्श से यूरोप में एडब्ल्यूईआईएल उत्पादों के लिए नए रास्ते खुलेंगे।

बी. एडब्ल्यूईआईएल ने हरियाणा के भिवानी में दिनांक 22 अगस्त से 24 अगस्त, 2024 तक आयोजित "प्रतिज्ञा 2024" प्रदर्शनी में अपने अत्याधुनिक हथियारों और रक्षा उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया, जिसमें भारत के रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अपनी तकनीकी कौशल और जारी प्रयासों को प्रदर्शित किया गया।

सी. एडब्ल्यूईआईएल ने बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र (दिनांक 4-6 सितंबर 2024) में आयोजित 5वें MET 15वें HTS एक्सपो 2024 में भाग लिया। यह आयोजन रक्षा, परिवहन और वैकल्पिक ऊर्जा पर केंद्रित था और इसमें मटेरियल एवं हीट ट्रिटमेंट के क्षेत्र में नवाचार पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ।

डी. एडब्ल्यूईआईएल ने 27वीं राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी, कोलकाता (दिनांक 11 से 14 सितंबर 2024) में भाग लिया और अपनी तकनीकी क्षमता और भारत की रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए जारी प्रयासों के साथ-साथ अपनी विस्तृत उत्पाद श्रृंखला का प्रदर्शन किया।

ई. कार्यकारी निदेशक/एसएएफ ने दिनांक 19 से 21 दिसंबर, 2024 की अवधि के दौरान हनोई में आयोजित वियतनाम अंतरराष्ट्रीय रक्षा एक्सपो-2024 में भाग लिया। उक्त अवसर पर विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ एडब्ल्यूईआईएल के उत्पादों और भविष्य के अवसरों पर विचार-विमर्श किया गया।

5. महत्वपूर्ण दौरे:

ए. माननीय महामहिम मेजर जनरल लुकविलिला मेटिकविजा मार्सेल, स्थायी सचिव, रक्षा मंत्रलय, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार (डीआरसी) ने दिनांक 06 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में एडब्ल्यूईआईएल टीम का नेतृत्व कर रहे निदेशक/संचालन के साथ बातचीत की। डीआरसी के प्रतिनिधिमंडल ने एडब्ल्यूईआईएल की विस्तृत उत्पाद श्रृंखला की सराहना की और एडब्ल्यूईआईएल के मोर्टार और छोटे हथियारों में गहरी रुचि दिखाई ।

बी. जनरल ऑफ डिवीजन ताहिर इब्राहिम जौमा, सशस्त्र सेना मंत्री के प्रतिनिधि के नेतृत्व में चाड रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 16.02.2025 को एडब्ल्यूईआईएल, कानपुर का दौरा किया। एडब्ल्यूईआईएल ने अपने विविध उत्पाद के विवरण प्रस्तुत किए और सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया।

सी. नए डीपीएसयू के प्रतिनिधिमंडल के रूप में आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रक्रिया को जानने के लिए एडब्ल्यूईआईएल की एक टीम ने बीईएल और एचएएल का दौरा किया।

डी. निदेशक/संचालन एवं सीएमडी/एडब्ल्यूईआईएल ने अधिकारियों की एक युवा टीम के साथ विनिर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास से परिचित होने के लिए बेंगलुरु में आयोजित आईएमटीई एक्स. 2025 प्रदर्शनी में भाग लिया।

6. विशेष सम्मान:

एडब्ल्यूईआईएल को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित 'संवाद' कार्यक्रम में माननीय भारी उद्योग मंत्री द्वारा एसआरजीएम गन बैरल असेंबली के स्वदेशीकरण के लिए विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है।

7. गुणवत्ता:

ए. एडब्ल्यूईआईएल ने दिनांक 22 और 23 अगस्त, 2024 को अपनी इकाई, गन एंड शेल फैक्टरी, काशीपुर (जीएसएफ) में एक गुणवत्ता संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सभी इकाइयों के कार्यकारी निदेशकगण और गुणवत्ता अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें विशेषज्ञ संकाय को भी आमंत्रित किया गया था। संगोष्ठी के दौरान इकाइयों ने प्रक्रिया मानकीकरण, डिजिटलीकरण और एनक्यूडीबीएमएस आदि के कार्यान्वयन से गुणवत्ता मानकों में सुधार हेतु अपनी-अपनी सर्वोत्तम प्रक्रिया को साझा किया। गुणवत्ता 4.0 के लिए डीडीपी की नई पहलों पर भी विचार-विमर्श किया गया और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।

बी. एडब्ल्यूईआईएल की इकाइयों ने नवंबर, 2024 में गुणवत्ता माह मनाया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम अर्थात ग्राहक संपर्क बैठक, वेंडर मीट, गुणवत्ता संबंधी विषयों पर आंतरिक प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

8. विविध:

ए. एयरो इंडिया 2025 के दौरान आईसीजी डोर्नियर विमान हेतु 12.7 एमएम गन सिस्टम के विकास हेतु एडब्ल्यूईआईएल, एआरडीई और एचएएल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया ।

बी. सफल परीक्षणों के बाद, नौसेना द्वारा गन एंड शेल फैक्टरी (जीएसएफ), काशीपुर को 76.2 एमएम एचईपीएफ शेल (संशोधित खाली) के लिए थोक उत्पादन अनापत्ति की मंजूरी प्रदान की गई है।

सी. एडब्ल्यूईआईएल की इकाई, गन एंड शेल फैक्टरी काशीपुर को आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरि के लड़ाकू प्लेटफ्रार्मों पर एके-630 एम नौसेना तोप की आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए भारतीय नौसेना के साथ जुड़ने पर गर्व है। इन प्लेटफार्मों को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 15.01.2025 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन

वर्तमान परिदृश्य में ग्राहक अत्यधिक मारक क्षमता और दृष्टि प्रणालियों वाले आधुनिक हथियारों की की मांग करते हैं। ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आने से इनमें से कुछ हथियारों को ड्रोन माउंटेड सिस्टम और रिमोट फायरिंग वेपन सिस्टम के रूप में एकीकृत करने की आवश्यकता है ताकि इन्हें सीमा पार और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जा सके।

एडब्ल्यूईआईएल ने घरेलू बाजार के लिए अत्याधुनिक संयंत्र और मशीनरी स्थापित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपनी सुविधाओं के आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन हेतु एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। एडब्ल्यूईआईएल के पास मौजूदा उत्पाद के लिए अवसंचरना और विनिर्माण क्षमताएँ हैं। एडब्ल्यूईआईएल ने निम्नलिखित तीन प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रयास किए हैं:

निम्नलिखित की उत्पादन सुविधाओं की क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण:

ए. आर्टिलरी गन और टैंक गन के कंपोनेन्ट।

बी. मध्यम कैलिबर वाले हथियार।

सी. एडब्ल्यूईआईएल में छोटे हथियार।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- तकनीकी प्रगति
- उत्पादकता में वृद्धि
- बेहतर प्रदर्शन और गुणवत्ता
- इंडस्ट्री 4.0 और क्यूए 4.0 की अपेक्षाओं में सादृश्यता
- बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत में कमी
- समय पर डिलीवरी

गुणवत्ता नियंत्रण

उत्पाद का विनिर्माण एवं विकास, सेना, नौसेना, वायु सेना और अन्य ग्राहकों द्वारा जारी किए गए आरएफआई/आरएफपी में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद विकास के दौरान STANAG, JSS विनिर्देशों और I&TOPS जैसे प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी संदर्भ लिया जाता है। जहाँ तक परीक्षण का संबंध है, फील्ड मूल्यांकन परीक्षण (fET) प्रयोक्ता और डीजीक्यूए द्वारा जारी किए गए परीक्षण निर्देशों के अनुसार सख्ती से किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, डीजीक्यूए द्वारा प्रासंगिक जेएसएस विनिर्देशों की पुष्टि करते हुए उपकरणों का पर्यावरणीय और मजबूत होने संबंधी परीक्षण किया जाता है।

सभी उत्पादों का निर्माण और परीक्षण संबंधित एएचएसपी द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक एटीपी के अनुसार किया जाता है। व्यापक गुणवत्ता प्रणाली मौजूद है और उत्पादन के सभी चरणों के लिए गुणवत्ता संबंधी सभी मापदंडों को एनक्यूडीबीएमएस के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किया जाता है।

आईएसओ मानक और प्रमाणन

एडब्ल्यूईआईएल की सभी इकाइयाँ उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में विश्वास रखती हैं, जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि इकाइयों ने अपनी उत्पादन संबंधी समस्त गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली मानक (टाईएसओ 9001:2015) को लागू किया है। इकाइयों के पास आईएसओ 14000:2015, आईएसओ 50001:2011 और ओएचएसएएस 45001:2018 प्रमाणन है। इकाइयों के पास एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ भी हैं ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादन गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले सभी मापन उपकरण और यंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कैलिब्रेट किए गए हैं।

प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एडब्ल्यूईआईएल, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक साझेदार और सहयोग के अवसरों की तलाश में है। एडब्ल्यूईआईएल ने अग्रणी रक्षा एवं प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ-साथ प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

निर्यात:

ए. एडब्ल्यूईआईएल निर्यात के अवसरों का सक्रिय एवं संपूर्ण रूप से लाभ उठा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एडब्ल्यूईआईएल ने 125 करोड़ रुपये के 4 निर्यात ऑर्डर प्राप्त किए हैं।

बी. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एडब्ल्यूईआईएल ने 37.58 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक निर्यात किया है। इसके अलावा, ग्राहक को फाइनल एक्सपोर्ट शिपमेंट के लिए मार्च, 2025 के दौरान मर्चेन्ट एक्सपोर्टर को 72.71 करोड़ रुपये के आइटम का इनवाइस भेजा जा चुका है।

निर्यात पहल:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता, प्रभावी रक्षा क्षमता और राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने तथा सैन्य श्रेष्ठता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके माध्यम से सामरिक स्वतंत्रता, कम लागत पर प्रभावी रक्षा उपकरण की प्राप्ति तथा रक्षा आयात में पैसे की बचत हो सकेगी। एडब्ल्यूईआईएल विदेशी वेंडर के साथ भारतीय ऑफसेट पार्टनर (IOP) के रूप में भागीदारी करने, रक्षा मंत्रलय के माध्यम से द्विपक्षीय वार्ताध्रक्षा सहयोग आदि में इनपुट के माध्यम से अवसरों की खोज करने और हमारे लिए हितकर देशों में मौजूदा/आगामी अवसरों की निरंतर तलाश करने के लिए तत्पर है। एडब्ल्यूईआईएल की निर्यात रणनीति में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:-

* प्रतिस्पर्धी मूल्य
* ऑनलाइन वेबीनार/सेमिनार/बी2बी इंटरैक्शन के माध्यम से प्रचार और विपणन
* संभावित ग्राहक देशों के डीएएस को भारत में आमंत्रित करना
* चौनल पार्टनर को शामिल करना
* घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी
* रक्षा निर्यात-आयात पोर्टल पर प्राप्त लीड्स का नियमित अनुवर्तन
* संभावित ग्राहकों के साथ सीधा जुड़ाव
* विदेशी ओईएमएस के साथ बातचीत

आत्मनिर्भर भारत और उत्पादों का स्वदेशीकरण:

एडब्ल्यूईआईएल स्वदेशीकरण के माध्यम से रक्षा उत्पादन में 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में तत्परता से कार्य कर रहा है। एडब्ल्यूईआईएल के कुल कारोबार में स्वदेशी सामग्री 94% है, जो सभी डीपीएसयू में सबसे अधिक है। एडब्ल्यूईआईएल की आयात निर्भरता केवल उन्हीं वस्तुओं पर है, जिनका आयात स्थायी रुप से किया जाता है और जिनके विदेशी ओईएम से टीओटी उपलब्ध नहीं है।

एडब्ल्यूईआईएल छोटे और बड़े कैलिबर हथियारों के क्षेत्र में राष्ट्र को "आत्मनिर्भर" बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। निगमीकरण के बाद स्वदेशीकृत प्रमुख आइटम निम्नानुसार हैं:-

ए) पावर पैक (धनुष गन सिस्टम)

बी) एओ-18 क्लस्टर (एके-630 गन की महत्वपूर्ण उप-असेंबली)

सी) बियरिंग (टी-90 टैंक आयुध)

डी) शॉक कार्ट्रिज (धनुष गन सिस्टम)

ई) एल-70 गन के लिए एक्चुएटर स्प्रिंग

एफ) टी -90 आर्टिकल के लिए चार्जिंग वाल्व असेंबली

एडब्ल्यूईआईएल ने विभिन्न हितधारकों, जैसे निजी कंपनियों, पीएसयू (SAIL आदि), डीपीएसयू (मिधानी, वाईआईएल, बीईएल, आईओएल आदि), सरकारी प्रतिष्ठान (बीआरआईटी आदि) से सीधे संपर्क किया है, ताकि एडब्ल्यूईआईएल को आपूर्ति के दायरे में आने वाली आयातित वस्तुओं की पहचान की जा सके और उन्हें अपने स्तर पर स्वदेशीकरण का प्रयास करने पर भी जोर दिया जा सके।

जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद:

एडब्ल्यूईआईएल एक उत्पादन इकाई है, जो प्रतिरक्षा सामग्री के निर्माण हेतु कार्य कर रहा है। इसकी सभी 8 इकाइयाँ अपनी अधिकतम आवश्यक इनपुट सामग्री जेम प्लेटफॉर्म से खरीद रही हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि 100% खरीद प्रक्रिया जेम के माध्यम से किया जाए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद 941 करोड़ रुपये है, जबकि जेम के माध्यम से अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार लक्ष्य 879 करोड़ रुपये है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेम के माध्यम से अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार लक्ष्य (करोड़ रुपये में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेम से खरीद (करोड़ रुपये में)
879	941

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के माध्यम से खरीद या उनसे व्यापार:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) व्यावसायिक नवाचारों के माध्यम से उद्यमशीलता के प्रयासों के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एमएसएमई रक्षा क्षेत्र में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं और घरेलू एवं वैश्विक बाजारों की माँग को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के उत्पाद तैयार कर रहें और सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजीगत लागत पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय असंतुलन को कम कर रहे हैं और राष्ट्रीय आय एवं धन के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एडब्ल्यूईआईएल, एमएसएमई के पास उपलब्ध उत्पाद का अपने लिए ऑर्डर देने के साथ-साथ इस सेक्टर की व्यापक सुविधाओं की तलाश करके एमएसएमई को सहायता प्रदान कर रहा है।

एडब्ल्यूईआईएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) के माध्यम से निम्नानुसार खरीद की है:-

वित्तीय वर्ष	कुल खरीद		कुल खरीद में से एमएसएमई के माध्यम से खरीद		एमएसएमई खरीद से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसएमई		एमएसएमई खरीद से महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई	
	करोड़ रु	%	करोड़ रु	%	करोड़ रु	%	करोड़ रु	%
2024-25	1130.65	100	483.08	42.73	15.66	3.24	40.39	8.36

एडब्ल्यूईआईएल खरीद मैनुअल- कुल खरीद मूल्य में से न्यूनतम 25% की खरीद अनिवार्यत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से किया जाएगा। उक्त 25% खरीद मूल्य में से 4% खरीद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों से तथा 3% महिला उद्यमियों से की जाएगी।

ट्रेड्स- एडब्ल्यूईआईएल तीनों सक्रिय ट्रेड्स प्लेटॉर्मध्पोर्टल पर पंजीकृत/ऑनबोर्ड है। 31 अगस्त, 2025 तक, एडब्ल्यूईआईएल के 218 विक्रेता ट्रेड्स प्लेटॉर्मध्पोर्टल पर ऑनबोर्ड/पंजीकृत हैं।

आयात:

वर्ष के दौरान कुल आयात 75 करोड़ रुपये था (पिछले वर्ष आयात 35.24 करोड़ रुपये था)।

कार्मिक विकास:

एडब्ल्यूईआईएल हथियार विनिर्माण के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम है, जो सटीक इंजीनियरिंग और अत्याधुनिक तकनीक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। हमारी समर्पित मानव संसाधन टीम उत्कृष्टता की इस विरासत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सशक्त व्यापक समावेशन (टॉनबोर्डिंग) के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि एडब्ल्यूईआईएल परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कौशल और ज्ञान से सुसज्जित हो। हमारा मानव संसाधन विभाग जारी प्रशिक्षण और विकास संबंधी पहल में अग्रणी भूमिका निभाता है, ताकि हमारा जनबल को नवीनतम उद्योग में क्षेत्र में हो रही प्रगति से अपडेट रखा जा सके।

एडब्ल्यूईआईएल के कार्मिक हमारे लिए बेशकीमती संपत्ति हैं। हम ऐसी कार्य-संस्कृति उपलब्ध कराते हैं, जिससे कार्य और दिनचर्या में संतुलन को प्राथमिकता दी जा सके। इसके अतिरिक्त, हमारी मानव संसाधन टीम सुरक्षित कार्यस्थल और समावेशी वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

सतत् सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए एडब्ल्यूईआईएल का मानव संसाधन विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारा कार्यबल सशक्त, उद्योग की उभरती मांग के अनुकूल और सक्षम बना रहे। इसके साथ ही हम परिशुद्धता के प्रति जुनून और गुणवत्ता के प्रति समर्पण से प्रेरित होकर हथियार विनिर्माण के भविष्य को आकार दे रहे हैं।

मानव संसाधन प्रभाग द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए सभी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों का सारांश निम्नानुसार है:

I. ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों के अंतर डीपीएसयू स्थानांतरण आवेदनों के समय पर तथा शीघ्र निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण।

II. एडब्ल्यूईआईएल की सुरक्षा व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने हेतु समन्वय और कार्यान्वयन।

III. एडब्ल्यूईआईएल की सभी इकाइयों में विद्युत पर्यवेक्षी और विद्युत योग्यता परीक्षण 2024 का आयोजन और समन्वय।

IV. एडब्ल्यूईआईएल के कर्मचारियों को उच्च विशिषज्ञ शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित करने हेतु योजना के प्रारुप का निर्धारण।

V. एडब्ल्यूईआईएल मुख्यालय और इसकी इकाइयों में प्रबंधन में सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए आईआर तंत्र का निर्धारण। सीएलसी (सी) नई दिल्ली के निर्देशानुसार एक उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है।

VI. डीएफयू और एडब्ल्यूईआईएल की इकाइयों में अदालती मामलों के लिए समन्वय और निगरानी।

VII. एडब्ल्यूईआईएल में 'एक पेड़ माँ के नाम' मुहिम का आयोजन और समन्वय।

VIII. डी.डी.पी. के निर्देशानुसार डीम्ड डेपुटेशन पर कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाए रखी जाती हैं। एडब्ल्यूईआईएल इकाइयाँ संबंधित डीएफयू के साथ पदोन्नति/एलडीसीई/एमएसीपी के मामलों को समय पर संसाधित कर रही हैं। सभी इकाइयों ने दिनांक 01.01.2025 से सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पदोन्नति/एमएसीपी आदेशध्योग्यता परीक्षण परिणाम प्रकाशित किए हैं।

IX. एडब्ल्यूईआईएल की सभी इकाइयों में मिशन भर्ती के लिए वर्ष 2025 के लिए डीपीसी के लक्ष्य/प्रगति और पदोन्नति योजना को पूरा करने के लिए समय पर डीपीसी किए जाने हेतु समन्वय कार्य।

X. एडब्ल्यूईआईएल मुख्यालय ने सर्वश्रेष्ठ एडब्ल्यूईआईएल इकाई, एडब्ल्यूईआईएल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एडब्ल्यूईआईएल के युवा नवाचारी कर्मचारी के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किए हैं।

मानव संसाधन में प्रमुख उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण

I. केपीएमजी रिपोर्ट और औद्योगिक मानदंडों के आधार पर एडब्ल्यूईआईएल में जनशक्ति का युक्तिकरण करते हुए डीडीपी को प्रेषित गया है।

II. कॉर्पोरेट सेटअप में काम करने के लिए आवश्यक नियंत्रण, स्किल सेट और इष्टतम कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए एडब्ल्यूईआईएल का संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया है।

III. एडब्ल्यूईआईएल के कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन नियमों और नीतियों का मसौदा तैयार किया।

I. भर्ती नियम
II. पदोन्नति नियम
III. प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली
IV. वेतन और भत्ते, पुरस्कार, प्रोत्साहन
V. आचरण, अनुशासन और अपील नियम
VI. एलटीसी नियम
VII. उच्च अध्ययन और प्रायोजकता नीति
VIII. सीएसआर नीति
IX. ऋण और अग्रिम
X. यात्रा भत्ता नियम
XI. ग्रुप ए, बी और सी हेतु स्थानांतरण नीति
XII. छुट्टी नियम
XIII. कल्याणकारी उपाय

IV. क्षमता निर्माण: निगमीकरण के बाद के परिदृश्य में नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आवश्यक नए स्किल सेट की पहचान और आईएसबी, आईआईएम, एनएडीपी आदि जैसे प्रीमियम संस्थानों में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अधिकारियों का प्रशिक्षण।

V. एडब्ल्यूईआईएल विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेशेवरों (सीएस, वित्तीय सलाहकारध्एफई) को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

VI. एडब्ल्यूईआईएल की सभी इकाइयों के बीच व्यक्तिगत सूचना प्रणाली- पीआईएस 2.0 और एडब्ल्यूईआईएल एमआईएस डैशबोर्ड का समन्वय और कार्यान्वयन।

VII. एडब्ल्यूईआईएल प्रबंधन और एडब्ल्यूईआईएल कर्मचारी महासंघों तथा एसोसिएशन के सदस्यों की शीर्ष स्तरीय आईआर बैठक का आयोजन, समन्वय और संचालन।

31 मार्च, 2025 तक जनबल (रेणीवार)

31 मार्च, 2025 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदों का आरक्षण

महिलाओं का सशक्तीकरण और कल्याण:

महिला कर्मचारियों को प्रमुख पद दिए गए हैं और वे फैक्टरी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रशासन, उत्पादन, गुणवत्ता और रखरखाव में काम कर रही हैं। महिला और अन्य कर्मचारियों के परिवार की महिला सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए एक महिला कल्याण संस्था है, जो उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए काम कर रहा है।

31 मार्च, 2025 तक दिव्यांग कर्मचारी (पीडब्ल्यूडी):

क्रम	कर्मचारियों की श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
01.	ग्रुप 'ए'	236
02.	ग्रुप 'बी' राजपत्रि	1620
03.	ग्रुप 'बी' अराजपत्रि	1295
04.	ग्रुप 'सी'	1192
05.	औद्योगिक कर्मचारी	7664
	कुल	**12007**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों हेतु शिकायत निवारण समितियाँ:

क्रम	कर्मचारियों की श्रेणी	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
01.	ग्रुप 'ए'	44	6
02.	ग्रुप 'बी ' राजपत्रित	331	84
03.	ग्रुप 'बी' अराजपत्रित	261	84
04.	ग्रुप 'सी'	271	42
05.	औद्योगिक कर्मचारी	1862	400
	कुल	**2769**	**616**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण/कल्याण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपर्क अधिकारी को नामित किया गया है। इसके अलावा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया गया है और यह प्रकोष्ठ सभी इकाइयों में प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।

ग्रुप	महिलाएँ
"ए"	8
"बी"	140
"सी"	648
कुल	796

औद्योगिक संबंध और कर्मचारी कल्याण कार्य

क्रम	31.03.2025 तक दिव्यांग कर्मचारी	टिप्पणी
01.	328	इसमें ग्रुप (ए, बी, सी) के सभी कर्मचारी शामिल हैं

सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के अनुसार विभिन्न समितियाँ (जैसे, कार्य समिति, जेसीएमकृप्ट, स्थानीय उत्पादकता समिति, औद्योगिक कैंटीन प्रबंधन समिति, इस्टेट समन्वय समिति, चिकित्सा कल्याण समिति आदि) गठित की गई हैं। पंजीकृत यूनियन और मान्यता प्राप्त संघ के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। मुख्यालय में शीर्ष स्तरीय बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाती है।

संरक्षा

संरक्षा किसी भी संगठन का एक मूलभूत पहलू है, जिससे कर्मचारी, उपकरण और पर्यावरण का हित सुनिश्चित होता है। इसमें जोखिमों की पहचान करना और उन्हें कम करना, प्रोटोकॉल और प्रशिक्षण लागू करना और संरक्षा उपायों की निरंतर निगरानी और सुधार करना शामिल है।

सभी इकाइयों के संरक्षा अनुभाग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँध्उपाय किए जा रहे हैं -

ए. संभावित खतरों की पहचान करने के लिए समय-समय पर संरक्षा ऑडिट किया जाना।

बी. संभावित खतरों को दूर करने के लिए लंबित ऑडिट बिंदुओं की निगरानी करना।

सी. संरक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एसओपी जैसे विभिन्न मशीन कवर, मूविंग उपकरण कवर आदि को बनाए रखने के लिए निगरानी करना।

डी. मासिक संरक्षा रिपोर्ट तैयार करके संरक्षा संबंधी समस्त मुद्दों की निगरानी करना और प्रत्येक माह संरक्षा नियंत्रक, कानपुर को प्रस्तुत करना।

ई. औद्योगिक संरक्षा, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण आदि संरक्षा प्रशिक्षण की निगरानी करना।

एफ. कर्मचारियों को संरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह अभियान और अग्निशमन सेवा सप्ताह अभियान चलाया जाना।

जी. संरक्षा जागरूकता के लिए सभी अनुभागों में संरक्षा कैलेंडर वितरित किए गए। राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह और अग्निशमन सेवा सप्ताह अभियान के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी और घोषणाएं की जाती हैं।

एच. संरक्षा अनुभाग सभी दुर्घटनाओं की बोर्ड आफ एनक्वाइरी करता है, ताकि प्रत्येक दुर्घटना के पीछे के कारण का पता लगाया जा सके और तदनुसार एक ही तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय लागू किए जा सकें तथा तत्संबंधी जागरूकता अभियान चलाया जा सके।

आई. कारखाना अधिनियम 1948, भारतीय विद्युत नियमावली 1956 आदि जैसे विभिन्न नियमों के अनुपालन के लिए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण, खतरनाक चिकित्सा परीक्षा और दृष्टि परीक्षण की निगरानी करना।

जे. विभिन्न प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए संरक्षा अनुभाग व्यक्तिगत संरक्षा वस्त्र, संरक्षा जूते आदि जैसे पीपीई वितरित करता है।

के. संरक्षा अनुभाग आपातकालीन तैयारियों के लिए संरक्षा मैनुअल और आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) तैयार करता है और समय-समय पर उसे अपडेट करता है। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन योजना डीएमपी मॉक ड्रिल की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

एल. दुर्घटना/घटना रिपोर्ट, निकट चूक रिपोर्ट और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रिपोर्ट की हर महीने निगरानी करके संरक्षा अनुभाग दुर्घटनाओं और आपातकालीन चिकित्सा समस्याओं की संख्या को कम करने में योगदान दे रहा है।

एम. संरक्षा अनुभाग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए क्या करें और क्या न करें दिशानिर्देश वितरित करता है और रसायनों के रखरखाव के लिए सामग्री संरक्षा डेटा शीट की निगरानी करता है।

संरक्षा को प्राथमिकता देकर, संरक्षा अनुभाग सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करता है तथा कर्मचारियों और परिसंपत्तियों की संरक्षा करता है।

सुरक्षा

एडब्ल्यूईआईएल की सभी इकाइयों का सुरक्षा का प्रबंध सेना मुख्यालय से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त एक सुरक्षा अधिकारी की देखरेख में डीएससी कार्मिकों/प्लाटून द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों के लिए इकाइयों से अतिरिक्त अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात किए जाते हैं।

इसके अलावा, इकाइयों के मुखद्वार पर दरवान भी तैनात किए जाते हैं। यह तैनाती 24x7 आधार पर की जाती है।

भौतिक सुरक्षा

(ए) बाहरी दीवार: एडब्ल्यूईआईएल की सभी इकाइयों को बाहरी दीवार की मदद से सुरक्षा की जाती है।

(बी) वॉच टावर: फैक्टरी की बाहरी दीवार के साथ वॉच टावर और आंतरिक सुरक्षा पोस्ट भी बनाए गए हैं। इन पर चौबीसों घंटे सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों (डीएससी) की तैनाती रहती है। सुरक्षा कर्मियों के बीच संचार के लिए प्रत्येक वॉच टावर पर इंटरकॉम उपलब्ध है।

(सी) गश्त की आवृत्ति: रात के सूनसान में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए पैदल एवं सचल दोनों तरह से गश्त की जाती है।

(डी) सुरक्षा प्रकाश व्यवस्था: प्रत्येक वॉच टावर पर एक हेवी डयूटी सर्च लाइट लगाई गई है। इससे लगभग 50 मीटर के दायरे में रोशनी रहती है और यह नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। ब्रेक डाउन की स्थिति में सभी वॉच टावरों पर रिचार्जेबल बैटरी सुविधायुक्त हैंड हेल्ड सर्च लाइट की व्यवस्था की गई है।

(ई) सीसीटीवी निगरानी: इकाइयों के मुखद्वार पर सीसीटीवी से निगरानी की जाती है।

एक्सेस कंट्रोल

(ए) निर्माणियों के नियमित कर्मचारियों को दो प्रकार के आईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। एक स्थायी आईडी (जो पूरी सेवा के लिए होता है) और दूसरा पंचिंग कार्ड (टारएफआईडी चिप के साथ), जिसे दैनिक उपस्थिति प्रणाली के लिए

उपयोग किया जाता है, जिसमें कर्मचारी के समस्त विवरण जैसे-नाम, पदनाम, कार्मिक संख्या, अनुभाग, रद्र समूह, जारी करने की तिथि आदि विवरण शामिल होते हैं। चिप को केंद्रीय रूप से सक्रिय किया जाता है और डेटा को आईटी और एआई सेल में संग्रहीत/प्रेषित किया जाता है।

(बी) संविदा पर तैनात सभी कर्मचारियों को गैर-हस्तांतरणीय फोटो आईडी पास जारी किए जाते हैं, जिसमें कार्ड नंबर, नाम, फर्म, अनुबंध संख्या, वैधता अवधि, जारी करने की तिथि, जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर आदि जैसे विवरण होते हैं।

(सी) निर्माणी में कैमरा आधारित ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली है। अधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के बाद ही आगंतुक पास जारी किए जाते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाने तक किसी भी आगंतुक को निर्माणी के अंदर वाहन या मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है।

(डी) वाहनों की आवाजाही संबंधी रिकॉर्ड भी एक अलग रजिस्टर में रखा जा रहा है।

(ई) फैक्टरी में बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम की सुविधा मौजूद है, जिसका उपयोग फैक्टरी के कर्मचारियों के लिए किया जाता है।

(जी) सभी कर्मचारियों को निर्माणी में प्रवेश के लिए दो/चार पहिया वाहन पास जारी किए गए हैं।

(एच) विदेशी आगंतुकों को निर्माणी के अंदर जाने की अनुमति केवल एनडीसीडी/एडब्ल्यूईआईएल/मुख्यालय में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही दी जाती है। निर्माणी में पहुंचने पर उनके आवश्यक दस्तावेजों (टाई कार्ड, वीजा और पासपोर्ट) की जांच की जाती है और फिर संबंधित अनुभाग द्वारा उन्हें उनके कार्यस्थल तक ले जाया जाता है।

सी एंड ए सत्यापन और पीवीआर:

ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों के संबंध में प्रमाणन और प्रत्यायन सत्यापन (सी एंड ए सत्यापन) और पीवीआर इस विषय पर मौजूदा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। निर्माणी के अंदर काम करने वाले श्रमिकों से संबंधित अनुबंध किए जाने के बाद उसकी एक प्रति सुरक्षा अधिकारी को भेजी जाती है। ठेकेदार के पर्यवेक्षकों और श्रमिकों के संबंध में सत्यापन प्रपत्र ठेकेदारों द्वारा भरे जाते हैं और संबंधित अनुभाग के माध्यम से सुरक्षा अनुभाग को भेजे जाते हैं ताकि नीति से संबद्ध प्राधिकारियों के साथ पीवीआर दस्तावेजों की प्रक्रिया शुरू की जा सके। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा योग्य घोषित और सत्यापित किए जाने के बाद ठेका श्रमिकों को निर्माणी के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 से संबंधित प्रकटीकरण:

एडब्ल्यूईआईएल सुरक्षित कार्य परिवेश बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ उसके कर्मचारी किसी प्रकार के उत्पीड़न, शोषण और धमकी से मुक्त वातावरण में एक साथ कार्य कर सकें। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति लागू की है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एडब्ल्यूईआईएल में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है और सभी कर्मचारी इस नीति के अंतर्गत आते हैं।

यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी नौ इकाइयों में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों की गरिमा बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में, कंपनी भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की स्थिति:

i)	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	- 01
ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	- 02
iii)	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	- 01
iv)	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	- 02

आरटीआई से संबंधित कार्य:

क. आरटीआई आवेदनों का समय पर निपटान।

ख. एडब्ल्यूईआईएल द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरण वेबसाइट www.aweil.in पर प्रकाशित किया गया है।

ग. एडब्ल्यूईआईएल द्वारा आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नोडल अधिकारी, सीपीआईओ, अपीलीय प्राधिकारी और एपीआईओ की नियुक्ति की गई है और इसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण

एडब्ल्यूईआईएल और उसकी इकाइयों ने स्वच्छता पखवाड़ा और **'एक पेड़ माँ के नाम'** कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष भर बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया। इसके अलावा, प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से औद्योगिक उपयोग में लाए गए जल को छोड़े जाने से पहले अपशिष्ट जल उपचार संयत्र (ईटीपी) में ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी सेफ्टी अनुभाग द्वारा आवधिक निगरानी की जाती है। ईटीपी के जल के सैंपल की आवधिक (महीने में दो बार) जाँच की जाती है।

अधिकृत एजेंसी के माध्यम से आवधिक रूप से खतरनाक अपशिष्ट (ईटीपी स्लज) का निपटान किया जाता है। इसी प्रकार से उपयोग में लाए गये तेल एवं ई-कचरे का आवधिक रूप से स्टोर अनुभाग के माध्यम से निपटान किया जाता है।

खतरनाक अपशिष्ट वार्षिक रिटर्न, ई-कचरा वार्षिक रिटर्न, पर्यावरण विवरण आदि संगत विनियमों और अधिनियमों के अनुसार प्रस्तुत किये जाते हैं।

संयुक्त उद्यम कंपनी:

कंपनी का एक संयुक्त उद्यम है, जिसका नाम इंडो-रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड (आईआरआरपीएल) है। आईआरआरपीएल एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत संघ (जिसका प्रतिनिधित्व एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) करती है) और रूसी संघ (जिसका प्रतिनिधित्व जेएससी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (जेएससी आरओई) और जेएससी कंसर्न कलाशिनकोव (जेएससी सीके) करती है) के बीच अंतर-सरकारी समझौते (टाईजीए) के अनुसार भारत में एके सीरीज असॉल्ट राइफलस एके-203 और अन्य छोटे हथियारों के उत्पादन के लिए किया गया है।

संयुक्त उद्यम कंपनी (टाईआरआरपीएल) की परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, आईआरआरपीएल ने एके-203 राइफलों के स्वदेशी निर्माण के लिए मेसर्स रोसबोरोनएक्सपोर्ट (आरओई) रूस के साथ एक अनुबंध किया है। इस अनुबंध में कलाशिनकोव असॉल्ट राइफल के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी लाइसेंस के हस्तांतरण के साथ-साथ 7.62 एमएम एके-203 कलाशिनकोव असॉल्ट राइफल के निर्माण में तकनीकी सहायता के प्रावधान के लिए है। कंपनी ने अपनी व्यावसायिक गतिविधि पहले ही शुरू कर दी है।

संयुक्त उद्यम कंपनी के निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट का एक अलग अनुभाग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित, अनुलग्नक-1 के रूप में फॉर्म एओसी-1 में प्रस्तुत किया गया है।

ऋण, गारंटी या निवेश:

आपकी कंपनी ने कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत इंडो-रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड (आईआरआरपीएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी में 4.25 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था संबंधी विवरण:

कंपनी का अपने प्रमोटरों, निदेशकों, प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, जिससे कंपनी के साथ हितों का संभावित टकराव हो सके।

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जिसमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति की 100% हिस्सेदारी है और यह रक्षा मंत्रलय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, तथा यह सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के दौरान किए गए प्रत्येक लेन-देन के लिए सख्त नियमों और मानदंडों के अंतर्गत आता है।

निदेशक मंडल:

कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर खोज एवं चयन समिति (एससीएससी) के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों का कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। सरकारी पत्र में उनकी नियुक्ति के विस्तृत नियम और शर्तें भी बताई गई हैं, जिनमें कंपनी संबंधी नियमों की प्रयोज्यता का प्रावधान भी निहित है।

प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों के दायित्वों में परिवर्तन:

कंपनी के बोर्ड/प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों के दायित्वों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

(i) वर्ष के दौरान, आयुध निदेशालय (सी एंड एस), कोलकाता में कार्यभार ग्रहण करने के लिए श्री राजेश चौधरी को दिनांक 15.12.2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से कार्यमुक्त किया गया।

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 16.12.2024 से 15.03.2025 तक श्री अखिलेश कुमार मौर्य, निदेशक (संचालन) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।

(ii) डॉ. गरिमा भगत को श्री शंभु नाथ जसरा के स्थान पर दिनांक 10.12.2024 से सरकार की ओर से नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

(iii) श्री शंभु नाथ जसरा को श्री जयंत कुमार के स्थान पर दिनांक 10.10.2024 से सरकार की ओर से नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

(iv) श्री सुशील सिन्हा, निदेशक (वित्त) अपनी सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 30.06.2024 से निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए।

(v) श्री जय गोपाल महाजन को दिनांक 30.10.2024 से निदेशक (वित्त) सह मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया गया।

(vi) श्री बिस्वजीत प्रधान, निदेशक (एचआर) को उनकी सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 30.11.2024 से निदेशक पद से कार्यमुक्त किया गया ।

(vii) श्री जय गोपाल महाजन, निदेशक (वित्त) दिनांक 01.12.2024 से आज तक निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

निदेशकगण सगे-संबंधी नहीं हैं।

निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक:

आपकी कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, इसलिए निदेशकगण की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति संबंधी सरकारी पत्र में उनकी नियुक्ति के विस्तृत नियम और शर्तें बताई गई हैं, जिनमें कंपनी के संबंधित नियमों की प्रयोज्यता का प्रावधान भी शामिल है।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए न तो कोई पारिश्रमिक और न ही कोई शुल्क दिया गया।

वर्ष के दौरान न तो निदेशक मंडल को कमीशन का भुगतान किया गया और न ही उन्हें कोई स्टॉक विकल्प योजना प्रदान की गई। इसके अलावा, वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं था और न ही किसी संबंधित पक्ष के साथ कोई लेन-देन हुआ।

निदेशक मंडल की बैठक:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की सात (7) बैठकें हुईं। बोर्ड की बैठकें दिनांक 26.06.2024, 11.09.2024, 23.10.2024, 14.11.2024, 26.11.2024, 09.01.2025 और 12.03.2025 को आयोजित की गईं। निदेशकों की बैठकों में भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का उपयोग किया जाता है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर तथा प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आपके निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) और 134(5) के अनुसार:

ए) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करने में कंपनी अधिनियम की अनुसूची III के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और उनसे कोई बड़ा विचलन (डेविएशन) नहीं है;

बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे, जिससे कि 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस दिन समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी का लाभ सही और निष्पक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो सके;

सी) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती;

डी) निदेशकों ने गोइंग कंसर्न बेसिस पर वार्षिक लेखे तैयार किए;

ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं; और

एफ) निदेशकों ने लागू सभी विधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और वे पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

बोर्ड की समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के गठन हेतु तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगी। हालाँकि, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की कमी के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया जा सका। हालाँकि, प्रबंधन ने कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है, जो विचाराधीन है।

निदेशक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तथा बोर्ड के मूल्यांकन संबंधी नीति:

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रलय की विज्ञप्ति संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (3) के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर नीति तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कंपनी रक्षा मंत्रलय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करें:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई हो। इसलिए, सुधारात्मक उपायों का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा:

वर्ष के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी। हालाँकि, प्रबंधन ने कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी (सवतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है, जोकि विचाराधीन है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता:

आपकी कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। आंतरिक नियंत्रण जाँच की पर्याप्तता की समीक्षा के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली तैयार की गई है, जो कंपनी के संचालन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है। इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय विवरण के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं।

धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग:

वर्ष के दौरान न तो सांविधिक लेखा परीक्षक और न ही सचिवीय लेखा परीक्षक ने कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध की गई धोखाधड़ी के किसी मामले की रिपोर्ट की।

लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन:

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 118(10) के अनुसार भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और आम बैठकों (एसएस-2) के संबंध में लागू सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है ।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट:

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के प्रावधानों और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के साथ पठित, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी विभिन्न स्पष्टीकरणों और संशोधनों के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार की है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी की वेबसाइट www.aweil.in पर उपलब्ध है।

आपकी कंपनी द्वारा की जाने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियाँ समय-समय पर जारी किए गए सरकारी कानूनों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं, जो कि सीएसआर निधि वितरण, सीएसआर व्यय के विषयों, संचालन के क्षेत्रों आदि में मार्गदर्शन करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर व्यय हेतु डीपीई दिशानिर्देशों में सीपीएसई को स्वास्थ्य और पोषण के सामान्य विषय पर सीएसआर हस्तक्षेप करने का प्रावधान है। तदनुसार, कंपनी ने जरूरतमंदों को पोषण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ स्वास्थ्य गतिविधियों को बढ़ाने की गतिविधियाँ शुरू की हैं।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 (संशोधित) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 की सीएसआर गतिविधियों पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है ।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय - व्यय:

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी अनुलग्नक-3 में दी गई है जोकि इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

विधिक लेखा परीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स बीसी जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, (FRN: 001099C), कानपुर को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण सहित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियाँ और उन पर निदेशक मंडल का उत्तर निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक-4 में दिया गया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने कंपनी का सचिवीय लेखा-परीक्षण करने के लिए मेसर्स जानवी मोर्दानी एंड कंपनी को पूर्ण कालिक कंपनी सचिव नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा-परीक्षण रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक-5 में प्रपत्र MR-3 में संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक-6 में दिया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियाँ:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और प्रबंधन का जवाब भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है। इन्हें निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक-7 में दिया गया है।

विनियामक या न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण जो भविष्य में कंपनी की स्थिति और संचालन को प्रभावित करेंगे:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विनियामक या न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य में कंपनी के परिचालन पर प्रभाव पड़े।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

आपकी कंपनी, कंपनी द्वारा संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा पर जोर देती रही है। डीपीई द्वारा दिनांक 14.05. 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम के अंतर्गत जारी सीपीएसई हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र सहित, निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक-8 में संलग्न है।

डीपीई दिशानिर्देशों और नीतियों का अनुपालन:

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वित्तीय आशय वाले दिशानिर्देशों सहित सभी मुख्य बातों और नीतियों का कंपनी द्वारा विधिवत अनुपालन किया जाता है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण:

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। इसे निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक-9 में दिया गया है।

लागत रिकॉड:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसरण में आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मेसर्स पालीवाल एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को आपकी कंपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेखों का लेखा-परीक्षण करने हेतु आपकी कंपनी का लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपकी कंपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेखों का लेखा-परीक्षण करने हेतु मेसर्स आरएम बंसल एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को आपकी कंपनी का लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न का सारांश:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार, वार्षिक रिटर्न का एक सार कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका लिंक है- https://www.aweil.in/

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित कार्यवाही का विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कंपनी के नाम पर कोई आवेदन नहीं किया गया अथवा कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित प्रकटीकरण:

भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के मद्देनजर, सरकारी कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों और निर्दिष्ट सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विवरण के संबंध में प्रासंगिक नियमों से छूट दी गई है।

कृतज्ञता ज्ञापन:

आपके निदेशकगण कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वे कंपनी के शेयरधारकों के निरंतर मूल्यवान सहयोग के लिए उनके आभारी हैं। निदेशकगण विश्वास के साथ उज्ज्वल भविष्य हेतु आशान्वित हैं।

आपके निदेशकगण कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों, भारत सरकार, प्रशासनिक मंत्रलय, रक्षा मंत्रालय, और विशेष रूप से रक्षा उत्पादन विभाग, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, गृह मंत्रलय, राज्य पुलिस और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कंपनी के प्रति उनके संरक्षण और विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। निदेशकगण कंपनी को दी गई

उनकी बहुमूल्य सहायता और सहयोग के लिए सभी सहयोगियों, विक्रेताओं और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं ।

निदेशकगण कंपनी के परिचालन में निरंतर सहयोग के लिए बैंकरों और वित्तीय संस्थानों की सराहना करते हैं।

निदेशकगण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, सांविधिक लेखा परीक्षकों और अन्य लेखा परीक्षकों को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन और सहायता के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण इस अवसर पर कंपनी की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान और उत्कृष्ट सहयोग के लिए सराहना करते हैं।

चेतावनी कथन:

बोर्ड की रिपोर्ट में दिए गए विवरण में लागू कानून और विनियम के अंतर्गत परिभाषित कुछ भविष्य-उन्मुख विवरण शामिल हैं। हालाँकि, आर्थिक स्थितियाँ, सरकारी विनियमों में परिवर्तन, कर नीतियाँ, अन्य कानून, बाजार की गतिशीलता और संबंधित या आकस्मिक कारक जैसे विभिन्न अवयव वास्तविक परिणामों को इन भविष्य-उन्मुख विवरण से भिन्न हो सकते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षरित/-
उमेश सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 19.09.2025
स्थान: कानपुर

अनुलग्नक- 1

फॉर्म एओसी - I

संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण:

(करोड़ रुपये में)

क्रम	संयुक्त उद्यम का नाम	इंडो-रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड (टाईआरआरपीएल)
1	लेखा परीक्षा की गई नवीनतम बैलेंस शीट की तारीख	31-03-2025
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यम के शेयरों की संख्या	4,25,000
4	होल्डिंग की सीमा:	42.50%
5	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	चुकता पूंजी (पेड-अप कैपिटल) के 42.50% तक इक्विटी में निवेश को महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है ।
7	नवीनतम लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के कारण कुल मूल्य	35.47 करोड़ रुपये
8	वर्ष के लिए लाभ/हानि	15.70 करोड़ रुपये

अनुलग्नक- 2

वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) सतत् विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से पर्यावरण सहित समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में अपने मुख्य व्यवसाय को संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एडब्ल्यूईआईएल की एक बोर्ड-अनुमोदित सीएसआर नीति है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाना है। यह सीएसआर नीति सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए व्यापक रूपरेखा और इसके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को परिभाषित करती है

2. सीएसआर समिति की संरचना:

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की कमी के कारण सीएसआर समिति का गठन नहीं किया जा सका।

3. जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है, उसका वेब-लिंक उपलब्ध कराएं।
4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं।
5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य
6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: 1304.00 लाख रुपये
7. (ए) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: 26.08 लाख रुपये।

   (बी) विगत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष (सरप्लस): शून्य

   (सी) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: शून्य

   (डी) वित्तीय वर्ष (7ए+7बी-7सी) के लिए कुल सीएसआर दायित्व - 26.08 लाख रुपये।
8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या व्यय न की गयी सीएसआर राशि:

(बी) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (रु. में)	व्यय न की गई राशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार सीएसआर खाते में व्यय न की गयी अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि (फंड) में आंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि (फंड) का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
26.08 लाख रुपये	-	-	-	-	-

(डी) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि: शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रम	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची के मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं).	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर खाते में व्यय न की गयी स्थानांतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का माध्यम - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम - लागू करने वाली एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या.
शून्य												

(ई) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रम	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची के मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)।	परियोजना का स्थान		परियोजना पर व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का माध्यम - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)।	कार्यान्वयन का माध्यम - लागू करने वाली एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
शून्य									

(एफ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई): शून्य

(जी) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

9. पूंजीगत परिसंपत्ति (कैपिटल एसेट) के सृजन या अधिग्रहण के मामले में सीएसआर के माध्यम से निर्मित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें जिन्हें वित्तीय वर्ष में व्यय किया गया है: शून्य

10. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में किल रही है, तो कारण बताएं: शून्य

हस्ताक्षरित/-
उमेश सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 19.09.2025
स्थान: कानपुर

अनुलग्नक- 3

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत अतिरिक्त जानकारी

ए) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग:-

एडब्ल्यूईआईएल की इकाइयों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (रिन्यूबल एनर्जी सोर्स) के विस्तार और मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की दक्षता में सुधार के लिए छत/भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। एडब्ल्यूईआईएल की इकाइयों में छत/भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों और उनके भविष्य के विस्तार की योजना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

छतध्जमीन पर स्थापित मौजूदा सौर ऊर्जा संयंत्र	वृद्धि हेतु प्रस्तावित लक्ष्य
11.84 मेगावाट	1.14 मेगावाट

- कार्य परिवेश को बेहतर बनाने के लिए पवन चालित टर्बो वेंटिलेटर के साथ टर्बो वेंटिलेटर की स्थापना/प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट), जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा खपत में कमी आएगी।
- प्रोडक्शन शॉप में अपारदर्शी गैल्वेनाइज्ड रूफ शीट के कुछ प्रतिशत को पारदर्शी शीटों (ट्रांसलूसेंट शीटस) से प्रतिस्थापित करके नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम करना, ताकि शॉप में दिन की रोशनी का उपयोग करते हुए ऊर्जा की बचत की जा सके।
- एडब्ल्यूईआईएल की इकाइयों में ई-वाहन को अपनाने की अवधारणा पहले से ही शुरू की जा चुकी है और कई इकाइयों में यह प्रयोग में लाई जा रही है, ताकि गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता और कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जा सके।

बी) प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में किए गए प्रयास -

- इनकैनडेसेंट लैंपों का रिप्लेसमेंट: एडब्ल्यूईआईएल की अधिकांश इकाइयों में इनकैनडेसेंट लैंपों को एलईडी से रिप्लेस कर दिया गया है।
- पारंपरिक पंखों का रिप्लेसमेंट: सभी खरीद कम ऊर्जा खपत वाले बीएलडीसी पंखों की जाएगी।
- एयर कंडीशनर और डेजर्ट कूलर: सभी खरीद 5 स्टार ऊर्जा खपत वाले उपकरणों की होगी ।

सी) आगामी कार्य योजना-

- स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि।
- ऊर्जा कुशल मशीनों/उपकरणों/प्रकाश उपकरणों की खरीद।
- जहां तक संभव हो, उच्च विद्युत ऊर्जा खपत करने वाली मशीनों/उपकरणों/प्रकाश उपकरणों को रिप्लेस करना।
- डिस्कॉम से बिजली की खरीद।
- नियमित अंतराल पर कर्मचारियों के लिए आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाना।

3) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी):

एडब्ल्यूईआईएल ने बड़े कैलिबर वाले हथियारों और छोटे हथियारों के क्षेत्र में वैश्विक तकनीकों की पहचान की है और आंतरिक अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से उन्हें अपने उत्पादन में शामिल करने के लिए प्रयासरत है। अनुसंधान एवं विकास केंद्र बड़े कैलिबर, छोटे हथियारों और गोला-बारूद हार्डवेयर के उत्पादों के विकास में लगे हुए हैं। एडब्ल्यूईआईएल अत्याधुनिक तकनीकों से लैस विभिन्न हथियार प्रणालियों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। एडब्ल्यूईआईएल ने आर्टिलरी गन, मोर्टार और छोटे हथियारों के अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पर ध्यान केंद्रित किया है। एडब्ल्यूईआईएल ने इन प्रयासों में शिक्षाविदों को भी शामिल किया है और आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईआईटीडीएम जबलपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से सहयोग लेने का प्रयास कर रहा है ।

एडब्ल्यूईआईएल ने नवाचार को बढ़ावा देने और अत्याधुनिक आयुध समाधान विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। एडब्ल्यूईआईएल के तीन सक्षम आयुध विकास केंद्र हैं और ये आधुनिक युद्ध हथियारों के विकास पर केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त, एडब्ल्यूईआईएल की ईशापुर में एक प्रशिक्षण अकादमी भी है, जहाँ प्रशिक्षण और कौशल विकास के कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते हैं।

एडब्ल्यूईआईएल बड़े कैलिबर के हथियारों जैसे आर्टिलरी गन और मोर्टार, छोटे हथियार और गोला-बारूद हार्डवेयर के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से नए उत्पादों को विकसित करने और अपने मौजूदा उत्पादों को उन्नत करने के लिए काम कर रहा है।

बदलती प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आंतरिक अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से शुरू किए गए कुछ प्रमुख उत्पाद/परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

ए) 155 एमएम/52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम (एमजीएस)

बी) 155 एमएम/52 कैलिबर टोड गन सिस्टम (टीजीएस)

सी) 60 एमएम मोर्टार

डी) 40 एमएम एमजीएल-एम3 (विस्तारित रेंज)

ई) 7.62x51 एमएम मीडियम मशीन गन (एमएमजी) अपग्रेड

एफ) त्रिची असॉल्ट राइफल (टीएआर 25)

एडब्ल्यूईआईएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपने संचालन से प्राप्त राजस्व का लगभग 1.49% अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किया है, जिसके आने वाले वर्षों में और बढ़ने की संभावना है।

4) विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

एडब्ल्यूईआईएल निर्यात बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। विभिन्न यूरोपीय, अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों से विभिन्न प्रकार के हथियारों के निर्यात के लिए बातचीत चल रही है। हमें ये ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एडब्ल्यूईआईएल ने यूरोप में 37.58 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया। निर्यात के लिए किए गए उत्पादों का विवरण निम्नलिखित है:

- ✔ आर्टिलरी गन स्पेयर्स
- ✔ गोला-बारूद (एम्युनिशन) हार्डवेयर

अनुलग्नक- 4

विधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का जवाब

क्रम	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
ए	**प्रतिकूल राय का आधार**	
1	दिनांक 1 अक्टूबर 2021 तक परिसंपत्तियों और देनदारियों का आरंभिक शेष पीसीएफए (प्रधान लेखा नियंत्रक, आयुध निर्माणियाँ, कोलकाता) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार लिया गया था। इकाइयों ने अपने पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर असमानताओं के लिए कुछ समायोजन किए। इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों और देनदारियों में शुद्ध वृद्धि/कमी हुई, जिसका अन्य इक्विटी पर भी समान प्रभाव पड़ा और 889.54 करोड़ रुपये की शुद्ध कमी हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उपलब्ध जानकारी के आधार पर कुछ समायोजन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों/देनदारियों में 42.85 करोड़ रुपये (शुद्ध) और 5.92 करोड़ (शुद्ध) (वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार पुनर्कथन के बजाय लाभ-हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में परिवर्तन की तिथि पर आरंभिक देनदारियों के 178.03 करोड़ रुपये के बट्टे खाते में डालने के लेखांकन को छोड़कर) 1.50 करोड़ रुपये की कमी/वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, जीएसएफ कोलकाता के संबंध में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियों के संबंध में कुछ समायोजन किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक 8 "लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों" की अपेक्षाओं के अनुसार विगत वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरण को पुनर्कथन के स्थान पर "अन्य इक्विटी" के अंतर्गत प्रतिधारित आय के आरंभिक शेष में समायोजन करके परिसंपत्ति में 26.22 करोड़ रुपये (शुद्ध संचित मूल्यह्रास) की कमी आई है। वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों तथा संपत्ति संयंत्र और उपकरण के संबंध में अंतर अभी भी असमायोजित है, क्योंकि शेष राशि की पुष्टि लंबित है और कंपनी के रिकॉर्ड के साथ मिलान, पीपीई और इन्वेंटरी का स्वतंत्र प्रत्यक्ष सत्यापन परिवर्तन की तिथि पर उनके अस्तित्व के लिए है और पीसीएफए से ली गई शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव वर्तमान में निर्धारणयोग्य नहीं है।	इस संबंध में कथन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एडब्ल्यूईआईएल की इकाइयों के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि का समायोजन किया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रबंधन के जवाब के अनुरूप है। हमारी लेखा पुस्तकों और पीसीएफए रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों के अनुसार अंतर का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड से हस्तांतरित विरासत वाली अचल संपत्तियों/प्राप्य/देय राशि की निरंतर जाँच की जाती है। हस्तांतरण और अधिग्रहण की प्रक्रिया जटिल थी और इसमें अनेक परिसंपत्तियाँ/देयताएँ शामिल थीं तथा यह पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराई गई लेखा पुस्तकों/अभिलेखों पर आधारित थी। चूंकि, पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के सभी रिकॉर्ड और उसकी परिसंपत्तियां दशकों के संचालन से बनाई/संचित की गई थीं, इसलिए ऐसी त्रुटियों को सुधारना एक वर्ष का काम नहीं है। इसलिए, प्रत्येक वर्ष खातों को अंतिम रूप देने के लिए त्रुटियों का पता लगाने के लिए हर कोशिश की जा रही है और समय-समय पर लेखा पुस्तकों को ठीक किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष के वित्तीय विवरण को पुन: प्रस्तुत करना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इससे पिछले वर्ष के कई वित्तीय विवरण सामने आ जाएंगे। भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार, यदि कोई व्यावहारिक कठिनाई हो, तो प्रबंधन चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष में पूर्व अवधि का लेखांकन कर सकता है। एडब्ल्यूईआईएल की सभी इकाइयों द्वारा पीपीई का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है और रिपोर्ट को वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ साझा किया गया है।

क्रम	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों तथा संपत्ति संयंत्र और उपकरण के संबंध में भिन्नता अभी भी कंपनी के रिकॉर्ड के साथ संतुलन और समाधान की लंबित पुष्टि, पीपीई और इन्वेंटरी के स्वतंत्र भौतिक सत्यापन के कारण समायोजित नहीं किए जा सके हैं, जो कि अवस्थांतरण की तिथि पर उनके अस्तित्व के लिए है और पीसीएफए से ली गई शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव वर्तमान में मात्रात्मक नहीं है।	कंपनी की सभी इकाइयों द्वारा इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन भी किया गया तथा उसे सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ साझा किया गया तथा ऐसे प्रत्यक्ष सत्यापन में यदि विसंगतियां पाई गईं, तो उन्हें दूर भी किया गया। संबंधित पक्षकारों के बैलेंस की पुष्टि के संबंध में इकाइयाँ तीसरे पक्ष से पुष्टि प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। सभी इकाइयों द्वारा पक्षकारों को उनके बैलेंस की पुष्टि हेतु पत्र भेजा गया है। इकाइयों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपने पीपीई, इन्वेंटरी और जीएसटी आदि में शामिल शेष राशि को सुधारने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और अब पक्षकारों के बैलेंस पर कार्य किया जा रहा है।
2	कंपनी ने 1 अक्टूबर 2021 के बाद के कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण (एयर कंडीशनर सहित) और फर्नीचर एवं फिक्स्चर का लेखांकन उनके मूल्य पर किया। हालाँकि, पीसीएफए की बुक में 30 सितंबर 2021 तक विद्यमान उन्हीं परिसंपत्तियों का लेखा उनके वहन मूल्य के बजाय 1 रुपये पर किया गया। यह भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा 7 का उल्लंघन था, जिसके अनुसार उक्त परिसंपत्तियों का लेखांकन उनके 1 अक्टूबर 2021 के वहन मूल्य पर किया जाना आवश्यक है। उक्त का अनुपालन न किए जाने के परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और प्रतिधारित आय को समान राशि से कम दर्शाया गया। इसका प्रभाव बाद के मूल्यह्रास पर भी पड़ता है और इसका प्रभाव उन परिसंपत्तियों पर उनके शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास लगाने हेतु लाभ-हानि विवरण पर भी पड़ता है। प्रबंधन द्वारा संबंधित आँकड़े उपलब्ध न कराए जाने के कारण उपर्युक्त प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका।	कंपनी ने 30 सितंबर 2021 तक मौजूद कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण (एयर कंडीशनर सहित) और फर्नीचर व फिक्स्चर को अपनी लेखा पुस्तकों में 1 रुपये के मूल्य पर दर्ज किया है। पीसीएफए द्वारा तैयार किए गए पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार उक्त परिसंपत्तियों को अधिग्रहण के वर्ष से पूर्णत: मूल्यह्रासित माना गया था तथा उन्हें राजस्व में शामिल किया गया था। इसलिए, परिवर्तन की तिथि अर्थात 01.10.2021 को इन परिसंपत्तियों की वहन लागत शून्य थी। कंपनी ने अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि पर पिछले वित्तीय विवरण में माने गए प्राप्त वहन मूल्य पर रखने का निर्णय लिया है तथा उस वहन मूल्य को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में उपयोग किया है, क्योंकि कार्यशील मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चूंकि विगत उत्तराधिकारी द्वारा भारतीय लेखा मानक के अनुसार अपेक्षित लेखांकन न होने के कारण राजस्व में प्रभारित सभी मदों का रिकार्ड आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसलिए, प्रबंधन ने अपने वित्तीय विवरण के प्रथम वर्ष में 1/- रुपए के हिसाब से इसके लेखांकन का निर्णय लिया, ताकि नियंत्रण के उद्देश्य से परिसंपत्तियों की गणना की जा सके और उनका लेखा-जोखा पीपीई रजिस्टर में दर्ज किया जा सके। इकाइयों के पीपीई रजिस्टरों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन काल से पहले ही बाहर हो चुकी हैं और इसका समग्र प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

<table>
<tr><th>क्रम</th><th>लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ</th><th>प्रबंधन का जवाब</th></tr>
<tr><td>3.</td><td>कंपनी के पास स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जैसी विभिन्न वस्तुओं की पहचान करने की उचित प्रणाली नहीं है, जिनका उपयोग एक से अधिक अवधि के दौरान होने की उम्मीद है। वर्ष के दौरान कुछ इकाइयों द्वारा प्रमुख कंपोनेन्ट के लिए इसका लेखा-जोखा रखा गया है। अत: पुर्जों, अतिरिक्त उपकरणों और सर्विसिंग उपकरणों का लेखा-जोखा भारतीय लेखा मानक 16 - "संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण" के पैरा 6 और 8 के अनुरूप नहीं है।

चालू वर्ष के वित्तीय विवरण में उपर्युक्त का प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।</td><td>ज्ञातव्य है कि वर्ष के दौरान कंपनी की विभिन्न इकाइयों द्वारा एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग में आने वाले स्टोर/स्पेयर्स को पीपीई (प्लांट और मशीनरी) श्रेणी के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:
<table>
<tr><th>इकाई का नाम</th><th>पूंजीकृत राशि (करोड़ रुपये में)</th><th>मूल्यह्रास के अनुसार उपयोगी जीवन काल की अवधि</th></tr>
<tr><td>जीसीएफ</td><td>1.14</td><td>1-5 वर्ष</td></tr>
<tr><td>कोरवा</td><td>0.84</td><td>1-10 वर्ष</td></tr>
<tr><td>ओएफटी</td><td>1.79</td><td>1-10 वर्ष</td></tr>
<tr><td>ओएफसी</td><td>11.61</td><td>1-5 वर्ष</td></tr>
<tr><td>आरएफआई</td><td>3.32</td><td>1-10 वर्ष</td></tr>
</table>
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कंपनी के पास ऐसे पुर्जों के पूंजीकरण और मूल्यह्रास की नीति है। मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर इकाइयों ने विभिन्न निर्माणियों में प्रयुक्त होने वाले पुर्जों (सपेयर पार्टस) की मात्रा और संख्या को ध्यान में रखते हुए "विशिष्ट पहचान" पद्धति का उपयोग किया है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इकाइयां विभिन्न उत्पाद और उत्पाद की श्रेणियों के विनिर्माण में लगी हुई हैं और मानक विनिर्माण संयंत्र नहीं हैं, अत: मुख्यालय स्तर से सुझाई गई मानक मूल्य-आधारित नीति संबंधी दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं होगा।

इसके अलावा, लेखा परीक्षकों ने ऐसे किसी विशिष्ट दृष्टांत का उल्लेख नहीं किया है, जहाँ उनकी राय में ऐसी मदों को पूंजीकृत किया जाना आवश्यक था, बल्कि उन्हें लाभ-हानि विवरण में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार, इस टिप्पणी का वर्ष की वित्तीय स्थिति या परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>यह देखा गया है कि पीपीई आइटम कमीशनिंग की तिथि से उपयोग की स्थिति में होते हैं और मूल्यह्रास उसी तिथि से लिया जाना चाहिए। हालाँकि, कंपनी इमारतों का मूल्यह्रास बी-वाउचर की तिथि से ले रही है। यह भारतीय लेखा मानक 16 - "संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण" के पैरा 55 के अनुरूप नहीं है।

उक्त वर्ष के दौरान जारी पूँजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) से हस्तांतरण द्वारा वित्तीय विवरण में निम्नलिखित पूंजीकरण किया गया है।</td><td>सूचित किया जाता है कि संबंधित परिसंपत्तियों के अंतिम कमीशन की पुष्टि के आधार पर बी-वाउचर तैयार करके लेखा एवं वित्त विभागों को भेजे जाते हैं। तदनुसार, ऐसी पुष्टि की तिथि पर परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया जाता है। इस प्रकार, इकाइयों द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों के संबंध में नीति और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के अनुसार पूंजीकरण किया गया है और सामान्यत: उपयोग में आने की वास्तविक तिथि और उसके पूंजीकरण के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है।</td></tr>
</table>

क्रम	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	<table><tr><th>निर्माणी</th><th>परियोजना का नाम</th><th>पूंजीकरण की तिथि</th><th>राशि (करोड़ रु. में)</th></tr><tr><td>ओएफसी</td><td>हीट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नए भवन का निर्माण</td><td>28-02-2021</td><td>13.53 रुपये</td></tr><tr><td>ओएफसी</td><td>एम.ए. अनुभाग के पीछे नए भवन का निर्माण</td><td>08-06-2016</td><td>11.87 रुपये</td></tr><tr><td></td><td></td><td>कुल</td><td>25.40 रुपये</td></tr></table> उपरोक्त कार्य पिछले वर्षों में पूरे हो चुके थे और उपयोग के लिए तैयार थे, लेकिन उस समय उनका पूंजीकृत नहीं किया गया था। इस वर्ष के मूल्यह्रास में पिछले वर्षों के संबंधित मूल्यह्रास शामिल नहीं हैं, तथा वित्तीय विवरण पर इसके प्रभाव का वर्तमान में परिमाणन नहीं किया जा सकता है।	लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में सूचीबद्ध विशिष्ट मामलों में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इंगित समय के अंतराल की समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा यह सूचित किया जाता है कि उक्त टिप्पणी का वित्त वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उक्त परिसंपत्तियां दिनांक 31.03.2025 तक पूंजीकृत हैं और उन पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधिवत रूप से मूल्यह्रास लगाया गया है। कुछ मामलों में एडब्ल्यूईआईएल की इकाइयों ने बी वाउचर/एम वाउचर की तिथि से पूंजीकरण की तिथि दर्ज है। पीपीई आइटम कमीशनिंग की तारीख से उपयोग के लिए उपलब्ध हैं और मूल्यह्रास कमीशनिंग की तारीख से लगाया जाता है। इस संबंध में संबद्ध इकाइयों के साथ विचलन की समीक्षा यथासमय की जाएगी।
5.	**संपत्ति संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन:** वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा इकाई स्तर पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (जिसे आगे "पीपीई" कहा जाएगा) का भौतिक सत्यापन किया गया। कंपनी की इकाई, गन एंड शेल फैक्ट्री, कोलकाता की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रु. 26.22 करोड़ (कुल संचित मूल्यह्रास) मूल्य के भवन एवं वाहन उपलब्ध नहीं हैं और इसे चालू वर्ष में अचल संपत्ति रजिस्टर से हटा दिया गया है। विलोपन का उपर्युक्त समायोजन भारतीय लेखा मानक 8 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय पुस्तकों में नहीं किया गया है। हमारी राय में, पीसीएफए के रिकॉर्ड के अनुसार पीपीई की मौजूदगी में कमी और पीसीएफए से ली गई शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर भौतिक सत्यापन का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। उपर्युक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि अवस्थांतर की तिथि पर इक्विटी जारी करने के उद्देश्य से गणना की गई शुद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य न तो उचित तौर पर भौतिक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों पर आधारित था और न ही उचित वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर, इसलिए, भारत सरकार को जारी की गई शेयर पूंजी भौतिक रूप से उपलब्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं थी। **जीएसएफ और अन्य इकाइयों में गैर-मौजूद परिसंपत्तियों की उपर्युक्त कमी का पीसीएफए से एडब्ल्यूईआईएल में परिवर्तन की तिथि पर शुद्ध परिसंपत्ति के उचित मूल्य**	इस संबंध में कथन है कि निगमीकरण के समय कंपनी को सौंपी गई 26.22 करोड़ रु. की परिसंपत्तियां पीपीई के मूल्य का हिस्सा थीं। इसके बाद, चूँकि भवन का उपयोग वास्तव में आयुध निदेशालय (डीओ-सी एंड एस) द्वारा किया जा रहा था, इसलिए इसे बिना किसी विचार के पूंजीरहित (डी-कैपिटलाइज) करके बुक-एंट्री के माध्यम से हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था। उक्त को ओपनिंग रिजर्व से समायोजित किया गया है। इसका वर्ष के वित्तीय परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वर्ष के दौरान इस पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पुनर्गठित और एडब्ल्यूईआईएल का हिस्सा बनीं स्वतंत्र इकाइयां 100 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, इसलिए, सभी इकाइयों में समस्त शेष राशि का समायोजन हो जाने तक ऐसे संशोधन साल-दर-साल किए जाने आवश्यक हैं। हालांकि, हर साल वित्तीय विवरण का पुनर्मूल्यांकन करने से जटिलता पैदा होगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के लिए कई बैलेंस शीट होंगी। मानक उन ओपनिंग रिजर्व के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति देता है, जहां पिछले वर्षों का पुनर्मूल्यांकन अव्यावहारिक माना गया है। वित्तीय विवरण में इस आशय के संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी ने सभी इकाइयों में प्रमुख परिसंपत्ति वर्ग के शीर्ष 100 आइटमों (मूल्य के आधार पर) का सत्यापन किया।

क्रम	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	वित्तीय विवरण पर प्रभाव वर्तमान में सभी इकाइयों द्वारा पीपीई के विस्तृत स्वतंत्र भौतिक सत्यापन और परिवर्तन की तिथि पर शुद्ध परिसंपत्तियों के सही उचित मूल्य पर पहुँचने के लिए स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों द्वारा आवश्यक परिणामी परिवर्धन/विलोपन और उचित समायोजन के अभाव में मात्रात्मक नहीं है।	ये प्रत्येक इकाई में पीपीई के मूल्य का 70%-90% प्रतिशत दर्शाते हैं। कंपनी चालू वर्ष में पीपीई के शेष आइटमों के लिए भी इसी प्रकार का सत्यापन करेगी ताकि पीपीई रजिस्टर का मौजूदा प्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के साथ पूर्ण मिलान किया जा सके। हालाँकि, मूल्य में महत्वपूर्ण विचलन होने की उम्मीद नहीं है।
6	इन्वेंटरी का मूल्यांकन **डब्ल्यूआईपी) के मूल्यांकन में निश्चित उपरिव्यय का आवंटन:** इन्वेंटरी के मूल्यांकन में निश्चित ओवरहेड का आवंटन सामान्य क्षमता के बजाय वास्तविक उत्पादन के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी के पास विभिन्न निर्माणियों द्वारा विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन हेतु संयंत्रों की सामान्य उत्पादन क्षमता की पहचान करने हेतु उचित प्रणाली नहीं है। यह भारतीय लेखा मानक 2 के पैरा 13 - "इन्वेंट्री" के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जिसके अनुसार निश्चित ओवरहेड का आवंटन उत्पादन सुविधाओं की सामान्य क्षमता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक निर्माणी द्वारा प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर निश्चित ओवरहेड का आवंटन किया गया है, इसलिए हम भारतीय लेखा मानक 2 के अनुपालन की पुष्टि नहीं कर सके। इस स्तर पर वांछित जानकारी के अभाव में हम भारतीय लेखा मानक 2 में दिए गए सिद्धांतों के गैर-अनुपालन के प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते। **अंतर इकाई इन्वेंटरी** हमने पाया कि वर्ष के दौरान किए गए अंतर-इकाई हस्तांतरण वास्तविक लागत के बजाय अनुमानित लागत पर आधारित थे। कंपनी ने अंतर-इकाई हस्तांतरण की लागत की गणना के लिए विचार की गई लागत का कोई आधार नहीं दिया है, इसलिए हम अंतर-इकाई हस्तांतरण की लागत की शुद्धता की पुष्टि नहीं कर सकते। उपर्युक्त के कारण वर्ष के अंत में हस्तांतरिती इकाई के पास पड़ी समापन इन्वेंटरी पर अप्राप्त लाभ या हानि को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक 2 "इन्वेंटरी" के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है। विस्तृत कार्यप्रणाली और जानकारी की अनुपलब्धता के कारण चालू वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में उपर्युक्त के प्रभाव का निर्धारण नहीं है।	ए. इन्वेंटरी के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उत्पादन के आधार पर रूपांतरण की लागत में निश्चित उत्पादन उपरिव्यय शामिल किए जाते हैं। कंपनी की आठ में से सात निर्माणियाँ लगभग सामान्य क्षमता पर चल रही हैं, जहाँ वास्तविक उत्पादन सामान्य क्षमता के लगभग बराबर है और इसलिए निश्चित उपरिव्यय शामिल करने के लिए वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखा गया है। हालांकि, एक निर्माणी (जहां क्षमता का कम उपयोग किया गया है) ने मानक/सामान्य क्षमता के आधार पर निश्चित उत्पादन उपरिव्यय शामिल किया है। निश्चित उत्पादन उपरिव्यय को पिछले वर्षों की तुलना में इन्वेंटरी के उत्पादन में वास्तविक योगदान पर तर्कसंगत और सुसंगत आधार पर आवंटित किया गया है। बी. सूचित किया जाता है कि कंपनी की नीति के अनुसार एक इकाई से दूसरी इकाई को सामग्री का हस्तांतरण लागत मूल्य पर किए जाने के प्रावधान हैं। उक्त निर्देश मुख्यालय द्वारा सभी इकाइयों को भी जारी किए गए हैं। चूँकि, विभिन्न इकाइयों में लागत निर्धारण पद्धति पर अभी भी काम चल रहा है, इसलिए थोड़े-बहुत बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही, सूचित किया जाता है कि अंतर-इकाई बिक्री और खरीद का समायोजन हो जाता है और यह समग्र रूप से कंपनी के वित्तीय विवरण को प्रभावित नहीं करता है। बिना बिके स्टॉक के संबंध में, कुछ अप्राप्त लाभ हो सकता है। हालाँकि, वित्तीय विवरण पर समग्र प्रभाव बहुत अधिक होने की उम्मीद नहीं है। कंपनी द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। सी. कंपनी ऐसे आयुध का विनिर्माण करती है, जिनके उत्पादन में कभी-कभी एक वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यूआईपी एक वर्ष से अधिक समय से पड़ा हो। ऐसा कंपनी के व्यावसायिक स्वरूप के कारण होता है। हालाँकि, यदि कोई असाधारण स्टॉक लंबे समय से डब्ल्यूआईपी में पड़ा है, तो कंपनी

क्रम	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	जारी कार्य में लंबे समय से पड़े स्टॉक लेखा परीक्षा के दौरान हमने पाया कि इकाइयाँ जारी कार्य शीर्षक के अंतर्गत स्टॉक रख रही हैं, जिन्हें लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी वस्तुओं को जारी कार्य शीर्षक में रखने का कारण/औचित्य हमें स्पष्ट नहीं किया गया। हालाँकि, विस्तृत कार्य प्रणाली और औचित्य/सूचना की अनुपलब्धता के कारण चालू वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर उपर्युक्त के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका है।	ऐसे मामले की समीक्षा करेगी और उसका समाधान करेगी।
7.	**"दुर्भर अनुबंधों" के लिए प्रावधान:** पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निगमीकरण-पूर्व काल से जुड़े मान्य अनुबंधों के संबंध में पूर्वव्यापी प्रभाव से दिनांक 1 अप्रैल 2022 तक 863.65 करोड़ रुपये के घाटे के लिए प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव से पुन: घोषित किया है, जिसे "दुर्भर" माना गया है, क्योंकि कंपनी के पास इन अनुबंधों से बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने वाले नोट संख्या 14 में संदर्भित है। इन मान्य अनुबंधों को कंपनी ने निगमन के बाद मान लिया था, हालाँकि कंपनी को इन आपूर्तियों पर घाटा होना निश्चित था। कंपनी ने इन आपूर्तियों पर हुए घाटे के लिए क्षतिपूर्ति की माँग की थी, लेकिन सरकार से राजस्व अनुदान प्राप्त करने के बजाय, कंपनी को इक्विटी के रूप में धनराशि प्राप्त हुई, इसलिए उसे वित्तीय पुस्तकों में घाटे के साथ समायोजित नहीं किया जा सका। अनुबंध के अनुकूल न होने की स्थिति में विक्रेता की ओर से अनुबंध समाप्ति का कोई प्रावधान नहीं थाय इसलिए कंपनी द्वारा किया गया यह समझौता न तो रणनीतिक और न ही व्यावसायिक प्रक्रिल पर आधारित था।	सूचित किया जाता है कि वर्ष के दौरान किसी भी दुर्भर घाटे के लिए कोई नया प्रावधान नहीं किया गया। कंपनी ने केवल वर्ष के दौरान संबंधित अनुबंधों के वास्तविक निष्पादन की सीमा तक दुर्भर अनुबंधों के लिए प्रावधान को रिवर्स कर दिया है। इसके अलावा, विगत वर्षों में भारतीय लेखा मानक-37 के अनुपालन के लिए दुर्भर अनुबंधों के कारण होने वाले नुकसान का प्रावधान आवश्यक था। कंपनी के पास पुराने अनुबंध हैं, जो दुर्भर प्रकार के हैं। निगमीकरण के बाद इन्हें नवीनीकृत किया गया।
	अनुबंध के अनुसार वर्तमान दायित्वों की गणना में कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक 37 के निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। ए) इन उत्पादों का निर्माण उन इकाइयों की सामान्य प्रक्रिया में किया जा रहा है, जिनमें अन्य उत्पाद भी निर्मित किए जा रहे हैं। इसलिए, कंपनी भारतीय लेखा मानक 37 के पैरा 69 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सकी, जिसके अनुसार "दुर्भर अनुबंध के लिए अलग प्रावधान स्थापित किए जाने से पहले इकाई उस अनुबंध के लिए समर्पित परिसंपत्तियों पर हुई किसी भी हानि को पहचानती है" (भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार)।	ए. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा जीसीएफ, जबलपुर के संबंध में हानि का आकलन करने की मांग की गई थी। चूँकि कोई सक्षम प्रणाली उपयोग में नहीं है या केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए उपयोग में है, जिनकी आपूर्ति दुर्भर थी, इसलिए कंपनी ने एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से उक्त इकाई के संपूर्ण संयंत्र और मशीनरी का मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की। उक्त स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, मशीनरी की बिक्री योग्य मूल्य वहन लागत से अधिक आंका गया था। इस प्रकार, मूल्यह्रास हानि के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं था।

क्रम	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	इसके अलावा उपर्युक्त बिंदु (ई) में यथा वर्णित यदि विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो प्रावधान को मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसलिए, कंपनी ने उपर्युक्त वर्णित भारतीय लेखा मानक के विभिन्न प्रावधानों की अनदेखी करते हुए दुर्भर अनुबंध के लिए प्रावधान किए हैं।	के पत्र के माध्यम से 209 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। इस प्रकार, नुकसान का उचित अनुमान लगाया गया और नुकसान के इसी अनुमान पर उक्त दुर्भर अनुबंध पर प्रावधान बनाने के लिए विचार किया गया। धनुष: उक्त मद के लागत पत्रक को सांविधिक लेखा परीक्षकों को समीक्षा के लिए उपलब्ध करा दिया गया था। नुकसान का सही अनुमान लगाया गया है और ये अनुमान विश्वसनीय हैं। इसलिए, सांविधिक लेखा परीक्षकों का यह तर्क सही नहीं है कि विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकताओ
8.	**उत्पादों की बिक्री पर मान्य राजस्व** कंपनी के परिचालन से प्राप्त राजस्व में उत्पादों की बिक्री से प्राप्त 72.71 करोड़ रुपये शामिल हैं, जहाँ अनुबंध से जुड़ी शर्त यह निर्दिष्ट करती है कि षविक्रेता द्वारा माल की डिलीवरी के बाद, अर्थात् सीआईएफ के आधार पर स्वामित्व और जोखिम विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाएँगेष। उपर्युक्त माल बैलेंस शीट की तिथि तक डिलीवर नहीं किया गया था। इस कारण, कंपनी के परिचालन से प्राप्त राजस्व को उपर्युक्त राशि से अधिक दर्शाया गया है। उपर्युक्त निर्धारण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 115, "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने बेचे गए माल की लागत निकालने के संबंध में कोई गणना या जानकारी प्रदान नहीं की है। इसलिए, हम उपर्युक्त राजस्व निर्धारण के कारण लाभ और हानि विवरण में लाभ या हानि के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। कंपनी ने उपर्युक्त धारित राजस्व पर क्रमश: 9.24 करोड़ रुपये और 4.38 करोड़ रुपये के कमीशन व्यय और परिवहन व्यय दर्ज किए हैं। इसी कारण कंपनी के उक्त वर्ष के व्यय में 13.62 करोड़ रुपये अधिक दर्शाए गए हैं।	कंपनी ने बिक्री को मान्यता दे दी है, क्योंकि आपूर्ति किए गए माल से संबंधित अधिकार दिनांक 31.03. 2025 से पहले शबिल और होल्ड व्यवस्थाश के तहत मेसर्स बीडीएल को हस्तांतरित कर दिए गए थे। लेखांकन के मिलान की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, इससे संबंधित सभी व्यय का भी प्रावधान किया गया।
9.	**आयकर अधिनियम और आस्थगित कर के अनुसार मूल्यह्रास:** कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के आधार पर पूर्व में लेखाकृत "सरकारी अनुदान" को पुन: दर्शाया है और उसे पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया है। कंपनी ने उपर्युक्त त्रुटि, अर्थात पिछले वित्तीय वर्षों में "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कर आधार" में वृद्धि के कारण कोई समायोजन नहीं किया है, जिससो आस्थगित कर की गणना प्रभावित हो सकती है।	कंपनी से कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है, क्योंकि यह तथ्यात्मक विवरण है न कि कोई प्रतिकूल टिप्पणी।

क्रम	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कर आधार" में वृद्धि की है। "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कर आधार" में परिवर्तन के कारण इस समायोजन के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों की आस्थगित कर देनदारियों में परिवर्तन हुआ है और पिछले वर्ष के अनवशोषित मूल्यह्रास के दावे के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ तैयार हुई हैं। 348.08 करोड़ रुपये के लिए उपर्युक्त का शुद्ध प्रभाव इंड एएस 8 "लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों" की आवश्यकताओं के अनुसार पिछले वित्तीय वर्षों की पुनर्संरचना के बजाय "अन्य इक्विटी" के अंतर्गत प्रतिधारित कमाई के शुरुआती शेष में किए गए समायोजन के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अपने आयकर रिटर्न में संशोधन के लिए आवेदन किया है, जो कि समय-सीमा के कारण वर्जित हैं। यदि आईटीआर में संशोधन की अनुमति दी जाती है और उनमें संशोधन किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप 502. 56 करोड़ रुपये का अनवशोषित मूल्यह्रास अग्रेनीत किया जाएगा और इसके कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियों में 126.48 करोड़ रुपये की वृद्धि भी होगी। हालाँकि, आज की तिथि तक निर्धारण वर्ष 2022-23 के संबंध में दायर आवेदन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी ने विवेकपूर्ण तरीके से 126.48 करोड़ रुपये की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी है।	
10.	**व्यापारिक प्राप्य शेष की पुष्टि** प्रबंधन के पास आवधिक आधार पर व्यापारिक प्राप्य शेषों के समाधान हेतु कोई उचित प्रणाली नहीं है। ये शेष संबंधित पक्षों द्वारा पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अलावा, लेखा प्रणाली, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम सहित व्यापारिक प्राप्य शेष की चालान-वार (इनवाइस-वाइज) सूची प्रदान नहीं करती है, जो सामान्य खाता-बही शेष से विधिवत मेल खाती हो। व्यापारिक प्राप्य से प्राप्तियों/बकाया राशि के बिल-वार अभिलेखन और शेष राशि की पुष्टि के अभाव में वित्तीय विवरण के नोट संख्या 8(बी) में उल्लिखित आयु विश्लेषण से संबंधित उचित आधार सत्यापित नहीं किया जा सकता है। यह भी देखा गया कि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 109 "वित्तीय उपकरण" के अनुसार व्यापारिक प्राप्य पर कोई अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) प्रावधान निर्धारित	सूचित किया जाता है कि कंपनी ने सांविधिक लेखा परीक्षकों की ओर से अपने विक्रेताओं और ग्राहकों को शेष राशि की पुष्टि हेतु अनुरोध भेजा है। अधिकांश विक्रेता और ग्राहक सरकारी संस्थाएँ हैं। कंपनी इन संस्थाओं के साथ शेष राशि का मिलान करने की प्रक्रिया में है। कंपनी को भुगतान के समय अपने विक्रेताओं और वसूली के समय ग्राहकों की शेष राशि में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण विचलन की उम्मीद नहीं है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्राहकों और विक्रेताओं के खातों में लेनदेन को बिल-वार दर्ज करने पर काम किया है। इसके लिए जारी किए गए बिलों के लिए अनुबंध संबंधी अग्रिम (कुल अग्रिम और कुल प्राप्तियों के योग के बजाय) की पहचान और निपटान की दिशा में प्रयास

क्रम	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	या निर्मित नहीं किया है। ऐसी शेष राशि की पुष्टि, समाधान, समय-वार विश्लेषण के आधार और ईसीएल के लिए प्रावधान की गणना न होने तक वित्तीय विवरण पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन समस्त शेष राशि की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	किए गए हैं। ग्राहकों का चालान-वार विवरण आगामी वर्ष में उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि कंपनी पूर्व में दर्ज लेनदेन (विरासत में मिली बैलेंस) संबंधी अधिक जानकारी अपडेट कर रही है। इसके अलावा, कंपनी ईआरपी को लागू करने की प्रक्रिया में है। इस प्रक्रिया को भविष्य में और अधिक ऑटोमेट किया जाएगा। कंपनी ने दार्घकालिक व्यापारिक प्राप्तियों के निर्धारण का विश्लेषण करने के लिए अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम संभव जानकारी का उपयोग किया है। ईसीएल के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी का 100% व्यापारिक प्राप्य सरकार और सरकारी संस्थाओं से है। नागरिक ग्राहकों को की जाने वाली आपूर्तियाँ अग्रिम आधार पर हैं। यह देखते हुए कि सरकार और सरकारी संस्थाएँ बिलों के भुगतान में चूक नहीं करेंगी, अत: ईसीएल के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया।
11.	**व्यापार देय शेष राशि की पुष्टि** प्रबंधन के पास आवधिक आधार पर व्यापार देय शेष राशि के समाधान के लिए कोई उचित प्रणाली नहीं है। समस्त शेष राशि संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि और समाधान के अधीन है। इसके अलावा, लेखा प्रणाली आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिम सहित व्यापार देय शेष राशि की चालान-वार सूची प्रदान नहीं करती है जो सामान्य खाता-बही शेष राशि से मेल खाती हो। व्यापार देय राशि के भुगतान/ बकाया राशि के बिल-वार रिकॉर्ड और शेष राशि की पुष्टि के अभाव में वित्तीय विवरण के नोट संख्या 13(ए) में बताए गए लेनदारों की समय-वृद्धि के उचित आधार को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। ऐसी पुष्टि, समाधान और समय-वार विश्लेषण के आधार तक, वित्तीय विवरण पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन शेष राशि की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	कंपनी सभी पक्षों की शेष राशि के समाधान के लिए प्रयासरत है। जहाँ आवश्यक होगा, वहाँ तीसरे पक्षों से भी लेखा विवरण एकत्र किए जाएँगे, ताकि समाधान जल्द से जल्द किया जा सके।
12.	**वारंटी के लिए प्रावधान का प्रत्यावर्तन:** कंपनी ने निष्पादन गारंटी और बेचे गए माल के प्रतिस्थापन/ मरम्मत के कारण वारंटी प्रावधानों को मान्यता दी थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्षों में किए गए 10.38 करोड़ रुपये के प्रावधानों को प्रत्यावर्तित किया है। कंपनी ने हमें प्रावधानों के उपर्युक्त प्रत्यावर्तन के लिए कोई आधार नहीं बताया है। इसलिए, हम खातों में इस तरह के प्रत्यावर्तन की शुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	सूचित किया जाता है कि वारंटी का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022-23 से आगे बढ़ाया जा रहा था। कंपनी के उत्पाद आमतौर पर 1-2 साल की वारंटी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार, चालू वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान प्रत्यावर्तित कर दिया गया। प्रबंधन के अनुमान और वारंटी व्यय के ऐतिहासिक आंकड़ों पर विचार करते हुए 2 करोड़ रुपये का नया प्रावधान किया गया।

क्रम	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	उपर्युक्त कारणों से कंपनी के निर्धारित वर्ष के लाभ को 8.38 करोड़ रुपये (शुद्ध) से अधिक दर्शाया गया है।	इस प्रकार, संगत वर्ष के लिए लेखा परीक्षा द्वारा यथा उल्लेखित 8.38 करोड़ रुपये (शुद्ध) का लाभ अधिक नहीं दर्शाया गया है।
13	**नवीनीकरण और प्रतिस्थापन निधि से धन का उपयोग** हमारी लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कंपनी को पिछले वर्ष भारत सरकार, रक्षा मंत्रलय, डीडीपी से 37.75 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी। वर्ष के दौरान यह पाया गया कि कंपनी ने निधि के अंतर्गत उपलब्ध राशि में से 9.40 करोड़ रुपये डेबिट करके उसका उपयोग किया है। उपर्युक्त निधि सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जारी की गई थी, जिससे पुराने और खराब हो चुके संयंत्र एवं मशीनरी को इस निधि से खरीदकर उन्हें प्रतिस्थापित किया जा सके। हालाँकि, कंपनी ने इस निधि का उपयोग संयंत्र एवं मशीनरी की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए किया है। उपर्युक्त कारणों से कंपनी के संगत वर्ष के लाभ को 9.40 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया है।	जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी टिप्पणियों में उल्लेख किया है, नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि (टारआर फंड) की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि इस निधि के माध्यम से पुराने और खराब हो चुके संयंत्रों और मशीनरी की खरीद के लिए धन उपलब्ध कराकर उन्हें बदलने में सहायता प्रदान की जा सके। वर्ष के दौरान, कंपनी ने इस निधि का उपयोग इसी उद्देश्य से किया है। कंपनी ने संयंत्र और मशीनरी के स्पेयर एवं पार्ट्स की खरीद पर होने वाले खर्च को आरआर फंड में दर्ज किया है। इन खर्चों से पुराने संयंत्र और मशीनरी के प्रयोग की अवधि बढ़ जाएगी। इस प्रकार, संगत वर्ष के लिए लेखा परीक्षा द्वारा यथा उल्लेखित 9.40 करोड़ रुपये का लाभ अधिक नहीं दर्शाया गया है।
14.	**विक्रय एवं क्रय मूल्य का प्रत्यावर्तन:** दिनांक 22/12/2023 और 23/12/2023 को सभी डीपीएसयू के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की बैठक में लाभ तत्व को पूर्व के 7.5% से घटाकर 6% करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, कंपनी को उन सभी डीपीएसयू को आनुपातिक क्रेडिट नोट जारी करने की आवश्यकता थी, जिनसे उसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7.5% का लाभ तत्व लिया था। कंपनी के पास मौजूद डेटा के अभाव में ऊपर उल्लिखित निर्णय के गैर-अनुपालन के प्रभाव को बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सकता है।	जैसा कि लेखा परीक्षकों को सूचित किया गया था, डीपीएसयू के सीएमडी द्वारा दिनांक 22.12.2023 और 23.12.2023 को लिए गए निर्णय सभी अनुबंधों पर लागू नहीं थे। उपर्युक्त निर्णय के बाद, प्रत्येक अंतर-डीपीएसयू अनुबंध को आपसी सहमति से संशोधित किया गया। ऐसे संशोधित अनुबंधों के संबंध में क्रेडिट नोट्स/डेबिट नोट्स संबंधित इकाइयों के निर्देशानुसार विभिन्न इकाइयों द्वारा विधिवत रूप से तैयार और लेखांकित किए गए। असंशोधित अनुबंधों के संबंध में डेबिट/क्रेडिट नोट जारी नहीं किए जा सके, क्योंकि इन्हें अनुबंध के दूसरे पक्ष की सहमति के बिना एकतरफा रूप से जारी नहीं किया जा सकता है।
15.	**अनुसूची III का अनुपालन न करना** जिन परियोजनाओं का पूरा होना बाकी है, उन्हें पूरा होने का अपेक्षित समय दिखाते हुए वित्तीय विवरण में खुलासा करना आवश्यक है। वित्तीय विवरण में इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है।	जारी परियोजनाओं के काल-निर्धारण (एजिंग) का खुलासा कंपनी द्वारा खातों के लिए नोट संख्या 6(ए) के अंतर्गत किया गया है।
16.	**भारतीय लेखा मानक का अनुपालन न किया जाना:** i) कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 16 की निम्नलिखित अपेक्षाओं का प्रकटीकरण नहीं किया है। ए) पैरा 79 (ए) "अस्थायी रूप से निष्क्रिय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि।	ए) कोई भी संयंत्र या मशीनरी "निष्क्रिय" नहीं है। कंडम परिसंपत्तियों को विधिवत रूप से पृथक कर दिया गया है तथा पीपीई से अलग से दर्ज किया गया है।

क्रम	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	बी) वर्तमान में उपयोग में आने वाले किसी भी पूर्णत: मूल्यह्रासित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सकल वहन राशि। ii) परिसंपत्तियों की हानि: भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार कंपनी द्वारा हानि परीक्षण नहीं किया गया है। लाभ और हानि के विवरण में इसके प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। iii) भारतीय लेखा मानक 8 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण का पुनर्कथन, जैसा कि "प्रतिकूल राय का आधार" बिंदु में बताया गया है।	बी) जैसा कि लेखा परीक्षकों ने स्वयं पिछले अनुच्छेदों में बताया है कि नियंत्रण के उद्देश्य से पूर्णत: मूल्यह्रासित परिसंपत्तियों का लेखांकन 1 रुपये पर किया जाता है। हालाँकि, बैलेंस शीट में ऐसे मदों का कुल वहन मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है। ट्रांजिशन संबंधी आँकड़ों की उपलब्धता के अभाव में सकल वहन मूल्य का पता लगाना संभव नहीं था। सूचित किया जाता है कि कंपनी की नीति के अनुसार, अचल संपत्तियों के सभी मदों का क्षति परीक्षण किया जाता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि कुछ संपत्तियों को "कंडम श्रेणी" में वर्गीकृत किया गया है, जिसके बाद ऐसी संपत्तियों को कंपनी के वित्तीय विवरण में बिक्री योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है। कंपनी ने अपने ओपनिंग रिजर्व निधि का पुनर्विवरण दिया है और उनका पूर्ण प्रकटीकरण किया है। हालाँकि, व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों का विवरण नहीं दिया गया है ताकि प्रत्येक वर्ष के लिए कई बैलेंस शीट न हों। इसके अलावा, ओपनिंद रिजर्व के पुनर्विवरण के परिणामस्वरूप जो मद हैं, उनका पिछले वर्ष के लाभ-हानि विवरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।
बी	**अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**	
3(ए)	हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, लेकिन हमारी रिपोर्ट के "प्रतिकूल राय का आधार" के पैरा 7 (डी) में संदर्भित दुर्भर अनुबंध में नुकसान की राशि की गणना किए जाने के उपाय इसमें शामिल नहीं हैं।	आवश्यक जवाब, संगत बिंदु में दिया गया है।
3(बी)	हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है लेकिन कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3(जे) (Vi) में वर्णित मामले इसमें शामिल नहीं हैं।	आवश्यक जवाब, संगत बिंदु में दिया गया है।
3(ई)	हमारी राय में पैरा "3" और "4" में उल्लिखित भारतीय लेखा मानक 16 को छोड़कर; पैरा "2" में उल्लिखित भारतीय लेखा मानक 101; पैरा "6" में उल्लिखित भारतीय लेखा मानक 2 इन्वेंटरी का मूल्यांकनह; भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा "1," "4" और "9" में उल्लिखित "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां; प्रतिकूल राय के आधार के पैरा 16 के	आवश्यक जवाब, संगत बिंदु में दिया गया है।

क्रम	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	अनुसार भारतीय लेखा मानक के प्रकटीकरण की आवश्यकता, उपर्युक्त वित्तीय विवरण इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक, सहपठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित का अनुपालन किया जाता है।	
डी	**स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी**	
	योग्य राय का आधार	
ए	किसी महत्वपूर्ण खाते या प्रक्रिया में कर्तव्यों का अनुपस्थित या अपर्याप्त पृथक्करण - लेखा पुस्तकों में लेन-देन दर्ज करते समय कोई नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात, नियमित निर्माता या परीक्षक की अवधारणा का अभाव होता है।	लेनदेन दर्ज करने के लिए प्राथमिक डेटा पीपीसी प्रणाली में रखा जाता है। यह कुछ लोगों के द्वारा नियंत्रित होता है। एक बार दर्ज की गई प्रविष्टि को उच्च अधिकारी की अनुमति के बिना बदला नहीं जा सकता और इसके रिकॉर्ड के रख-रखाव इकाइयों के आईटी प्रभाग द्वारा किया जाता है। वित्तीय विवरण तैयार करने तथा लेनदेन दर्ज करने हेतु द्वितीय लेखांकन सॉफ्टवेयर टैली है। यह लेनदेन दर्ज करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है। चूँकि कंपनी दो अलग-अलग सॉफ्टवेयर में काम कर रही है, इसलिए प्राथमिक रिकॉर्डिंग पीपीसी सिस्टम में की जाती है। टैली सॉफ्टवेयर में भी यही किया जा रहा है। चूँकि, पीपीसी सिस्टम में उचित जाँच और नियंत्रण व्यवस्था है, इसलिए यह कहना अनुचित होगा कि कंपनी में निर्माता या परीक्षक सिस्टम का अभाव है। इसके अलावा, कंपनी आगामी वित्तीय वर्ष में डेटाबेस प्रबंधन के लिए ईआरपी प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। इससे लेखा प्रणाली सुव्यवस्थित होगी और कार्य में में दोहराव नहीं होगा। इसके साथ ही, समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में भी सुधार होगा।
बी	सामान्य और एप्लीकेशन संबंधी नियंत्रण की अपर्याप्त संरचना, जिससे सूचना प्रणाली को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्यों और वर्तमान जरूरतों के अनुरूप पूर्ण और सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। i) कंपनी के पास ऐसी कोई स्थापित प्रक्रिया या दिशा-निर्देश नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किन सेवाओं के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इस संबंध में उदाहरण हैं: निर्माण कार्य के लिए एमईएस से बिल, मरम्मत और रख-रखाव के लिए एएमसी और अनुबंध श्रम संबंधी भुगतान। ii) यात्रा व्यय, एलटीसी और चिकित्सा व्यय के संबंध में व्यय के लेखांकन के लिए विभिन्न इकाइयाँ अलग-अलग प्रणाली अपना रही हैं। उचित प्रणाली	i सूचित किया जाता है कि कंपनी के पास अपनी इकाइयों में सेवाओं से संबंधित बिल/लेनदेन, जैसे ठेका मजदूरी, मरम्मत और रखरखाव के लिए वार्षिक मासिक किस्त (एएमसी) आदि को दर्ज करने की उचित व्यवस्था है। ये लेन-देन इकाइयों के खरीद विभाग से वित्त विभाग को उचित रूप से भेजे जाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की इकाइयों द्वारा उचित प्रावधान किया जाता है। पिछले तीन वित्तीय वर्ष से लेखा परीक्षकों द्वारा इसकी जाँच की जा रही है और संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा परीक्षकों द्वारा सेवाओं के प्रावधान संबंधी सुझाव/टिप्पणी का उचित रूप से समाधान किया गया है।

क्रम	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	के अभाव में बुक किए गए खर्च और लेखा बही में दिखाई देने वाले अग्रिम सत्यापित नहीं हो पाते हैं। iii) कुछ इकाइयों द्वारा प्रोडक्शन शॉप में उत्पादन मशीनों के ब्रेकडाउन होने का विवरण ठीक से दर्ज नहीं किया जा रहा है। कुछ इकाइयों में मशीनें 3 से 4 वर्षों से खराब हैं और उस पर मूल्यह्रास भी लगाया जाता है और उन्हें उत्पादन लागत में आवंटित किया जाता है, जो कि गलत है। i) कुछ इकाइयों द्वारा प्रोडक्शन शॉप में प्रोडक्शन मशीनों के खराब होने का विवरण ठीक से दर्ज नहीं किया जा रहा है। कुछ इकाइयों में, मशीनें 3 से 4 वर्षों से खराब हैं और उस पर मूल्यह्रास भी लगाया जा रहा है और उसे उत्पादन लागत में जोड़ दिया जा रहा है, जो कि गलत है ।	ii. एडब्ल्यूईआईएल की सभी इकाइयाँ वर्ष के दौरान यात्र व्यय, एलटीसी और चिकित्सा व्यय से संबंधित लेन-देन नकद आधार पर दर्ज करती हैं। वर्ष के अंत में उचित प्रावधान किए जाते हैं और प्रोद्भूत लेखांकन के अनुरूप समायोजन किया जाता है। एडब्ल्यूईआईएल की एक इकाई, आरएफआई ने प्रावधान हेड के अंतर्गत कर्मचारी-वार लेन-देन दर्ज करके प्रणाली को और बेहतर बनाया है। iii. कंपनी अपने इकाई स्तर पर रखरखाव प्रबंधन मॉडड्यूल के अंतर्गत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में मशीन रखरखाव का उचित रिकॉर्ड रखती है, जिसमें मशीन की उपलब्धता, मशीन के खराब होने से संबंधित डेटा एडब्ल्यूईआईएल की इकाइयों द्वारा बनाए रखा जाता है। यह लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध है।
सी	**महत्वपूर्ण खातों के समाधान में किलता:** कंपनी के पास अग्रिम, व्यापार देय और व्यापार प्राप्तियों आदि के संबंध में बैलेंस पुष्टि और समाधान के लिए उचित प्रणाली नहीं है।	जैसा कि ऊपर बिंदु 10 में स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने तीसरे पक्ष के विवरण की उपलब्धता की सीमा तक व्यापारिक देय और व्यापारिक प्राप्य के शेष को विधिवत रूप से समाधान कर लिया है ।
डी	बोर्ड के अनुमोदन के बिना अग्रिम प्राप्ति हेतु कारपोरेट गारंटी जारी की गई।	यह सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट गारंटी एक कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता है, जहां एक कंपनी (गारंटर) किसी अन्य कंपनी (तृतीय पक्ष) के ऋण दायित्व को पूरा करने का वादा करती है, यदि वह तृतीय पक्ष अपने ऋण दायित्व को पूरा करने में चूक करता है। इस मामले में, कंपनी ने ग्राहक के साथ अनुबंध के अनुसार प्राप्त अग्रिम राशि के संबंध में वचनबद्धता (अंडरटेकिंग) जारी की है। इस मामले में कंपनी द्वारा कोई तृतीय पक्ष गारंटी जारी नहीं की गई है। दस्तावेज के नामकरण के बजाय उसकी प्रकृति को देखना आवश्यक है।
ई	**अंतर-इकाई हस्तांतरण के लेखांकन में भिन्नता:** कंपनी की इकाइयों में अंतर-इकाई हस्तांतरण के संबंध में कोई एकरूपता नहीं है। कंपनी की इकाई गन एंड कैरिज फैक्टरी, जबलपुर में अंतर-इकाई हस्तांतरण के अंतर्गत प्राप्त माल का लेखा रसीद वाउचर (टारवी) के बजाय सामग्री आवक पर्ची (एमआईएस) के आधार पर किया गया है।	वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे अंतर-इकाई स्टॉक हस्तांतरण के संबंध में प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा माल प्राप्त होते ही, विशेष रूप से वर्ष के अंत में, खरीद दर्ज करें, ताकि अंतर-इकाई खरीद के विलंबित अभिलेखन के परिणामस्वरूप जीएसटी आईटीसी के चूक से बचा जा सके। कंपनी ने पूरे संगठन में अंतर-इकाई हस्तांतरण के लेखांकन का समान रूप से पालन किया है। जीसीएफ के मामले में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक इन्वेंटरी प्राप्त हुई थी। जीसीएफ ने मुख्यालय के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार एमआईएस तैयार किया है।

क्रम	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
एफ	**रोकड़ बही का रखरखाव न करना:** हमारी जानकारी में आया है कि वर्ष के दौरान नकद जमा और निकासी लेनदेन के बावजूद कंपनी द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव नहीं किया गया है।	कंपनी नकद बैलेंस नहीं रखती है। नकद निकासी किसी तीसरे पक्ष के नाम पर होती है, जो कंपनी के लिए खर्च करता है/उसे वहन करता है, जिसकी प्रतिपूर्ति कंपनी के खाते से नकद के रूप में उन्हें की जाती है। नकद जमा के संबंध में, यह किराए पर उठाए गए परिसर से प्राप्त किराए से संबंधित है। चूँकि किराया, नकद में प्राप्त होता है, इसलिए नकद जमा लेनदेन होता है।
जी	**एक ही चालान का दो बार भुगतान:** हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया है कि कंपनी की इकाई, आयुध निर्माणी कानपुर में एक ही चालान के लिए 78.93 लाख रु. का दो बार भुगतान किया गया है।	कंपनी ने सुधार संबंधी कार्रवाई की है और संबंधित पक्ष, यानी मेसर्स सेंट्रल फ्रू (सीपी) स्थापना, इटारसी, जो एक सरकारी एजेंसी है, को सूचित कर दिया है। यह भुगतान भविष्य में होने वाले लेन-देन में एजेंसी को देय शेष राशि से समायोजित किया जाएगा।
एच	विगत वर्ष के अंतर-इकाई स्टॉक अंतरण का समायोजन न हो पाना: हमारे संज्ञान में आया है कि पिछले वर्ष के दौरान किए गए अंतर-इकाई हस्तांतरण को विभिन्न इकाइयों में चालू वर्ष के दौरान विनियमित नहीं किया गया है।	सूचित किया जाता है कि कंपनी की उत्पाद प्रोफाइल, विशेष रूप से बड़े कैलिबर की हथियार प्रणाली में लीड टाइम लंबा होता है। अंतिम उत्पाद की फाइनल स्वीकृति के बाद ही प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा अंतर-इकाई हस्तांतरण स्वीकार किया जाता है। कभी-कभी, इस प्रक्रिया में कुछ महीने से लेकर एक वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है। जैसे ही प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा सामग्री स्वीकार की जाएगी, वैसे ही उसका लेखांकन प्राप्तकर्ता इकाई की लेखा-पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा।

अनुलग्नक- 5

फॉर्म संख्या एमआर-3

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में,

सेवा में

सदस्यगण,

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड

कानपुर

मैंने एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (CIN: U29270UP2021GOI150734) **(जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा)** द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरह से किया गया था कि मुझे कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ ।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के मेरे सत्यापन और सचिवीय ऑडिट किए जाने के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, मैंने नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक और तौर-तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

मैंने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्तों, बहियों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमय (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियमय (सरकारी कंपनी पर लागू नहीं);

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तकय (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित विनियम एवं दिशानिर्देश लागू नहीं होते, क्योंकि कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है।

(vi) अन्य लागू कानून:

(ए) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952;

(बी) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948;

(सी) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;

(डी) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965;

(ई) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972;

(एफ) पर्यावरण कानून जैसे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;

(जी) कारखाना अधिनियम, 1948;

(एच) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशा-निर्देश, 2010;

(आई) आयकर अधिनियम, 1961;

(जे) माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2016

मैंने निम्नलिखित के लागू धाराओं के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

(ii) सूचीबद्धता समझौता/सूचीबद्धता विनियमन, (कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन, अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किया है;

(i) यह टिप्पणी पिछले वर्ष की रिपोर्ट में पहले ही की जा चुकी है, कंपनी की अचल संपत्तियों का कंपनी के नाम पर अभी तक नामांतरण नहीं हुआ है;

(ii) कंपनी कंपनी समय पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करने में किल रही है और इसलिए देरी से नियुक्ति के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर कोई लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी नहीं की गई;

(iii) कंपनी पूर्णत: सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। भारत सरकार ने इक्विटी के बदले पूंजीगत व्यय के रूप में धनराशि प्रदान की है। यह राशि बोर्ड द्वारा प्रस्ताव से पहले ही प्राप्त कर ली गई है और इस प्रकार यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 का अनुपालन नहीं है।

(iv) शुक्रवार, 23 फरवरी, 2024 और बुधवार, 26 जून, 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक के बीच का अंतराल 120 दिनों से अधिक है, जिससे धारा 173 का अनुपालन नहीं हो पाया;

(v) लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी की इकाई, आयुध निर्माणी कानपुर में कनिष्ठ कार्यशाला प्रबंधक, श्री कुमार विकास को आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा 19.03.2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 48 और शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 5 के अंतर्गत अन्य देशों को सूचना प्रकट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वे दिनांक 20.03.2025 से निरंतर निलंबन पर हैं;

(vi) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, गैर-कार्यात्मक निदेशक कुल बोर्ड क्षमता के 50% से कम थे, जैसा कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.2 में अपेक्षित है;

(vii) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, जैसा कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.4 में अपेक्षित है;

(viii) कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 4 और 5 में अपेक्षित लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है;

इसके बावजूद, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, डी (समन्वय/डीडीपी) ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 8 (25)/2022-डी (समन्वय/डीडीपी) दिनांक 22.08.2023 के अनुसार डीपीई ने कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों से छूट प्रदान किया है।

श्रम कानूनों और अन्य सामान्य कानूनों के अनुपालन के लिए मेरी जांच और रिपोर्टिंग, कंपनी के अधिकारियों और प्रबंधन द्वारा मुझे प्रस्तुत और दिखाए गए दस्तावेजों, रिकॉर्ड और फाइलों तथा मुझे प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण पर आधारित है और कंपनी पर विभिन्न अधिनियमों की प्रयोज्यता के बारे में मेरे सर्वोत्तम निर्णय और समझ के अनुसार, मेरी राय में कंपनी के लिए लागू सामान्य कानूनों और श्रम कानूनों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

मैं आगे यह भी सूचित करता/करती हूँ कि

उपर्युक्त को छोड़कर कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत रूप से गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए सभी निदेशकगण को समुचित सूचना दी जाती है, एजेंडा और उन पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, सिवाय उन बैठकों के, जो कम समय की नोटिस पर आयोजित की जाती हैं और उनके लिए कम समय के नोटिस की सहमति प्राप्त की जाती है। बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली मौजूद है।

निर्णय सर्वसम्मति से लिए गये तथा उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया गया।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता/करती हूँ कि

कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

कृते जानवी मोर्दानी

दिनांक: 29.08.2025
स्थान: कानपुर

जानवी मोर्दानी
प्रोप्राइटर
सीपी संख्या 10094
कंपनी सचिव
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 5513/2024
UDIN:A028157G001107697

अनुलग्नक- 6

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का जवाब

क्रम	सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
1.	यह अवलोकन पिछले वर्ष की रिपोर्ट में पहले ही दिया जा चुका था; कंपनी की अचल संपत्तियों का कंपनी के नाम पर अभी तक म्यूटेशन नहीं हुआ है;	सभी इकाइयों में ओएफबी से एडब्ल्यूईआईएल को भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हालाँकि, अभी दाखिल-खारिज की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है।
2.	कंपनी समय पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करने में किल रही है और इसलिए देरी से नियुक्ति के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर कोई लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी नहीं की गई;	लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया और प्रयास किए गए, लेकिन नियत तिथि तक इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। हालाँकि, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर दी गई है।
3.	कंपनी पूर्णत: सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। भारत सरकार ने इक्विटी के बदले पूंजीगत व्यय के रूप में धनराशि प्रदान की है। यह राशि बोर्ड द्वारा प्रस्ताव से पहले ही प्राप्त कर ली गई है और इस प्रकार यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 का अनुपालन नहीं है।	पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के धनराशि हस्तांतरित की जाती है तथा अनुदेश के अनुसार, कंपनी को प्राप्त धनराशि के विरुद्ध इक्विटी शेयर जारी करने होते हैं।
4.	शुक्रवार, 23 फरवरी, 2024 और बुधवार, 26 जून, 2024 को आयोजित बोर्ड बैठक के बीच का अंतराल 120 दिनों से अधिक है, जिससे धारा 173 का अनुपालन नहीं हो पाया;	बोर्ड की बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित तिथि के भीतर आयोजित की जानी थी। हालांकि, बोर्ड के सदस्यों की अन्य आधिकारिक प्रतिबद्धताओं के कारण बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।
5.	लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी की एक इकाई, आयुध निर्माणी कानपुर में संयुक्त जल प्रबंधन प्रबंधक, श्री कुमार विकास को आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा 19.03.2025 को भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 48 और शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 5 के अंतर्गत अन्य देशों को सूचना प्रकट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वे 20.03.2025 से निरंतर निलंबन पर हैं;	ओएफसी ने सूचित किया है कि श्री कुमार विकास, संयुक्त उद्यम प्रबंधक/ओएफसी को एटीएस द्वारा 19.03.2025 को गिरफ्तार किया गया था। एटीएस ने बताया है कि गिरफ्तारी बीएनएस 2023 की धारा 48 और शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3,4,5 के तहत की गई थी। फैक्ट्री के पास इससे अधिक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री कुमार विकास, संयुक्त उद्यम प्रबंधक/ओएफसी को 20.03.2025 से निरंतर निलंबन पर रखा गया है।
6.	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, गैर-कार्यात्मक निदेशक कुल बोर्ड क्षमता के 50% से कम थे जैसा कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.2 में अपेक्षित है;	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, गैर-कार्यात्मक निदेशक कुल बोर्ड क्षमता के 50% से कम थे जैसा कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.2 में अपेक्षित है;
7.	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं जैसा कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.4 में अपेक्षित है;	कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। प्रबंधन ने कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है, जो विचाराधीन है।
8.	कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 4 और 5 में अपेक्षित लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है;	बोर्ड में गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों की कमी के कारण, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया जा सका। हालाँकि, प्रबंधन ने कंपनी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है, जो विचाराधीन है।

अनुलग्नक– 7

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(आयुध निर्माणियां) कोलकाता
'आयुध भवन' 10/ए, शहीद खुदीराम बोस रोड
(पूर्वी खंड, 8वां तल), कोलकाता – 700 001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF
AUDIT (ORDNANCE FACTORIES) KOLKATA
'AYUDH BHAWAN'
10/A, SHAHEED KHUDIRAM BOSE ROAD
(EAST WING, 8th FLOOR) KOLKATA - 700 001

No 104/T-459/AWEIL/Accounts/2025-26 दिनांक/DATE 29.09.25

Confidential/Speed Post

To,
The Chairman & Managing Director
Advanced Weapons and Equipment India Limited,
Kanpur

Subject: Revised Certificate of Comment under Section 143 (6) (b) of the Companies Act 2013 on the Standalone Financial Statements and Consolidated Financial Statements of M/s Advanced Weapons and Equipment India Limited, Kanpur for the year ended 31 March 2025

Sir

I am to forward herewith the revised certificate of Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (6) (b) of the Companies Act 2013 on the Standalone Financial Statements and Consolidated Financial Statements of M/s Advanced Weapons and Equipment India Limited, Kanpur for the year ended 31 March 2025.

Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Encl :- As stated.

Yours faithfully,

Sudha Rajan

(Sudha Rajan)
Principal Director of Audit
(Ordnance Factories)
Kolkata

Phone : +91-22-2248-1134 Fax : +91-33-2248-3291 E-Mail : pdaof@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF ADVANCED WEAPONS AND EQUIPMENT INDIA LIMITED, KANPUR FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of Standalone Financial Statements of Advanced Weapons and Equipment India Limited, Kanpur for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on these Financial Statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed under Section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 05 August 2025

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a Supplementary Audit under Section 143 (6) (a) of the Act of the Standalone Financial Statements of M/s Advanced Weapons and Equipment India Limited, Kanpur for the year ended 31 March 2025. This Supplementary Audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors Report.

For and on behalf of
The Comptroller and Auditor General of India

Sudha Rajan

(Sudha Rajan)
Principal Director of Audit
(Ordnance Factories)
Kolkata

Place: Kolkata
Date: 29 September 2025

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF ADVANCED WEAPONS AND EQUIPMENT INDIA LIMITED, KANPUR FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of Consolidated Financial Statements of Advanced Weapons and Equipment India Limited, Kanpur for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) read with Section 129 (4) of the Act is responsible for expressing opinion on these Financial Statements under Section 143 read with Section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed under Section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 05 August 2025

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a Supplementary Audit under Section 143 (6) (a) read with Section 129 (4) of the Act of the Consolidated Financial Statements of M/s Advanced Weapons and Equipment India Limited, Kanpur for the year ended 31 March 2025. We conducted the Supplementary Audit of the Financial Statements of Advanced Weapons and Equipment India Limited, Kanpur but did not conduct the Supplementary Audit of the Financial Statements of one Joint Venture viz., Indo Russian Rifles Private Limited for the year ended 31 March 2025. Further, Section 135 (5) and Section 143 (6) (a) of the Act are not applicable to the joint venture company being private entity, for appointment of their Statutory Auditors and for conduct of Supplementary Audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the Supplementary Audit of the Company. This Supplementary Audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' Report.

For and on behalf of
The Comptroller and Auditor General of India

Sudha Rajan

(Sudha Rajan)
Principal Director of Audit
(Ordnance Factories)
Kolkata

Place: Kolkata
Date: 29 September 2025

अनुलग्नक- 8

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी का सिद्धांत

आपकी कंपनी भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश-2010 (जिसे आगे 'डीपीई दिशानिर्देश' कहा जाएगा) का अनुपालन करती है।

आपकी कंपनी ने हमेशा अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस संहिता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शायी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नैतिक रूप से प्रेरित व्यावसायिक प्रथाओं के माध्यम से नियामकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और समग्र समाज सहित हमारे हितधारकों के लिए दीर्घकालिक स्थायी मूल्य का सृजन और संवर्धन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रभावी प्रक्रिया ऐसा सशक्त नींव रखती है, जिस पर व्यावसायिक उद्यम की सफलता टिकी होती है। सशक्त नेतृत्व और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रभावी प्रक्रिया कंपनी के गवर्नेंस का सिद्धांत रही है। हमारी कॉर्पोरेट संरचना, व्यवसाय और प्रकटीकरण प्रक्रिया हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांत के अनुरूप है।

कंपनी का प्रबंधन कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के हाथों में सौंपा जाता है और इसका नेतृत्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं, जो बोर्ड के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करते हैं। बोर्ड रणनीति की समीक्षा और अनुमोदन करता है तथा प्रबंधन के कार्यों और परिणामों की निगरानी करता है।

निदेशक मंडल

कंपनी रक्षा मंत्रलय के रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के बोर्ड की संरचना, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के संगत अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशक मंडल की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।

31 मार्च, 2025 तक कंपनी के निदेशक मंडल में दो कार्यात्मक निदेशक और एक सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल थे। 31 मार्च 2025 तक निदेशक मंडल इस प्रकार था:

श्री अखिलेश कुमार मौर्य - निदेशक (संचालन) एवं सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार

श्री जय गोपाल महाजन - निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी और निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार

अंशकालिक अधिकारी (सरकारी) निदेशक:

डॉ. गरिमा भगत, संयुक्त सचिव (एलएस), रक्षा मंत्रालय।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी/एमडी सहित) की संख्या बोर्ड की वास्तविक क्षमता के 50% से अधिक न होनी चाहिए और बोर्ड में 2 अंशकालिक गैर-सरकारी (सवतंत्र) निदेशक होने चाहिए। कंपनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रलय (रक्षा मंत्रालय) को एक गैर-सरकारी (सवतंत्र निदेशक) की नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है, जोकि विचाराधीन है।

वर्ष के दौरान निदेशकों में परिवर्तन

कंपनी के बोर्ड/प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

(i) वर्ष के दौरान, आयुध निदेशालय (सी एंड एस), कोलकाता में कार्यभार ग्रहण करने के लिए श्री राजेश चौधरी को दिनांक 15.12.2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से कार्यमुक्त किया गया।

रक्षा मंत्रलय, भारत सरकार ने दिनांक 16.12.2024 से 15.03.2025 तक श्री अखिलेश कुमार मौर्य, निदेशक (संचालन) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।

(ii) डॉ. गरिमा भगत को श्री शंभु नाथ जसरा के स्थान पर दिनांक 10.12.2024 से सरकार की ओर से नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

(iii) श्री शंभु नाथ जसरा को श्री जयंत कुमार के स्थान पर दिनांक 10.10.2024 से सरकार की ओर से नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

(iv) श्री सुशील सिन्हा, निदेशक (वित्त) अपनी सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 30.06.2024 से निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए।

(v) श्री जय गोपाल महाजन को दिनांक 30.10.2024 से निदेशक (वित्त) सह मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया गया।

(vi) श्री बिस्वजीत प्रधान, निदेशक (एचआर) को उनकी सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 30.11.2024 से निदेशक पद से कार्यमुक्त किया गया ।

(vii) श्री जय गोपाल महाजन, निदेशक (वित्त) दिनांक 01.12.2024 से आज तक निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

निदेशक-शेयरधारिता

31 मार्च, 2025 तक कंपनी के किसी भी निदेशक के पास कंपनी का कोई शेयर नहीं है।

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक मंडल कंपनी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा तथा अन्य कार्य हेतु नियमित अंतराल पर बैठकें करता है ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निदेशक मंडल की सात (7) बार, दिनांक 26.06.2024, 11.09.2024, 23.10.2024, 14.11.2024, 26.11.2024, 09.01.2025 और 12.03.2025 को बैठकें हुईं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

उपस्थिति विवरण				
क्रम	निदेशकों के नाम	निदेशकों के कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठक में भाग लेने वालों की संख्या	03.12.2024 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
1.	श्री राजेश चौधरी डीआईएन- 09282229	5	5	हाँ
	डॉ. गरिमा भगत डीआईएन- 10881164	2	2	लागू नहीं
2.	श्री जयंत कुमार डीआईएन- 07179274	2	1	लागू नहीं
3.	श्री शंभु नाथ जसरा डीआईएन- 10829392	3	3	हाँ
4.	श्री अखिलेश कुमार मौर्य डीआईएन- 09282230	7	7	हाँ
5.	श्री जय गोपाल महाजन डीआईएन- 10824241	4	4	हाँ
6.	श्री विश्वजीत प्रधान डीआईएन- 10045105	5	5	लागू नहीं
7.	श्री सुशील सिन्हा डीआईएन- 10059967	1	1	लागू नहीं

निदेशक मंडल की समितियाँ

बोर्ड में कोई गैर-आधिकारिक (सवतंत्र) निदेशक न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई समिति गठित नहीं की जा सकी। हालाँकि, प्रबंधन ने कंपनी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक (सवतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है, जोकि विचाराधीन है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर समिति)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) उन कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन की आवश्यकता से छूट प्रदान करती है, जिनका अनिवार्य सीएसआर व्यय पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है। ऐसे मामलों में धारा 135 में निर्दिष्ट सीएसआर समिति के कार्य निदेशक मंडल द्वारा किए जाने हैं। चूँकि, कंपनी का अनिवार्य सीएसआर व्यय 50 लाख रुपये से कम है, इसलिए सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं थी और सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन बोर्ड द्वारा किया गया।

आम बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांक 03.12.2024 को एक वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई।

निदेशकों का पारिश्रमिक

एडब्ल्यूईआईएल, पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के विलय से बने सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से एक है। डीपीई के दिशानिर्देशों के आधार पर कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। कंपनी अपने निदेशकों को कोई कमीशन नहीं देती है। अंशकालिक आधिकारिक (सरकारी) निदेशकों को बैठक के लिए कोई शुल्क या अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

व्यावसायिक आचरण संहिता और आचार नीति

एडब्ल्यूईआईएल के बोर्ड ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 'व्यावसायिक आचरण संहिता और आचार नीति' पर एक नीति अपनाई है।

सतर्कता तंत्र/अग्रचेतक (व्हिसल ब्लोअर)

एडब्ल्यूईआईएल में एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के साथ-साथ सतर्कता अधिकारियों और कर्मचारियों का एक समूह है। सीवीओ यह सुनिश्चित करते हैं कि एडब्ल्यूईआईएल की सभी इकाइयों और मुख्यालयों द्वारा पिडपी अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है ।

जोखिम प्रबंधन नीति

डीपीई द्वारा जारी (मई 2010) सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों में यह सिफारिश की गई है कि सीपीएसई यह सुनिश्चित करें कि जोखिम प्रबंधन को निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में न लेते हुए सामान्य व्यावसायिक कार्यप्रणाली के रूप में लिया जाए। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

शेयरधारिता पैटर्न

संयुक्त सचिव (एलएस), रक्षा मंत्रलय (रक्षा उत्पादन विभाग), भारत सरकार के माध्यम से कंपनी के शेयरों का पूर्ण स्वामित्व भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पास है ।

प्रकटीकरण

इस अवधि में किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देश के क्रम में किसी मामले पर सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर न तो कोई जुर्माना लगाया गया और न ही आलोचना की गई।

कंपनी ने किसी भी निदेशक के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है, जिससे कंपनी के समग्र हितों के साथ संभावित टकराव हो। निदेशकों का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अलावा, बोर्ड के सदस्यों का कंपनी के साथ कोई ऐसा भौतिक या आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है, जिससे बोर्ड के अनुसार निदेशकों की निर्णय की स्वतंत्रता प्रभावित हो।

कंपनी की आचार संहिता के साथ प्रबंधन कार्मिक

डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई 2010 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अंतर्गत एतदद्वारा द्वारा यह घोषित किया जाता है कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है ।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड

आयुध निर्माणी कानपुर, कालपी रोड कानपुर

उ.प्र. 208009, भारत

महोदय,

मैंने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन दिशा-निर्देश, 2010 में यथा-निर्धारित प्रक्रिया से एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच प्रक्रिया की समीक्षा और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी, जैसा कि कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय की अभिव्यक्ति है।

मेरी राय में और मेरी जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार, मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि कंपनी ने कॉर्पोरेट प्रशासन पर उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है:

1- लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, गैर-कार्यात्मक निदेशक कुल बोर्ड क्षमता के 50% से कम थे, जैसा कि डीपीई दिशा-निर्देश, 2010 के खंड 3.1.2 में अपेक्षित है;

2- लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, जैसा कि डीपीई दिशा-निर्देश, 2010 के खंड 3.1.4 में अपेक्षित है;

3- कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है, जैसा कि डीपीई दिशा-निर्देश, 2010 के खंड 4 और 5 में अपेक्षित है;

बावजूद इसके कि कंपनी संगत अनुच्छेदों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत के महामहित राष्ट्रपति में निहित है।

मैं आगे यह भी कहना चाहता/चाहती हूँ कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावोत्पादकता के बारे में है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी का संचालन किया है।

कृते जानवी मोर्दानी
कंपनी सचिव

दिनांक: 21.08.2025
स्थान: कानपुर

हस्ताक्षरित
सीपी सं. 10094
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 5513/2024
यूडीआईएन: A028157G001055590

अनुलग्नक- 9

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग परिदृश्य और विकास कार्य

"इंडियन इकॉनामी: ए रिव्यू" की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी 6.8% से अधिक होने की उम्मीद है। भारत भविष्य में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), कम चालू खाता घाटा और सीमित मुद्रास्फीति के कारण वृहद आर्थिक स्थिरता ने इस वृद्धि को गति दी है। वैश्विक आर्थिक सुधार के कारण भारत की आर्थिक प्रगति बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे यह सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा।

इसके अतिरिक्त, भारत के आर्थिक विस्तार तथा बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के कारण रक्षा व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

रक्षा व्यय और बाजार के आकार में वृद्धि:

पिछले दशक के दौरान कई देशों के बढ़ते रक्षा बजट ने रक्षा उद्योग में महत्वपूर्ण खरीद और विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव एवं कई विकासशील देशों के स्थिर आर्थिक विकास पूर्वानुमानों को देखते हुए हथियार बाजार में तेजी बने रहने का अनुमान है। इस परिदृश्य में अधिक निवेश, नीतिगत सुधारों और रक्षा खर्च में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

भारत का रक्षा व्यय भारत

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रलय को ₹6.21 लाख करोड़ आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.7% अधिक है। इसमें सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और अवसंरचना विकास के लिए निर्धारित पूँजीगत परिव्यय, वित्तीय वर्ष 2023-24 के ₹1,62,600 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹1,72,000 करोड़ हो गया है, जो 5.8% की वृद्धि दर्शाता है।

दक्षता बढ़ाने और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार का लक्ष्य तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देना है। इसमें उनकी पूंजीगत मांगों को समेकित करना शामिल है, ताकि अंतर-सेवा प्राथमिकता के आधार पर फंड का आसानी से पुनर्वितरण हो सके, जिससे निर्णय लेने में तेजी आए और पूंजीगत बजट का अधिक प्रभावी उपयोग हो सके।

संगठन की संरचना

आपकी कंपनी भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो रक्षा मंत्रलय, रक्षा उत्पादन विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। आपकी कंपनी भारत की एक मात्र रक्षा कंपनी है, जो सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल के साथ-साथ निर्यात के लिए छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के गन और सिविल मार्केट के लिए अनुमन्य बोर के हथियारों का उत्पादन करती है।

व्यवसाय का भविष्य उत्साहजनक प्रतीत होता है। हमारे पास विविध प्रकार के उत्पाद हैं, जिनमें छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के हथियार, मोर्टार उपकरण और गोला-बारूद के हार्डवेयर के साथ - साथ शेल, फ्यूज, प्राइमर और स्टेबलाइजर असेंबली शामिल हैं। हमारा मानना है कि हम वैश्विक और घरेलू रक्षा इको सिस्टम में विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

कंपनी के पाँच प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्षेत्र हैं: लघु, मध्यम और बड़े कैलिबर के हथियार, मोर्टार उपकरण और गोला-बारूद के हार्डवेयर का विनिर्माण, जिसमें शेल, फ्यूज, प्राइमर और स्टेबलाइजर असेंबली शामिल हैं। एडब्ल्यूईआईएल भारत में हथियार निर्माण इको सिस्टम में अग्रणी है। आपकी कंपनी निर्यात ऑर्डर की संभावनाओं को तलाशने के अलावा अपने प्रमुख ग्राहकों, भारतीय सशस्त्र बलों से ऑर्डर प्राप्त करके विकास को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करती है। आपकी कंपनी ने भारतीय रक्षा प्रणाली में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों की आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाई है। आधुनिक अवसंरचना, अत्यधिक कुशल कार्मिकों और समर्पित इंजीनियरों के समूह ने सामूहिक रूप से निर्माणियों को उत्कृष्टता के केंद्र में परिवर्तित कर दिया है ।

उत्पादन और गैर-उत्पादन इकाइयाँ

कंपनी की 8 उत्पादन इकाइयां हैंय राइफल फैक्टरी ईशापुर, लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर, गन एंड शेल फैक्टरी काशीपुर, आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली, आयुध निर्माणी कानपुर, फील्ड गन फैक्टरी कानपुर, गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर, आयुध निर्माणी प्रोजेक्ट कोरवा और एक गैर-उत्पादन इकाई एकेडमी ऑफ वेपन्स टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ईशापुर।

स्वॉट विश्लेषण (SWOT-Strength, weakness, opportunities and Threats)

ताकत

एडब्ल्यूईआईएल भारत में हथियार विनिर्माण इको सिस्टम में अग्रणी है। इसके पास सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल, निर्यात और सिविल मार्केट की अनुमन्य बोर के हथियारों की आवश्यकताओं को पूरा करने की विशेषज्ञता और क्षमता है। एडब्ल्यूईआईएल के पास नए उत्पादों के संबंध में अपार व्यावसायिक क्षमताएँ हैं, जिनमें छोटे हथियार, मध्यम कैलिबर बड़े कैलिबर के गन और गोला-बारूद के हार्डवेयर शामिल हैं। आपकी कंपनी के पास इसकी स्थापना के समय से ही इनके विनिर्माण की एक समृद्ध विरासत रही है।

आपकी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की एक मात्र रक्षा निर्माण कंपनी है, जो छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के सभी प्रकार के हथियार बनाती है। आयुध निर्माणी कानपुर और फील्ड गन फैक्टरी कानपुर में बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण किया गया है। भारतीय सेना के लिए बड़े कैलिबर के हथियारों की आपूर्ति करने में एडब्ल्यूईआईएल का प्रमुख योगदान रहा है।

एडब्ल्यूईआईएल को छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के हथियारों, मोर्टार उपकरणों और गोला-बारूद हार्डवेयर, जिनमें शेल, फ्यूज, प्राइमर और स्टेबलाइजर असेंबली के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है। अपनी उत्कृष्ट अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ अपनी विशाल विशेषज्ञता के कारण कंपनी रक्षा मंत्रलय की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

आपकी कंपनी के पास उद्योग जगत की अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन टीम के साथ-साथ अनुभवी इंजीनियरों व ड्राफ्ट्समैन का एक बड़ा समूह है। उत्पादन शुरू होने के समय डिजाइन और उन्नत उपकरणों की उपलब्धता से विनिर्माण प्रक्रिया को गति प्राप्त होती है।

कमजोरियाँ

कंपनी के उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होने के कारण तकनीकी रूप से उन्नत और अत्यंत अत्याधुनिक उपकरण और खतरनाक सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें जोखिम शामिल होते हैं। इसमें उपकरणों का टूटना, खराब होना या घटिया परफॉर्मेंस, उपकरणों का गलत इन्स्टालेशन या संचालम तथा पर्यावरणीय और औद्योगिक खतरे शामिल हैं, जिनके परिणामस्वरूप क्षति और मुकदमेबाजी हो सकती है।

इसके अलावा, एडब्ल्यूईआईएल एक नया डीपीएसयू है, पूर्ववर्ती आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के बाद निम्नलिखित चुनौतियों/समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

(1) सरकारी व्यवस्था से वाणिज्यिक इकाई में परिवर्तन के कारण वर्कलोड में गिरावट - उच्च विस्फोटक और छोटे हथियारों के गोला-बारूद के विनिर्माण में लगी निर्माणियों में क्षमता से कम वर्कलोड होना।

(2) उपलब्ध और आवश्यक कौशल सेट के बीच अंतर।

(3) संचालन को लाभदायक बनाना।

(4) सीमित/प्रतिबंधित विक्रेता का आधार ।

(5) आयात/उत्पाद आधारित सामग्रियों की समय पर प्राप्ति ।

(6) वर्तमान में टीओटी आधारित निर्माता से स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों/प्रणालियों के निर्माता के रूप में उभरना।

(7) क्षमता से कम वर्कलोड के कारण उत्पादन की अधिक लागत ।

अवसर

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल), भारत सरकार का एक पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है, जिसे दिनांक 01.10.2021 को पूर्ववर्ती ओएफबी से अलग करके बनाया गया था। डीपीएसयू में रूपांतरण से इसे और अधिक स्वायत्तता और शक्तियाँ प्राप्त हुईं, जिसके परिणामस्वरूप:-

i) रक्षा क्षेत्र में बढ़त के लिए नवाचार।

ii) प्रौद्योगिकी आधारित समाधान।

iii) अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं।

iv) उक्त के कारण विकास के अंतर का कम होना।

अधिक स्वायत्तता और संचालन स्वतंत्रता के साथ एडब्ल्यूईआईएल अपने उत्पादों की समय पर डिलीवरी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

एडब्ल्यूईआईएल भारत में हथियार निर्माण इको सिस्टम में अग्रणी है, जिसके पास सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल, निर्यात और सिविल मार्केट की जरूरतों को पूरा करने की अनुमन्य बोर के हथियारों की विशेषज्ञता और क्षमता है। एडब्ल्यूईआईएल विभिन्न भारतीय दूतावासों में रक्षा अताशे के साथ बातचीत के माध्यम से निर्यात के अवसरों को भी तत्परता से तलाशने के साथ-साथ निजी रक्षा उद्योग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के अवसर ढूंढ रहा है।

एडब्ल्यूईआईएल अपनी सुविधाओं के निरंतर आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन के लाभ जानता है, ताकि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था बनाई जा सके और रक्षा सेनाओं को सर्वोत्तम उत्पाद/प्रणालियां प्रदान की जा सकें ।

खतरे

चूंकि एडब्ल्यूईआईएल एक नया डीपीएसयू है, इसलिए पूर्ववर्ती आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के बाद निम्नलिखित चुनौतियों/समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

1. सरकार की अनुकूल नीतियों के फलस्वरूप लघु शस्त्र/हथियारों के विनिर्माण के क्षेत्र में निजी उद्यमियों का उतरना और उनके द्वारा भारी निवेश किया जाना।
2. सीमित ग्राहकों जैसे सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस आदि पर निर्भरता।
3. वैश्विक युद्ध परिदृश्य/महामारी और मंदी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में बाधा।
4. क्षमता से कम वर्कलोड के कारण उत्पादन की अधिक लागत के फलस्वरूप लाभ मार्जिन का प्रभावित होना।

जोखिम और चिंताएँ

पहले पाँच वर्षों के लिए वित्तीय संसाधनों का एक यथोचित और ठोस आवंटन और उसके बाद की अवधि के लिए एक सांकेतिक आवंटन आवश्यक है। रक्षा बलों को एक ठोस दीर्घकालिक खरीद योजना तैयार करनी होगी। एडब्ल्यूईआईएल, हथियार निर्माता होने के कारण थलसेना, नौसेना, वायु सेना और गृह मंत्रालय की ओर से माँग के दीर्घकालिक अनुमान के अभाव से जूझ रहा है।

मध्यम कैलिबर हथियार बनाने वाली निर्माणियों की समस्याएँ समग्र रूप से अस्थिर रही हैं, जिसका मुख्य कारण सेना से ऑर्डर की कमी है, जिसकी भरपाई गृह मंत्रलय से ऑर्डर प्राप्त करके की जाती है। सेना और गृह मंत्रालय से दीर्घकालिक ऑर्डर का न मिलना संबंधित निर्माणियों की भावी योजना की राह में एक बड़ी बाधा है।

छोटे हथियारों के क्षेत्र में इंसास राइफल का सबसे बड़ा योगदान रहा है। सेना ने 2010 से इंसास राइफलों के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया है और एलएमजी, 9 एमएम पिस्तौल का लोड भी कम होता जा रहा है। साथ ही, गृह मंत्रालय के ऑर्डर भी कम हो रहे हैं। गृह मंत्रालय और सिविल ट्रेड से मिलने वाले ऑर्डर छोटे कैलिबर के लिए वर्कलोड के मुख्य घटक हैं। परिणामस्वरूप, भविष्य के लिए सटीक योजना बनाना एक चुनौती है। सेनाओं और गृह मंत्रालय, दोनों की ओर से जरूरतों का दीर्घकालिक अनुमान आवश्यक है।

व्यावसायिक जोखिम प्रबंधन

चूँकि, एडब्ल्यूईआईएल अभी अपनी स्थापना के चरण में है, इसलिए सभी व्यावसायिक जोखिमों का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि कंपनी अपने व्यावसायिक जोखिमों को कम कर सके और रक्षा निर्माण के क्षेत्र में एक बेहतर प्रबंधन प्रणाली विकसित कर सके। प्रतिस्पर्धात्मकता के क्षेत्र में एडब्ल्यूईआईएल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक साझेदारियों और सहयोग के अवसरों की तत्परता से तलाश कर रहा है। एडब्ल्यूईआईएल ने अग्रणी रक्षा एवं प्रौद्योगिकी कंपनियों और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

भविष्य की संभावनाएँ

एडब्ल्यूईआईएल विभिन्न भारतीय दूतावासों में रक्षा अताशे के साथ बातचीत के माध्यम से निर्यात के अवसरों की तत्परता से तलाश कर रहा है और रक्षा सेवाओं/केंद्रीय सशस्त्र बल/राज्य पुलिस बल को अत्याधुनिक रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए निजी रक्षा उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं की तलाश कर रहा है। एडब्ल्यूईआईएल निर्यात को बढ़ावा देने हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना और रक्षा सेनाओं को सर्वोत्तम उत्पाद/प्रणालियाँ प्रदान करने में सक्षम होने के लिए अपनी सुविधाओं के निरंतर आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन से होने वाले लाभ को जानता है ।

भविष्य के विकास का अनुमान

भावी कार्यक्रम और अनुसंधान एवं विकास तथा व्यवसाय विस्तार प्रयासों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए एडब्ल्यूईआईएल प्रतिवर्ष 10-12% वार्षिक वृद्धि की योजना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एडब्ल्यूईआईएल का टर्नओवर प्रतिवर्ष लगभग 3,600 करोड़ रुपये पार करने की उम्मीद है।

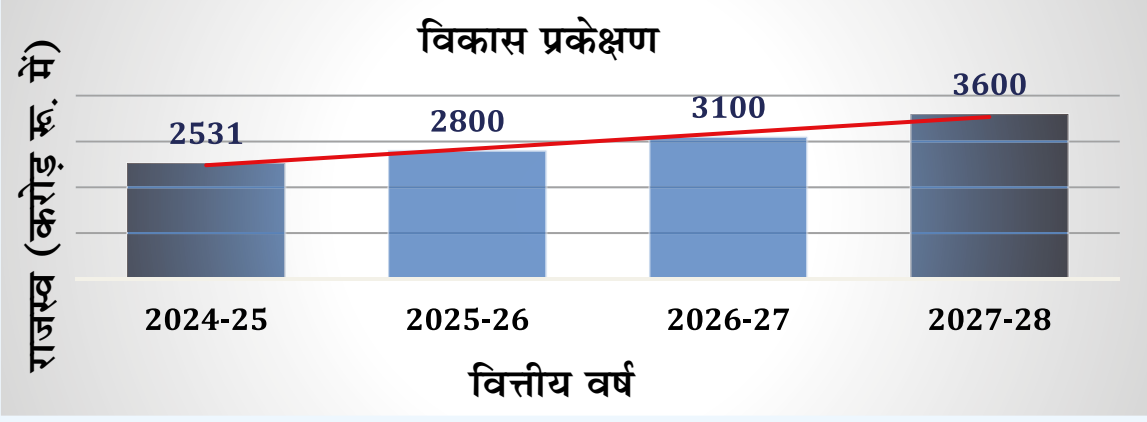

दूरगामी कथन

कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन परिणाम के इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं या पूर्वानुमानों का वर्णन करने वाले कथन लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में भविष्य-उन्मुखी हो सकते हैं। भविष्य-उन्मुखी कथन भविष्य की घटनाओं की कुछ मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। कंपनी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि ये मान्यताएँ और अपेक्षाएँ सटीक हैं या पूरी होंगी।

कंपनी किसी भी आगामी घटनाक्रम, सूचना या घटना के आधार पर भविष्य-उन्मुखी कथनों को सार्वजनिक रूप से संशोधित, सुधार या बदलाव करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम, विवरण में व्यक्त परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में सरकारी रणनीति, सरकारी नियमों में बदलाव, कर संबंधी कानून, देश के अंदर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर अन्य कारक शामिल हो सकते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-
उमेश सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 19.09.2025
स्थान: कानपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण

इंड एएस स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

विपरीत राय

हमने **एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड** (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरण के लिए नोट्स शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश भी है (जिसे इसमें "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रतिकूल राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामले (लों) के महत्व के कारण, संगत वित्तीय विवरण भारत में सामान्यत: स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरुप दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की कंपनी की स्थिति उस तिथि को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए लाभ, इक्विटी और अन्य व्यापक आय में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष राय नहीं दर्शाते हैं।

विपरीत राय का आधार:

निम्नलिखित पैराग्राफों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है:

1- 1 अक्टूबर 2021 तक परिसंपत्तियों और देनदारियों का आरंभिक शेष पीसीएफए (प्रधान लेखा नियंत्रक, आयुध निर्माणियाँ, कोलकाता) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार लिया गया था। इकाइयों ने अपने पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर असमानताओं के लिए कुछ समायोजन किए। इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों और देनदारियों में शुद्ध वृद्धि/कमी हुई, जिसका अन्य इक्विटी पर भी समान प्रभाव पड़ा और 889.54 करोड़ रुपये की शुद्ध कमी हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उपलब्ध जानकारी के आधार पर कुछ समायोजन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों/देनदारियों में 42.85 करोड़ रुपये (शुद्ध) और 5.92 करोड़ (शुद्ध) (वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार पुनर्कथन के बजाय लाभ-हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में परिवर्तन की तिथि पर आरंभिक देनदारियों के 178.03 करोड़ रुपये के बट्टे खाते में डालने के लेखांकन को छोड़कर) 1.50 करोड़ रुपये की कमी/वृद्धि हुई।

चालू वर्ष के दौरान, जीएसएफ कोलकाता के संबंध में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियों के संबंध में कुछ समायोजन किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक 8 "लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों" की अपेक्षाओँ के अनुसार विगत वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरण को पुनर्कथन के स्थान पर "अन्य इक्विटी" के अंतर्गत प्रतिधारित आय के आरंभिक शेष में समायोजन करके परिसंपत्ति में 26.22 करोड़ रुपये (शुद्ध संचित मूल्यह्रास) की कमी आई है।

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों तथा संपत्ति संयंत्र और उपकरण के संबंध में भिन्नता अभी भी कंपनी के रिकॉर्ड के साथ संतुलन और समाधान की लंबित पुष्टि, पीपीई और इन्वेंटरी के स्वतंत्र भौतिक सत्यापन के कारण समायोजित नहीं किए जा सके हैं, जो कि अवस्थांतरण की तिथि पर उनके अस्तित्व के लिए है और पीसीएफए से ली गई शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव वर्तमान में मात्रात्मक नहीं है।

2- कंपनी ने 1 अक्टूबर 2021 के बाद के कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण (एयर कंडीशनर सहित) और फर्नीचर एवं फिक्स्चर का लेखांकन उनके मूल्य पर किया। हालाँकि, पीसीएफए की बुक में 30 सितंबर 2021 तक विद्यमान उन्हीं परिसंपत्तियों का लेखा उनके वहन मूल्य के बजाय 1 रुपये पर किया गया। यह भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा 7 का उल्लंघन था, जिसके अनुसार उक्त परिसंपत्तियों का लेखांकन उनके 1 अक्टूबर 2021 के वहन मूल्य पर किया जाना आवश्यक है।

उक्त का अनुपालन न किए जाने के परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और प्रतिधारित आय को समान राशि से कम दर्शाया गया। इसका प्रभाव बाद के मूल्यह्रास पर भी पड़ता है और इसका प्रभाव उन परिसंपत्तियों पर उनके शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास लगाने हेतु लाभ-हानि विवरण पर भी पड़ता है। प्रबंधन द्वारा संबंधित आँकड़े उपलब्ध न कराए जाने के कारण उपर्युक्त प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका।

3- कंपनी के पास स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जैसी विभिन्न वस्तुओं की पहचान करने की उचित प्रणाली नहीं है, जिनका उपयोग एक से अधिक अवधि के दौरान होने की उम्मीद है। वर्ष के दौरान कुछ इकाइयों द्वारा प्रमुख कंपोनेन्ट के लिए इसका लेखा-जोखा रखा गया है। अत: पुर्जों, अतिरिक्त उपकरणों और सर्विसिंग उपकरणों का लेखा-जोखा भारतीय लेखा मानक 16 - "संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण" के पैरा 6 और 8 के अनुरूप नहीं है।

चालू वर्ष के वित्तीय विवरण में उपर्युक्त का प्रभाव मात्रत्मक नहीं है।

4- यह देखा गया है कि पीपीई आइटम कमीशनिंग की तिथि से उपयोग की स्थिति में होते हैं और मूल्यह्रास उसी तिथि से लिया जाना चाहिए। हालाँकि, कंपनी इमारतों का मूल्यह्रास बी-वाउचर की तिथि से ले रही है। यह भारतीय लेखा मानक 16 - "संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण" के पैरा 55 के अनुरूप नहीं है।

उक्त वर्ष के दौरान जारी पूँजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) से हस्तांतरण द्वारा वित्तीय विवरण में निम्नलिखित पूंजीकरण किया गया है।

निर्माणी	परियोजना का नाम	पूँजीकरण की तिथि	राशि (करोड़ रु. में)
ओएफसी	हीट ट्रीटमेंट प्लांट हेतु नए भवन का निर्माण	28-02-2021	रु.13.53
ओएफसी	एम.ए. अनुभाग के पीछे नए भवन का निर्माण	08-06-2016	रु.11.87
		कुल	**रु.25.40**

उपर्युक्त कार्य पिछले वर्षों में पूरे हो चुके थे और उपयोग के लिए तैयार थे, लेकिन पिछले वर्षों में इन्हें पूंजीकृत नहीं किया गया था। इस वर्ष के मूल्यह्रास में पिछले वर्षों का संबंधित मूल्यह्रास शामिल नहीं है और वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव वर्तमान में मात्रत्मक नहीं है।

5- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का भौतिक सत्यापन:

वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा इकाई स्तर पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (जिसे आगे "पीपीई" कहा जाएगा) का भौतिक सत्यापन किया गया। कंपनी की इकाई, गन एंड शेल फैक्ट्री, कोलकाता की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रु. 26.22 करोड़ (कुल संचित मूल्यह्रास) मूल्य के भवन एवं वाहन उपलब्ध नहीं हैं और इसे चालू वर्ष में अचल संपत्ति रजिस्टर से हटा दिया गया है।

विलोपन का उपर्युक्त समायोजन भारतीय लेखा मानक 8 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय पुस्तकों में नहीं किया गया है।

हमारी राय में, पीसीएफए के रिकॉर्ड के अनुसार पीपीई की मौजूदगी में कमी और पीसीएफए से ली गई शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर भौतिक सत्यापन का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। उपर्युक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि अवस्थांतर की तिथि पर इक्विटी जारी करने के उद्देश्य से गणना की गई शुद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य न तो उचित तौर पर भौतिक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों पर आधारित था और न ही उचित वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर, इसलिए, भारत सरकार को जारी की गई शेयर पूंजी भौतिक रूप से उपलब्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं थी।

जीएसएफ और अन्य इकाइयों में गैर-मौजूद परिसंपत्तियों की उपर्युक्त कमी का पीसीएफए से एडब्ल्यूईआईएल में परिवर्तन की तिथि पर शुद्ध परिसंपत्ति के उचित मूल्य वित्तीय विवरण पर प्रभाव वर्तमान में सभी इकाइयों द्वारा पीपीई के विस्तृत स्वतंत्र भौतिक सत्यापन और परिवर्तन की तिथि पर शुद्ध परिसंपत्तियों के सही उचित मूल्य पर पहुँचने के लिए स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों द्वारा आवश्यक परिणामी परिवर्धनधविलोपन और उचित समायोजन के अभाव में मात्रात्मक नहीं है।

6- **इन्वेंटरी का मूल्यांकन**

ए. जारी कार्य (WIP) के मूल्यांकन में निश्चित ओवरहेड का आवंटन:

इन्वेंटरी के मूल्यांकन में निश्चित ओवरहेड का आवंटन सामान्य क्षमता के बजाय वास्तविक उत्पादन के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी के पास विभिन्न निर्माणियों द्वारा विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन हेतु संयंत्रों की सामान्य उत्पादन क्षमता की पहचान करने हेतु उचित प्रणाली नहीं है।

यह भारतीय लेखा मानक 2 के पैरा 13 - "इन्वेंट्री" के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जिसके अनुसार निश्चित ओवरहेड का आवंटन उत्पादन सुविधाओं की सामान्य क्षमता के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

प्रत्येक निर्माणी द्वारा प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर निश्चित ओवरहेड का आवंटन किया गया है, इसलिए हम भारतीय लेखा मानक 2 के अनुपालन की पुष्टि नहीं कर सके। इस स्तर पर वांछित जानकारी के अभाव में हम भारतीय लेखा मानक 2 में दिए गए सिद्धांतों के गैर-अनुपालन के प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते।

बी. अंतर-इकाई इन्वेंटरी

हमने पाया कि वर्ष के दौरान किए गए अंतर-इकाई हस्तांतरण वास्तविक लागत के बजाय अनुमानित लागत पर आधारित थे। कंपनी ने अंतर-इकाई हस्तांतरण की लागत की गणना के लिए विचार की गई लागत का कोई आधार नहीं दिया है, इसलिए हम अंतर-इकाई हस्तांतरण की लागत की शुद्धता की पुष्टि नहीं कर सकते। उपर्युक्त के कारण वर्ष के अंत में हस्तांतरिती इकाई के पास पड़ी समापन इन्वेंटरी पर अप्राप्त लाभ या हानि को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक 2 "इन्वेंटरी" के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है।

विस्तृत कार्यप्रणाली और जानकारी की अनुपलब्धता के कारण चालू वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में उपर्युक्त के प्रभाव का निर्धारण नहीं है।

सी. जारी कार्य (WIP) में लंबे समय से पड़े स्टॉक

लेखा परीक्षा के दौरान हमने पाया कि इकाइयाँ जारी कार्य शीर्षक के अंतर्गत स्टॉक रख रही हैं, जिन्हें लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी वस्तुओं को जारी कार्य शीर्षक में रखने का कारण/औचित्य हमें स्पष्ट नहीं किया गया। हालाँकि, विस्तृत कार्य प्रणाली और औचित्य/सूचना की अनुपलब्धता के कारण चालू वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर उपर्युक्त के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

7- **"दुर्भर अनुबंधों" के लिए प्रावधान:**

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निगमीकरण-पूर्व काल से जुड़े मान्य अनुबंधों के संबंध में पूर्वव्यापी प्रभाव से दिनांक 1 अप्रैल 2022 तक 863.65 करोड़ रुपये के घाटे के लिए प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव से पुन: घोषित किया है, जिसे "दुर्भर" माना गया है, क्योंकि कंपनी के पास इन अनुबंधों से बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने वाले नोट संख्या 14 में संदर्भित है।

अनुबंध के अनुसार वर्तमान दायित्वों की गणना में कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक 37 के निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

ए) इन उत्पादों का निर्माण उन इकाइयों की सामान्य प्रक्रिया में किया जा रहा है, जिनमें अन्य उत्पाद भी निर्मित किए जा रहे हैं। इसलिए, कंपनी भारतीय लेखा मानक 37 के पैरा 69 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सकी, जिसके अनुसार "दुर्भर अनुबंध के लिए अलग प्रावधान स्थापित किए जाने से पहले इकाई उस अनुबंध के लिए समर्पित परिसंपत्तियों पर हुई किसी भी हानि को पहचानती है" (भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार)।

बी) उत्पाद की लागत की गणना में कंपनी प्रबंधन अनुमान के आधार पर निश्चित ओवरहेड्स आवंटित करने की प्रणाली का पालन करती है, जो कि भारतीय लेखा मानक 2 "इन्वेंटरी" के पैरा 13 में निहित प्रावधानों के अनुरुप नहीं है, जिसके अनुसार उत्पादन सुविधाओं की सामान्य क्षमता के आधार पर निश्चित ओवरहेड आवंटित किए जाने आवश्यक हैं।

सी) भारतीय लेखा मानक 37 के पैरा 45 के अनुसार, जहाँ धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगी। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 37 के पैरा 45 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

डी) कंपनी ने घाटे की गणना के लिए विचाराधीन लागत का निर्धारण करने हेतु कोई आधार प्रदान नहीं किया है; इसलिए हम घाटे के उन आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते, जिनके आधार पर वित्तीय विवरण में घाटे के लिए प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से दर्ज किए गए हैं।

हमारी राय में कंपनी के लिए दुर्भर अनुबंध और प्रावधान के निर्धारण के लिए उत्पादन लागत/क्रय मूल्य में से न्यूनतम का उपयोग करना आवश्यक है।

ई) भारतीय लेखा मानक 37 के मान्यता सिद्धांत के अनुसार "किसी प्रावधान को मान्यता तब दी जाएगी जब":

- किसी इकाई के पास वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो जो किसी पिछली घटना का परिणाम होय
- यह संभावना हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; और
- **दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।**

भारतीय लेखा मानक 37 के पैरा 69 (जैसा कि बिंदु संख्या (ए) में बताया गया है), भारतीय लेखा मानक 2 के पैरा 13 (जैसा कि बिंदु संख्या (बी) में बताया गया है), भारतीय लेखा मानक 37 के पैरा 45 (जैसा कि बिंदु संख्या (सी) में बताया गया है) और कंपनी द्वारा हानि की गणना के आधार पर उत्पाद की सही लागत को सत्यापित करने हेतु डेटा की अनुपलब्धता (जैसा कि बिंदु संख्या (डी) में बताया गया है), उनके उपर्युक्त गैर-अनुपालन के प्रभाव को ऊपर बताए गए कारणों से परिमाणित नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा उपर्युक्त बिंदु (ई) में यथा वर्णित यदि विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो प्रावधान को मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसलिए, कंपनी ने उपर्युक्त वर्णित भारतीय लेखा मानक के विभिन्न प्रावधानों की अनदेखी करते हुए दुर्भर अनुबंध के लिए प्रावधान किए हैं।

8- उत्पादों की बिक्री पर मान्य राजस्व:

कंपनी के परिचालन से प्राप्त राजस्व में उत्पादों की बिक्री से प्राप्त 72.71 करोड़ रुपये शामिल हैं, जहाँ अनुबंध से जुड़ी शर्त यह निर्दिष्ट करती है कि "विक्रेता द्वारा माल की डिलीवरी के बाद, अर्थात् सीआईएफ के आधार पर स्वामित्व और जोखिम विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाएँगे"। उपर्युक्त माल बैलेंस शीट की तिथि तक डिलीवर नहीं किया गया था। इस कारण, कंपनी के परिचालन से प्राप्त राजस्व को उपर्युक्त राशि से अधिक दर्शाया गया है। **उपर्युक्त निर्धारण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 115, "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।** इसके अलावा, कंपनी ने बेचे गए माल की लागत निकालने के संबंध में कोई गणना या जानकारी प्रदान नहीं की है। इसलिए, हम उपर्युक्त राजस्व निर्धारण के कारण लाभ और हानि विवरण में लाभ या हानि के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

कंपनी ने उपर्युक्त मान्यता प्राप्त राजस्व पर क्रमश: 9.24 करोड़ रुपये और 4.38 करोड़ रुपये के कमीशन व्यय और परिवहन व्यय दर्ज किए हैं। इसी कारण कंपनी के उक्त वर्ष के व्यय में 13.62 करोड़ रुपये अधिक दर्शाए गए हैं।

9- आयकर अधिनियम और आस्थगित कर के अनुसार मूल्यह्रास:

कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के आधार पर पूर्व में लेखाकृत "सरकारी अनुदान" को पुन: दर्शाया है और उसे पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया है। कंपनी ने उपर्युक्त त्रुटि, अर्थात पिछले वित्तीय वर्षों में "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कर आधार" में वृद्धि के कारण कोई समायोजन नहीं किया है, जिससो आस्थगित कर की गणना प्रभावित हो सकती है।

कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कर आधार" में वृद्धि की है। "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कर आधार" में परिवर्तन के कारण इस समायोजन के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों की आस्थगित कर देनदारियों में परिवर्तन हुआ है और पिछले वर्ष के अनवशोषित मूल्यह्रास के दावे के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ तैयार हुई हैं। 348.08 करोड़ रुपये के लिए उपर्युक्त का शुद्ध प्रभाव इंड एएस 8 "लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों" की आवश्यकताओं के अनुसार पिछले वित्तीय वर्षों की पुनर्संरचना के बजाय "अन्य इक्विटी" के अंतर्गत प्रतिधारित कमाई के शुरुआती शेष में किए गए समायोजन के माध्यम से किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अपने आयकर रिटर्न में संशोधन के लिए आवेदन किया है, जो कि समय-सीमा के कारण वर्जित हैं। यदि आईटीआर में संशोधन की अनुमति दी जाती है और उनमें संशोधन किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप 502.56 करोड़ रुपये का अनवशोषित मूल्यह्रास अग्रेनीत किया जाएगा और इसके कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियों में 126. 48 करोड़ रुपये की वृद्धि भी होगी। हालाँकि, आज की तिथि तक निर्धारण वर्ष 2022-23 के संबंध में दायर आवेदन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी ने विवेकपूर्ण तरीके से 126.48 करोड़ रुपये की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी है।

10. व्यापारिक प्राप्य शेषों की पुष्टि:

प्रबंधन के पास आवधिक आधार पर व्यापारिक प्राप्य शेषों के समाधान हेतु कोई उचित प्रणाली नहीं है। ये शेष संबंधित पक्षों द्वारा पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अलावा, लेखा प्रणाली, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम सहित व्यापारिक प्राप्य शेष की चालान-वार (इनवाइस-वाइज) सूची प्रदान नहीं करती है, जो सामान्य खाता-बही शेष से विधिवत मेल खाती हो। व्यापारिक प्राप्य से प्राप्तियों/बकाया राशि के बिल-वार अभिलेखन और शेष राशि की पुष्टि के अभाव में वित्तीय विवरण के नोट संख्या 8(बी) में उल्लिखित आयु विश्लेषण से संबंधित उचित आधार सत्यापित नहीं किया जा सकता है। यह भी देखा गया कि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 109 "वित्तीय उपकरण" के अनुसार व्यापारिक प्राप्य पर कोई अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) प्रावधान निर्धारित या निर्मित नहीं किया है। ऐसी शेष राशि की पुष्टि, समाधान, समय-वार विश्लेषण के आधार और ईसीएल के लिए प्रावधान की गणना न होने तक वित्तीय विवरण पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन समस्त शेष राशि की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

11. व्यापार देय शेष राशि की पुष्टि:

प्रबंधन के पास आवधिक आधार पर व्यापार देय शेष राशि के समाधान के लिए कोई उचित प्रणाली नहीं है। समस्त शेष राशि संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि और समाधान के अधीन है। इसके अलावा, लेखा प्रणाली आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिम सहित व्यापार देय शेष राशि की चालान-वार सूची प्रदान नहीं करती है जो सामान्य खाता-बही शेष राशि से मेल खाती हो। व्यापार देय राशि के भुगतान/बकाया राशि के बिल-वार रिकॉर्ड और शेष राशि की पुष्टि के अभाव में वित्तीय विवरण के नोट संख्या 13(ए) में बताए गए लेनदारों की समय-वृद्धि के उचित आधार को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। ऐसी पुष्टि, समाधान और समय-वार विश्लेषण के आधार तक, वित्तीय विवरण पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन शेष राशि की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

12. वारंटी के प्रावधान को प्रत्यावर्तन:

कंपनी ने निष्पादन गारंटी और बेचे गए माल के प्रतिस्थापन/मरम्मत के कारण वारंटी प्रावधानों को मान्यता दी थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्षों में किए गए 10.38 करोड़ रुपये के प्रावधानों को प्रत्यावर्तित किया है। कंपनी ने हमें प्रावधानों के उपर्युक्त प्रत्यावर्तन के लिए कोई आधार नहीं बताया है। इसलिए, हम खातों में इस तरह के प्रत्यावर्तन की शुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

उपर्युक्त कारणों से कंपनी के निर्धारित वर्ष के लाभ को 8.38 करोड़ रुपये (शुद्ध) से अधिक दर्शाया गया है।

13- नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि से धनराशि का उपयोग:

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कंपनी को पिछले वर्ष भारत सरकार, रक्षा मंत्रलय, डीडीपी से 37.75 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी। वर्ष के दौरान यह पाया गया कि कंपनी ने निधि के अंतर्गत उपलब्ध राशि में से 9.40 करोड़ रुपये डेबिट करके उसका उपयोग किया है। उपर्युक्त निधि सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जारी की गई थी, जिससे पुराने और खराब हो चुके संयंत्र एवं मशीनरी को इस निधि से खरीदकर उन्हें प्रतिस्थापित किया जा सके। हालाँकि, कंपनी ने इस निधि का उपयोग संयंत्र एवं मशीनरी की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए किया है।

उपर्युक्त कारणों से कंपनी के संगत वर्ष के लाभ को 9.40 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया है।

14- विक्रय एवं क्रय मूल्य का प्रत्यावर्तन:

दिनांक 22/12/2023 और 23/12/2023 को सभी डीपीएसयू के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की बैठक में लाभ तत्व को पूर्व के 7.5% से घटाकर 6% करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, कंपनी को उन सभी डीपीएसयू को आनुपातिक क्रेडिट नोट जारी करने की आवश्यकता थी, जिनसे उसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7.5% का लाभ तत्व लिया था। **कंपनी के पास मौजूद डेटा के अभाव में ऊपर उल्लिखित निर्णय के गैर-अनुपालन के प्रभाव को बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सकता है।**

15- अनुसूची III का अनुपालन न करना:

जिन परियोजनाओं का पूरा होना बाकी है, उन्हें पूरा होने का अपेक्षित समय दिखाते हुए वित्तीय विवरण में खुलासा करना आवश्यक है। वित्तीय विवरण में इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है।

16- भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का अनुपालन न किया जाना:

i) कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 16 की निम्नलिखित अपेक्षाओं का प्रकटीकरण नहीं किया है।

ए) पैरा 79 (ए) "अस्थायी रूप से निष्क्रिय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि।

बी) वर्तमान में उपयोग में आने वाले किसी भी पूर्णत: मूल्यह्रासित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सकल वहन राशि।

ii) परिसंपत्तियों की हानि: भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार कंपनी द्वारा हानि परीक्षण नहीं किया गया है। लाभ और हानि के विवरण में इसके प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

iii) भारतीय लेखा मानक 8 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण का पुनर्कथन, जैसा कि "प्रतिकूल राय का आधार" बिंदु में बताया गया है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी से स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी "प्रतिकूल राय" के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट (लेकिन उसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है) (जिसे आगे "अन्य जानकारी" कहा जाएगा)। अन्य रिपोर्टें हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के उपरांत उपलब्ध होने की उम्मीद है। ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन या निष्कर्ष नहीं देते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण से भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम 'अन्य जानकारी' पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके किसी विवरण में बड़ी चूक है, तो हमें इस मामले को संबंधित अधिकारियों को सूचित करना होगा और आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करनी होगी।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 में

वर्णित मामलों के संबंध में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष राय देने के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की प्रभावी ढंग से सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित किया जाना शामिल है।

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को तैयार करने के संबंध में प्रबंधन, कंपनी के किसी गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, गोइंग कंसर्न संबंधी मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के गोइंग कंसर्न के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखे, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र वित्तीय विवरण में कोई धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण विवरण में महत्वपूर्ण गलती तो नहीं है, साथ ही लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करने में हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार की गई लेखा परीक्षा से किसी विवरण में बड़ी गलती का हमेशा पता लगाया जा सके। गलत विवरण धोखाधड़ी के कारण या त्रुटिपूर्ण ढंग से हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरण के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से संभावना हो।

लेखा परीक्षा मानक (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान चीजों को संदिग्ध रुप से देखते हैं। इसके साथ ही हम:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में किसी बड़ी गलती के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों। हम उन जोखिमों से संबंधित उत्तरदायी लेखा परीक्षा की प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और ऐसी लेखा परीक्षा साक्ष्य एकत्र करते हैं, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी बड़ी गलती का पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत विवरण या आंतरिक नियंत्रण आदि उल्लंघन शामिल हो सकते हैं।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझे ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण का संचालन कितना प्रभावी है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औयित्य का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन में गोइंग कंसर्न के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य के आधार पर कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भारी अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी का लेखांकन जारी रखने की उसकी क्षमता पर संदेह पैदा करे। यदि हमरा निष्कर्ष होता है कि कोई भारी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण समूह और उसका संयुक्त उद्यम लेखांकन में गोइंग कंसर्न बंद कर सकेंगे।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और वित्तीय विवरण औचित्य का मूल्यांकन करें तथा यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत किया गया है। हम, प्रशासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों सहित, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय-सीमा तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा संबंधी निष्कर्षों, जिनमें लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण संबंधी कोई बड़ी

त्रुटि भी शामिल है, उसके बारे में सूचित करते हैं। हम प्रशासन के प्रभारी अधिकारियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्र तौर पर संगत प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और हम उन्हें उन सभी के बारे में तथा अन्य मामलों के विषय में और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी सूचित करते हैं, जिनसे हमारी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

अन्य मामले

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा कंपनी के पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक द्वारा की गई थी, जहाँ उन्होंने ऐसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर 27 सितंबर 2024 की अपनी संशोधित रिपोर्ट के माध्यम से प्रतिकूल राय व्यक्त की थी।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 (11) के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक ए" में लागू सीमा तक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जाँच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के अनुसार "अनुलग्नक "बी" में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, **लेकिन हमारी रिपोर्ट के ष्प्रतिकूल राय का आधारष के पैरा 7 (डी) में संदर्भित दुर्भर अनुबंध में नुकसान की राशि की गणना किए जाने के उपाय इसमें शामिल नहीं हैं।**

बी) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है **लेकिन कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3(जे) (Vi) में वर्णित मामले इसमें शामिल नहीं हैं।**

(सी) हम कंपनी के एकमात्र लेखा परीक्षक हैं और प्रबंधन के निर्णय के अनुसार परीक्षण बैलेंस को छोड़कर, इकाइयों के संबंध में कंपनी द्वारा कोई अलग वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया था। चूंकि हम एकमात्र लेखा परीक्षक हैं, इसलिए इस पैरा के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(डी) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण (टन्य व्यापक आय विवरण सहित) और नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(ई) हमारी राय में पैरा "3" और "4" में उल्लिखित भारतीय लेखा मानक 16 को छोड़कर; पैरा "2" में उल्लिखित भारतीय लेखा मानक 101; पैरा ह्6ह में उल्लिखित भारतीय लेखा मानक 2 "इन्वेंटरी का मूल्यांकन"; भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा "1," "4" और "9" में उल्लिखित "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां; प्रतिकूल राय के आधार के पैरा 16 के अनुसार भारतीय लेखा मानक के प्रकटीकरण की आवश्यकता, उपर्युक्त वित्तीय विवरण इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक, सहपठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित का अनुपालन किया जाता है।

(एफ) हमें वित्तीय लेनदेन या किसी मामलों पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, जिससे कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

(जी) भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुपालन में सरकारी कंपनी होने के कारण अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(एच) **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण,** "प्रतिकूल राय के आधार" के पैरा "5" में बताए गए रिपोर्ट के अनुसार अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड के रखरखाव और पीसीएफए से अवस्थांतर की तिथि पर ली गई अन्य वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों पर हमारी रिपोर्ट में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित हमें कोई योग्यता, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिली है, जैसा कि हमारी रिपोर्ट के "प्रतिकूल राय के आधार" के पैरा "1" में बताया गया है और जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर उपर्युक्त पैराग्राफ (बी) और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3(जे)(Vi) में कहा गया है।

(आई) कंपनी के इण्ड एएस वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रण के संचालन के प्रभाव के संबंध में इस रिपोर्ट के "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(जे) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक लंबित मुकदमों की अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरण के लिए नोट 25 देखें;

ii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी बड़े घाटे का पूर्वाभास हो।

iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv) ए. प्रबंधन के प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन दिया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यद्रि (वयक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, उनको कोई धनराशि अग्रिम, ऋण के बतौर नहीं दिया गया है और न ही कोई निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से, शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा कि मध्यस्थ:

- चाहे, कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दे या निवेश करे या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।

बी. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति (वयक्तियों) या संस्था (संस्थाओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, उनसे कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी,

- चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार दें या निवेश करें, या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसा ही कुछ प्रदान करे।

सी. लेखा परीक्षा की ऐसी प्रक्रिया के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (ए) और (बी) के अंतर्गत अभ्यावेदन में कोई विवरण बहुत गलत हो।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

vi. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 (जी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग दिनाकं 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।

कंपनी लेखांकन के लिए दो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है, जो इस प्रकार हैं:

ए) **टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग:** वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु दैनिक लेन-देन के लेखांकन हेतु उपयोग किया जाता है।

हमारी जाँच में परीक्षण जाँच भी शामिल है, जिसके आधार पर कंपनी ने अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इसका उपयोग पूरे वर्ष सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए किया गया है।

इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें टैली में ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं मिला।

इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष में जहाँ ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) को इनेबल नहीं किया गया था, उसके अलावा, कंपनी द्वारा रिकॉर्ड को बनाए रखने की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित रखा गया है।

बी) **पीपीसी पैकेज:** इन्वेंटरी से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने, खरीद और बिक्री को रिकॉर्ड करने, विक्रेता और कर्मचारी प्रोफाइल बनाने, वेतन की गणना आदि के लिए।

पीपीसी पैकेज के हमारे सत्यापन और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर पीपीसी पैकेज में ऑडिट ट्रेल को इनेबल नहीं किया गया है। कंपनी के पास पहले के लेन-देन में कोई भी बदलाव करने के लिए लिखित अनुमति लेने की प्रणाली है, जिसके परिणामस्वरूप लेन-देन को प्रतिस्थापित किया जाता है और उसे अधिलेखित कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मूल लेन-देन को हटा दिया जाता है।

(के) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001099सी

(सीए रणजीत सिंह)
पार्टनर
एम. संख्या: 073488
यूडीआईएन: 25073488BMTDJO7651
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05 अगस्त 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण पर कंपनी के सदस्यों को दी गई हमारी सम दिनांकिक रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत "पैराग्राफ 1" में संदर्भित।

i.

ए) (A) कंपनी कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर उपकरण, फर्नीचर और फिटिंग आदि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रत्मक विवरण और स्थिति सहित विवरण दर्शाने वाले रिकॉर्ड रख रही है, जैसा कि 1 अक्टूबर 2021 को वहन मूल्य पर इन वस्तुओं के गैर-लेखांकन और इन वस्तुओं की पहचान के लिए उचित नियंत्रण की कमी के संबंध में "स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट" के पैरा "2" में "प्रतिकूल राय के आधार" में बताया गया है।

(b) कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड रख रही है।

बी) कंपनी ने उचित अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया है। पीपीई वस्तुओं के ऐसे सत्यापन में भौतिक विसंगतियाँ पाई गईं और जैसा कि पैरा 5 "प्रतिकूल राय का आधार" की रिपोर्ट में इसके बारे में खुलासा किया गया है।

सी) सभी अचल संपत्तियों (डन संपत्तियों को छोड़कर जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौता पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) के स्वामित्व विलेख, जैसा कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर नोट "6" में दर्शाया गया है, कंपनी के नाम पर नहीं हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि	कंपनी के नाम पर न होने का कारण'
पूर्ण स्वामित्व भूमि (5352.91 एकड़ रकबा)	32.04 करोड़	रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयुध निर्माणी बोर्ड ("ओएफबी")	प्रमोटर	42 माह	प्रक्रियाधीन। अधिसूचना संख्या - "सीजी-डीएल-ई-1102021-230101" दिनांक 1 अक्टूबर 2021 के संदर्भ में ओएफबी की सभी अचल संपत्तियों को नवगठित डीपीएसयू को हस्तांतरित कर दिया गया है, जिसमें पीएसयू के रूप में एडब्ल्यूईआईएल भी शामिल है
पट्टे की भूमि (48.21 एकड़)	3.00 रुपये	आयुध निर्माणी बोर्ड ("ओएफबी") रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत	प्रमोटर	42 महीने	वही

डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया है) (पूर्व में बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45)) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है, और इसलिए, कि क्या कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में इसके बारे में उचित रूप से खुलासा किया है, इस पर हमारी टिप्पणी का सवाल ही नहीं उठता है।

ii.

ए) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी की नीति है कि वह निरंतर स्टॉक सत्यापन के आधार पर (वास्तविक गणना/वजन के आधार पर) कुछ वस्तुओं का चयन करके प्रत्येक दिन इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया जाता है ताकि प्रत्येक वस्तु का वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन हो सके। यह सत्यापन प्रत्येक निर्माणी के केंद्रीय स्टॉक सत्यापन कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन के लिए मुख्यालय द्वारा किसी मानक एसओपी के अभाव में, हम आवधिक अंतराल पर इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन और कवरेज, प्रक्रिया और इसकी उपयुक्तता और वित्तीय पुस्तकों में असमायोजित किसी भी भौतिक विसंगति के अस्तित्व के संबंध में कंपनी की नीति पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट/कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

iii.

ए) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान एक लाभ निरपेक्ष कंपनी में 1.05 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष के साथ कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, इसलिए खंड 3 (iii) (ए) से 3(iii) (एफ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किए गए निवेश के संबंध में कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अधिसूचित सीमा तक कोई भी जमा या राशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(V) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को अपने उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अनुसार उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक और पूर्ण हैं या नहीं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट लेखा परीक्षा की तिथि तक प्राप्त नहीं हुई है और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है।

vi.

ए. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार नमूना जांच के आधार पर हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार हमारी राय में, कंपनी विवादरहित विधिक देय राशि जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर और श्रम कल्याण निधि, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण विधिक देय, जैसा भी लागू हो, उचित प्राधिकरणों के पास आमतौर पर जमा करने में नियमित है।

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, विवाद के कारण कुछ विधिक देय राशि लंबित है। लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

संविधि	बकाया की स्वरुप	विवादित मूल्य (करोड़ रुपये में)	दाखिल करने की तारीख	आकस्मिक देयता (करोड़ रुपये में)	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
सेवा कर	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपील	सेवा कर – रु. 0.40 जुर्माना– रु. 0.39 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11एबी के अनुसार उपर्युक्त पर ब्याज	2022	0.79	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण इलाहाबाद
सेवा कर	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपील	सेवा कर– रु. 0.13 जुर्माना– रु. 0.13 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11एबी के अनुसार उपर्युक्त पर ब्याज	2022	0.26	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण इलाहाबाद
सेवा कर	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपील	सेवा कर– रु. 0.63	2016	0.63	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण इलाहाबाद

Viii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, लेखा पुस्तकों में ऐसा कोई लेन-देन नहीं है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो, जिसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया हो।

ix.

ए. हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। तदनुसार, खंड 3(ix) (ए) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

बी. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हम अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता (डिफॉल्टर) घोषित नहीं किया गया है।

सी. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारी लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर कंपनी द्वारा कोई भी सावधि ऋण नहीं लिया गया है। तदनुसार, खंड 3(ix) (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर कंपनी द्वारा अल्पावधि आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई गई है। तदनुसार, खंड 3(ix) (डी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है। तदनुसार, खंड 3(ix) (ई) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

एफ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं जुटाया है। तदनुसार, खंड 3(ix) (एफ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

x.

ए. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (टाईपीओ) या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) (ऋण साधन सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ए) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

बी. कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णत:, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

Xi. वित्तीय विवरण के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी से कोई भारी धोखाधड़ी की न तो रिपोर्ट की गई और न ही की गई। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) (ए) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ए. हमने वर्ष के दौरान और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म एडीटी 4 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत केंद्र सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

बी. कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई अग्र चेतक (व्हिसल ब्लोअर) तंत्र मौजूद नहीं है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

Xii हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान लागू नहीं होते।

xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो, और संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण वित्तीय विवरण में लागू भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) द्वारा अपेक्षित रूप से प्रकट किया गया है।

xiv.

ए. लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा करने हेतु इकाईवार आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए। हमारी राय में, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है।

बी. हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए, लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत, वर्ष के दौरान और आज तक जारी रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi.

ए. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ए) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

बी. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं, इसलिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

सी. कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

डी. लेखा परीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(डी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xvii. हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं हुआ है, हालांकि कंपनी को पिछले वर्ष के दौरान नकद घाटा हुआ है (पिछले वर्ष के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "प्रतिकूल राय के आधार" के प्रभाव पर विचार करने के बाद, हालांकि पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण नकद लाभ दिखा रहे हैं।

xviii. वर्ष के दौरान किसी भी विधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xix. लेखा परीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु (एजिंग) और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरण के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी और भारत सरकार द्वारा समर्थित प्रबंधन योजनाओं तथा इस धारणा का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच के आधार पर, हमारा मानना है कि लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक कोई बड़ी अनिश्चितता विद्यमान नहीं है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान देनदारियों को, जब भी वे बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों, पूरा करने में सक्षम है।

xx. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की आवश्यकताओं के अनुसार सीएसआर व्यय किया है और ऐसी कोई भी राशि नहीं है, जिसे अधिनियम की धारा 135(5) और 135(6) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाना आवश्यक हो।

xxi. आदेश के खंड 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं होती है। तदनुसार, इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001099सी

(सीए रणजीत सिंह)
पार्टनर
एम. संख्या: 073488
यूडीआईएन: 25073488BMTDJO7651
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05 अगस्त 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का -'अनुलग्नक बी'

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण पर कंपनी के सदस्यों को हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत "पैराग्राफ 2" में संदर्भित।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के खातों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के सी एंड एजी के निर्देश/अतिरिक्त निर्देश/उप निर्देश।

क्रमांक	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर	वित्तीय स्थिति पर प्रभाव
1	कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभ के लिए निवेश, उद्धृत और अउद्धृत, दोनों का उचित मूल्यांकन। इसमें संगत भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के साथ मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसके औचित्य और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देगा और किसी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा।	ओएफबी के विघटन पर, सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्पादन इकाइयों और चिन्हित गैर-उत्पादन इकाइयों से संबंधित ओएफबी (समूह ए, बी और सी) के सभी कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 37ए के अनुसार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए (टब प्रतिनियुक्ति 30.12.2025 तक बढ़ा दी गई है) बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते (मान्य प्रतिनियुक्ति) के विदेशी सेवा की शर्तों पर सामूहिक रूप से नए डीपीएसयू में स्थानांतरित किया जाएगा। नए डीपीएसयू में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू सभी मौजूदा नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन बने रहेंगे, जिनमें उनके वेतनमान, भत्ते, अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं, कैरियर प्रगति और अन्य सेवा-शर्तें शामिल हैं। सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों का वहन सरकार द्वारा रक्षा पेंशन के लिए रक्षा मंत्रलय ("एमओडी") के बजट से किया जाता रहेगा। दिनांक 01.01.2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रचलन में है और इसे नए डीपीएसयू द्वारा अपनाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू सभी विशेष प्रावधानों को जारी रखना शामिल है। तदनुसार, कंपनी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ पंजीकृत दिशा-निर्देशों/निर्देशों का पालन करती है। कंपनी कर्मचारी के वेतन से आमतौर पर कटौती करती है और फिर कर्मचारी के अंशदान और नियोक्ता के अंशदान की समेकित राशि को एनपीएस ट्रस्टी बैंक में जमा करती है। आवश्यक प्रविष्टियाँ टैली में दर्ज की जाती हैं।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं

क्रमांक	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर	वित्तीय स्थिति पर प्रभाव
2	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली से सभी लेनदेन के लेखांकन को संसाधित करने की विधि है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर किए जा रहे लेनदेन के लेखांकन को प्रोसेस करने से खातों सत्यता पर पड़ने वाले प्रभाव तथा वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें, यदि कोई है।	कंपनी ने सभी लेनदेन के लेखांकन की सत्यता, सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक आईटी-सक्षम लेखांकन प्रणाली स्थापित किया है। 1. लेनदेन के लेखांकन हेतु आईटी प्रणाली उपलब्ध है। कंपनी इन्फॉर्मिक्स डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली पर आधारित एक सशक्त ERP प्रणाली प्रयोग करती है, जिसमें निम्नलिखित एकीकृत मॉडड्यूल शामिल हैं: • वेतन पैकेज: कर्मचारियों के लिए पे-रोल को प्रोसेस करने हेतु ऑटोमेट करता है। • राजस्व मान्यता: राजस्व हेतु मान्य सिद्धांतों के अनुसार बिक्री वाउचर को ऑटोमेट करता है। • अन्य लेखांकन अनुप्रयोग: विभिन्न लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेनदेन हेतु समस्त लेखांकन को इस विशेष प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से दर्ज और संसाधित किया जाता है, जिससे रियल टाइम पर रिकॉर्डिंग सुनिश्चित होती है। 2. लेखांकन मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ समरुपता इंड एएस (भारतीय लेखा मानक) का अनुपालन सुनिश्चित करने और वैधानिक वित्तीय विवरण तैयार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी एक अतिरिक्त समाधान के रूप में टैली प्राइम का उपयोग करती है। वित्तीय विवरण तैयार करने, लेखा बहीखाता बनाए रखने और वाणिज्यिक लेखांकन एवं वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रारूपों में ट्रायल बैलेंस तैयार करने के उद्देश्य से सभी लेखांकन प्रविष्टियाँ टैली प्राइम में की जाती हैं। यह दोहरी प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित न हो। 3. मुख्य विशेषताएँ: सत्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करना कंपनी की आईटी प्रणालि को निम्नलिखित नियंत्रण द्वारा और भी सशक्त बनाया जाता है: • मेकर-चेकर तंत्र: भुगतान प्राधिकृत करने से पहले उचित जांच और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए एक दोहरी प्राधिकरण प्रक्रिया लागू है, हालांकि टैली में लेनदेन के लेखांकन में कुछ त्रुटियां देखी गईं, जिन्हें बाद में लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट करने पर ठीक कर दिया गया। • वाउचर अपलोडिंग: क्रॉस-सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है और वैधानिक लेखा परीक्षकों को रिमोट ऑडिट एक्सेस देता है ।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं

क्रमांक	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर	वित्तीय स्थिति पर प्रभाव
		• केंद्रीकृत डेटा नियंत्रण: उन्नत साइबर सुरक्षा समाधान (जैसे, सोफोस) का उपयोग करके डेटा को केंद्रीय रूप से प्रबंधित और संरक्षित किया जाता है, जिससे रियल टाइम पर निगरानी और संभावित खतरे तत्क्षण समाधान संभव हो पाता है। • ऑडिट ट्रेल: स्वचालित ऑडिट ट्रेल सुविधाएं लेनदेन की पूर्ण ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने, टैली में पारदर्शिता और विनियामक अनुपालन हेतु सक्षम हैं। संक्षेप में, कंपनी के पास सभी लेनदेन संबंधी लेखांकन को प्रोसेस किए जाने के लिए एक व्यापक और सुरक्षित आईटी प्रणाली है, जो डेटा की सत्यता और लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संशक्त नियंत्रण प्रदान करता है।	
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली राशि (टनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखा-जोखा लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त धनराशि का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा अनुदान की शर्तों के अनुसार रखा गया है? विचलन वाले मामलों की सूची बनाएँ।	केंद्र/राज्य सरकार से कोई अनुदान या सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है। पूंजीगत व्यय और इक्विटी पर प्राप्त सभी धनराशि का उचित लेखा-जोखा रखा गया है। इसमें कोई विचलन नहीं है।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं
4	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (ए) क्या जोखिम प्रबंधन नीति विश्व की सर्वश्रेष्ठ परिपाटी को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (बी) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है।	कंपनी के बोर्ड ने दिनांक 12 मार्च, 2025 को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें संचालन और रणनीतिक उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले संभावित जोखिमों से निपटने के लिए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति बनाई गई है। यह नीति सतत व्यावसायिक विकास और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। (ए) बोर्ड स्तर पर जोखिम प्रबंधन नीति में रणनीतिक, वित्तीय, संचालन, आईटी और अन्य प्रासंगिक जोखिम को दूर करने तथा इसके प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाता है। (बी) कंपनी ने न तो किसी डेटा परिसंपत्ति की पहचान की है और न ही उसका मूल्यांकन किया है।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं

क्रमांक	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर	वित्तीय स्थिति पर प्रभाव
5	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएंऋ विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों, जहां भी लागू हो, उसका अनुपालन कर रही है? यदि ऐसा नहीं है, तो विचलन वाले मामलों पर प्रकाश डाला जाए,	कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। इसलिए, सेबी द्वारा निर्धारित सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (एलओडीआर) इस पर लागू नहीं होती हैं। हालाँकि, कंपनी वर्ष 2018 तक अद्यतन डीपीई दिशानिर्देशों के संबंध में निम्नलिखित गैर-अनुपालन को छोड़कर, डीआईपीएएम, एमसीए, आरबीआई आदि जैसी एजेंसियों द्वारा निर्धारित मानदंडों/दिशानिर्देशों का पालन कर रही है। हमारी रिपोर्ट प्रबंधन और डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण पर आधारित है। i. लेखा परीक्षा के दौरान, गैर-कार्यात्मक निदेशक कुल बोर्ड की संख्या के 50% से कम थे, जैसा कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.2 में अपेक्षित हैय i. लेखा परीक्षा के दौरान, गैर-कार्यात्मक निदेशक कुल बोर्ड की संख्या के 50% से कम थे, जैसा कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.2 में अपेक्षित है; ii. लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशक थे, जबकि डीपीई के दिशानिर्देश के खंड 3.1.4 के अनुसार "बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए" iii. कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति और खंड 5 में अपेक्षित पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 और 179 के अनुसार, कंपनी को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करना भी आवश्यक है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। iv. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट नियत तिथि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 का अनुपालन नहीं किया है। v. वर्तमान वर्ष की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट फिलहाल उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अतिरिक्त/उप-निर्देश			
1	क्या पूर्ववर्ती ओएफबी से हस्तांतरण की तिथि (नियत तिथि) पर परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्थानांतरण, जो 31 मार्च 2024 तक अधूरा था, वित्तीय वर्ष 2024-25 के		

क्रमांक	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर	वित्तीय स्थिति पर प्रभाव
	दौरान पूरा हो गया है? यदि कोई विचलन है, तो उसके कारण, विचलन का स्वरुप और वित्तीय विवरण पर उसके प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति संयंत्र और उपकरण का विस्तृत भौतिक सत्यापन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न वर्ग की अचल संपत्तियों में कोई अंतर पाया गया, जैसा कि हमारी रिपोर्ट के "प्रतिकूल राय का आधार" पैरा 1 में दर्शाया गया है। पाए गए सभी विचलनों को अन्य इक्विटी से समायोजित करके चालू वर्ष के एकल वित्तीय विवरण में समायोजित किया गया है, जो कि भारतीय लेखा मानक 8 "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां" के अनुसार नहीं है, जिसके लिए भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार यदि प्रभाव बड़ा हो, तो वित्तीय विवरण को पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।	
2	क्या कंपनी ने वर्ष के अंत में अंतर कंपनी/अंतर कंपनी शेष से संबंधित समाधान किया है? क्या अन्य डीपीएसयू से वर्ष के अंत में उन्हें देय/देय शेष राशि के लिए पुष्टि प्राप्त कर लिया गया है? यदि कोई शेष राशि शेष है, तो उसका कारण और साथ ही समाधान न की गई राशि भी बताई जाए।	कंपनी ने डीपीएसयू सहित सभी पक्षों को व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ग्राहकों को अग्रिम और ग्राहकों से अग्रिम के लिए मेल भेजे हैं। कृपया हमारी रिपोर्ट के पैरा 10 और 11 "प्रतिकूल राय का आधार" देखें, प्रस्तुत पुष्टि के मामले में मूल्यों में अंतर था। सभी अंतर-कंपनी शेष का मिलान किया जाता है। कंपनी के पास बड़े बकाया वाले पक्षों के साथ शेष राशि के समाधान की कोई प्रणाली नहीं है, इसलिए हम उपर्युक्त खातों में शेष राशि में विचलन और वित्तीय विवरण पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, पर टिप्पणी नहीं कर सकते।	वित्तीय प्रभाव अनिश्चित.
3	क्या कंपनी या उसकी इकाइयों के पास वित्तीय विवरण में उल्लिखित भूमि का स्पष्ट स्वामित्व और कब्जा है? अतिक्रमण औरध्या विवाद (यदि कोई हो) के अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल बताएँ।	भूमि दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वित्तीय विवरण के नोट 6 में उचित प्रकटीकरण किया गया है, जहाँ भूमि का विवरण दिया गया है।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं
4	क्या कंपनी की मूल्य निर्धारण नीति उत्पादन की सभी निश्चित और परिवर्तनीय लागत के साथ-साथ ओवरहेड के आवंटन को भी अवशोषित करती है?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की मूल्य निर्धारण नीति उत्पादन से जुड़ी सभी प्रासंगिक लागतों के व्यापक अवशोषण को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, जिसमें स्थिर और परिवर्तनीय लागतें, साथ ही ओवरहेड का उचित आवंटन शामिल है। **1. निश्चित और परिवर्तनीय लागतों का अवशोषण** मूल्य निर्धारण नीति में उत्पाद मूल्य के निर्धारण में सभी प्रत्यक्ष परिवर्तनीय लागतों (जैसे कच्चा माल, प्रत्यक्ष श्रम और उपयोगिताएँ) और स्थिर लागतों (जैसे मूल्यह्रास, वेतन और अन्य निश्चित उपरिव्यय) को स्पष्ट रूप से शामिल करने का प्रावधान है। इस दृष्टिकोण से	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं

क्रमांक	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर	वित्तीय स्थिति पर प्रभाव
		सुनिश्चित हो पाता है कि मूल्य निर्धारण तंत्र के माध्यम से उत्पादन की पूरी लागत वसूल हो जाए। **2. ओवरहेड का आवंटन** इस नीति से प्रत्यक्ष लागत के अतिरिक्त, परोक्ष लागत और ओवरहेड के व्यवस्थित निर्धारण हो पाता है। **3. रणनीतिक मूल्य निर्धारण संबंधी विचार** हालांकि प्राथमिक उद्देश्य सभी लागत को अवशोषित करना है, कंपनी अपनी दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास योजना के रूप में मूल्य निर्धारण हेतु सरल रणनीति भी अपनाती है। कुछ मामलों में, कंपनी नए बाजार पर कब्जा करने और प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक अवसरों की तलाश में वैकल्पिक मूल्य निर्धारण मॉडल (जैसे सटीक मूल्य निर्धारण आदि) लागू कर सकती है।	
5	सह-उत्पाद और तैयार उत्पादों की व्यवस्था क्या है? घोषित नीति से इसमें हुए विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	यह प्रश्न प्रसंस्करण उद्योग के लिए अधिक प्रासंगिक है। कंपनी के पास कोई सह-उत्पाद नहीं है।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं
6	क्या कंपनी के पास भौतिक सत्यापन, स्टॉक/इन्वेंटरी के मूल्यांकन, गैर-चलती वस्तुओं के उपचार और भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमी/अधिकता के प्रभाव का लेखा-जोखा रखने के लिए प्रभावी प्रणाली है?	कंपनी ने नॉन-मूविंग स्टॉक/इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन और निपटान तथा भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई कमी/अधिकता के प्रभाव का लेखा-जोखा रखने के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनाई है। इन्वेंटरी के मूल्यांकन में कुछ कमियाँ हैं, जिनका उल्लेख हमारी रिपोर्ट के "प्रतिकूल राय का आधार" के पैरा 6 में किया गया है।	वित्तीय प्रभाव अनिश्चित.
7	क्या कंपनी ने सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों/एसपीवी आदि में सभी निवेश के संबंध में स्वामित्व (शेयर प्रमाणपत्र) प्राप्त कर लिया है, यदि कोई हो?	कंपनी ने अपने सभी निवेश के संबंध में स्वामित्व (शेयर प्रमाणपत्र) प्राप्त कर लिया है।	वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001099सी

(सीए रणजीत सिंह)
पार्टनर
एम. संख्या: 073488
यूडीआईएन: 25073488BMTDJO7651
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05 अगस्त 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का 'अनुलग्नक -सी'

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक (IAS) वित्तीय विवरण पर कंपनी के सदस्यों को दी गई हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 3(i) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2025 तक एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (IFCoFR) की लेखा परीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारी लेखा परीक्षा के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार किया जाना शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें, ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और बनाए रखा गया था और यह कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारी लेखा परीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उनके प्रभावी संचालन के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्ता के बारे में लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का प्रदर्शन करना शामिल है। समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, किसी वड़ी कमी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना और प्रभावी संचालन का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में किसी बडी गलती के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

इन वित्तीय वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को तैयार किए जाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:-

(1) उन अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी के आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण हेतु प्रबंधन के अतिलंघन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण विवरण में बड़ी गलती, जिनका पता न लगाया जा सके। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के प्रभावी अनुपालन में गिरावट हो सकती है।

योग्य राय का आधार

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2025 तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमजोरियों की पहचान की गई है:

ए. **किसी महत्वपूर्ण खाते या प्रक्रिया में कर्तव्यों का अनुपस्थित या अपर्याप्त पृथक्करण** - लेखा पुस्तकों में लेन-देन दर्ज करते समय कोई नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात, नियमित निर्माता या परीक्षक की अवधारणा का अभाव होता है।

बी) **सामान्य और एप्लीकेशन संबंधी नियंत्रण की अपर्याप्त संरचना, जिससे सूचना प्रणाली को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्यों और वर्तमान जरूरतों के अनुरूप पूर्ण और सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है।**

i) कंपनी के पास ऐसी कोई स्थापित प्रक्रिया या दिशा-निर्देश नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किन सेवाओं के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इस संबंध में उदाहरण हैं: निर्माण कार्य के लिए एमईएस से बिल, मरम्मत और रख-रखाव के लिए एएमसी और अनुबंध श्रम संबंधी भुगतान।

ii) यात्र व्यय, एलटीसी और चिकित्सा व्यय के संबंध में व्यय के लेखांकन के लिए विभिन्न इकाइयाँ अलग-अलग प्रणाली अपना रही हैं। उचित प्रणाली के अभाव में बुक किए गए खर्च और लेखा बही में दिखाई देने वाले अग्रिम सत्यापित नहीं हो पाते हैं।

iii) कुछ इकाइयों द्वारा प्रोडक्शन शॉप में उत्पादन मशीनों के ब्रेकडाउन होने का विवरण ठीक से दर्ज नहीं किया जा रहा है। कुछ इकाइयों में मशीनें 3 से 4 वर्षों से खराब हैं और उस पर मूल्यह्रास भी लगाया जाता है और उन्हें उत्पादन लागत में आवंटित किया जाता है, जो कि गलत है।

सी) **महत्वपूर्ण खातों के समाधान में किलता:** कंपनी के पास अग्रिम, व्यापार देय और व्यापार प्राप्तियों आदि के संबंध में बैलेंस पुष्टि और समाधान के लिए उचित प्रणाली नहीं है।

डी) बोर्ड के अनुमोदन के बिना अग्रिम प्राप्ति हेतु कारपोरेट गारंटी जारी की गई।

ई) **अंतर-इकाई हस्तांतरण के लेखांकन में भिन्नता:** कंपनी की इकाइयों में अंतर-इकाई हस्तांतरण के संबंध में कोई एकरूपता नहीं है। कंपनी की इकाई गन एंड कैरिज फैक्टरी, जबलपुर में अंतर-इकाई हस्तांतरण के अंतर्गत प्राप्त माल का लेखा रसीद वाउचर (टारवी) के बजाय सामग्री आवक पर्ची (एमआईएस) के आधार पर किया गया है।

एफ) **रोकड़ बही का रखरखाव न करना:** हमारी जानकारी में आया है कि वर्ष के दौरान नकद जमा और निकासी लेनदेन के बावजूद कंपनी द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव नहीं किया गया है।

जी) **एक ही चालान का दो बार भुगतान:** हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया है कि कंपनी की इकाई, आयुध निर्माणी कानपुर में एक ही चालान के लिए 78.93 लाख रु. का दो बार भुगतान किया गया है।

एच) **विगत वर्ष के अंतर-इकाई स्टॉक अंतरण का समायोजन न हो पाना:** हमारे संज्ञान में आया है कि पिछले वर्ष के दौरान किए गए अंतर-इकाई हस्तांतरण को विभिन्न इकाइयों में चालू वर्ष के दौरान विनियमित नहीं किया गया है।

एच) विगत वर्ष के अंतर-इकाई स्टॉक अंतरण का समायोजन न हो पाना: हमारे संज्ञान में आया है कि पिछले वर्ष के दौरान किए गए अंतर-इकाई हस्तांतरण को विभिन्न इकाइयों में चालू वर्ष के दौरान विनियमित नहीं किया गया है।

'मटेरियल वीकनेस' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (IFCoFR), में कमी या कमियों का संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरण में बड़ी गलती को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

योग्य राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित मटेरियल वीकनेस के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने समस्त महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जो "कंपनी में विद्यमान वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण" पर आधारित थे और हमारी लेखा परीक्षा अवधि के दौरान अद्यतन किए गए थे, जिसमें भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया था।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2025 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की अपनी लेखा परीक्षा में लागू लेखा परीक्षा परीक्षण के स्वरूप, समय और सीमा का निर्धारण करते समय निर्दिष्ट एवं बताई गए मटेरियल वीकनेस पर विचार किया है और हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर एक प्रतिकूल राय जारी की है।

यह योग्य राय कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती है।

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001099सी

(सीए रणजीत सिंह)
पार्टनर
एम. संख्या: 073488
यूडीआईएन: 25073488BMTDJO7651
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05 अगस्त 2025

स्टैंडअलोन बैलेंस शीट

'करोड़ रु. में

विवरण	नोट	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
संपत्ति			
I. निवर्तमान परिसंपत्तियाँ			
क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	6	1,847.61	1,854.07
ख. जारी पूँजीगत कार्य	6	174.57	208.29
ग. निवेश संपत्तियाँ		–	–
घ. अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	32.41	11.90
ङ विकासोन्मुख अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	51.62	35.26
च. उपयोग के लिए अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ	–		–
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	8 (ए)	5.30	4.25
(ii) ऋण	8 (सी)	–	–
(iii) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	8 (एफ)	109.44	127.38
छ. आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)		74.53	–
झ. अन्य निवर्तमान परिसंपत्तियाँ	9	51.66	3.00
कुल निवर्तमान परिसंपत्तियाँ (क)		2,347.14	2,244.15
ii. वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) इन्वेंटरी	10	2,947.26	2,659.31
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार से प्राप्य	8 (बी)	1,539.56	1,219.09
(ii) नकद और नकद के समतुल्य	8 (डी)	260.77	610.10
(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	8 (ई)	1,116.40	718.29
(iv) ऋण	8 (सी)	1.32	2.83
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8 (एफ)	34.64	29.09
(ग) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	16	7.14	–
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	9	243.94	118.83
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ (ख)		**6,151.03**	**5,357.54**
iii. बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ (ग)	6 (स)	6.97	7.44
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख+ग)		**8,505.14**	**7,609.13**
इक्विटी और देयताएँ			
इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	11	17,860.79	17,531.53
(बी) अन्य इक्विटी	12	-12,718.02	-13,144.62
कुल इक्विटी (क)		**5,142.77**	**4,386.91**

विवरण	नोट	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
देयताएँ			
निवर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	–	–	–
(ii) पट्टा संबंधी देयताएँ	–	–	–
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	13 (बी	–	–
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	14	516.21	675.88
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	24	–	251.12
कुल निवर्तमान देयताएँ (ख)		**516.21**	**927.00**
वर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	–	–	–
(ii) पट्टा देयताएँ	–	–	–
(iii) व्यापार देयताएँ	13 (ए)		
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		28.01	7.72
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा कुल बकाया राशि		808.59	321.68
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	13 (बी)	190.74	192.49
(ख) अल्पकालिक प्रावधान	14	2.00	10.38
(ग) वर्तमान कर देयताएँ	16	–	4.46
(घ) अन्य वर्तमान देयताएँ	15	1,816.82	1,758.49
कुल वर्तमान देयताएँ (ग)		**2,846.16**	**2,295.22**
कुल इक्विटी और देयताएँ (क+ख+ग)		**8,505.14**	**7,609.13**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	4		

संलग्न टिप्पणियाँ इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001099C

उमेश सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08373608

रणजीत सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 073488
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

जय गोपाल महाजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10824241
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

मनीष कुमार सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F12879
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

करोड़ रु. में

विवरण	नोट	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
I. आय			
(a) संचालन से राजस्व	17	2,530.93	2,041.73
(b) अन्य आय	18	326.22	379.72
कुल आय (I)		**2857.15**	**2,421.45**
II. व्यय			
(ए) प्रयुक्त कच्चे माल और सहायक उपकरणों की लागत	19	825.68	926.30
(बी) स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	–	–	–
(सी) तैयार माल और जारी कार्य की सूची में परिवर्तन	20	160.53	-172.43
(डी) कर्मचारी लाभ पर व्यय	21	1,393.68	1,288.16
(ई) वित्त पर लागत	22A	0.19	1.01
(एफ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	22B	139.91	134.71
(जी) अन्य व्यय	23	247.16	213.91
कुल व्यय (II)		**2,767.15**	**2,391.66**
III. असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) (I-II)		90.00	29.79
IV. असाधारण मदें			–
V. कर-पूर्व लाभ/(हानि) (III+IV)		90.00	29.79
VI. कर पर व्यय	24		
(a) वर्तमान कर		–	14.67
(b) पिछले वर्ष के लिए कर का अल्प प्रावधान		-15.17	–
(c) आस्थगित कर (क्रेडिट)/प्रभार		22.43	-5.12
कुल कर व्यय (VI)		7.26	9.55
VII. **वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**		**82.74**	**20.24**
VIII. अन्य समग्र आय		–	–
वर्ष के लिए कुल अन्य समग्र आय		–	–
IX. वर्ष के लिए कुल समग्र आय, कर-मुक्त (VII+VIII)		**82.74**	**20.24**
X. प्रति इक्विटी शेयर आय	30		
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य 10			
बेसिक एवं डाल्यूटेड		0.05	0.01
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	**4**		

संलग्न टिप्पणियाँ इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001099C

रणजीत सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 073488
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

उमेश सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08373608

जय गोपाल महाजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10824241
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

मनीष कुमार सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F12879
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
A संचालन गतिविधियों से नकदी का प्रवाह				
कर-पूर्व लाभ		**90.00**		**29.79**
कर-पश्चात लाभ का शुद्ध नकदी का प्रवाह से समायोजन:				
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	139.91		134.71	
मूल्यह्रास में समायोजन	0.66			
ब्याज पर व्यय	0.19		1.01	
ब्याज से आय	-89.30		-72.84	
अप्राप्त विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	-		-0.45	
लाभांश से आय	-		-0.42	
दुर्भर अनुबंध के लिए प्रावधान का प्रत्यावर्तन	-159.80		-88.77	
पूर्व अवधि व्यय को अन्य इक्विटी में डेबिट किया गया	-4.70			
नवीनीकरण और प्रतिस्थापन निधि के माध्यम से व्यय	-9.40			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	-1.41		-0.70	
		-123.85		-27.46
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले संचालन लाभ		**-33.85**		**2.33**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:				
इन्वेंटरी में परिवर्तन	-287.95		-248.58	
व्यापार प्राप्य में परिवर्तन	-320.47		-575.02	
ऋण और अग्रिम में परिवर्तन	1.51		0.15	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन	18.69		-21.20	
अन्य परिसंपत्तियों में परिवर्तन	-125.11		-0.68	
व्यापार देय में परिवर्तन	507.20		50.15	
अन्य चालू देनदारियों में परिवर्तन	-1.75		3.21	
वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन	96.21		514.61	
प्रावधानों में परिवर्तन	-8.38		-	
कार्यशील पूंजी में शुद्ध परिवर्तन		-120.05		-277.36
संचालन से उत्पन्न नकदी		**-153.90**		**-275.03**
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी (शुद्ध)		3.57		-3.28
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी का प्रवाह (A)		**-150.33**		**-278.31**
B निवेश गतिविधियों से नकदी का प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की खरीद	-164.15		-79.23	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय	0.88		3.97	
प्रदत्त पूंजीगत अग्रिम	-48.66		0.92	
संचार (डिफेंस) परीक्षण फाउंडेशन में निवेश	-1.05			
नकद और नकद के समकक्ष के रूप में न माने गए अन्य बैंक बैलेंस में परिवर्तन	-384.17		-144.86	
लाभांश से आय	-		0.42	
प्राप्त ब्याज	69.08	-528.07	73.70	-145.08
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी का प्रवाह (b)		**-528.07**		**-145.08**
C वित्तीय गतिविधियों से नकदी का प्रवाह				
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय	329.26		225.00	
ब्याज पर व्यय	-0.19	329.07	-1.05	223.95
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी का प्रवाह (c)		**329.07**		**223.95**
नकद और नकद के सममूल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (A)+(b)+(c)		**-349.33**		**-199.44**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद के समतुल्य		**610.10**		**809.09**

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
जोड़ें/(घटाएँ): अप्राप्त विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		-		0.45
वर्ष के अंत में नकद और नकद के समतुल्य		260.77		610.10

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
नकदी और नकद समकक्षों में शामिल हैं		
हाथ में नकदी	-	(15,750/-)
हाथ में चेक	-	-
बैंकों में शेष राशि'	260.77	610.10
नकदी और नकद समकक्ष	**260.77**	**610.10**

संलग्न टिप्पणियाँ इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001099C

रणजीत सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 073488
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

उमेश सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08373608

जय गोपाल महाजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10824241
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

मनीष कुमार सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F12879
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	करोड़ रु. में
1 अप्रैल, 2023 तक	17,123.91
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी	407.62
31 मार्च, 2024 तक	17,531.53
31 मार्च, 2024 तक	17,531.53
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी	329.26
31 मार्च, 2025 तक	17,860.79

अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि और अधिशेष				आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	कुल अन्य इक्विटी
	आरक्षित पूँजी	व्यवसाय पुनर्गठन पर आरक्षित पूँजी	नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन राहत निधि	प्रतिधारित आय		
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	4.25	-16,220.67	-	3,051.56	182.62	-12,982.24
भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) कार्यान्वयन पर आस्थगित कर	-	-		-	-	-
वर्ष का लाभ	-	-		20.24	-	20.24
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	-		-	-	-
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों के लिए उपयोग	-	-		-	-182.62	-182.62
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	4.25	-16,220.67	-	3,071.80	-	-13,144.62
31 मार्च, 2024 तक बैलेंस	**4.25**	**-16,220.67**	**-**	**3,071.80**	**-**	**-13,144.62**
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	**4.25**	**-16,220.67**	**-**	**3,071.80**	**-**	**-13,144.62**
वर्ष का लाभ	-	-		82.74	-	82.74
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	-			-	-
अन्य चालू देनदारियों से पुनर्वर्गीकरण			37.75		-	37.75
प्रतिधारित आय में समायोजन (नोट संख्या 38 देखें)				315.51	-	315.51
वर्ष के दौरान उपयोग			-9.40			-9.40
वर्ष के दौरान वृद्धि					-	-
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों के लिए उपयोग					-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**4.25**	**-16,220.67**	**28.35**	**3,470.05**	-	**-12,718.02**
31 मार्च, 2025 तक बैलेंस	**4.25**	**-16,220.67**	**28.35**	**3,470.05**	-	**-12,718.02**

संलग्न टिप्पणियाँ इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001099C

उमेश सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08373608

रणजीत सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 073488
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

जय गोपाल महाजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10824241
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

मनीष कुमार सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या ए12879
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर नोट

नोट सं. 1

कॉर्पोरेट जानकारी

एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (इसके पश्चात् इसे इस समूह कहा जाएगा) भारत में निगमित है और शेयरों (सीआईएन सं.: U29270UP2021GOI150734) द्वारा लिमिटेड है, जो आयुध निर्माणी बोर्ड को पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों में परिवर्तित करके गठित किए गए सात (7) नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है। इस समूह को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिनांक 14 अगस्त, 2021 को शामिल किया गया है। हालांकि, डीडीपी की अधिसूचना पर इसका व्यवसाय दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को प्रारंभ हुआ। इस समूह का पंजीकृत कार्यालय ओएफसी, कालपी रोड, कानपुर - 208009 में स्थित है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उत्पादन और गैर-उत्पादन इकाइयाँ शामिल हैं: राइफल फैक्टरी ईशापुर, लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर, गन एंड शेल फैक्टरी काशीपुर, आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली, आयुध निर्माणी कानपुर, फील्ड गन फैक्टरी कानपुर, गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर और आयुध निर्माणी परियोजना कोरवा और गैर-उत्पादन इकाइयों में एडब्ल्यूटीएम ईशापुर हैं।

निदेशक मंडल के दिनांक 05 अगस्त, 2025 के एक संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण जारी किया जाना प्राधिकृत किया गया।

नोट सं. 2

तैयार करने का आधार

ए) अनुपालन विवरण

ये स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण लेखांकन की उपार्जन प्रणाली का पालन करते हुए गोइंग कंसर्न बेसिस पर तैयार किए जाते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 यथा संशोधित के नियम 3 के साथ पठित एवं वित्तीय विवरण पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड II प्रस्तुति आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं ।

बी) मूल्यांकन का आधार

निम्नलिखित को छोड़कर, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए है:

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिन्हें उचित मूल्य पर आँका जाता है; और
- बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों को - बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य पर आँका जाता है।

उचित मूल्यों के आँकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा वित्तीय विवरण के नोट में की जाती है।

ऐतिहासिक लागत, भुगतान की गई नकद या नकद की समकक्ष राशि या उनके अधिग्रहण के समय परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए किए गए निर्धारण का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि या अपेक्षित नकद या नकद समकक्ष की मात्र है, जिसका व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुबंध को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाना है। उचित मूल्य वह कीमत है, जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या मूल्यांकन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

सी) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ("आई.एन.आर".) में प्रस्तुत किए जाते हैं और जब तक अन्य संकेत न दिए गए हों, तब तक सभी मूल्यों को अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार करोड़ में निकटतम रुपये में रखा जाता है। रू. 50,000/- से कम के आंकड़े जिन्हें अलग से दर्ज किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें कोष्ठक में वास्तविक के रूप में दर्शाया जाता है।

डी) वर्तमान बनाम निवर्तमान वर्गीकरण

कंपनी बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान/निवर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान होती है जब वह:

- सामान्य संचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपयोग किए जाने की उम्मीद हो;
- मुख्यत: व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हा; या
- नकद या नकद के समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक विनिमय या देयता के निपटान के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न लगाया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को निवर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान होती है जब:

- इसके सामान्य संचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने की अपेक्षा है:
- यह मुख्यत: व्यापार के उद्देश्य से रखा जाता है:
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है: या
- नकदी या नकदी समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक विनिमय या देयता के निपटान के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न लगाया गया हो।

कंपनी अन्य सभी देनदारियों को निवर्तमान के रूप में वर्गीकृत करती है ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को निवर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी का संचालन चक्र, प्रोसेस के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समतुल्य में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है। चूंकि, कंपनी का सामान्य संचालन चक्र स्पष्ट रूप से अभिज्ञेय नहीं है, इसलिए इसे बारह महीने माना जाता है।

नोट सं. 3

वित्तीय विवरण का पुनर्कथन

भूतलक्षी पुन: विवरण में वित्तीय विवरण के घटकों की मात्रा का निर्धारण, मूल्यांकन और प्रकटीकरण को इस प्रकार ठीक किया जाता है, मानो पहले कभी कोई त्रुटि हुई ही न हो।

इंड-एएस 8 में प्रावधान है कि पूर्व अवधि की त्रुटि को भूतलक्षी पुनर्कथन द्वारा ठीक किया जाएगा, सिवाय उस सीमा तक जब त्रुटि के अवधि-विशेष के प्रभाव या संचयी प्रभाव को निर्धारित करना अव्यावहारिक हो।

इस मानक में यह भी प्रावधान है कि:

(ए) जब वर्तमान अवधि के आरंभ में सभी पूर्ववर्ती अवधि पर किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव का निर्धारण करना अव्यावहारिक हो, तो इकाई, त्रुटि को उत्तरव्यापी प्रभाव से यथाशीघ्र सुधारने के लिए तुलनात्मक जानकारी को पुन: प्रस्तुत करेगी।

(बी) किसी पूर्व अवधि की त्रुटि के सुधार को उस अवधि के लाभ या हानि से बाहर रखा जाएगा, जिसमें त्रुटि पाई गई है। वित्तीय आंकड़ों के किसी भी ऐतिहासिक सारांश सहित, पूर्व अवधि के बारे में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी, यथासंभव पहले से ही पुन: प्रस्तुत की जाती है।

पूर्व अवधि की त्रुटियाँ एक या एक से अधिक पूर्व अवधि के लिए इकाई के वित्तीय विवरण में चूक और गलत विवरण हैं, जो कि विश्वसनीय जानकारी के उपयोग करने में किलता या दुरुपयोग के कारण होती हैं।

(ए) उस समय उपलब्ध था जब उन अवधि के वित्तीय विवरण जारी करने हेतु अनुमोदित किए गए थे; तथा

(बी) यह समुचित रूप से अपेक्षित है कि उसे प्राप्त किया गया होगा तथा वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति में उसे ध्यान में रखा गया होगा।

ऐसी त्रुटियों में गणितीय गलतियाँ, लेखांकन नीतियों को लागू करने में गलतियाँ, तथ्यों की अनदेखी या गलत व्याख्या तथा धोखाधड़ी शामिल हैं।

तदनुसार, व्यावहारिकता के आधार पर इन वित्तीय विवरण में दिनांक 01.04.2024 तक की परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष का पुनर्कथन किया गया है और सभी पूर्व अवधि की त्रुटियोंध्चूक के प्रभाव को वर्ष के लाभ-हानि के विवरण से बाहर रखा गया है, क्योंकि पिछली अवधि का पुनर्कथन व्यावहारिक नहीं है। इनमें शामिल हैं:

प. आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं का पुनर्कथन:

यह कंपनी एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू) है और इसका गठन 16 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने 24 सितंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आयुध निर्माणियों के कार्यों का निगमीकरण करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, सरकार द्वारा किए जा रहे व्यवसाय से संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनके शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर नए डीपीएसयू को हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार, सभी अचल संपत्तियों का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया गया। कंपनी की पूर्ववर्ती बैलेंस शीट के वित्तीय विवरण में इंड-एएस 20 के अनुसार, इन निधियों का लेखा-जोखा रखा गया और उन्हें "सरकारी अनुदान" के रूप में प्रस्तुत किया गया।

इंड एएस 20 के अनुच्छेद 26 के अनुसार, 'सरकारी अनुदानों का लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण' को कंपनी ने सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त निधियों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे उन परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में माना गया है, जिनके लिए निधियां प्राप्त हुई थीं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी की उक्त लेखा नीति पर प्रतिकूल टिप्पणी की। इसका अंश नीचे प्रस्तुत है:

"16 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने 24 सितंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आयुध निर्माणियों के कार्यों का निगमीकरण करने का निर्णय लिया। तदनुसार, सरकार द्वारा किए जा रहे व्यवसाय के संबंध में संपत्ति और देनदारियों को उनके शुद्ध संपत्ति मूल्य पर नए डीपीएसयू को हस्तांतरित कर दिया गया। हालांकि, कंपनी ने 2158.24 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की अनुमानित लागत को सरकारी अनुदान के रूप में माना है, जिसमें से 65.65 करोड़ रुपये की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास को 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में शामिल किया गया था। 31 मार्च 2022 तक कंपनी की बैलेंस शीट में 2092.58 करोड़ रुपये देनदारी के रूप में दर्ज किए गए (निवर्तमान के रूप में 1998.74 करोड़ रुपये और वर्तमान के रूप में 93.84 करोड़ रुपये)।

(iii) इसके परिणामस्वरूप कंपनी के लाभ के साथ-साथ 'अन्य आय' को 65.65 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप सरकारी अनुदान को 2092.58 करोड़ रुपये अधिक तथा 'अन्य इक्विटी' को 2158.24 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है।

उपर्युक्त टिप्पणी के जवाब में कंपनी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और मामले को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) को भेज दिया, जिसमें कंपनी द्वारा सरकार से प्राप्त पूंजीगत परिव्यय (कैपिटल आउटले) के लिए अग्रेनीत निधि के लेखांकन की शुद्धता या अशुद्धता पर राय मांगी गई।

आईसीएआई की ईएसी की राय कंपनी को दिनांक 25.04.2024 को प्राप्त हुई, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई हैं:

"18. समिति ने नोट किया कि मौजूदा मामले में कंपनी के निगमन से पहले आयुध निर्माणियों या व्यवसायों का स्वामित्व और नियंत्रण भारत सरकार के पास आयुध निर्माणी बोर्ड के माध्यम से था और ये व्यवसाय पहले सरकार की ओर से तत्कालीन ओएफबी द्वारा किए जा रहे थे। इसके अलावा, "नई पूंजी" शीर्षक के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए पूर्ववर्ती ओएफबी को अलग से धनराशि आवंटित की जाती थी। इसके अलावा, समिति ने नोट किया कि पहले निर्माणियों द्वारा तैयार किए गए खातों में इन्हें सरकारी अनुदान के रूप में नहीं बल्कि 'पूंजी परिव्यय' के रूप में प्रस्तुत किया गया था और एएस 12 के अंतर्गत आस्थगित आय (डेफर्ड इनकम) के रूप में नहीं माना गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सरकार से प्राप्त धनराशि मालिक की क्षमता में

थी न कि सरकारी अनुदान के रूप में। इसके अलावा, निर्माणियों या व्यवसाय से संबंधित परिसंपत्तियों को कंपनी को हस्तांतरित करने के बाद भी, भारत सरकार कंपनी का स्वामित्व बरकरार रखती है और बदले में, व्यवसाय को नियंत्रित करती है। समिति का मानना है कि ओएफबी के अंतर्गत आयुध निर्माणियों से कंपनी के रूप में कारोबार का पुनर्गठन करने मात्र से सरकार द्वारा ऑनर्स के तौर पर प्रदान किए जा रहे फंड की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि यह इंड एएस 20 के अनुप्रयोग पर सरकारी अनुदान के रूप में हो जाता है। इसलिए, इंड एएस 20 के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान किए गए फंड को सरकारी अनुदान के रूप में कंपनी द्वारा लेखांकन में लिया जाना गलत है।"

आईसीएआई की ईएसी की राय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के मद्देनजर विगत वर्ष के वित्तीय विववरण में उक्त लेखांकन पद्धति में संशोधन कर दिया गया है। हालांकि, विगत वर्ष के लिए प्रयोज्य कर कानून के अनुसार तथा अनवशोषित मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप संपति, संयंत्र तथा उपकरण के कर आधार में परिवर्तन के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार, शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियोंध्देयताओं पर ऐसे परिवर्तन के प्रभाव को निम्नलिखित विधि से किया गया है–

ii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष में सुधार:

कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष में उन परिसंपत्तियों का सुधार किया है जो यद्यपि पूर्ववर्ती ओएफबी (टब पुनर्गठन योजना के अंतर्गत कंपनी का हिस्सा) की संबंधित फैक्टरी द्वारा अधिग्रहित की गई थीं और इस प्रकार कंपनी की इकाई की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य का हिस्सा थीं, लेकिन उन्हें किसी अन्य घटक फैक्टरी द्वारा उपयोग के लिए सौंप दिया गया था। सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार, ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य को चालू वर्ष में अमान्य कर दिया गया है।

iii. सामग्री का सुधार पूर्व अवधि की त्रुटियाँ:

कंपनी ने पूर्व अवधि से संबंधित कई व्यय/क्रेडिट की पहचान की है, जिनकी उस अवधि में गणना नहीं की जा सकी थी।

वित्तीय विवरण के तत्वों पर उपरोक्त पुनर्कथन का प्रभाव नोट संख्या 38 में निहित है।

नोट सं. 4

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

1.1 प्रारंभिक पहचान और मूल्यांकन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम को परिसंपत्ति के रूप में तभी माना जाता है जब यह संभावना हो कि उससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और उसकी लागत का विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जाएगा।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मदों को शुरू में लागत पर माना जाता है। लागत में आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद कर सहित खरीद मूल्य शामिल है, जिसमें व्यापार छूट और रिबेट, परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार कोई भी लागत और डिस्मेंटलिंग, रिमूवल और रिस्टोरेशन की लागत के प्रारंभिक अनुमान का वर्तमान मूल्य शामिल है। ऐसी लागत में संयंत्र और उपकरण के पार्टस् को बदलने की लागत और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए उधार लेने की लागत शामिल है।

इसके बाद लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित हानि को घटाकर मूल्यांकन किया जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भाग का मूल्य महत्वपूर्ण होता है तथा मुख्य परिसंपत्ति की तुलना में उसका उपयोगी जीवनकाल अलग होता है, तो उन्हें अलग से दर्शाया जाता है ।

उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, उनका पूंजीकरण (कैपटलाइजेशन) अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अंतर्गत अनंतिम आधार पर किया जाता है।

स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हैं, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है। अन्य स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंटरी के रूप में रखा जाता है और उपयोग पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है ।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कुछ मदों का अधिग्रहण या निर्माण, हालांकि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी विशेष मौजूदा वस्तु के भविष्य के आर्थिक लाभ को सीधे तौर पर नहीं बढ़ाता है, लेकिन कंपनी के लिए अपनी अन्य परिसंपत्तियों से भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है। ऐसी वस्तुओं को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माना जाता है।

1.2 परवर्ती लागत

परवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रेनीत राशि में तब माना जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत का विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सकेगा।

उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और ओवरहाल पर व्यय को तब कैपिटलाइज किया जाता है, जब वह परिसंपत्ति मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करता है। पिछले निरीक्षण और ओवरहाल की लागत की शेष वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम के प्रमुख भाग को बदलने की लागत को आइटम की वहन राशि के तौर पर जाना जाता है यदि यह संभावना है कि उस भाग में निहित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सकेगा। प्रतिस्थापित भाग (रिप्लेस्ड पार्ट) की वहन राशि को इस बात का ध्यान रखे बिना हटा दिया जाता है कि प्रतिस्थापित भाग का अलग से मूल्यह्रास किया गया है या नहीं। यदि प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है, तो कंपनी प्रतिस्थापन की लागत का उपयोग इस बात के संकेत के रूप में करती है कि प्रतिस्थापित भाग की लागत उस समय क्या थी जब इसे खरीदा या निर्मित किया गया था। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत को लाभ और हानि के विवरण में तब दर्शाया जाता है जब तक वह खर्च होता है।

1.3 डीकमीशनिंग लागत

यदि किसी प्रावधान के मूल्यांकन मानदंड पूरे होते हैं, तो परिसंपत्ति के उपयोग के बाद उसे डीकमिशन करने की अपेक्षित लागत को वर्तमान मूल्य संबंधी परिसंपत्ति की लागत में शामिल कर लिया जाता है ।

1.4 डी-रिकॉग्निशन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तब डी-रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम को डी-रिकॉग्नाइज करने पर लाभ और हानि का निर्धारण निपटान से बिक्री आय, यदि कोई हो, और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और लाभ और उसे हानि के विवरण में दर्शाया जाता है ।

ऐसी परिस्थिति में जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का कोई मद उपयोग लायक नहीं रह जाता है, तो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संबंधी शुद्ध वहन लागत को उसी अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है ।

1.5 मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन)

ऐसी परिसंपत्तियों को छोड़कर,जहाँ अनुसूची II के अनुसार, परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल और प्रबंधन का आँकलन भिन्न है, वहाँ, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है ताकि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित स्ट्रेट लाइन विधि का उपयोग करके, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर परिसंपत्तियों की लागत को घटाकर अवशिष्ट मूल्यों को बट्टे खाते (राइट ऑफ) में डाला जा सके। यदि प्रबंधन का अनुमान भिन्न है, तो उपयोगी जीवनकाल के संबंध में प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, मूल्यह्रास लगाया जाता है।

क्र.सं.	परिसंपत्ति	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवनकाल	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल
I	निर्माणी के भवन	30 वर्ष	30-60 वर्ष
II	निर्माणी के भवनों के अलावा	60 वर्ष	30-60 वर्ष
III	सड़कें (टारसीसी एवं आरसीसी के अलावा)	5 एवं 10 वर्ष	10 वर्ष
IV	संयंत्र और मशीनरी	15 वर्ष	10-20 वर्ष
V	फर्नीचर और फिक्सचर (एयर कंडीशनर और कार्यालय उपकरण सहित)	10 वर्ष	3-10 वर्ष
VI	वाहन	8 वर्ष	3-8 वर्ष
VII	कंप्यूटर (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर)	3 एवं 6 वर्ष	4-5 वर्ष
VIII	प्रयोगशाला उपकरण (सभी QC उपकरण सहित, किंतु निरीक्षण में प्रयुक्त गेज को छोड़कर)	10 वर्ष	10 वर्ष
IX	विद्युत स्थापना और उपकरण	10 वर्ष	10 वर्ष

प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवनकाल उस अवधि को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है जिसके दौरान प्रबंधन को इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवनकाल से अलग है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भाग का उपयोगी जीवनकाल अलग-अलग होता है, तो उन्हें अलग-अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में हिसाब में लिया जाता है और उनके उपयोगी जीवन पर या मूल परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल पर, जो भी कम हो, मूल्यह्रास किया जाता है।

किसी अवधि के दौरान खरीदी/बेची गई संपत्तियों का मूल्यह्रास उपयोग की अवधि के अनुपात में लगाया जाता है। भवन, संयंत्र और मशीनरी के अलावा अन्य संपत्तियों, जिनकी लागत ₹10,000/- से कम है, पर 100% मूल्यह्रास लगाया जाता है।

पूंजीकृत किए गए प्रमुख ओवरहॉल और निरीक्षण लागतों का मूल्यह्रास अगले निर्धारित आउटेज या वास्तविक प्रमुख निरीक्षण/ओवरहाल, जो भी पहले हो, तक की अवधि में किया जाता है। तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर 2 से 40 वर्षों के बीच उपयोगी जीवन को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत पुर्जों का मूल्यह्रास किया जाता है।

जहां यह संभावना है कि किए गए व्यय से प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर बाद के व्यय के साथ-साथ इसकी अशोधित मूल्यह्रास राशि को तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित उपयोगी जीवनकाल पर भावी रूप से चार्ज किया जाता है ।

किसी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास उस तारीख से समाप्त हो जाता है, जिस तारीख को परिसंपत्ति को इंड एएस 105 के अनुसार, बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (या बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में शामिल किया जाता है) और उस तारीख से जब परिसंपत्ति को डी-रिकॉग्नाइज किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवनकाल और मूल्यह्रास के तरीकों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और उपयुक्तता के अनुसार उन्हें भावी रूप से समायोजित किया जाता है ।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवनकाल और मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो आनेवाले समय को लेते हुए/भविष्यलक्षी प्रभाव से, समायोजित(एडजस्ट) किया जाता है ।

II. जारी पूंजीगत कार्य

ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर व्यय की गई लागत, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अपने वांछित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को जारी पूंजीगत कार्य के अंतर्गत वर्गी—त किया जाता है ।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम की लागत, परिसंपत्तियों को प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई अन्य लागत और अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए प्रभावी उधार लागत शामिल हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाला व्यय जब तक कि वे अपने वांछित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते, उन्हें संबंधित परिसंपत्तियों की लागत के आधार पर व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन और आबंटन किया जाता है।

III. अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासोन्मुख अमूर्त परिसंपत्तियां

3.1 प्रारंभिक पहचान और मूल्यांकन

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को तभी माना जाता है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्ति से अपेक्षित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा परिसंपत्ति की लागत का विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सकेगा।

कंपनी द्वारा अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियां, जिनका उपयोगी जीवनकाल सीमित होता है, उनको लागत पर दर्शाया जाता हैं। बाद में, लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि को घटाकर मूल्यांकन किया जाता है। लागत के अंतर्गत आयात शुल्क, व्यापार छूट और रिबेट में कटौती के बाद गैर-वापसी योग्य कर और संपत्ति को उसके वांछित उपयोग के लिए तैयार करने के किसी भी सीधे तौर पर लागू व्यय सहित खरीद मूल्य शामिल है।

विकास गतिविधियों पर व्यय को केवल तभी पूँजीकृत किया जाता है, जब व्यय का विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हों और कंपनी के पास विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या उसे बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन हों।

अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूँजीकरण के लिए पात्र व्यय को तब तक विकासोन्मुख अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में रखा जाता है, जब तक कि वे अपने वांछित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं ।

अनुसंधान व्यय और विकास व्यय, जो उपर्युक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें व्यय के रूप में माना जाता है।

3.2 परवर्ती लागतें

जब यह संभावना हो है कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे तथा मद के लागत का विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सकेगा, तब अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रेनीत राशि में वृद्धि के रूप में माना जाता है ।

3.3 डी- रिकॉग्निशन

अमूर्त परिसंपत्ति को तब मूल्यांकन से वंचित किया जाता है, जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। अमूर्त परिसंपत्ति का मूल्यांकन समाप्त करने पर लाभ या हानि का निर्धारण शुद्ध निपटान आय, यदि कोई हो, और अमूर्त परिसंपत्तियों की अग्रेनीत राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और लाभ तथा हानि के विवरण में दर्शाया जाता है ।

3.4 परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पहचाने जाने वाले सॉफ्टवेयर की लागत, उपयोग के कानूनी अधिकार की अवधि या 5 वर्ष, जो भी कम हो, पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर परिशोधित की जाती है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के कानूनी अधिकार की अवधि या संबंधित परिसंपत्तियों के जीवन, जो भी कम हो, पर सीधी-रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहाँ भी आवश्यक हो, भावी रूप से समायोजित की जाती है ।

IV. बिक्री के लिए रखी गई निवर्तमान परिसंपत्तियाँ

कंपनी निवर्तमान परिसंपत्तियों और डिस्पोजल ग्रुप्स को बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी अग्रेनीत राशि निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से प्राप्त की जाएगी और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है ।

प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसके लिए वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में दर्शाने के लिए अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, और बिक्री की योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से यह संकेत मिलना चाहिए कि इस बात की संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

बिक्री और डिस्पोजल ग्रुप्स के लिए रखी गई निवर्तमान परिसंपत्तियों को उनकी वहन राशि और उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर जो भी कम हो, उसके आधार पर मापा जाता है। बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

V. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी परिसंपत्ति की रिकवरी योग्य राशि का अनुमान लगाती है।

किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की रिकवरी योग्य राशि उसके उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर तथा उसके उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग के अंतर्गत मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी कैश फ्लो को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के वर्तमान मूल्य तथा परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। यह एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति ऐसा कैश फ्लो उत्पन्न न करे जो कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक अलग हों।

कम बिक्री लागत को घटा कर उचित मूल्य निर्धारित करने में, यदि उपलब्ध हो तो, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की पुष्टि अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा की जाती है।

जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी रिकवरी योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उसे उसकी रिकवरी योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है। हानि को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है। सीजीयू के संबंध में दर्शायी गयी हानि को सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि से घटाया जाता है।

साख (गुडविल) को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि पहले दर्शायी गयी हानि अब मौजूद नहीं हो सकती है या कम हो सकती है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति या ब्ळन् की रिकवरी योग्य राशि का अनुमान लगाती है। पहले से दर्शायी गयी हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है जब पिछली हानि को दर्शाये जाने के बाद से परिसंपत्ति की रिकवरी योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो। उलटफेर (रिवर्सल) सीमित है ताकि परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही वह वहन राशि से अधिक हो जो पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई हानि न दर्शाने पर, मूल्यह्रास के शुद्ध मूल्य पर निर्धारित की गई होती।

VI. इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। लागत में खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और इन्वेंटरी को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं। उधार लेने की लागत को छोड़कर, तैयार माल और जारी कार्य के मामले में लागत में प्रत्यक्ष सामग्री और श्रम की लागत और सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर विनिर्माण ओवरहेड्स का अनुपात शामिल है। लागत वेटेड औसत के आधार पर निर्धारित की जाती है। खरीदी गई इन्वेंटरी की लागत छूट, व्यापार छूट और अन्य समान मदों को घटाने के बाद निर्धारित की जाती है।

इंड-एएस 2 के पैरा 32 के अनुसार, यदि तैयार उत्पाद, जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, के लागत पर या उससे अधिक पर बेचे जाने की उम्मीद है, तो इन्वेंटरी के उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्रियों और अन्य आपूर्तियों को लागत से कम नहीं दर्शाया जाता है।

शुद्ध रिकवरी योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य होता है, जिसमें से पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटा दी जाती है। स्टोर और स्पेयर की अप्रचलित, अनुपयोगी, अधिशेष और नॉन – मूविंग वस्तुओं के मूल्य में कमी की समीक्षा करके पता लगाया जाता है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

स्टील स्क्रैप का मूल्यांकन अनुमानित प्राप्य मूल्य पर किया जाता है।

VII. निवेश

ए. संयुक्त उद्यम में निवेश

संयुक्त उद्यमों में निवेश, भारतीय लेखा मानक (इंड अकाउंट्स) में परिवर्तन के समय लागू लागतध्मान्य लागत पर संचित हानि (यदि कोई हो) को घटाकर किया जाता है। जहाँ हानि का संकेत मौजूद हो, वहाँ निवेश की वहन राशि का आकलन किया जाता है और यदि आवश्यक हो, तो उसकी वसूली योग्य राशि तक हानि प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

बी. संपत्ति मे निवेश

- किसी संपत्ति को निवेश संपत्ति तभी माना जाता है जब उसे किराया कमाने औरध्या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखा गया हो। कंपनी द्वारा (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से) रखी गई संपत्तियाँ, जिनका उपयोग प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में किया जाता है, उन्हें निवेश संपत्ति नहीं माना जाता है।
- कंपनी के पास निर्माणी की जमीन और इमारतों, प्रशासनिक भवनों के अलावा अन्य संपत्तियाँ भी हैं जिनका उपयोग कंपनी के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध आवासीय क्वार्टरों के रूप में किया जाता है। कर्मचारियों की सुविधा के उद्देश्य से कंपनी द्वारा रखी गई ऐसी संपत्ति, जिसके लिए केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार न्यूनतम लाइसेंस शुल्क लिया जाता है, निवेश संपत्ति नहीं मानी जाती है।

VIII. वित्तीय साधन – प्रारंभिक पहचान और परवर्ती मूल्यांकन

वित्तीय साधन वह अनुबंध है, जिससे किसी इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन तैयार होता है। कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को तभी मानती है जब वह इंस्ट्रूमेंट के संविदात्मक प्रावधानों की पार्टी बन जाती है।

एऋ वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रारंभिक पहचान और मूल्यांकन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक पहचान होने पर उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है, सिवाय व्यापार प्राप्तियों के, जिन्हें शुरू में लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत, जिनका लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मूल्यांकन नहीं किया जाता है, प्रारंभिक पहचान पर उचित मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं।

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों का परवर्ती मूल्यांकन

परवर्ती मूल्यांकन के उद्देश्य से वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मूल्यांकन किए गए इक्विटी उपकरण
- **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि:

– वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक कैश फ्लो जमा करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना होता है, और

- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों से निर्दिष्ट तिथियों पर कैश फ्लो होता है, जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

यह श्रेणी कंपनी के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि के अंतर्गत वित्त आय में शामिल किया जाता है। हानि से होने वाले नुकसान को लाभ या हानि के अंतर्गत माना जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

- **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि:

- वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक कैश फ्लो को एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, तथा
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों से निर्दिष्ट तिथियों पर कैश फ्लो होता है, जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर आंकलन किया जाता है। उचित मूल्य को अन्य व्यापक आय (oCI) के अंतर्गत माना जाता है। जबकि, कंपनी ब्याज आय, हानि और प्रतिवर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पी एंड एल में दर्शाती है। परिसंपत्ति डी-रिकॉग्नाइज होने पर ओसीआई में पहले से रिकॉग्नाइज्ड संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पी एंड एल में पुनर्वगीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई वित्तीय परिसंपत्ति धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज के रूप में आय को रिपोर्ट किया जाता है।

- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी होती है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को निर्धारित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अन्य व्यापक आय मानदंडों के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य को पूरा करती है। हालाँकि, इस तरह के चयन की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से मूल्यांकन या रिकॉग्निशन असंगतता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है)। कंपनी ने किसी भी ऋण साधन को एफवीटीपीएल के रूप में नामित नहीं किया है ।

प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ऐसे निवेश पर ब्याज आय को ष्अन्य आयष् के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों का डी - रिकॉग्निशन

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को डी - रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब:

- वित्तीय परिसंपत्ति से कैश फ्लो के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं,

या

- कंपनी ने परिसंपत्ति से कैश फ्लो प्राप्त करने के लिए अपने संविदात्मक अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या 'ikl-F:' व्यवस्था के अंतर्गत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी भौतिक विलम्ब के प्राप्त कैश फ्लो का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया हैय और या तो (ए) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और रिवार्ड को मूलत: हस्तांतरित कर दिया है, या (बी) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और लाभ को मूलत: हस्तांतरित या बरकरार नहीं रखा है, बल्कि परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से कैश फ्लो प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित किया है या ikl-F: व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो वह इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिम और लाभों को बरकरार रखा है। जब उसने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और लाभ को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है, तो कंपनी, कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को मानते रहना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी मानती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबद्ध देयता को उस आधार पर मापा जाता है, जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है।

हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी के रूप में निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल अग्रेनीत राशि तथा निर्धारण की अधिकतम राशि, जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है, में से न्यूनतम राशि पर मापा जाता है।

(iV) वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है, जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण इंस्ट्रूमेंट हैं, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है, जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। व्यवसाय मॉडल में बदलाव होने की कम उम्मीद होती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में बदलाव का निर्धारण करता है, जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बदलाव बाहरी पक्षों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव तब होता है जब कंपनी अपने संचालन के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि शुरू या बंद करती है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो वह इसे पुनर्वर्गीकरण की तिथि से लागू करती है, जो व्यवसाय मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद की अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन होता है। कंपनी पहले से दर्शाए गए किसी लाभ, हानि (क्षति लाभ या हानि सहित) या ब्याज संबंधी पुनर्कथन नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरणों तथा उनके लेखांकन के तरीके को दर्शाती है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन उपचार
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर मूल्यांकन किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को पी एंड एल में दर्शाया जाता है ।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य का पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर मूल्याकंन किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को ओसीआई के अंतर्गत दर्शाया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई बदलाव नहीं हुआ।
एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत वहन राशि बन जाती है। हालाँकि, ओसीआई के अंतर्गत संचयी लाभ या हानि को उचित मूल्य पर समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति का इस तरह मूल्यांकन किया जाता है जैसे कि इसे हमेशा परिशोधित लागत पर मूल्यांकन किया जाता था ।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई वहन राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर आंकलन किया जाना जारी है। ओसीआई में पहले से दर्शाए गए संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर पी एडं एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है ।

(ट) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड-एएस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम पर हानि का मूल्यांकन और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

- ऋण के साधन के रुप में आने वाले मद, जैसे-)ण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष आदि का मूल्यांकन वित्तीय परिसंपत्तियों के परिशोधित लागत पर किया जाता है
- व्यापार प्राप्य या नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार, जो इंड-एएस 115 के दायरे में आने वाले लेनदेन के कारण हो

कंपनी निम्नलिखित पर हानि क्षति भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है:

- इंड-एएस 115 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न व्यापार प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्तियां, यदि उनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है
- इंड-एएस 115 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न व्यापार प्राप्तियां या अनुबंध परिसंपत्तियां, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल है, यदि कंपनी धन के सामयिक मूल्य के पृथक्करण को नजरअंदाज करने के लिए व्यावहारिक सुविधा लागू करती है, और
- इंड-एएस 116 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टों से प्राप्य आय (लीज रिसीवेबल्स)

सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करने के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक पहचान से ही, ईसीएल के आधार पर आजीवन हानि भत्ते को दर्शाती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम पर हानि की पहचान के लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि की भरपाई के लिए 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो ईसीएल का आजीवन उपयोग किया जाता है। यदि बाद की अवधि में इन्स्ट्रूमेंट की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो इकाई 12 महीने की ईसीएल के आधार पर हानि की छूट मानने से पलट सकती है।

लाइफटाइम ईसीएल एक वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के अपेक्षित जीवनकाल में सभी संभावित डिफॉल्ट घटनाओं से उत्पन्न होने वाली अपेक्षित क्रेडिट हानियाँ हैं। 12 महीने की ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का एक हिस्सा है, जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर वित्तीय इंस्ट्रूमेंट पर डिफॉल्ट घटनाओं के कारण होती है।

ईसीएल सभी संविदात्मक कैश फ्लो के बीच का अंतर है, जो अनुबंध के अनुसार कंपनी को देय है और सभी कैश फ्लो, जो कंपनी को प्राप्त होने की उम्मीद है द्धयानी, नकदी की सभी कमी), मूल ईआईआर पर छूट दी गई है। नकदी प्रवाह का अनुमान लगाते समय इकाई को निम्न पर विचार करना आवश्यक है:

- वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) की अपेक्षित अवधि के दौरान वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तें द्धपूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्पों सहित)। हालाँकि, दुर्लभ मामलों में जब वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवनकाल का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सके, तो कंपनी को वित्तीय साधन की शेष संविदात्मक अवधि का उपयोग करना आवश्यक होगा।
- एक ही प्रकार की बिक्री या अन्य ऋण वृद्धि से कैश फ्लो जो संविदात्मक शर्तों का अभिन्न अंग हैं

इस अवधि के दौरान मान्य ईसीएल हानि भत्ता (या विपर्यय) को लाभ और हानि (पी एंड एल) के विवरण में आयध्व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। यह राशि पी एंड एल में "अन्य व्यय" शीर्षक के अंतर्गत एक अलग पंक्ति में दिखाई देती है। विभिन्न वित्तीय साधनों (इंस्ट्रूमेंट) के लिए बैलेंस शीट का प्रस्तुतिकरण नीचे दिया गया है:

- परिशोधित लागत, अनुबंध परिसंपत्तियों और पट्टा प्राप्तियों के रूप में दर्शायी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ: ईसीएल को भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात बैलेंस शीट में उन परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के एक अभिन्न अंग के रूप में। भत्ता शुद्ध वहन राशि को कम करता है। जब तक परिसंपत्ति राइट-ऑफ मानदंड को पूरा नहीं करती, तब तक कंपनी सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

ऋण जोखिम और क्षति से होने वाली हानि में वृद्धि का आकलन करने के लिए, कंपनी साझा ऋण जोखिम विशेषताओं के आधार पर वित्तीय साधनों को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य विश्लेषण को सुविधाजनक बनाना है, जो ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि को समय पर पहचानने में सक्षम बनाता है।

कंपनी के पास कोई भी क्रय या मूलत: क्रेडिट इंपेयर्ड (पीओसीआई) वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है, अर्थात ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां जो क्रय/उत्पत्ति पर क्रेडिट इंपेयर्ड हैं।

बी) वित्तीय देनदारियाँ

(i) वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक पहचान और मूल्यांकन

वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक पहचान में लाभ या हानि, ऋण और उधार, देयताओं, या प्रभावी बचाव में हेजिंग इंस्ट्रूमेंटस् में डेरिवेटिव के रूप में निर्धारण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सभी वित्तीय दायित्वों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर माना जाता है, जिसमें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न किए गए वित्तीय दायित्वों के मामले में वित्तीय दायित्वों के निर्गमन के कारण होने वाली लेनदेन लागत को घटा दिया जाता है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार आदि शामिल हैं।

(ii) वित्तीय देनदारियों का परवर्ती मूल्यांकन

वित्तीय देनदारियों का मूल्यांकन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- **लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) पर वित्तीय देयताएं**

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक पहचान पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बशर्ते वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं।

व्यापार के लिए रखे गए दायित्वों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में दर्शाया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक पहचान पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को पहचान की प्रारंभिक तिथि पर निर्धारित किया जाता है और केवल तभी जब इंड – एएस 109 के अंतर्गत मानदंड पूरे होते हैं। एफवीटीपीएल के तौर पर निर्धारित देनदारियों के लिए स्वयं के क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीआई में दर्शाया जाता है। इन लाभ/हानि को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। हालाँकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी भी वित्तीय देयता को निर्धारित नहीं किया है।

- **ऋण और उधारी**

प्रारंभिक पहचान के बाद ब्याज-प्रभाव वाली उधारी को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि के अंतर्गत तब माना जाता है, जब देनदारियों को डी-रिकॉग्नाइज किया जाता है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी हटा दिया जाता है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

(iii) वित्तीय देनदारियों का डी - रिकॉग्निशन

वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा) को उसके बैलेंस शीट से केवल तभी हटाया जाता है, जब वह समाप्त हो जाता है, यानी जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व पूरा हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है,

या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को कही हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व का डी-रिकॉग्निशन करने और एक नए दायित्व के रिकॉग्निशन के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

सी) वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

यदि दर्शायी गयी राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार हैं और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं का एक साथ निपटान करने का इरादा है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है।

(iv). उचित मूल्य निर्धारण

उचित मूल्य वह मूल्य है, जो मूल्यांकन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारण इस धारणा पर आध ाारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने का लेनदेन या तो होता है:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में या
- किसी प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में।

मुख्य या सर्वाधिक लाभप्रद बाजार कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं के आधार पर निर्धारित जाता है, जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय करते हैं, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं।

किसी गैर-वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य निर्धारण, परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करके या उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर, जो परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करते हुए आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की बाजार प्रतिभागी की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

प्रासंगिक दृष्टिगत इनपुट के उपयोग को अधिकतम करते हुए और अकृष्टिगत इनपुट के उपयोग को न्यूनतम करते हुए कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य निर्धारण हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं ।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य निर्धारण किया जाता है या प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अप्राप्य है।

वित्तीय विवरण में आवर्ती आधार पर पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके (सबसे निचले स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है) यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुआ है या नहीं।

कंपनी का प्रबंधन आवर्ती उचित मूल्य निर्धारण, जैसे व्युत्पन्न (derivative) इंस्ट्रूमेटस, तथा गैर-आवर्ती मूल्यांकन, जैसे बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ, दोनों के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है।

महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों जैसे कि संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं को शामिल किया जाता है। प्रबंधन द्वारा हर साल बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं की भागीदारी पर निर्णय लिया जाता है। चयन मानदंडों के अंतर्गत बाजार की जानकारी, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और पेशेवर मानकों को बनाए रखा जाता है अथवा नहीं, ये सब शामिल हैं। कंपनी के बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं के साथ चर्चा के बाद प्रबंधन यह तय करता है कि प्रत्येक मामले के लिए कौन सी मूल्यांकन तकनीक और इनपुट का उपयोग किया जाए।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करता है, जिन्हें कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार पुन: निर्धारित या पुन: मूल्यांकित किया जाना आवश्यक है। इस विश्लेषण के लिए प्रबंधन अनुबंधों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के लिए मूल्यांकन गणना में दी गई जानकारी से सहमत होकर नवीनतम मूल्यांकन में लागू किए गए प्रमुख इनपुट को सत्यापित करता है।

प्रबंधन, कंपनी के बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं के साथ मिलकर प्रत्येक परिसंपत्ति और देयता के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना प्रासंगिक बाह्य स्रोतों से करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह परिवर्तन वार्षिक आधार पर उचित है या नहीं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए कंपनी ने परिसंपत्ति या देयता की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गों का निर्धारण किया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

यह नोट उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीति का सारांश प्रस्तुत करता है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण संगत नोट में दिए गए हैं।

- महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और मान्यताएँ
- उचित मूल्यांकन पदानुक्रम का मात्रत्मक प्रकटीकरण
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की ट्रांजिशन की तिथि पर उचित मूल्यांकन
- वित्तीय इंस्ट्रूमेंटस् (परिशोधित लागत पर वहन किये जाने वाले इंस्ट्रूमेटस् सहित)

X. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान को तब दर्शाया जाता है, जब किसी पूर्व प्रसंग के परिणामस्वरूप, कंपनी के पास कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है, जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सके और यह संभावना हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्गन की आवश्यकता होगी। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो प्रावधान पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किए जाते हैं, जो धन के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में माना जाता है ।

प्रावधान के रूप में दर्शायी गयी राशि, रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान है, जिसमें दायित्व से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से रिकवर किए जाने की उम्मीद हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा, यदि यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकित किया जा सकेगा। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को, यदि कोई हो तो, प्रतिपूर्ति के शुद्ध लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

दुर्भर अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है, जिसमें अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती है। एक अनुबंध के अंतर्गत अपरिहार्य लागत अनुबंध से बाहर निकलने की सबसे कम शुद्ध लागत को दर्शाती है, जो इसे पूरा करने की लागत और इसे पूरा करने में किलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुआवजे या दंड में से कम होता है। कंपनी, एक प्रावधान के रूप में, किसी दुर्भर अनुबंध के अंतर्गत वर्तमान दायित्व को दर्शाती है। हालाँकि, किसी दुर्भर अनुबंध के लिए एक अलग प्रावधान करने से पहले कंपनी उस अनुबंध के लिए रखा गयी परिसंपत्तियों पर हुई हानि को दर्शाती है।

आकस्मिक देयताएँ संभावित दायित्व हैं, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहाँ यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के आउट फ्लो की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाएगा, जब तक कि आर्थिक लाभ के आउट फ्लो की संभावना दूर की बात न हो। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरण में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास वित्तीय विवरण में उचित रूप से परिलक्षित हो।

निष्पादन गारंटी और बिक्री की गई वस्तुओं के रिप्लेसमेंट/मरम्मत के कारण व्यय का प्रावधान ट्रेंड-आधारित अनुमानों के आधार पर किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां ट्रेंड का पता नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर वारंटी का प्रावधान किया जाता है।

XI. नकद और नकद के समतुल्य

बैलेंस शीट में नकद और नकद के समतुल्य में बैंकों और हाथ में मौजूद नकदी तथा तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाली अल्पकालिक जमा राशियां शामिल होती हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन होती हैं।

कैश फ्लो विवरण के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी और अल्पावधि जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट की शुद्ध राशि को कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

XII. राजस्व की मान्यता

ए. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

i. कंपनी को मुख्य रूप से आर्टिलरी गन, फील्ड गन, आयुध और छोटे हथियारों तथा संबंधित सेवाओं की बिक्री से राजस्व प्राप्त होता है। राजस्व तब माना जाता है जब (या जैसे) कंपनी किसी ग्राहक को वादा किया गया सामान या सेवा (टर्थात कोई परिसंपत्ति) हस्तांतरित करके निष्पादन दायित्व को पूरा करती है।

ii. समय के सापेक्ष निष्पादन दायित्व की संतुष्टि

ए. राजस्व को समय के सापेक्ष माना जाता है, जहां वस्तुओं या सेवाओं के नियंत्रण का हस्तांतरण उस निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में समय के सापेक्ष प्रगति के मूल्यांकन के साथ होता है, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक पूरा होता है:

- कंपनी का निष्पादन ग्राहक को कंपनी के निष्पादन के साथ-साथ लाभ प्राप्त करने और उपयोग करने का अधिकार देता है।
- कंपनी का निष्पादन किसी परिसंपत्ति का सृजन या वृद्धि करता है, जिसे ग्राहक परिसंपत्ति के निर्माण या वृद्धि के दौरान नियंत्रित करता है।
- कंपनी का निष्पादन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग वाली कोई परिसंपत्ति निर्मित नहीं करता है और कंपनी के पास उस दिन तक पूरे किए गए निष्पादन के लिए भुगतान पाने का बाध्यकारी अधिकार होता है।

बी. निष्पादन दायित्व को पूरा करने की दिशा में की गई प्रगति का मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि तक अनुबंध पर किए गए वास्तविक व्यय और अनुबंध को पूरा करने के लिए अपेक्षित अनुमानित कुल व्यय के अनुपात के आधार पर किया जाता है। यदि निष्पादन दायित्व के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और जहां यह संभावना है कि लागत रिकवर हो जाएगी, तो व्यय की गई लागत की सीमा तक राजस्व को दर्शाया जाता है।

iii. किसी समय पर निष्पादन दायित्व की पूर्ति

ए. ऐसे मामलों में जहां नियंत्रण का हस्तांतरण समय के सापेक्ष नहीं होता है, कंपनी निष्पादन दायित्वों को पूरा कर लेने पर उस राजस्व को दर्शाती है।

बी. जब ग्राहक परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तो निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है। नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कंपनी ने परिसंपत्ति का भौतिक कब्जा हस्तांतरित कर दिया है
- ग्राहक के पास परिसंपत्ति का कानूनी स्वामित्व है
- ग्राहक ने परिसंपत्ति स्वीकार कर ली है
- जब कंपनी के पास परिसंपत्ति के भुगतान का अधिकार हो
- ग्राहक के पास परिसंपत्ति के जोखिम और लाभ का अहम स्वामित्व हो। महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ स्वामित्व के हस्तांतरण का मूल्यांकन अनुबंधों की इन्को-टर्म्स के आधार पर किया जाता है।

कार्य-पूर्व अनुबंध - कार्य-पूर्व अनुबंध के मामले में राजस्व को तब दर्शाया जाता है जब निर्दिष्ट माल को पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद, यदि आवश्यक हो, बिना शर्त अनुबंध में विनियोजित किया जाता है।

एफओआर अनुबंधों के मामले में, राजस्व को तब दर्शाया जाता है जब माल को पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद खरीदार को भेजने के लिए वाहक को सौंप दिया जाता है, यदि निर्धारित हो तो, और एफओआर गंतव्य अनुबंधों के मामले में, यदि लेखांकन अवधि के भीतर माल के गंतव्य तक पहुंचने की समुचित संभावना होती है।

iv. मूल्यांकन

ए. राजस्व को लेनदेन मूल्य की राशि पर दर्शाया जाता है, जिसे निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है।

लेन-देन मूल्य वह राशि है, जिसे कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में पाने की उम्मीद करती है, जिसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है।

मूल्य वृद्धि और ईआरवी के मामले में राजस्व को अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ग्राहक से प्राप्त होने वाली सबसे संभावित राशि के रूप में माना जाता है।

बी. ऐसे मामले में जहां अनुबंध में एकाधिक निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं, कंपनी प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए सापेक्ष एकल विक्रय मूल्य के आधार पर लेनदेन मूल्य आवंटित करती है।

बहु तत्व - ऐसे मामलों में जहां इंस्टालेशन और कमीशनिंग या कोई अन्य अलग से पहचाने जाने योग्य घटक निर्धारित किया गया है और उसके लिए मूल्य पर अलग से सहमति हुई है, कंपनी लेनदेन के अलग से पहचाने गए घटकों (माल की बिक्री और इंस्टालेशन और कमीशनिंग आदि) पर निर्धारण मानदंड लागू करती है और उनके स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर उन अलग घटकों को राजस्व आवंटित करती है।

v. दंड

किसी अनुबंध में निर्दिष्ट दंड (डिलीवरी में देरी के लिए निश्चित क्षतिपूर्ति सहित) को लेनदेन मूल्य का अंतर्निहित भाग नहीं माना जाएगा, यदि उस पर लगाया गया जुर्माना ग्राहक द्वारा समीक्षा के अधीन हो।

vi. महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक

रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त अग्रिम राशि को महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक निर्धारित करने के लिए नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य अनुबंधित पार्टियों के हितों की रक्षा करना है।

बी. अन्य आय

i. ब्याज से आय

परिशोधित लागत पर मूल्यांकित सभी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत ब्याज वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके ब्याज से हुई आय दर्ज की जाती है। ईआईआर वह दर है, जो वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स के अपेक्षित जीवनकाल या कम अवधि में अनुमानित भविष्य की नकदी प्राप्तियों को, जहां उपयुक्त हो, वित्तीय परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कंपनी वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार,

कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित कैश फ्लो का अनुमान लगाती है लेकिन अपेक्षित क्रेडिट घाटे पर विचार नहीं करती है। लाभ या हानि के विवरण में ब्याज से हुई आय को अन्य आय के रूप में शामिल किया जाता है।

ii. बीमा संबंधी दावे

बीमा के कारण प्राप्त होने वाले दावों का लेखा उस सीमा तक किया जाता है, जहां तक कंपनी को उनके अंतिम प्राप्ति के बारे में समुचित विश्वास हो।

iii. किराये से आय

संचालित पट्टों से प्राप्त आय को पट्टा अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जब तक कि किराये में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति के अनुरूप न हो या अन्यथा उचित न हो।

iv. अन्य आय

अन्य आय, जिसका ऊपर विशेष उल्लेख नहीं किया गया है, को उपार्जन आधार पर माना जाता है।

XIII. कर्मचारी लाभ

सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 से उत्पादन इकाइयों और चिन्हित गैर-उत्पादन इकाइयों (अनुलग्नक ए में निर्धारित संरचना के अनुसार) से संबंधित ओएफबी (समूह ए, बी और सी) के सभी कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 37ए के अनुसार, नियुक्ति तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभ में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर नए डीपीएसयू में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसे आगे 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

नए डीपीएसयू में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू सभी मौजूदा नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन बने रहेंगे, जिनमें उनके वेतनमान, भत्ते, अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं, कैरियर प्रगति और अन्य सेवा-शर्तें शामिल हैं।

सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों का वहन सरकार द्वारा रक्षा पेंशन के लिए रक्षा मंत्रालय ("एमओडी") के बजट से किया जाता रहेगा।

दिनांक 01.01.2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रचलन में है और इसे नए डीपीएसयू द्वारा अपनाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू सभी विशेष प्रावधानों को जारी रखना शामिल है।

कंपनी के अन्य सभी कर्मचारियों के लिए, कंपनी के पास कोई संरचित कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना नहीं है। हालाँकि, "ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972" के अनुसार सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या अन्य किसी भी स्थिति में रोजगार की समाप्ति पर कंपनी निहित कर्मचारियों को एकमुश्त राशि प्रदान करती है। यह राशि संबंधित कर्मचारी की अंतिम आहरित राशि पर आधारित होती है। वेतन और कार्यकाल रोजगार के साथ कंपनी कोई अंशदान नहीं करती है तथा जब और जैसै कोई दावा किया जाता है, कंपनी अपने स्रोतों से ग्रेच्युटी देयता को पूरा करती है।

अल्पावधि कर्मचारी लाभ

बारह महीने की सेवा के अंदर देय सभी कर्मचारी लाभ को अल्पकालिक लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे लाभों में वेतन, मजदूरी, बोनस, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति, पुरस्कार, अनुग्रह राशि, परफॉरमेंस वेतन आदि शामिल हैं और इन्हें उस अवधि के अंतर्गत माना जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

XIV. आयकर

कर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, सिवाय उस सीमा तक जब यह सीधे औसीआई या इक्विटी के अंतर्गत माने गए मदों से संबंधित हो, जिस स्थिति में इसे क्रमश: ओसीआई या इक्विटी में दर्शाया जाता है।

चालू कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है, जिसकी गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन का उपयोग करके की जाती है।

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रेनीत राशिय और परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर, बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके दर्शाया जाता है ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को आगे ले जाने तथा किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे के लिए माना जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को आगे ले जाने तथा अप्रयुक्त कर घाटे का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते:

- कटौती योग्य अस्थायी अंतर से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति किसी लेनदेन में परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक पहचान के कारण है, जो व्यवसाय संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय न तो लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करती है;
- सहायक कंपनियों, सहयोगियों तथा संयुक्त व्यवस्थाओं में हितों में निवेश से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक माना जाता है, जहां यह संभावना हो कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में विपरीत हो जाएंगे तथा कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके लिए अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकेगा।

निम्नलिखिति के अलावा, आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए माना जाता है:

- जब आस्थगित कर देयता किसी ऐसे लेनदेन में साख (गुडविल) या परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक पहचान के कारण है, जो व्यवसाय संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय, न तो लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है;
- सहायक कम्पनियों में निवेश और संयुक्त व्यवस्थाओं में हितों से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में, जब अस्थायी अंतरों के विपरीत होने के समय को नियंत्रित किया जा सकता है और यह संभावना रहती है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में विपरीत नहीं होंगे।

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर, अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है, बशर्ते वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, सिवाय उस सीमा के जब यह सीधे ओसीआई या इक्विटी में दर्शायी गयी वस्तुओं से संबंधित हो, जिस स्थिति में इसे क्रमश: ओसीआई या इक्विटी में माना जाता है। कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस सीमा तक माना जाता है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिसके लिए कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उन्हें इस सीमा तक कम किया जाता है कि यह अब संभव नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिससे आस्थगित कर परिसंपत्तियों के सभी या हिस्से का उपयोग किया जा सके।

XV. विदेशी मुद्रा लेनदेन और विनिमय

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को प्रारंभ में फंक्शनल करेंसी स्पॉट विनिमय दरों पर उस तिथि पर दर्ज किया जाता है, जिस तिथि को लेनदेन पहली बार मान्यता के लिए पात्रता हासिल करता है।

विदेशी मुद्राओं के मूल्य वर्ग में मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक करेंसी का विनिमय स्पॉट पर किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या विनिमय से होने वाले अंतर को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, जिसमें यह उत्पन्न होता है।

विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग में गैर-मौद्रिक आइटम, जिन्हें ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मूल्यांकित किया जाता है, उन्हें लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मूल्यांकित गैर-मौद्रिक वस्तुओं को उचित मूल्य निर्धारित होने की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके रूपांतरित किया जाता है। उचित मूल्य पर मूल्यांकित गैर-मौद्रिक वस्तुओं के रूपांतरण पर होने वाले लाभ या हानि को आइटम के

उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ या हानि के अनुरूप माना जाता है द्धयानी, उन वस्तुओं पर रूपांतर अंतर जिनके उचित मूल्य लाभ या हानि को ओसीआई या लाभ या हानि में माना जाता है, उन्हें भी क्रमश: ओसीआई या लाभ या हानि में दर्शाया जाता है)।

विदेशी मुद्रा में प्राप्त या भुगतान किए गए अग्रिम के मामले में संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या उसके भाग) की प्रारंभिक पहचान पर उपयोग किए जाने वाले विनिमय दर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए लेनदेन की तिथि वह होती है, जब कंपनी अग्रिम के भुगतान या प्राप्ति से उत्पन्न होने वाली गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर-मौद्रिक देयता को प्रारंभिक रूप से मानती है ।

XVI. प्रति शेयर आय

मूल ईपीएस की गणना कंपनी के साधारण इक्विटी धारकों को वर्ष के लिए होने वाले लाभ/हानि को वर्ष के दौरान बकाया साधारण शेयरों के वेटेड एवरेज नंबर से विभाजित करके की जाती है।

डाइल्युटेड ईपीएस की गणना मूल कंपनी के साधारण इक्विटी धारकों को होने वाले लाभ/हानि को वर्ष के दौरान बकाया साधारण शेयरों के प्रभारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, साथ ही साधारण शेयरों के प्रभारित औसत संख्या को भी विभाजित किया जाता है, जो सभी डाइल्युट होने वाले साधारण शेयरों को साधारण शेयरों में परिवर्तित करने पर जारी की जाएगी।

XVII. कैश फ्लो विवरण

कैश फ्लो विवरण इंड एएस 7- कैश फ्लो विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

XVIII. उत्पादों की खरीद

उत्पाद की खरीद के मामले में, खरीद का दायित्व तभी दर्ज किया जाता है, जब उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण में पास हो जाता है और ऐसी खरीद के संबंध में सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं।

XIX. पट्टे

ए. कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

तीसरे पक्ष के साथ अनुबंध, जो कंपनी को किसी परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार देता है, का लेखांकन भारतीय लेखा मानक 116 - "पट्टे" के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है, बशर्ते लेखांकन मानक में निर्दिष्ट मान्य मानदंडों को पूरा किया गया हो।

अल्पावधि पट्टे (बारह महीने या उससे कम अवधि) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टे से संबंधित पट्टा भुगतान, पट्टा अवधि या अन्य व्यवस्थित आधार पर, जैसा भी लागू हो, स्ट्रेट लाइन के आधार पर व्यय के रूप में प्रभारित किए जाते हैं।

प्रारंभ होने की तिथि पर, ष्उपयोग के अधिकारष् का मूल्य बकाया पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के साथ-साथ अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने और विघटित करने की किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अनुमानित लागत (यदि कोई हो) को जोड़कर पूंजीकृत किया जाता है।

पट्टे के लिए देयता बकाया पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि के लिए बनाई जाती है। बाद में किसी प्रकार का मूल्यांकन करने के लिए लागत मॉडल का उपयोग किया जाता है।

प्रत्येक पट्टा भुगतान सृजित देयता और वित्तीय लागत के बीच आवंटित किया जाता है। वित्तीय लागत को पट्टा अवधि के लाभ-हानि विवरण में इस प्रकार दर्ज किया जाता है कि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष पर एक स्थिर आवधिक ब्याज दर प्राप्त हो।

परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि में से जो भी कम हो, उस पर स्ट्रेट लाइम के आधार पर किया जाता है।

पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में छूट दी जाती है, बशर्ते वह दर निर्धारित की जा सके, या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जा सके।

यदि मानक में निर्दिष्ट मान्य मानदंड पूरे होते हैं तो पट्टें संबंधी संशोधनों को, यदि कोई हो, एक अलग पट्टे के रूप में गणना की जाएगी

बी. पट्टादाता के रूप में कंपनी:

पट्टों को भारतीय लेखा मानक 116 - पट्टों में निर्दिष्ट मान्य मानदंडों के आधार पर वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

i. वित्त पट्टा

आरंभ होनो की तिथि पर, "पट्टे में शुद्ध निवेश" के बराबर राशि प्राप्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है। "पट्टे में शुद्ध निवेश" के मूल्यांकन के लिए अंतर्निहित ब्याज दर का उपयोग किया जाता है।

प्रत्येक पट्टे के भुगतान को सृजित प्राप्य और वित्तीय आय के बीच आवंटित किया जाता है। वित्तीय आय को पट्टे की अवधि के लाभ-हानि विवरण में इस प्रकार दर्शाया जाता है कि पट्टे में शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की एक स्थिर आवधिक दर परिलक्षित हो।

परिसंपत्ति का परीक्षण भारतीय लेखा मानक 109-वित्तीय उपकरण के अनुसार डी-रिकाग्निशन और क्षति आवश्यकताओं के लिए किया जाता है।

यदि मानक में निर्दिष्ट मान्य मानदंड पूरे होते हैं, तो पट्टे संबंधी संशोधनों को, यदि कोई हो, एक अलग पट्टे के रूप में गणना की जाएगी।

ii. संचालन पट्टा:

कंपनी, यदि आवश्यक हो तो, परिचालन पट्टों से प्राप्त पट्टा भुगतान को या तो स्ट्रेट लाइन के आधार पर या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

यदि मानक में निर्दिष्ट मान्य मानदंड पूरे होते हैं, तो पट्टा संबंधी संशोधनों को, यदि कोई हो, एक अलग पट्टे के रूप में गणना की जाएगी।

किसी पट्टे को आरंभिक तिथि पर वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

XX. सेगमेंट रिपोर्टिंग:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 1/2/2014-सीएल-वी दिनांक 23.02.2018 के माध्यम से रक्षा उत्पादन में लगी सरकारी कंपनियों को इंड-एएस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट के उपयोग की सीमा तक छूट दी है।

कंपनी इंड एएस नियमों के अनुलग्नक के भाग ए में निर्धारण के अनुसार, इंड एएस, जो कि निर्दिष्ट हैं, कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। हालाँकि, यदि कानून में बाद के संशोधनों के कारण, कोई विशेष इंड एएस को कानून के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो उक्त कानून के प्रावधान लागू होंगे और वित्तीय विवरण ऐसे कानून के अनुरूप तैयार किए जाने चाहिए।

इस प्रकार सेगमेंट संबंधी जानकारी का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

XXI.रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजित की जाने वाली घटनाएँ ऐसी घटनाएँ हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान स्थितियों का और अधिक साक्ष्य प्रदान करती हैं। इश्यू के लिए प्राधिकृत करने से पहले, वित्तीय विवरणों को ऐसी घटनाओं में समायोजित किया जाता है। समायोजित न की जाने वाली घटनाएँ ऐसी घटनाएँ हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद उत्पन्न स्थितियों का संकेत देती हैं। रिपोर्टिंग तिथि के बाद समायोजित न की जाने वाली घटनाओं का हिसाब नहीं रखा जाता बल्कि उन्हें प्रकट किया जाता है।

XXII.अपवाद स्वरूप मद

आय या व्यय का वह मद जिसके आकार, प्रकार या घटना के कारण कंपनी के निष्पादन के तालमेल में सुधार करने के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, उसे अपवाद स्वरूप मद माना जाता है तथा उसका प्रकटीकरण लेखा टिप्पणियों में किया जाता है।

XXIII. हाल की घोषणाएँ

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एमसीए ने कंपनी पर लागू किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

नोट सं. 5

जटिल लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता का प्रमुख स्रोत

कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण को तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है, जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और संलग्न प्रकटीकरण तथा आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं, जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता होती है। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं, जिन्हें परिस्थितियों के अंतर्गत उचित और विवेकपूर्ण माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान और आधारभूत मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में माने जाते हैं, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य में प्रभावित होने वाली किसी भी अवधि में माने जाते हैं।

निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय और आकलन वे हैं जो कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा किए गए हैं और जिनका वित्तीय विवरणों में दर्शायी गयी राशि औरध्या आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोतों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रेनीत राशि में महत्वपूर्ण समायोजन होने का गंभीर जोखिम हो सकता है।

I. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल कई कारकों पर आधारित होता है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव और परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के कैश फ्लो को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव के स्तर पर व्यय शामिल होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कंपनी के परिसंपत्ति आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दर्शाते हैं। ऐसी परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और उसके अवशिष्ट मूल्य के आधार पर निकाला जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करती है।

II. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की रिकवरी योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि, विशेष रूप से अपेक्षित बाजार परिदृश्य तथा संयंत्रें से जुड़े भावी कैश फ्लो के बारे में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन वसूली योग्य राशि के मूल्यांकन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

III. बिक्री हेतु निर्धारित परिसंपत्तियाँ

इंड एस 105 – 'बिक्री के लिए निर्धारित निवर्तमान परिसंपत्तियां और बंद किए गए संचालन' के अंतर्गत बिक्री निर्धारित परिसंपत्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रयोज्यता का आकलन करने में प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए संपत्ति की उपलब्धता, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के भीतर बिक्री की संभावना का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूली जाएगी न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से।

IV. वित्तीय इंस्ट्रूमेंटस् का उचित मूल्यांकन

जब बैलेंस शीट में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, तो मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके उनका उचित मूल्यांकन किया जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहाँ संभव हो, वहाँ –ष्टिगोचर होने वाले बाजार से लिए जाते हैं, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, वहाँ उचित मूल्य निर्धारित करने में कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट के घटक शामिल होते हैं। इन कारकों से संबंधित पूर्वानुमानों में परिवर्तन से वित्तीय इंस्ट्रूमेटस के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।

V. आयकर

वर्तमान और आस्थगित कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल होते हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतानध्वसूली जाने वाली अपेक्षित राशि भी शामिल होती है।

VI. इन्वेंटरी

इन्वेंटरी प्रावधान को उन मामलों के लिए दर्शाया जाता है, जहां प्राप्त मूल्य इन्वेंटरी वहन मूल्य से कम होने का अनुमान होता है। इन्वेंटरी प्रावधान का अनुमान विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है, जिनमें इन्वेंटरी आइटम की मौजूदा बिक्री कीमतें, आइटम की बिक्री प्रोफाइल की समयानुकूलता और समाप्तध्स्लो मूविंग इन्वेंटरी आइटम से जुड़े नुकसान शामिल होते हैं।

VII. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

हानि तब होती है जब किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है, जो उसके उचित मूल्य में से डिस्पोजल की लागत और उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, होती है। उचित मूल्य में से डिस्पोजल की लागत की गणना, समान परिसंपत्तियों के लिए निष्पक्ष रुप से संपादित किए गए बाध्यकारी बिक्री लेनदेन से उपलब्ध आंकड़ों या परिसंपत्ति के डिस्पोजल के लिए बढ़ती लागतों को घटाकर दृष्टिगोचर होने वाले बाजार मूल्य की जाती है। प्रचलित मूल्य की गणना डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है। कैश फ्लो अगले पांच वर्षों के बजट से प्राप्त होते हैं और इसमें नवीनीकरण की गतिविधियाँ शामिल नहीं होती हैं जो कंपनी अभी तक करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है या भविष्य के महत्वपूर्ण निवेश जो कि परीक्षण किए जा रहे सीजीयू की परिसंपत्ति के कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे। रिकवर योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह और बाह्य गणन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली विकास दर के प्रति संवेदनशील होती है।

VIII. प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन इंड एएस 37-'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभाव्यता के मूल्यांकन के लिए मुमकिन नुकसान के जोखिम की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अप्रत्याशित घटनाक्रमों के बाद यदि परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो यह संभावना बदल सकती है।

व्यवसाय के सामान्य क्रम में, कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देनदारियां आ सकती हैं। वित्तीय विवरण में इसके लिए समुचित प्रकटीकरण किया गया है।

कुछ दायित्व ऐसे हैं, जिनके बारे में प्रबंधन ने सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि भुगतान की संभावना नहीं है या उन्हें विश्वसनीय रूप से निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, और ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना जाता है और नोटस् में प्रकट किया जाता है, लेकिन वित्तीय विवरण में देनदारियों के रूप में नहीं दर्शाया जाता है। हालाँकि, कंपनी जिस कानूनी कार्यवाही में शामिल है, उसके अंतिम परिणाम के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है लेकिन यह उम्मीद नहीं की जाती है कि ऐसी आकस्मिकताओं का इसकी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

IX. संयुक्त उपक्रम की कंपनियों में निवेश का हानि परीक्षण

संयुक्त उद्यम की कंपनियों में निवेश की वसूली योग्य राशि, विशेष रूप से निवेशित कंपनी के संचालन से जुड़े भविष्य के कैश फ्लो के बारे में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित होती है। इन मान्यताओं में कोई भी बदलाव वसूली योग्य राशि के निर्धारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

वित्तीय विवरण के लिए स्टैंडअलोन नोट

नोट 6: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

करोड़ रु. में

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	लीजहोल्ड भूमि (नोट 32बी देखें)	भवन	संयंत्र और मशीनरी	फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	वाहन	कंप्यूटर, सर्वर और नेटवर्क	कुल	CWIP
सकल वहन राशि										
31 मार्च, 2023 तक	32.04	(₹ 3/-)	384.70	1,648.76	1.31	3.30	7.64	3.67	2,081.42	270.89
समायोजन	–	–	-3.50	5.66	0.28	-2.45	–			
वृद्धि	–	–	43.79	58.51	1.20	0.06	0.05	2.61	106.22	21.73
सक्रिय उपयोग हेतु अनुपयोगी परिसंपत्तियाँ	–	–	0.01	7.20	–	–	0.02	–	7.23	–
पुनर्कथन के कारण परिवर्तन	–	–	0.41	3.53	–	–	0.02	-0.01	3.95	
कटौतियाँ	–	–	0.01	1.20	–	0.02	0.09	0.08	1.40	84.33
31 मार्च, 2024 तक	32.04	(₹ 3/-)	425.38	1,708.06	2.79	0.89	7.60	6.20	2,182.96	208.29
वृद्धि			49.64	99.38	1.88	0.61	1.68	3.88	157.07	84.55
सक्रिय प्रयोग हेतु अनुपयोगी परिसंपत्तियाँ			–	1.60	0.04	–	0.06	–	1.70	
कटौतियाँ			27.35	0.01	–	–	0.06	0.01	27.43	118.27
31 मार्च, 2025 तक	32.04	(₹ 3/-)	447.67	1,805.83	4.63	1.50	9.16	10.07	2,310.90	174.57
संचित मूल्यह्रास और क्षति										
31 मार्च, 2023 तक	–	–	12.88	180.33	0.17	0.28	2.32	0.55	196.53	
समायोजन	–	–	–	0.17	0.01	-0.19	–	–	-0.01	–
	–	–		180.50	0.18	0.09	2.32	0.55	196.52	
वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यह्रास			9.20	120.94	0.52	0.09	1.28	1.05	133.08	–
सक्रिय उपयोग हेतु अनुपयोगी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास			–	0.65	–	–	–	–	0.65	–
पुनर्कथन के कारण परिवर्तन	–	–	0.02	0.98	–	–	–	–	1.00	–
कटौतियाँ			0.04	1.02	–	–	–	–	1.06	–
31 मार्च, 2024 तक	–	–	22.06	300.75	0.70	0.18	3.60	1.60	328.89	–
वर्ष 2024-25 के लिए मूल्यह्रास			9.37	123.15	0.37	0.49	1.19	1.43	136.00	–
वर्ष 2024-25 के लिए मूल्यह्रास				0.66					0.66	
सक्रिय उपयोग हेतु अनुपयोगी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास			–	1.02	0.04	–	0.06	–	1.12	–
कटौतियाँ			1.10	–	–	–	0.04	–	1.14	–
31 मार्च, 2025 तक	–	–	30.33	423.54	1.03	0.67	4.69	3.03	463.29	–
शुद्ध वहन राशि										
31 मार्च, 2025 तक	32.04	(₹ 3/-)	417.34	1,382.29	3.60	0.83	4.47	7.04	1,847.61	174.57
31 मार्च, 2024 तक	32.04	(₹ 3/-)	403.32	1,407.31	2.09	0.71	4.00	4.60	1,854.07	208.29

नोट:

अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और जहां पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं)।

कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्ति का विवरण निम्नलिखित है

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	संपत्ति का सकल मूल्य	विलेख धारक का नाम	विलेख धारक के साथ संबंध	संपत्ति धारण की अवधि	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	Freehold Land	32.04	रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माणी बोर्ड (टोएफबी)	प्रमोटर	42 माह	दिनांक 1 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना संख्या "CG-DL- E-1102021-230101" के संदर्भ में, ओएफबी की सभी अचल संपत्तियाँ नवगठित डीपीएसयू को हस्तांतरित कर दी गई हैं, जिनमें एडब्ल्यूईआईएल भी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
	Leasehold Land	(₹ 3/-)				

पट्टा-भूमि पर स्थित भवन का मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है, न कि प्राथमिक पट्टा अवधि पर, क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि पट्टे का नवीनीकरण आपसी सहमति से किया जाएगा।

संविदात्मक प्रतिबद्धताएँ

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण के लिए नोट 26 देखें

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर कोई शुल्क या ग्रहणाधिकार नहीं है

कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है और इसलिए यह खुलासा करना आवश्यक नहीं है कि क्या पुनर्मूल्यांकन पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है, जैसा कि कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है

वित्तीय विवरण के लिए स्टैंडअलोन नोट

जारी पूंजीगत कार्य की काल-निर्धारण अनुसूची

31 मार्च, 2025 तक

जारी पूंजीगत कार्य	अवधि के लिए जारी पूंजीगत कार्य की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
जारी परियोजनाएँ	67.55	1.33	6.62	99.07	174.57
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ					–
कुल	**67.55**	**1.33**	**6.62**	**99.07**	**174.57**

31 मार्च, 2025 तक

जारी पूँजीगत कार्य	अवधि के लिए जारी पूंजीगत कार्य की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ	21.29	48.44	63.71	74.85	208.29
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ	–	–	–	–	–
कुल	**21.29**	**48.44**	**63.71**	**74.85**	**208.29**

ऐसी परियोजनाएँ जिनका पूरा होना विलंबित है या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है

जारी पूँजीगत कार्य

31 मार्च, 2025 तक

जारी पूंजीगत कार्य	पूरा किए जाने की अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना 1	–	–	–	–	–
					–
कुल	–	–	–	–	–

31 मार्च, 2025 तक

जारी पूंजीगत कार्य	पूरा किए जाने की अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना 1	–	–	–	–	–
					–
कुल	–	–	–	–	–

बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों का विवरण

विवरण	मार्च, 2025 तक	मार्च, 2024 तक
संयंत्र और मशीनरी	6.82	7.36
कार्यालय उपकरण	0.08	0.03
वाहन	0.05	0.03
कंप्यूटर, सर्वर और नेटवर्क	0.02	0.02
कुल	**6.97**	**7.44**

वित्तीय विवरण के लिए स्टैंडअलोन नोट

नोट 7: अमूर्त संपत्तियां

करोड़ रु. में

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अनुसंधान एवं विकास	तकनीकी जानकारी	कुल	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ
सकल वहन राशि					
31 मार्च, 2023 तक	**0.55**	**5.26**	**7.53**	**13.34**	**1.80**
जोड़े	1.77	0.39		2.16	33.46
घटाएँ	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2024 तक	2.32	5.65	7.53	15.50	35.26
जोड़े	8.12	13.63	2.69	24.44	26.74
घटाएँ				–	10.38
31 मार्च, 2025 तक	**10.44**	**19.28**	**10.22**	**39.94**	**51.62**
संचित परिशोधन					
31 मार्च, 2023 तक	**0.19**	**0.53**	**0.90**	**1.62**	–
वर्ष के लिए परिशोधन	0.23	1.15	0.60	1.98	–
घटाएँ	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2024 तक	**0.42**	**1.68**	**1.50**	**3.60**	–
वर्ष के लिए परिशोधन	1.37	1.39	1.17	3.93	–
घटाएँ	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2025 तक	**1.79**	**3.07**	**2.67**	**7.53**	–
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2025 तक	**8.65**	**16.21**	**7.55**	**32.41**	**51.62**
31 मार्च, 2024 तक	**1.90**	**3.97**	**6.03**	**11.90**	**35.26**

नोट:

1. कंपनी ने अपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है और इसलिए यह खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या पुनर्मूल्यांकन कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अंतर्गत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।

2. विकासोन्मुख काल-निर्धारण अनुसूची के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

31 मार्च, 2025 तक निम्नानुसार है -

जारी पूंजीगत कार्य	अवधि के लिए जारी पूंजीगत कार्य की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
जारी परियोजनाएँ	22.88	21.49		7.24	51.61
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ	–	–	–	–	–
कुल	22.88	21.49	–	7.24	51.61

31 मार्च, 2024 तक निम्नानुसार है -

जारी पूँजीगत कार्य	अवधि के लिए जारी पूंजीगत कार्य की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
जारी परियोजनाएँ	33.46	0.77	1.02	–	35.25
अस्थायी रुप से निलंबित परियोजनाएँ	–	–	–	–	–
कुल	33.46	0.77	1.02	–	35.25

वित्तीय विवरण के लिए स्टैंडअलोन नोट

नोट 8: वित्तीय परिसंपत्तियाँ

8 (ए) निवेश

करोड़ रु. में

विवरण	अंकित मूल्य प्रति शेयर (रु. में)	शेयरों की सं. 31 मार्च, 2025 तक	शेयरों की सं. 31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
निवर्तमान निवेश					
(ए) इक्विटी शेयरों में निवेश (पूर्णत: चुकता)					
संयुक्त उद्यम - लागत पर मूल्यांकन उद्धृत नहीं)					
इंडो रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड	100	425,000	425,000	4.25	4.25
संचार (रक्षा) परीक्षण प्रतिष्ठान	1000	10,452	-	1.05	-
कुल निवेश				5.30	4.25
उधृत निवेश की कुल राशि				-	-
अउधृत निवेश की कुल राशि				5.30	4.25
अउधृत निवेश की राशि में क्षति				-	-

8 (बी) व्यापारिक प्राप्य चालू

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
असुरक्षित, अच्छा माना गया	1539.56	1219.09
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
क्रेडिट क्षति	-	-
कुल व्यापार से प्राप्य	**1539.56**	**1219.09**

नोट:

1) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई भी व्यापारिक प्राप्य राशि अलग-अलग या किसी व्यद्रि के साथ संयुक्त रूप से देय नहीं है, न ही ऐसी र्मों या निजी कंपनियों से कोई व्यापारिक प्राप्य राशि देय है जिनमें कोई निदेशक निदेशक, भागीदार या सदस्य है।

2) व्यापारिक प्राप्य राशि ब्याज रहित होती हैं और सामान्यत: 7 से 200 दिनों की अवधि की होती हैं।

3) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी ऋण जोखिम जोखिम वाली वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि का मूल्यांकन और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

ए. सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से प्राप्त कालातीत बकाया राशि को आमतौर पर ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति के ऋण जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है

बी. जहाँ कानूनी कार्यवाही में बकाया राशि पर विवाद होता है, वहाँ कंपनी के विरुद्ध कोई निर्णय दिए जाने पर प्रावधान किया जाता है, भले ही उस पर उच्च प्राधिकारियों/न्यायालय में अपील की गई हो

सी. लंबे समय से बकाया राशि की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक मामले के आधार पर प्रावधान किया जाता है

भुगतान की नियत तिथि से व्यापार से प्राप्य राशि का काल-निर्धारण निम्नानुसार है -

करोड़ रु. में

विवरण	बिल रहित	अदेय	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	949.69	133.72	234.10	150.78	71.27	1,539.56
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	–	–	–	–	–	–	–	–
अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	–	–	949.69	133.72	234.10	150.78	71.27	1,539.56

भुगतान की नियत तिथि से व्यापार से प्राप्य राशि का काल-निर्धारण निम्नानुसार है -

करोड़ रु. में

विवरण	बिल रहित	अदेय	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	837.07	132.47	193.69	49.99	5.87	1,219.09
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	–	–	–	–	–	–	–	–
अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	–	–	837.07	132.47	193.69	49.99	5.87	1,219.09

वित्तीय विवरण के लिए स्टैंडअलोन नोट

8 (सी)ऋण

करोड़ रु. में

विवर.ा	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(असुरक्षित, अन्यथा बता, जाने तक अच्छा माना गया		
निवर्तमान	–	–
	–	–
चालू		
ऋण		
– कर्मचारियों को	1.32	2.83
	1.32	**2.83**
कुल ऋण	**1.32**	**2.83**

नोट:

1. निदेशकों या किसी फर्म/कंपनी, जिसमें निदेशक की रुचि हो, से कोई ऋण देय नहीं है।

2. प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित) को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया जाता है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए बिना चुकाने योग्य हो।

8 (डी) नकद और नकद के सममूल्य

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
हाथ में नकदी	–	(15,750/-)
बैंकों में शेष राशि		
चालू खातों में	0.64	11.28
बैंक में जमा राशि जिसकी परिपक्वता अवधि 3 महीने से कम है	260.13	598.82
कुल नकद और नकद के सममूल्य	**260.77**	**610.10**

8 (ई) अन्य बैंक बैलेंस

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
बैंक में 3 महीने से अधिक और 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशि'	1,116.40	718.29
कुल अन्य बैंक शेष	**1,116.40**	**718.29**

* इसमें एलसी सुविधा हेतु बैंक के पास ग्रहणाधिकार के अंतर्गत ₹78.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹100 करोड़) की सावधि जमा राशि शामिल है

* कंपनी को ₹150 करोड़ की ओवरड्राफ्ट सीमा स्वीकृत की गई है। इस सुविधा के लिए ₹170 करोड़ का एफडीआर ग्रहणाधिकार के अंतर्गत है

8 (एफ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(असुरक्षित, अन्यथा बताए जाने तक अच्छा माना गया		
निवर्तमान		
सुरक्षा जमा	22.51	26.51
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा+	86.93	100.87
	109.44	**127.38**
चालू		
सुरक्षा जमा	6.19	1.36
अर्जित ब्याज	27.90	7.68
अन्य प्राप्य	0.55	20.05
	34.64	**29.09**
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**144.08**	**156.47**

* * एलसी सुविधा के लिए सुरक्षा के रूप में बैंक के पास ग्रहणाधिकार के अंतर्गत/ ₹ 86.92 करोड़ की ईएमडी पर निर्धारित (पिछले वर्ष ₹ 102.87 करोड़)/*

8 (जी) श्रेणीवार वित्तीय साधन

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक				
	लागत	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (FVTOCI)	परिशोधित लागत	कुल
निवेश	5.30	–	–	–	5.30
व्यापार से प्राप्य	–	–	–	1,539.56	1,539.56
ऋण	–	–	–	1.32	1.32
नकद और नकद सममूल्य	–	–	–	260.77	260.77
अन्य बैंक शेष	–	–	–	1,116.40	1,116.40
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	–	–	–	144.08	144.08
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**5.30**	–	–	**3,062.13**	**3,067.43**

विवरण	31 मार्च, 2024 तक				
	लागत	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (FVTOCI)	परिशोधित लागत	कुल
निवेश	4.25	–	–	–	4.25
व्यापार से प्राप्य	–	–	–	1,219.09	1,219.09
ऋण	–	–	–	2.83	2.83
नकद और नकद समतुल्य	–	–	–	610.10	610.10
अन्य बैंक शेष	–	–	–	718.29	718.29
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	–	–	–	156.47	156.47
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**4.25**	–	–	**2,706.78**	**2,711.03**

नोट 9: अन्य परिसंपत्तियां

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(टसुरक्षित, अन्यथा बताए जाने तक अच्छा माना गया		
निवर्तमान		
पूंजीगत अग्रिम	51.66	3.00
अन्य निवर्तमान परिसंपत्तियाँ	–	–
	51.66	3.00
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	115.45	49.38
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष (नीचे नोट (i) देखें)	109.68	62.51
कर्मचारियों को अग्रिम	5.30	5.22
अन्य चालू परिसंपत्तियां	13.51	1.72
	243.94	118.83
कुल (ए)+(बी)	**295.60**	**121.83**

नोट:

(i) सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष राशि में मुख्य रूप से उपलब्ध इनपुट क्रेडिट शामिल है

(ii) कंपनी के निदेशकों या प्रमोटरों से अलग-अलग या किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई अग्रिम राशि बकाया नहीं है

(iii) अन्य चालू परिसंपत्तियों में कंपनी के औद्योगिक कैंटीन के बैंक खातों में जमा राशि से संबंधित 0.26 करोड़ रुपये शामिल हैं

नोट 10: इन्वेंटरी (लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो)

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कच्चा माल और घटक (नीचे नोट 1 देखें)	1,574.76	1,126.28
परिवहन में कच्चा माल	–	–
जारी कार्य	1,222.95	1,283.85
तैयार माल	133.05	232.05
स्क्रैप	16.50	17.13
कुल	**2,947.26**	**2,659.31**

नोट:

1) कच्चे माल और घटकों में कंपनी का ₹144.57 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹125.39 करोड़) का अंतर-इकाई स्टॉक इन ट्रांजिट और ₹91.73 करोड़ (पिछले वर्ष – शून्य) की निरीक्षणाधीन सामग्री शामिल है

2) इन्वेंटरी राइट डाउन का लेखा इन्वेंटरी की प्रकृति, आयु और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष तक ऐसे राइट डाउन का मूल्य ₹175.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹58.55 करोड़) है। ऐसे राइट डाउन का प्रभाव लाभ-हानि विवरण के माध्यम से दर्शाया जाता है

नोट 11रू इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रु. में	शेयरों की संख्या	करोड़ रु. में
अधि—त शेयर पूंजी				
₹10 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर	20,500,000,000	20,500.00	20,500,000,000	20,500.00
निर्गत, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी				
₹10 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर	17,860,790,000	17,860.79	17,531,530,000	17,531.53
कुल	**17,860,790,000**	**17,860.79**	**17,531,530,000**	**17,531.53**

11.1. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों का समाधान रू

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रु. में	शेयरों की संख्या	करोड़ रु. में
अवधि की शुरुआत में	17,531,530,000	17,531.53	17,123,910,000	17,123.91
जोड़ें: नकद में शेयर पूंजी का निर्गम	329,260,000	329.26	407,620,000	407.62
जोड़ें: गैर-नकद शेयर पूंजी का निर्गम (नोट 10.2 देखें)		–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया	17,860,790,000	17,860.79	17,531,530,000	17,531.53

11.2. इक्विटी शेयरों का निर्गम

कंपनी ने दिनांक 09.01.2025 को भारत सरकार को ₹10/- मूल्य के 32,92,60,000 शेयर जारी किए हैं, जिनका पूर्ण भुगतान ₹3,29,26,00,000 है।

भारत के महामहिम राष्ट्रपति और कंपनी के बीच 29 सितंबर, 2021 को हुए समझौता ज्ञापन के आधार पर रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रलय के अधीन आयुध निर्माणी बोर्ड की गतिविधियों को परिसंपत्तियों और देनदारियों सहित, नियत तिथि अर्थात 01 अक्टूबर, 2021 से कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। देय प्रतिफल कंपनी को हस्तांतरित शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आधार पर, कंपनी द्वारा भारत सरकार को जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के रूप में सहमति बनी थी। शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आधार पर कंपनी ने भारत सरकार को ₹ 10/- प्रत्येक के 16,22,06,70,000 शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए जारी किए हैं, जिनकी राशि ₹ 16,220.67 करोड़ है। जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशि और कंपनी को अंतरित शुद्ध परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बीच के अंतर को आरक्षित पूंजी में अंतरित कर दिया गया है।

11.3. इक्विटी शेयर से संब) अधिकार, प्राथमिकताएँ और सीमाएँ :

कंपनी के पास प्रति शेयर 10 रु. मूल्य वर्ग के शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक एक धारित शेयर के एवज में एक वोट के लिए अधि—त है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित अंतिम लाभांश वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। लिक्विडेशन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक, धारित शेयर के अनुपात में अधिमान्य राशि के संवितरण के उपरांत कंपनी की शेष परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं।

11.4.कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास शेयरों की संख्या

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भारत सरकार (नामित व्यक्तियों सहित)	17,860,790,000	100.00	17,531,530,000	100.00

11.5. प्रमोटरों की शेयरधारिता

प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भारत सरकार (नामित व्यक्तियों सहित)	17,860,790,000	100.00	17,531,530,000	100.00

11.6. विकल्प और अनुबंध के अंतर्गत जारी किए जाने हेतु आरक्षित शेयर:

शून्य

11.7.पूँजी प्रबंधन का उद्देश्य, नीति एवं प्रक्रिया:

नोट 35 देखें।

नोट 12: अन्य इक्विटी करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आरक्षित पूँजी		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	4.25	4.25
वर्ष के अंत में शेष राशि	**4.25**	**4.25**
व्यावसायिक पुनर्गठन पर आरक्षित पूँजी		
पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार शेष राशि	-16,220.67	-16,220.67
वर्ष के दौरान सृजित	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि (नोट 10.2 देखें)	**-16,220.67**	**-16,220.67**
शेयर आवेदन, जिसके आवंटन में राशि लंबित है		
पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार शेष राशि	-	182.62
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों के लिए उपयोग	-	-182.62
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन राहत कोष		
पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार शेष राशि	-	-
जोड़ें: अन्य चालू देनदारियों से पुनर्वर्गीकरण	37.75	
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-9.40	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**28.35**	-
प्रतिधारित आय		
पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार शेष राशि	3071.80	3,051.56
जोड़ें: आरंभिक DTA/DTL का समायोजन	348.08	
जोड़ें: पूर्व अवधि समायोजन (नोट 38 देखें)	-32.57	
पुनर्निर्धारित शेष राशि	**3,387.31**	**3,051.56**
जोड़ें: वर्ष का लाभ	82.74	20.24
वर्ष के अंत में शेष राशि	**3,470.05**	**3,071.80**
कुल अन्य इक्विटी	**-12,718.02**	**-13144.62**

इक्विटी के अंतर्गत प्रत्येक आरक्षित निधि का स्वरूप और उद्देश्य का विवरण इस प्रकार है

ए. आरक्षित पूँजी

आरक्षित पूँजी, संयुक्त उद्यम में निवेश की प्रारंभिक मान्यता पर समायोजन को दर्शाती है।

बी. व्यवसाय पुनर्गठन पर आरक्षित पूँजी

व्यवसाय पुनर्गठन पर आरक्षित पूंजी, जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशि और कंपनी को हस्तांतरित शुद्ध परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बीच के अंतर को दर्शाती है।

सी. नवीकरण एवं प्रतिस्थापन राहत कोष

नवीकरण एवं प्रतिस्थापन कोष भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को दर्शाता है जिसका उपयोग पूंजीगत कार्यों के लिए किया जाता है।

डी. प्रतिधारित आय

(ए) संबंधित इकाइयों की दिनांक 01.10.2021 तक शुद्ध परिसंपत्तियों (परिसंपत्तियों में से देयताएँ घटाकर) रा मूल्य को पुनर्गठित किया गया और इसे ओएफबी की निगमीकरण योजना का हिस्सा बनाया गया। इसे पीसीएफए और संबंधित इकाइयों के अनुसार वहन मूल्यों के अंतर के लिए समायोजित किया गया था। ऐसे समायोजनों के मूल्य के परिणामस्वरूप कुल प्रतिधारित आय में 85.34 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष - 85.34 करोड़ रुपये) की कमी आई है।

(बी) भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन के कारण समायोजन

(सी) निगमीकरण के बाद कंपनी का कर पश्चात वार्षिक शुद्ध लाभ/हानि ।

नोट 13: वित्तीय देनदारियाँ

13 (ए) व्यापार देयताएँ

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
चालू		
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	28.01	7.72
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य का कुल बकाया	808.59	321.68
कुल	836.60	329.40

नोट:

(i) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) की धारा 22 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी। यह जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई है।

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज (लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार नियत तिथि के भीतर)		
– सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को देय मूल राशि	28.01	7.72
– उपरोद्र पर देय ब्याज	–	–
(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही अवधि के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	–	–
(iii) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज (जो भुगतान किया गया है लेकिन अवधि के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	–	–
(iv) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त ब्याज की राशि ।	–	–
(v) आगामी वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दी जाती ।	–	–

(ii) व्यापार देयताओं का काल-निर्धारण

31 मार्च, 20225 तक निम्नानुसार है

करोड़ रु. में

विवरण	अदेय	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
		1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	–	21.31	0.86	0.82	5.02	28.01
अन्य	–	714.75	57.77	10.71	21.79	805.02
विवादित बकाया – सूक्ष्म एवं लघु	–	–	–	–	–	–
विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–	–
बिना बिल का बकाया	3.56	–	–	–	–	3.56
कुल	3.56	736.06	58.63	11.53	26.81	836.59

31 मार्च, 20224 तक निम्नानुसार है

करोड़ रु. में

विवरण	अदेय	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
		1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	–	1.38	2.14	1.62	2.54	7.68
अन्य	–	264.73	36.19	10.78	4.22	315.92
विवादित बकाया – सूक्ष्म एवं लघु	–	–	–	0.04	–	0.04
विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–	–
बिना बिल वाला बकाया	5.76	–	–	–	–	5.76
कुल	5.76	266.11	38.33	12.44	6.76	329.40

13 (बी) अन्य वित्तीय देनदारियाँ

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
गैर वर्तमान	–	–
	–	–
वर्तमान		
कर्मचारियों को देय	115.83	119.13
ग्राहकों और अन्य लोगों से सुरक्षा जमा	6.42	10.11
उपार्जित प्रतिबद्ध देयताएँ	19.24	29.78
अन्य	49.25	33.47
	190.74	192.49
कुल	**190.74**	**192.49**

13 (सी) श्रेणीवार वित्तीय देनदारियाँ

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		
	लाभ और हानि (एफबीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	कुल
व्यापार देय	–	836.60	**190.74**
अन्य वित्तीय देयताएँ	–	190.74	**190.74**
कुल वित्तीय देयताएँ	–	1,027.34	**1,027.34**

विवरण	31 मार्च, 2024 तक		
	लाभ और हानि (एफबीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	कुल
व्यापार देय	–	329.40	**329.40**
अन्य वित्तीय देयताएँ	–	192.49	**192.49**
कुल वित्तीय देयताएँ	–	521.89	**521.89**

1. वित्तीय साधनों के जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य और नीतियाँ। (नोट 34 देखें)

2. वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए उचित मूल्य प्रकटीकरण और उचित मूल्य पदानुक्रम। (नोट 33 देखें)

नोट 14: प्रावधान

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
दीर्घकालिक		
दुर्भर अनुबंधों के लिए प्रावधान	516.08	675.88
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	0.13	–
	516.21	**675.88**
अल्पकालिक		
वारंटी के लिए प्रावधान	2.00	10.38
	2.00	**10.38**
कुल	**518.21**	**686.26**

प्रावधानों का संचलन

करोड़ रु. में

विवरण	वारंटी के लिए प्रावधान	दुर्भर अनुबंधों के लिए प्रावधान
31 मार्च, 2023 तक	**10.38**	**764.65**
जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य प्रावधान	2.00	
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–	88.77
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	**2.00**	
31 मार्च, 2024 तक बैलेंस	**10.38**	**675.88**
जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य प्रावधान	2.00	–
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	–	159.80
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	10.38	
31 मार्च, 2025 को बैलेंस	**2.00**	**516.08**

प्रावधानों की प्रकृति और उद्देश्य का विवरण इस प्रकार है।

वारंटी के लिए प्रावधान

कंपनी ने प्रदर्शन गारंटी और बेचे गए माल के प्रतिस्थापन/मरम्मत के लिए वारंटी प्रावधान किया है।

दुर्भर अनुबंधों के लिए प्रावधान

एडब्ल्यूईआईएल के अंतर्गत आने वाली निर्माणियाँ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सेना/नौसेना आदि और सामरिक महत्व के अन्य संगठनों/संस्थानों को सेवाएँ प्रदान कर रहे थे और इन्हें वाणिज्यिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सरकार और राष्ट्रीय निकायों की रक्षा उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था।

उपर्युक्त के कारण, कंपनी ने निगमीकरण के बाद, कई पुराने बिक्री अनुबंधों को आगे बढ़ाया है जो निगमीकरण से पहले के हैं। इनमें से कुछ अनुबंधों को दुर्भर माना गया है, अर्थात आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/उपकरण की उत्पादन लागत अनुबंधित बिक्री मूल्य से अधिक है और तदनुसार, कंपनी ने अपने पिछले वित्तीय विवरण में ऐसे अनुबंधों के लिए प्रावधान किया था, जो दुर्भर अनुबंध थे। ऐसे अनुबंधों के निष्पादन के वर्ष में अनुबंध निष्पादन पर प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है।

इन वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के संबंध में कोई हानि नहीं पाई गई, क्योंकि ये इकाइयां और/या पीपीई के विशिष्ट घटक ऐसे अनुबंधों के लिए समर्पित नहीं हैं तथा इनका उपयोग कई उत्पादों के लिए किया जाता है और ऐसे पीपीई का वहन मूल्य इसके वसूले जाने वाले मूल्य से अधिक नहीं है।

नोट 15: अन्य चालू देयताएं

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ग्राहकों से अग्रिम (नीचे नोट 1 देखें)	1,588.11	1,510.11
विधिक बकाया	141.40	105.48
भारत सरकार को देय (नीचे नोट 2 देखें)	17.89	77.66
अन्य देनदारियाँ	69.42	65.24
कुल	**1,816.82**	**1,758.49**

नोट:

1. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम में निर्यात पर अग्रिम शामिल है, जिसके लिए कंपनी द्वारा 1,22,14,522 अमेरिकी डॉलर (लगभग 104.34 करोड़ रुपये) की सममूल्य राशि की कॉर्पोरेट गारंटी जारी की गई है।

2. इसमें भारत सरकार से प्राप्त शून्य रुपये (पिछले वर्ष – 37.75 करोड़ रुपये) की नवीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि का शेष शामिल है। इसे चालू वर्ष के दौरान 'अन्य इक्विटी' के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिसे नोट संख्या 12 में अलग से दर्शाया गया है।

नोट 16: वर्तमान कर परिसंपत्ति / (देयता)

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कर के लिए प्रावधान	–	-15.17
अग्रिम कर (टीडीएस) (प्रावधान के बाद शुद्ध)	7.14	10.71
शुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्ति/(देयता)	**7.14**	**-4.46**

नोट 17: संचालन से राजस्व

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	2,498.93	2,006.42
सेवाओं की बिक्री	3.75	3.39
अन्य संचालन आय		
स्क्रैप और अधिशेष / अनुपयोगी भंडार का निपटान	28.25	31.92
कुल	**2,530.93**	**2,041.73**

I. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का पृथक्करण

भौगोलिक आधार पर राजस्व

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
घरेलू	2,493.35	2,002.67
निर्यात	37.58	39.06
संचालन से राजस्व	**2,530.93**	**2,041.73**

नोट्स:

(ए) अधिकांश अनुबंधों में निष्पादन दायित्व "एक निश्चित समय पर" पूरा होता है, जिसका निर्धारण ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने पर मुख्य रूप से किया जाता है। इसके लिए विचारित प्रमुख संकेतकों में से अनुबंध की शर्तों के आधार पर ग्राहक को महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल का हस्तांतरण है। जहाँ किसी अनुबंध में कई निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं, वहाँ निष्पादन दायित्व पूरा होने के समय को निर्धारित करने के लिए भारतीय लेखा मानक 115 में निर्दिष्ट मानदंड लागू किए जाते हैं।

(बी) ग्राहक के साथ अनुबंध में सामान्यत: कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है और ग्राहक द्वारा प्राप्त कोई भी अग्रिम भुगतान औरध्या रखी गई राशि, अनुबंध के किसी भी पक्ष को सुरक्षित रखने के इरादे से होती है।

(सी) कंपनी के कारोबार में मुख्य रूप से रक्षा उपकरणों और प्रणालियों की आपूर्ति शामिल है।

(डी) प्रदान की गई वारंटी का स्वरूप मुख्यत: निष्पादन वारंटी जैसा होता है।

(ई) ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों में आमतौर पर वापसी/प्रतिदाय का प्रावधान नहीं होता है।

(एफ) चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष के दौरान कोई भी गैर-नकद राशि न तो प्राप्त की गई और न ही दी गई है।

(जी) कंपनी द्वारा किया गया 37.58 करोड़ रुपये का 'निर्यात', प्रत्यक्ष निर्यात से संबंधित है। 72.71 करोड़ रुपये की बिक्री, जो एक व्यापारिक निर्यात व्यवस्था के अंतर्गत, आगे के निर्यात के लिए बिल और होल्ड आधार पर एक भारतीय पक्ष को की गई बिक्री है, जिसमें कंपनी प्रमुख निर्माता है और इसे घरेलू बिक्री के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है।

II. संचालन से प्राप्त राजस्व का अनुबंध मूल्य के साथ मिलान

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
अनुबंध मूल्य के अनुसार ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	2,574.37	2,067.17
घटाएँ: अनुबंध मूल्य में निम्नलिखित के कारण किया गया समायोजन		
a) छूट और रियायतें	–	–
b) बिक्री से प्राप्त प्रतिफल	43.44	25.44
संचालन से राजस्व	**2,530.93**	**2,041.73**

नोट 18: अन्य आय

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को परिशोधित लागत पर मापा जाता है		
– बैंक से ब्याज	88.08	72.33
– अन्य ब्याज से आय	0.73	0.16
– आयकर रिफंड पर ब्याज	0.49	0.35
लाभांश आय	–	0.42
दुर्भर अनुबंधों के लिए प्रावधान का विपर्यय (इंड एएस नोट 14 देखें)	159.80	88.77
प्रावधान अब आवश्यक नहीं (नेट)	8.38	–
सीमा-शुल्क में त्रुटि	1.16	0.06
विदेशी मुद्रा लाभ	1.25	1.41
किराए से आय	7.56	7.47
लिखित शेष राशि (नीचे नोट 1 देखें)	3.74	178.03
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	1.44	0.70
एनपीएस अंशदान की वापसी पर लाभ (नीचे नोट 2 देखें)	0.10	4.35
परिसमाप्त क्षति से आय	44.18	9.61
विविध आय	9.31	16.06
कुल	**326.22**	**379.72**

नोट:1

जिन क्रेडिट बैलेंस से भविष्य में नकदी का बहिर्वाह अपेक्षित नहीं है, उन्हें पुनरांकित किया गया है।

नोट: 2

डीओपीपीडब्ल्यू आईडी ओएम संख्या 57/05/2021-पी एंड पीडब्लू (बी) दिनांक 03.03.2023 की अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि, उन सभी मामलों में, जहां केंद्र सरकार के असैन्य कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन योजना की अधिसूचना की तारीख यानी 22.12.2003 से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किसी पद या रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया है और 01.04.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है, उसे सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के अंतर्गत कवर होने का एकमुश्त विकल्प दिया जा सकता है।

नोट 19 कच्चे माल और घटकों की लागत

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में इन्वेंटरी	1,226.28	1,049.00
जोड़े: वर्ष के दौरान खरीद	1,274.16	1,003.58
	2,400.44	2,052.58
वर्ष के अंत तक इन्वेंटरी	1,574.76	1,126.28
कुल	**825.68**	**926.30**

नोट 20: तैयार माल की सूची और जारी कार्य में परिवर्तन

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अन्त मे इन्वेटरी		
तैयार माल	133.05	232.05
जारी कार्य	1,222.95	1,283.85
स्क्रैप	16.50	17.13
	1,372.50	**1,533.03**
वर्ष के आरम्भ मे उपलब्ध इन्वेटरी		
तैयार माल	232.05	329.88
जारी कार्य	1,283.85	1,013.71
स्क्रैप	17.13	17.01
	1,533.03	**1,360.60**
इन्वेटरी मे वृद्धि/कमी	**160.53**	**-172.43**

नोट: 21 कर्मचारी लाभ पर व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजदूरी	1,256.96	1,175.34
भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान (नोट 28 देखें)	64.79	53.62
कर्मचारी कल्याण और प्रशिक्षण पर व्यय	2.48	2.47
अनुबंध श्रमिक	69.43	56.73
ग्रैच्युटी का प्रावधान	0.02	–
कुल	**1,393.68**	**1,288.16**

नोट 22: वित्त लागत

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
बैंक और अन्य से ब्याज	0.19	1.01
कुल	**0.19**	**1.01**

नोट 22बी: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास (नोट 5 देखें)	136.03	132.73
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन(नोट 6 देखें)	3.88	1.98
कुल	**139.91**	**134.71**

नोट 23 अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
बैंक प्रभार	0.24	0.04
बिजली, ईंधन और जल शुल्क	87.59	83.16
सुरक्षा शुल्क	74.62	73.59
मरम्मत:		
इमारत	14.01	8.38
अन्य	1.92	11.03
परिवहन शुल्क	9.63	4.40
परिवहन और यात्रा व्यय	10.68	8.60
कमीशन और ब्रोकरेज	9.74	0.45
मुद्रण, स्टेशनरी और संचार	2.75	2.51
दर और कर	1.62	2.37
कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर व्यय	2.82	1.87
बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनी पर व्यय	1.40	0.86
कानूनी, पेशेवर शुल्क	2.32	1.41
बैलेंस रिटेन	2.34	1.40
निरीक्षण और जाँच	7.26	3.61
परिसंपत्तियों की बिक्री से निपटान पर हानि	0.03	0.01
कारपोरेट सामाजिक दायित्व (नोट 36 देखें)	0.26	0.10
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (निम्नलिखित नोट (i) देखें)	0.27	0.30
अनुसंधान और विकास व्यय	5.47	6.48
विविध व्यय	10.15	3.34
दावा तथा प्रतिपूर्ति	2.04	–
पूर्व अवधि के व्यय		
कुल	**247.16**	**213.91**

i) लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का ब्यौरा

करोड़ रु. में

लेखा परीक्षकों को भुगतान	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षक	0.25	0.25
कर के लिए	0.02	0.02
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	–	0.03
कुल	**0.27**	**0.30**

नोट 24: आयकर

आयकर व्यय का प्रमुख घटक इस प्रकार है-

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
लाभ हानि का विवरण		
-वर्तमान कर	–	14.67
-पिछले वर्ष के लिए कम कर का प्रावधान	-15.17	–
-आस्थगित कर व्यय/(क्रेडिट)	22.43	-5.12
लाभ और हानि के विवरण में आयकर व्यय/(क्रेडिट)	**7.26**	**9.55**
अन्य व्यापक आय का विवरण		
-वर्तमान कर	–	–
-आस्थगित कर व्यय/(क्रेडिट)	–	–
ओसीआई में मान्य आयकर व्यय/(क्रेडिट)	–	–

घरेलू कर की दर के गुणक से कर व्यय और लेखांकन लाभ का समायोजन:

ए. वर्तमान कर

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
कर से पहले लेखांकन लाभ	90.00	29.79
कर दर	25.168%	25.168%
भारत में अधिनियमित आयकर दर पर कर पूर्व लाभ पर वर्तमान कर व्यय	22.65	7.50
समायोजन		
छूट प्राप्त आयध्कर के लिए उत्तरदायी नहीं	-40.22	-22.34
कर हेतु कटौती न किए जाने योग्य व्यय/कर अदेयता	41.73	35.45
अन्य कटौतियां	-55.40	-5.94
अग्रेनीत अनवशोषित मूल्यह्रास	31.24	–
कुल आयकर व्यय/(क्रेडिट)	–	14.67
प्रभावी कर की दर	लागू नहीं	49.24%

बी. आस्थगित कर

करोड़ रु. में

विवरण	बैलेंस शीट की अवधि	दिनांक को समाप्त अवधि हेतु लाभ तथा हानि एवं ओसीआई संबंधी स्टेटमेंट	बैलेंस शीट की अवधि	दिनांक को समाप्त अवधि हेतु लाभ तथा हानि एवं ओसीआई संबंधी स्टेटमेंट
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को
कर उद्देश्यों के लिए मूल्यह्रास	439.09	**17.87**	**421.22**	**-27.46**
प्रतिधारित आय में मूल्यह्रास का प्रभाव	-310.59			
प्रतिधारित आय में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनवशोषित मूल्यह्रास का प्रभाव	-36.41			
प्रतिधारित आय में धारा 43 बी के अंतर्गत अस्वीकृति का प्रभाव	-1.08			
वर्ष के लिए अवशोषित मूल्यह्रास का प्रभाव	-35.66	-35.66	–	–
दुर्भर अनुबंध के प्रावधान का प्रभाव	-129.88	40.22	-170.10	22.34
आस्थगित आय व्यय(आय)		**22.43**		**-5.12**
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं (परिसंपत्तियां)	**-74.53**		**251.12**	
बैलेंस शीट में निम्नानुसार दर्शाया गया है				
आस्थगित कर देयताएं	128.50		421.22	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-203.03		-170.10	
आस्थगित परिसंपत्ति/देयताएं (शुद्ध)	**-74.53**		**251.12**	

नोट:

i) कंपनी कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तभी करती है जब उसके पास वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर समायोजन का विधिक अधिकार हो तथा आयकर से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ तथा आस्थगित देनदारियां एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाई गई हों।

कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिए अपने आयकर रिटर्न में संशोधन के लिए आवेदन किया है, जो कि समय सीमा के कारण वर्जित है। यदि आईटीआर में संशोधन की अनुमति दी जाती है, तो 502.56 करोड़ रुपये का अवशोषित मूल्यह्रास आगे ले जाया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप कंपनी की आस्थगित कर परिसंपत्ति में 126.48 करोड़ की वृद्धि होगी। हालाकि, आज की तिथि तक, निर्धारण वर्ष 2022-23 के संबंध में दायर आवेदन सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित है, जबकि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन अस्वीकृत है। तदनुसार, कंपंनी ने विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए 126.48 करोड़ रुपये के डीटीए को मान्यता नहीं दी है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देयताओं) का समायोजन, शुद्ध

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आदि शेष	251.12	256.24
अनुसंधान और विकास मद में वर्ष के दौरान मान्य आस्थगित कर देयता		–
वर्ष के दौरान मान्य प्रतिधारित आय में आस्थगित कर से आय (वयय)	-348.08	
लाभ या हानि के मद में निर्धारित अवधि के दौरान आस्थगित कर से आय/(वयय)।	22.43	-5.12
अवधि के दौरान ओसीआई में मान्य आस्थगित कर से आय/(वयय)।		–
अंत शेष	**-74.53**	**251.12**

नोट 25: आकस्मिक देयताएं

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया		
(i) कंपनी पर किए गए दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	122.91	33.68
(ii) प्रदत्त गारंटी	0.02	–
(iii) उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के संबंध में विवादित मांगें	1.68	3.54

नोट:

ए. कंपनी के लिए उपर्युक्त लंबित समाधान के संबंध में नकदी बहिर्वाह के समय का अनुमान लगा पाना व्यावहारिक नहीं है।

बी. कंपनी उपरोक्त आकस्मिक देनदारियों के संबंध में किसी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा नहीं करती है।

सी. कंपनी का मानना है कि इन कार्यवाहियों परिणामस्वरुप कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट 26: पूंजीगत प्रतिबद्धता और अन्य प्रतिबद्धताएं

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(ए) पूंजी प्रतिबद्धताएँ पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों का शुद्ध)	60.94	2.99
(बी) अन्य प्रतिबद्धताएँ	–	–

नोट 27: विदेशी मुद्रा के लिए जोखिम प्रबंधन न किया जाना

जोखिम का स्वरुप	मुद्रा	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
		FC In Mn	करोड़ ₹ में	FC In Mn	करोड़ ₹ में
ऋणदाताओं को देय	यूएसडी	–	–	0.05	4.87
	यूरो	75.07	6.53		
	एसईके				

नोट 28: कर्मचारी लाभ के अनुसार प्रकटीकरण

ए. परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

₹64.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹53.61 करोड़) की राशि को व्यय के रूप में माना गया है, जिसे नोट संख्या 21 "कर्मचारी लाभ पर व्यय" में शामिल किया गया है।

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
(i) राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान [नोट ए]	64.79	53.62
योग	**64.79**	**53.62**

नोट:

(ए) कंपनी के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से लाभ मिलता है, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है। पात्र कर्मचारी के साथ-साथ कंपनी का अंशदान नई पेंशन योजना में मासिक अंशदान के रूप में जाता है, जो कि कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर होता है। इस योजना के अंतर्गत एकत्रित राशि सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में जमा की जाती है। ऐसे अंशदान को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में दर्ज किया जाता है और जब वे लाभ और हानि के विवरण में देय होते हैं, तो उन्हें कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी के पास अपने अंशदान के अलावा कोई अन्य दायित्व नहीं है।

(बी) कंपनी के कर्मचारियों को भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 (5)/2021/ओएफ/डीपी (-वी)/02 दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के माध्यम से नियत तिथि अर्थात 01 अक्टूबर 2021 से दो साल के लिए नियोजन की नियम और शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है और भारत सरकार द्वारा नियोजन के नियमों और शर्तों के अनुसार उनके पेंशन देनदारियाँ का भुगतान वर्ष के दौरान किया जाता है। उपर्युक्त मानद प्रतिनियुक्ति (डीम्ड डेपुटेशन) की अवधि को पूर्व में जारी नियम और शर्तों के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

नोट -29 संबंधित पक्ष लेनदेन

"संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" (इंड एएस 24) पर भारतीय लेखा मानक के अनुसार, कंपनी से संबंधित पक्षकार निम्नानुसार हैं -

(ए) संबंधित पार्टियों के नाम और संबंध का स्वरूप:

(I)	**संयुक्त उद्यम**	
1	इंडो रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड	
(II)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिक**	
1	श्री अखिलेश कुमार मौर्य	निदेशक (14 अगस्त 2021 से)
2	श्री जय गोपाल महाजन	निदेशक (वित्त सह सीएफओ) (30 अक्टूबर 2024 से)
3	डॉ. गरिमा भगत	सरकार द्वारा नामित निदेशक (10 दिसंबर 2024 से)
4	श्री राजेश गंगाधर चौधरी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (14 अगस्त 2021 से 15 दिसम्बर 2024)
5	श्री शंभू नाथ जसरा	सरकार द्वारा नामित निदेशक (10 अक्टूबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक)
6	श्री जयंत कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक (27 फरवरी 2023 से 10 अक्टूबर 2024 तक)
7	श्री विश्वजीत प्रधान	निदेशक (10 फरवरी 2023 से 30 नवंबर 2024 तक)
8	श्री सुशील सिन्हा	निदेशक (वित्त सह सीएफओ) (01 मार्च 2023 से 30 जून 2024 तक)
9	श्री मनीष कुमार सिंह	कंपनी सचिव (22 सितम्बर 2022 से)

(बी) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन संबंधी प्रकटीकरण:

करोड़ रु. में

क्रम	विवरण	संयुक्त उद्यम		संबंधित पार्टियों के नाम और संबंध का स्वरूप:		कुल	
		दिनांक को समाप्त वर्ष		दिनांक को समाप्त वर्ष		दिनांक को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
(I)	वर्ष के दौरान लेन-देन						
	पारिश्रमिक		-	1.41	1.71	1.41	1.71
	पट्टे	नीचे नोट 1 देखें	नीचे नोट 1 देखें				
	वस्तु की बिक्री और सेवाएँ	1.39	(₹ 14,139)			1.39	-
	किराया से प्राप्त	0.79	0.66			0.79	0.66
(II)	वर्ष के अंत में बैलेंस						
	निवेश	**4.25**	**4.25**	-	-	**4.25**	**4.25**
	बिक्री के लिए अग्रिम	109.67	83.23			109.67	83.23

नोट:

1. कंपनी ने इंडो-रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) के साथ एक पट्टा समझौता किया है, जिसके अंतर्गत कंपनी ने 8.65 एकड़ भूमि के साथ-साथ उस पर निर्मित भवन, संयंत्र और मशीनरी सहित संयुक्त 50 एकड़ जमीन को 30 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 1/- प्रति वर्ष के सांकेतिक किराए पर दिया है।

(सी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार प्रकटीकरण।

ऋण के रूप में ऋण और अग्रिम - ₹. शून्य

(डी) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन की शर्तें और नियम

संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन प्रचलित समतुल्य शर्तों के आधार पर किया जाता है जो कि आर्म्स लेन देन में प्रचलित होती है ।

(ई) संबंधित पार्टियों के साथ प्रतिबद्धताएँ

कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं दर्शायी है।

(एफ) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन-देने

कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिपूर्ति

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	1.39	1.71
सेवांत लाभ	0.02	–
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त कुल प्रतिपूर्ति	**1.41**	**1.71**

तालिका में दर्शायी गई राशि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों से संबंधित व्यय के रूप में चिह्नित राशि है।

(जी) सरकार और सरकारी संस्थाओं के साथ लेन-देन

चूँकि एडब्ल्यूईआईएल, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी को इंड एएस 24 के अंतर्गत सरकार एवं सरकारी कंपनियों के साथ लेन-देन के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है।

हालाँकि, भारतीय लेखा मानक 24 के अंतर्गत यथावश्यक, निम्नलिखित लेन-देन व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हैं:

कंपनी का 90% टर्नओवर सरकार एवं सरकारी कंपनियों से व्यापार तथा ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम है

नोट 30: प्रति शेयर आय

विवरण		31 मार्च, 2025 वर्ष की समाप्ति पर	31 मार्च, 2024 वर्ष की समाप्ति पर
प्रति शेयर आय बेसिक एवं डायल्यूटेड			
साधारण इक्विटी धारकों के कारण लाभ	करोड़ ₹ में	82.74	20.24
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	No.	17,860,790,000	17,531,530,000
बेसिक एवं डायल्यूटेड ईपीएस* के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या*	No.	17,604,598,658	17,333,862,219
इक्विटी शेयरों का नाममात्र मूल्य	Rs.	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड	Rs.	0.047	0.012

***नोट संख्या 11.2**

नोट 31: सेगमेंट रिपोर्टिंग

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना संख्या 1/2/2014-सीएल-V के माध्यम से रक्षा उत्पादन में लगी सरकारी कंपनियों को "ऑपरेटिंग सेगमेंट" पर इंड एएस 108 के आवेदन की सीमा तक छूट दी है।

नोट 32: पट्टे

ए. प्रचालन संबंधी पट्टे

1. कंपनी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक पट्टा समझौता किया है, जिसके अंतर्गत कंपनी ने 30 वर्ष की अवधि के लिए ₹1/- प्रति वर्ष के सांकेतिक किराए पर 50 एकड़ भूमि पट्टे पर दी है।

बी. कम मूल्य के पट्टे

1. कंपनी ने भारत सरकार से 4,15,083 वर्ग फीट भूमि 20 वर्षों के लिए 0.01 करोड़ रुपये के वार्षिक किराये पर पट्टे पर ली है, जिसकी अवधि 31 मार्च, 2029 को समाप्त होगी। इस अनुबंध में आपसी सहमति से इसके नवीनीकरण का विकल्प भी शामिल है।

2. कंपनी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से 29.42 एकड़ भूमि 30 वर्षों के लिए ₹1/- प्रति वर्ष के किराए पर पट्टे पर ली है, जिसकी अवधि दिनांक 01 दिसंबर, 2037 को समाप्त होगी। इस अनुबंध में आपसी सहमति से इसके नवीनीकरण का विकल्प भी शामिल है।

3. कंपनी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से 9.26 एकड़ भूमि 30 वर्षों के लिए ₹1/- प्रति वर्ष के किराए पर पट्टे पर ली है, जिसकी अवधि दिनांक 17 मार्च 2043 को समाप्त होगी। इस अनुबंध में आपसी सहमति से इसके नवीनीकरण का विकल्प भी शामिल है।

4. कंपनी ने केन्द्रीय विद्यालय के साथ पट्टा समझौता किया है, जिसके अंतर्गत कंपनी ने दिनांक 28.04.1988 से दिनांक 27.04.2087 तक 99 वर्षों के लिए 01 रु. वार्षिक सांकेतिक किराए पर 5400 वर्ग मीटर भूमि का प्लॉट दिया है।

5. कंपनी ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक पट्टा समझौता किया है, जिसके अंतर्गत कंपनी ने 1 रुपये प्रति माह यानी 12 रुपये प्रति वर्ष की दर से जमीन का प्लॉट दिया है।

उपरोक्त सभी पट्टे कम मूल्य के हैं, इसलिए उपयोग के अधिकार वाली कोई परिसंपत्ति या देनदारी नहीं बनाई गई है।

सी. उप पट्टा

1. कंपनी ने इंडो-रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) के साथ एक पट्टा समझौता किया है, जिसके अंतर्गत कंपनी ने 8.65 एकड़ भूमि के साथ-साथ उस पर निर्मित भवन, संयंत्र और मशीनरी सहित संयुक्त 50 एकड़ जमीन को 30 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 1/- प्रति वर्ष के सांकेतिक किराए पर दिया है।

नोट 33: वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण:

ए. नीचे कंपनी के वित्तीय साधनों की वहन राशि और उचित मूल्य की, वर्ग के अनुसार, तुलना दी गई है, सिवाय उन साधनों के जिनकी वहन राशि उचित मूल्यों के औचित्यपूर्ण अनुमान के बराबर है

करोड़ रु. में

विवरण	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च 2024 वर्ष की समाप्ति पर	31 मार्च 2024 वर्ष की समाप्ति पर
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
लागत पर निवेश	5.30	5.30	4.25	4.25
	5.30	**5.30**	**4.25**	**4.25**
वित्तीय देनदारियाँ	–	–	–	–
योग	–	–	–	–

प्रबंधन का आकलन है कि नकद और नकद के सममूल्य राशि, अन्य बैंक बैलेंस, ऋण, व्यापार से प्राप्य राशि, अन्य मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियों, व्यापार देय और अन्य मौजूदा वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य इन साधनों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी वहन राशि है।

(बी) उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नलिखित तालिका में कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्यांकन पदानुक्रम में दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2025 एवं 31 मार्च, 2024 तक परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण हेतु उचित मूल्यांकन पदानुक्रम।

विवरण	उचित मूल्य के मूल्यांकन संबंधी विधि			
	योग	"सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)"	"महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट (लेवल 2)"	"महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट (स्तर 3)"
31 मार्च, 2025 तक उचित मूल्यांकन वाली परिसंपत्तियाँ	–	–	–	–
31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्यांकन वाली परिसंपत्तियाँ	–	–	–	–

31 मार्च, 2024 एवं 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय देनदारियों के लिए उचित मूल्यांकन पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण

विवरण	उचित मूल्य के मूल्यांकन संबंधी विधि			
	योग	"सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)"	"महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट (लेवल 2)"	"महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट (स्तर 3)"
31 मार्च, 2025 तक उचित मूल्यांकन वाली परिसंपत्तियाँ	–	–	–	–
31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्यांकन वाली परिसंपत्तियाँ	–	–	–	–

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी साधन आते हैं, जिनकी कीमत उद्धृत की गई है। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी साधन का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के समापन पर मूल्य का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों (उदाहरण के लिए, कारोबार किए जाने वाले बॉन्ड, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव) के उचित मूल्य निर्धारण में मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें इकाई-विशेष के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर रहते हुए मार्केट डेटा का अधिकतम उपयोग किया जाता है। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य हैं, तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट, अवलोकन योग्य मार्केट डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो साधन को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। इस गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक व्यय और क्षतिपूर्ति परिसंपत्ति को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान स्तर 1, 2 और 3 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ है।

कंपनी की नीति में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तरों में अंतरण और उससे बाह्य अंतरण को मान्यता देना है।

नोट 34: वित्तीय साधन जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना तथा इसे सहयोग प्रदान करना है। इस कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, दिए गए ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य राशि, नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो इसके संचालन से सीधे प्राप्त होते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, जो उसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। कंपनी ने अपने व्यावसायिक संचालन के आधार पर निम्नलिखित जोखिमों का मूल्यांकन किया है:

ए) विदेशी मुद्रा जोखिम:

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जो विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण किसी जोखिम के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव का कारण बनता है। कंपनी स्थानीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा, मुख्यत: अमेरिकी डॉलर में, में कारोबार करती है। विनिमय दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्यत: कंपनी के आयातों से संबंधित है, जिनका भुगतान कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में किया जाना होता है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा व्यापार प्राप्य भी हैं और इसलिए, वह विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति संवेदनशील है।

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

निम्नलिखित तालिकाएँ इकाई की कार्यात्मक मुद्रा के लिए अमेरिकी डॉलर की दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती हैं, जबकि अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं। कंपनी के कर-पूर्व लाभ पर प्रभाव मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है।

विवरण	यूएसडी दर में परिवर्तन	कर-पूर्व लाभ पर प्रभाव	यूरो दर में परिवर्तन	कर-पूर्व लाभ पर प्रभाव	SEK दर में परिवर्तन	कर-पूर्व लाभ पर प्रभाव
31 मार्च, 2025	+2%	–	+2%	–	+2%	(0.13)
	-2%	–	-2%	–	-2%	0.13
31 मार्च, 2024	+2%	–	+2%	(0.10)	+2%	–
	-2%	–	-2%	0.10	-2%	–

(बी) ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को होने वाले वित्तीय नुकसान का जोखिम है। यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में किल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है। क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों, ऋणों और अग्रिम, आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिम (वस्तु, सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए), नकद और नकद के सममूल्य और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास जमा से उत्पन्न होता है। वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अपनी कुल बिक्री का 93% सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं को बिक्री से प्राप्त करती है। कंपनी को उम्मीद है कि वह अपनी अधिकांश बिक्री सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं से रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार - कंपनी के प्रमुख शेयरधारक और प्रशासनिक मंत्रलय के अनुबंधों के तहत प्राप्त करना जारी रखेगी।

ग) अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान -

चूँकि कंपनी के देनदार मुख्यत: भारत सरकार (भारतीय रक्षा सेवाएँ, विदेश मंत्रालय), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जहाँ प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहाँ चूक का जोखिम शून्य/नगण्य है। तदनुसार, कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, अपेक्षित ऋण हानि के कारण होने वाली हानि का आकलन, लंबी अवधि से बकाया राशि के संबंध में, मामला-दर-मामला आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन का मानना है कि बकाया अप्रभावित राशि, ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार और ग्राहक ऋण जोखिम के व्यापक विश्लेषण के आधार पर, पूर्ण रूप से वसूली योग्य है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसका निपटान नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करके किया जाता है। आम तौर पर, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय दायित्वों के निर्वहन सहित अपेक्षित संचालन व्यय को पूरा करने के लिए उसके पास मांग के अनुरूप पर्याप्त नकदी है।

निम्नलिखित तालिका में अनुबंधित छूटरहित भुगतान के आधार पर कंपनी की वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का सारांश प्रस्तुत किया गया है:

विवरण	एक वर्ष से कम	1 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2025 तक		
व्यापार देयताएं	736.06	96.97
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	190.74	-
कुल	**926.80**	**96.97**
31 मार्च, 2024		
व्यापार देयताएं	266.11	57.53
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	192.49	-
कुल	**458.60**	**57.53**

कंपनी की मानक अनुबंध शर्तों में प्रावधान है कि कंपनी को किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय भारत सरकार और भारतीय रक्षा सेवाओं सहित लागू अनुबंधों के अनुसार ग्राहकों से अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है और उपलब्धि असाधारण होने पर असामान्य भुगतान प्राप्त होता है। इन भुगतान का उपयोग कंपनी की कार्यशील पूंजी की जरूरतों (कंपनी के लिए कार्यशील पूंजी का उच्च स्तर बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि कंपनी के उत्पाद विकास तथा उत्पादन चक्र में लंबी अवधि लगती हैं) को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय रक्षा सेवाओं की ओर से इस कंपनी को भुगतान भारत सरकार द्वारा बजटीय विनियोजन की निरंतर उपलब्धता पर निर्भर है और ऐसे विनियोजनों की उपलब्धता में कोई भी व्यवधान कंपनी के नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

ई) बाजार जोखिम:

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) और भारत सरकार (जीओआई) की ओर से घरेलू रक्षा विनिर्माण तथा आधारभूत संरचना के विकास हेतु निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 ("डीएपी 2020") जैसी रक्षा नीति में सुधार के प्रयास जारी हैं। चूँकि रक्षा मंत्रालय ने पूंजीगत खरीद के लिए स्वदेशी रुप से डिजाइन पर विकसित और निर्मित ("आईडीडीएम") उत्पादों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, इसलिए इस कंपनी को ऐसे अनुबंधों के लिए भारतीय उत्पादन एजेंसी के रूप में चुने जाने के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इन नीतियों से कंपनी द्वारा संचालित क्षेत्रों में बाजार की प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ गया है।

एफ) जोखिम शमन प्रक्रिया:

कंपनी में जोखिम प्रबंधन को संस्थागत बनाने के एक कदम के रूप में, एक विस्तृत ढाँचा विकसित किया गया है और कंपनी के शीर्ष प्रबंधन को कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढाँचे की स्थापना और निगरानी की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस ढाँचे का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कंपनी भर में एक संरचित और व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है जो यह सुनिश्चित करती है कि जोखिमों की उचित पहचान की जा रही है और इन जोखिमों को कम किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम की पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम निधारण, जोखिम न्यूनीकरण और जोखिमों की नियमित समीक्षा और निगरानी शामिल है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य वित्तीय विवरणों में अस्थिरता को कम करना है, साथ ही कंपनी की व्यावसायिक योजना में पूर्वानुमान प्रदान करने और बाजार की गतिविधियों में उचित भागीदारी के बीच संतुलन बनाए रखना है।

नोट 35: पूंजी प्रबंधन:

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में जारी इक्विटी पूंजी और कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए जिम्मेदार अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी अपने व्यवसाय को समर्थन देने और शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए एक कुशल पूंजी संरचना और स्वस्थ पूंजी अनुपात बनाए रखे।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक परिस्थितियों या व्यावसायिक आवश्यकताओं में बदलाव के अनुसार उसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी गियरिंग अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है, जो शुद्ध ऋण को कुल पूंजी और शुद्ध ऋण से विभाजित करने पर प्राप्त होता है।

गियरिंग अनुपात

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
शुद्ध ऋण (A)	-	-
कुल इक्विटी		
इक्विटी शेयर पूंजी (नोट 11 देखें)	17,860.79	17,531.53
अन्य इक्विटी (नोट 12 देखें)	(12,718.02)	-13144.62
कुल इक्विटी (बी	**5,142.77**	**4386.91**
शुद्ध ऋण से इक्विटी अनुपात (ए/बी)	-	-

नोट 36: वित्तीय साधन जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
ए) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि	0.26
बी) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (नकद में)	
i) किसी भी परिसंपत्ति का सृजन/अधिग्रहण	–
ii) विभिन्न ट्रस्टों/एनजीओ/समितियों/एजेंसियों को योगदान और उनका	0.26
iii) सीएसआर के लिए प्रशासनिक उपरिव्यय	–
सी) वर्ष के दौरान अव्ययित राशि	–
डी) पिछले वर्षों की तुलना में कुल कमी	–
ई) कमी के कारण	–
एफ) संबंधित पक्ष से लेनदेन का विवरण	
नाम	–
संबंध	–
राशि	–
जी) सीएसआर प्रावधान का विवरण	
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	–
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	–
(घटाएँ): वर्ष के दौरान प्रयुक्त	–
वर्ष के अंत में शेष राशि	–

नोट 37: वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	अनुपात का प्रकार	गणक	विभाजक	2024-25	2023-24	"परिवर्तन (% में)"	25% से अधिक परिवर्तन के लिए टिप्पणी
1	वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देयताएँ	2.16	2.33	(7.41%)	लागू नहीं
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	NA					
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)	NA					
4	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल (%)	कर के उपरांत शुद्ध लाभ	कुल इक्विटी	1.61%	0.46%	248.71%	राजस्व व ब्याज आय में बढ़ोत्तरी ने कंपनी की लाभप्रदता को बढ़ाने में योगदान दिया।
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	प्रचालन से राजस्व	औसत इन्वेंटरी	0.90	0.81	12%	लागू नहीं
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार से प्राप्य	1.83	2.19	-16%	लागू नहीं
7	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	सामान की खरीद	औसत व्यापार से देय	2.19	3.32	(34.15%)	सामान्य व्यावसायिक क्रम में वर्ष के अंत में अधिक खरीद
8	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात (समय में)	प्रचालन से राजस्व	क्रियाशील पूँजी	0.77	0.67	0.15	लागू नहीं
9	शुद्ध लाभ अनुपात (%)	कर के उपरांत शुद्ध लाभ	कुल राजस्व	2.90%	0.84%	246.46%	राजस्व व ब्याज आय में बढ़ोत्तरी ने कंपनी की लाभप्रदता को बढ़ाने में योगदान दिया।
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	ब्याज पूर्व लाभ, अपवाद वाले मद एवं कर	कुल नियोजित पूँजी	4.06%	3.10%	31.24%	राजस्व व ब्याज आय में बढ़ोत्तरी ने कंपनी की लाभप्रदता को बढ़ाने में योगदान दिया।
11	निवेश पर रिटर्न (%)	NA					

नोट 38: प्रतिधारित आय में समायोजन

1. इन वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 3, इंड एएस-8 –लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुसार, कंपनी द्वारा 01.04.2024 तक 'अन्य इक्विटी' के प्रारंभिक शेष में किए गए परिवर्तनों के तर्क और विवरण से संबंधित है।

2. निम्नलिखित मदों की विशेषता की वजह से अन्य इक्विटी के आदि शेष में समायोजन किए गए है–

ए. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कर आधार में परिवर्तन के कारण समायोजन, जिसके परिणामस्वरूप पिछली अवधि की स्थगित देयताएं परिवर्तित हो गई है।

बी. पिछले वर्ष के अनवशोषित मूल्यह्रास के दावे के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति के सृजन की वजह से समायोजन, जो कंपनी की भावी कर योग्य आय पर सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध होगा। यह परिवर्तन उपरोक्त क्रम संख्या (क) में दिए गए परिवर्तन के परिणामस्वरूप है।

सी. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य में समायोजन।

डी. पूर्व अवधि की त्रुटि और चूक के कारण समायोजन, जिसमें शामिल हैं:

i. पिछले वर्षों के वित्तीय विवरण में राजस्व मद को गैर-राजस्व मद (टौर इसके विपर्यय) के रूप में वर्गीकृत करने में त्रुटियाँ

ii. विगत वर्षों के व्यय हेतु प्रावधान न किया जाना

उपरोक्त समायोजनों का प्रभाव इस प्रकार था:

इक्विटी का समायोजन

करोड़ रु. में

विवरण	01 अप्रैल 2024 तक
विगत लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अंतर्गत इक्विटी (ए)	**3,071.80**
सरकारी अनुदान की मान्यता रद्द करने का प्रभाव	348.08
कुल योग बी	**348.08**
बैलेंस(सी = ए+बी)	**3,419.88**
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के सुधार का प्रभाव	27.87
पूर्व अवधि की त्रुटियों के सुधार का प्रभाव (कुल)	4.70
कुल योग डी	**32.57**
इंड एएस के अनुसार इक्विटी (ई = सी - डी)	**3,387.31**

3ण पूर्व अवधि की त्रुटियों का स्वरुप और प्रत्येक वित्तीय विवरण लाइन आइटम पर इसके प्रभाव का खुलासा निम्नानुसार किया गया है:

वित्तीय विवरण लाइन आइटम

संपत्तियाँ - वृद्धि(कमी)	करोड़ रु. में
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-27.87
जारी पूंजीगत कार्य	348.08
परिसंपत्तियों में वृद्धि	**320.21**
देयताएँ - (वृद्धिऋध्कमी	**करोड़ रु. में**
देयताएँ - (वृद्धिऋध्कमी	-4.70
देयताओं में कमी	-4.70
प्रतिधारित आय पर शुद्ध प्रभाव	**315.51**

4ण उपर्युक्त समायोजन के बाद, 01 अप्रैल, 2024 तक प्रतिधारित आय निम्नानुसार होगीरू

करोड़ रु. में

पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार प्रतिधारित आय	3,071.80
जोड़ें: उपर्युक्त समायोजन के कारण वृद्धि	315.51
01 अप्रैल, 2024 तक प्रतिधारित आय का पुनर्कथन	**3,387.31**

नोट 39: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक प्रकटीकरण

ए. कंपनी के नाम पर कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। बेनामी लेनदेन प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा 45/1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी या उसके सहयोगियों के विरुद्ध बेनामी संपत्ति रखने के लिए न तो कोई कार्यवाही की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

बी. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

सी. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के साथ पठित कंपनी (सतर की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के तहत निर्धारित परतों की संख्या के संबंध में अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

डी. उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग

I. कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को इस समझ के साथ अग्रिम या ऋण नहीं दिया है या धन का निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ: क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करेगा।

II. कंपनी ने किसी भी व्यद्रि या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधिकरण पक्ष) भी शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी: क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधिकरण पक्ष (टंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी।

ई. कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में निवेश या व्यापार नहीं किया है।

एफ. कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण (जैसे तलाशी या सर्वेक्षण) में वर्ष के दौरान कोई भी आय समर्पित या आय के रूप में प्रकट नहीं की है, जिसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

जी. कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

नोट 40: स्वदेशीकरण कोष

डीपीएसयू/ओएफबी के लिए रक्षा प्लेटफार्मों में उपयोग किए जाने वाले घटकों और पुर्जों के स्वदेशीकरण के लिए नीति पर अधिसूचना 08 मार्च, 2019 को जारी की गई थी। चूंकि 31 मार्च, 2025 तक तौर-तरीकों के संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) से दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इस अवधि के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

टिप्पणी 41: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक प्रकटीकरण

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, वस्तुओं और सेवाओं पर प्राप्त अग्रिम के अंतर्गत दर्शाए गई शेष राशि का समाधान किया जा रहा है। चूँकि कंपनी रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सरकारी संस्थान है, इसलिए कंपनी का 90 प्रतिशत से अधिक कारोबार, व्यापार प्राप्य और ग्राहक अग्रिम सरकारी और सरकार से संबंधित संस्थाओं से संबंधित है। विभिन्न स्थानों पर स्थित प्रभागों द्वारा ग्राहकों को बिल जारी किए जाते हैं। हालांकि, प्रबंधन को इस तरह की लंबित पुष्टि/समाधान से कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

नोट 42:

बोर्ड की राय में, कंपनी के पास अचल संपत्तियों और निवर्तमान निवेशों के अलावा कोई अन्य संपत्ति नहीं है, जिसका सामान्य व्यावसायिक क्रम में प्राप्त मूल्य बताई गई राशि से कम हो।

नोट 43: रिपोर्टिंग अवधि के बाद होने वाली घटनाएँ

कंपनी के वित्तीय विवरण जारी करने की तिथि तक जारी किए गए, लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हुए मानकों में संशोधन नीचे बताए गए हैं। कंपनी इन मानकों को अंगीकार करेगी बशर्ते वे प्रभावी हों। कारपोरेट कार्य मंत्रलय ("एमसीए") ने 31 मार्च, 2023 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 के माध्यम से भारतीय लेखा मानक में कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है। निम्नलिखित मानकों में संशोधन किए गए हैं:

नोट 44: पुनर्समूहित, पुनर्संरचित, पुनर्वर्गीकृत

महत्वपूर्ण पुनर्समूहन: परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण, लाभ और हानि के विवरण और नकदी प्रवाह में, जहाँ भी आवश्यक हो, उचित समायोजन किया जा रहा है, आय, व्यय, परिसंपत्तियों, देनदारियों और नकदी प्रवाह के संबंधित मदों के पुनर्वर्गीकरण द्वारा उन्हें 31 मार्च 2025 तक कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार समूहों के अनुरूप लाया गया है।

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट संख्या 1 से 44 पर हस्ताक्षर

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001099C

उमेश सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08373608

रणजीत सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 073488
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

जय गोपाल महाजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10824241
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

मनीष कुमार सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F12879
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण

इंड एएस समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

प्रतिकूल राय

हमने एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा इसके संयुक्त उद्यम के साथ दिए गए समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और उस अवधि के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश भी है (जिसे इसमें "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रतिकूल राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामले (लों) के महत्व के कारण, संगत समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("इंड एएस") और भारत में सामान्यत: स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम की 31 मार्च, 2025 तक की समेकित स्थिति, उनके समेकित शुद्ध लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), उनकी इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते हैं।

प्रतिकूल राय का आधार:

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के संबंध में

निम्नलिखित पैरा की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है:

1. 1 अक्टूबर 2021 तक परिसंपत्तियों और देनदारियों का आरंभिक शेष पीसीएफए (प्रधान लेखा नियंत्रक, आयुध निर्माणियाँ, कोलकाता) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार लिया गया था। इकाइयों ने अपने पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर असमानताओं के लिए कुछ समायोजन किए। इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों और देनदारियों में शुद्ध वृद्धि/कमी हुई, जिसका अन्य इक्विटी पर भी समान प्रभाव पड़ा और 889.54 करोड़ रुपये की शुद्ध कमी हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उपलब्ध जानकारी के आधार पर कुछ समायोजन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों/देनदारियों में 42.85 करोड़ रुपये (शुद्ध) और 5.92 करोड़ (शुद्ध) (वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार पुनर्कथन के बजाय लाभ-हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में परिवर्तन की तिथि पर आरंभिक देनदारियों के 178.03 करोड़ रुपये के बट्टे खाते में डालने के लेखांकन को छोड़कर) 1.50 करोड़ रुपये की कमी/वृद्धि हुई।

   चालू वर्ष के दौरान, जीएसएफ कोलकाता के संबंध में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियों के संबंध में कुछ समायोजन किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक 8 "लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों" की अपेक्षाओँ के अनुसार विगत वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरण को पुनर्कथन के स्थान पर "अन्य इक्विटी" के अंतर्गत प्रतिधारित आय के आरंभिक शेष में समायोजन करके परिसंपत्ति में 26.22 करोड़ रुपये (शुद्ध संचित मूल्यह्रास) की कमी आई है।

   वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों तथा संपत्ति संयंत्र और उपकरण के संबंध में भिन्नता अभी भी कंपनी के रिकॉर्ड के साथ संतुलन और समाधान की लंबित पुष्टि, पीपीई और इन्वेंटरी के स्वतंत्र भौतिक सत्यापन के कारण समायोजित नहीं किए जा सके हैं, जो कि अवस्थांतरण की तिथि पर उनके अस्तित्व के लिए है और पीसीएफए से ली गई शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव वर्तमान में मात्रात्मक नहीं है।

2. कंपनी ने 1 अक्टूबर 2021 के बाद के कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण (एयर कंडीशनर सहित) और फर्नीचर एवं फिक्स्चर का लेखांकन उनके मूल्य पर किया। हालाँकि, पीसीएफए की बुक में 30 सितंबर 2021 तक विद्यमान उन्हीं

परिसंपत्तियों का लेखा उनके वहन मूल्य के बजाय 1 रुपये पर किया गया। यह भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा 7 का उल्लंघन था, जिसके अनुसार उक्त परिसंपत्तियों का लेखांकन उनके 1 अक्टूबर 2021 के वहन मूल्य पर किया जाना आवश्यक है।

उक्त का अनुपालन न किए जाने के परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और प्रतिधारित आय को समान राशि से कम दर्शाया गया। इसका प्रभाव बाद के मूल्यह्रास पर भी पड़ता है और इसका प्रभाव उन परिसंपत्तियों पर उनके शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास लगाने हेतु लाभ-हानि विवरण पर भी पड़ता है। प्रबंधन द्वारा संबंधित आँकड़े उपलब्ध न कराए जाने के कारण उपर्युक्त प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका।

3. कंपनी के पास स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जैसी विभिन्न वस्तुओं की पहचान करने की उचित प्रणाली नहीं है, जिनका उपयोग एक से अधिक अवधि के दौरान होने की उम्मीद है। वर्ष के दौरान कुछ इकाइयों द्वारा प्रमुख कंपोनेन्ट के लिए इसका लेखा-जोखा रखा गया है। अत: पुर्जों, अतिरिक्त उपकरणों और सर्विसिंग उपकरणों का लेखा-जोखा भारतीय लेखा मानक 16 - "संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण" के पैरा 6 और 8 के अनुरूप नहीं है।

चालू वर्ष के वित्तीय विवरण में उपर्युक्त का प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।

4. यह देखा गया है कि पीपीई आइटम कमीशनिंग की तिथि से उपयोग की स्थिति में होते हैं और मूल्यह्रास उसी तिथि से लिया जाना चाहिए। हालाँकि, कंपनी इमारतों का मूल्यह्रास बी-वाउचर की तिथि से ले रही है। यह भारतीय लेखा मानक 16 - "संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण" के पैरा 55 के अनुरूप नहीं है।

उक्त वर्ष के दौरान जारी पूँजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) से हस्तांतरण द्वारा वित्तीय विवरण में निम्नलिखित पूंजीकरण किया गया है।

निर्माणी	परियोजना का नाम	पूँजीकरण की तिथि	राशि (करोड़ रु. में)
ओएफसी	हीट ट्रीटमेंट प्लांट हेतु नए भवन का निर्माण	28-02-2021	रु.13.53
ओएफसी	एम.ए. अनुभाग के पीछे नए भवन का निर्माण	08-06-2016	रु.11.87
		कुल	**रु.25.40**

उपर्युक्त कार्य पिछले वर्षों में पूरे हो चुके थे और उपयोग के लिए तैयार थे, लेकिन पिछले वर्षों में इन्हें पूंजीकृत नहीं किया गया था। इस वर्ष के मूल्यह्रास में पिछले वर्षों का संबंधित मूल्यह्रास शामिल नहीं है और वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव वर्तमान में मात्रात्मक नहीं है।

5. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन:

वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा इकाई स्तर पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (जिसे आगे "पीपीई" कहा जाएगा) का भौतिक सत्यापन किया गया। कंपनी की इकाई, गन एंड शेल फैक्ट्री, कोलकाता की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रु. 26.22 करोड़ (कुल संचित मूल्यह्रास) मूल्य के भवन एवं वाहन उपलब्ध नहीं हैं और इसे चालू वर्ष में अचल संपत्ति रजिस्टर से हटा दिया गया है।

विलोपन का उपर्युक्त समायोजन भारतीय लेखा मानक 8 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय पुस्तकों में नहीं किया गया है।

हमारी राय में, पीसीएफए के रिकॉर्ड के अनुसार पीपीई की मौजूदगी में कमी और पीसीएफए से ली गई शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर भौतिक सत्यापन का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। उपर्युक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि अवस्थांतर की तिथि पर इक्विटी जारी करने के उद्देश्य से गणना की गई शुद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य न तो उचित तौर पर भौतिक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों पर आधारित था और न ही उचित वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर, इसलिए, भारत सरकार को जारी की गई शेयर पूंजी भौतिक रूप से उपलब्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं थी।

जीएसएफ और अन्य इकाइयों में गैर-मौजूद परिसंपत्तियों की उपर्युक्त कमी का पीसीएफए से एडब्ल्यूईआईएल में परिवर्तन की तिथि पर शुद्ध परिसंपत्ति के उचित मूल्य वित्तीय विवरण पर प्रभाव वर्तमान में सभी इकाइयों

द्वारा पीपीई के विस्तृत स्वतंत्र भौतिक सत्यापन और परिवर्तन की तिथि पर शुद्ध परिसंपत्तियों के सही उचित मूल्य पर पहुँचने के लिए स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों द्वारा आवश्यक परिणामी परिवर्धन/विलोपन और उचित समायोजन के अभाव में मात्रात्मक नहीं है।

6. **इन्वेंटरी का मूल्यांकन**

ए. जारी कार्य (WIP) के मूल्यांकन में निश्चित ओवरहेड का आवंटन:

इन्वेंटरी के मूल्यांकन में निश्चित ओवरहेड का आवंटन सामान्य क्षमता के बजाय वास्तविक उत्पादन के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी के पास विभिन्न निर्माणियों द्वारा विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन हेतु संयंत्रों की सामान्य उत्पादन क्षमता की पहचान करने हेतु उचित प्रणाली नहीं है।

यह भारतीय लेखा मानक 2 के पैरा 13 – "इन्वेंटरी" के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जिसके अनुसार निश्चित ओवरहेड का आवंटन उत्पादन सुविधाओं की सामान्य क्षमता के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

प्रत्येक निर्माणी द्वारा प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर निश्चित ओवरहेड का आवंटन किया गया है, इसलिए हम भारतीय लेखा मानक 2 के अनुपालन की पुष्टि नहीं कर सके। इस स्तर पर वांछित जानकारी के अभाव में हम भारतीय लेखा मानक 2 में दिए गए सिद्धांतों के गैर-अनुपालन के प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते।

बी. अंतर-इकाई इन्वेंटरी

हमने पाया कि वर्ष के दौरान किए गए अंतर-इकाई हस्तांतरण वास्तविक लागत के बजाय अनुमानित लागत पर आधारित थे। कंपनी ने अंतर-इकाई हस्तांतरण की लागत की गणना के लिए विचार की गई लागत का कोई आधार नहीं दिया है, इसलिए हम अंतर-इकाई हस्तांतरण की लागत की शुद्धता की पुष्टि नहीं कर सकते। उपर्युक्त के कारण वर्ष के अंत में हस्तांतरिती इकाई के पास पड़ी समापन इन्वेंटरी पर अप्राप्त लाभ या हानि को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक 2 "इन्वेंटरी" के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है।

विस्तृत कार्यप्रणाली और जानकारी की अनुपलब्धता के कारण चालू वर्ष के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण में उपर्युक्त के प्रभाव का निर्धारण नहीं है।

सी. जारी कार्य (WIP) में लंबे समय से पड़े स्टॉक

लेखा परीक्षा के दौरान हमने पाया कि इकाइयाँ जारी कार्य शीर्षक के अंतर्गत स्टॉक रख रही हैं, जिन्हें लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी वस्तुओं को जारी कार्य शीर्षक में रखने का कारण/औचित्य हमें स्पष्ट नहीं किया गया। हालाँकि, विस्तृत कार्य प्रणाली और औचित्य/सूचना की अनुपलब्धता के कारण चालू वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर उपर्युक्त के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

7. **"दुर्भर अनुबंधों" के लिए प्रावधान:**

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निगमीकरण-पूर्व काल से जुड़े मान्य अनुबंधों के संबंध में पूर्वव्यापी प्रभाव से दिनांक 1 अप्रैल 2022 तक 863.65 करोड़ रुपये के घाटे के लिए प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव से पुन: घोषित किया है, जिसे "दुर्भर" माना गया है, क्योंकि कंपनी के पास इन अनुबंधों से बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने वाले नोट संख्या 14 में संदर्भित है।

इन मान्य अनुबंधों को कंपनी द्वारा निगमन के बाद अनुमोदित किया गया था। हालांकि. कंपनी को इन आपूर्तियों पर घाटा होना निश्चित था। कंपनी ने इन आपूर्तियों पर हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की, लेकिन सरकार से राजस्व अनुदान प्राप्त करने के बजाय, कंपनी को इक्विटी के रूप में धन प्राप्त हुआ। इसलिए, इसे वित्तीय पुस्तकों में घाटे को समायोजित नहीं किया जा सका। विक्रेता की ओर से अनुबंध के अनुकूल न होने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने का कोई प्रावधान शामिल नहीं था; इसलिए, कंपनी द्वारा किया गया समझौता न तो रणनीतिक और न ही वाणिज्यिक सोच-विचार पर आधारित था।

अनुबंध के अनुसार वर्तमान दायित्वों की गणना में कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक 37 के निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

ए) इन उत्पादों का निर्माण उन इकाइयों की सामान्य प्रक्रिया में किया जा रहा है, जिनमें अन्य उत्पाद भी निर्मित किए जा रहे हैं। इसलिए, कंपनी भारतीय लेखा मानक 37 के पैरा 69 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सकी, जिसके अनुसार "दुर्भर अनुबंध के लिए अलग प्रावधान स्थापित किए जाने से पहले इकाई उस अनुबंध के लिए समर्पित परिसंपत्तियों पर हुई किसी भी हानि को पहचानती है" (भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार)।

बी) उत्पाद की लागत की गणना में कंपनी प्रबंधन अनुमान के आधार पर निश्चित ओवरहेड्स आवंटित करने की प्रणाली का पालन करती है, जो कि भारतीय लेखा मानक 2 "इन्वेंटरी" के पैरा 13 में निहित प्रावधानों के अनुरुप नहीं है, जिसके अनुसार उत्पादन सुविधाओं की सामान्य क्षमता के आधार पर निश्चित ओवरहेड आवंटित किए जाने आवश्यक हैं।

सी) भारतीय लेखा मानक 37 के पैरा 45 के अनुसार, जहाँ धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगी। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 37 के पैरा 45 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

डी) कंपनी ने घाटे की गणना के लिए विचाराधीन लागत का निर्धारण करने हेतु कोई आधार प्रदान नहीं किया है; इसलिए हम घाटे के उन आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते, जिनके आधार पर वित्तीय विवरण में घाटे के लिए प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से दर्ज किए गए हैं।

हमारी राय में कंपनी के लिए दुर्भर अनुबंध और प्रावधान के निर्धारण के लिए उत्पादन लागत/क्रय मूल्य में से न्यूनतम का उपयोग करना आवश्यक है।

ई) भारतीय लेखा मानक 37 के मान्यता सिद्धांत के अनुसार "किसी प्रावधान को मान्यता तब दी जाएगी जब":

- *किसी इकाई के पास वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो जो किसी पिछली घटना का परिणाम हो;*
- *यह संभावना हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकत होगी; और*
- *दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।*

भारतीय लेखा मानक 37 के पैरा 69 (जैसा कि बिंदु संख्या (ए) में बताया गया है), भारतीय लेखा मानक 2 के पैरा 13 (जैसा कि बिंदु संख्या (बी) में बताया गया है), भारतीय लेखा मानक 37 के पैरा 45 (जैसा कि बिंदु संख्या (सी) में बताया गया है) और कंपनी द्वारा हानि की गणना के आधार पर उत्पाद की सही लागत को सत्यापित करने हेतु डेटा की अनुपलब्धता (जैसा कि बिंदु संख्या (डी) में बताया गया है), उनके उपर्युक्त गैर-अनुपालन के प्रभाव को ऊपर बताए गए कारणों से परिमाणित नहीं किया जा सकता है।

भारतीय लेखा मानक 37 के पैरा 69 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां" जैसा कि बिंदु (ए) में वर्णित है, भारतीय लेखा मानक 2 के पैरा 13 "इन्वेंटरी" जैसा कि बिंदु (बी) में वर्णित हैय भारतीय लेखा मानक 37 के पैरा 45 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां" जैसा कि बिंदु (सी) में वर्णित है और उत्पाद की सही लागत को सत्यापित करने के लिए डेटा की अनुपलब्धता जिसके आधार पर कंपनी द्वारा नुकसान की गणना की जाती है, जैसा कि बिंदु (डी) में वर्णित है, ऊपर्युक्त कारणों से मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा उपर्युक्त बिंदु (ई) में यथा वर्णित यदि विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो प्रावधान को मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसलिए, कंपनी ने उपर्युक्त वर्णित भारतीय लेखा मानक के विभिन्न प्रावधानों की अनदेखी करते हुए दुर्भर अनुबंध के लिए प्रावधान किए हैं।

8. उत्पादों की बिक्री पर मान्य राजस्व:

कंपनी के परिचालन से प्राप्त राजस्व में उत्पादों की बिक्री से प्राप्त 72.71 करोड़ रुपये शामिल हैं, जहाँ अनुबंध से जुड़ी शर्त यह निर्दिष्ट करती है कि "विक्रेता द्वारा माल की डिलीवरी के बाद, अर्थात् सीआईएफ के आधार पर स्वामित्व और जोखिम विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाएँगे"। उपर्युक्त माल बैलेंस शीट की तिथि तक डिलीवर नहीं किया गया था। इस कारण, कंपनी के परिचालन से प्राप्त राजस्व को उपर्युक्त राशि से अधिक दर्शाया गया है। **उपर्युक्त निर्धारण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 115, "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की आवश्यकताओं**

के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने बेचे गए माल की लागत निकालने के संबंध में कोई गणना या जानकारी प्रदान नहीं की है। इसलिए, हम उपर्युक्त राजस्व निर्धारण के कारण लाभ और हानि विवरण में लाभ या हानि के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

कंपनी ने उपर्युक्त मान्यता प्राप्त राजस्व पर क्रमश: 9.24 करोड़ रुपये और 4.38 करोड़ रुपये के कमीशन व्यय और परिवहन व्यय दर्ज किए हैं। इसी कारण कंपनी के उक्त वर्ष के व्यय में 13.62 करोड़ रुपये अधिक दर्शाए गए हैं।

9. आयकर अधिनियम और आस्थगित कर के अनुसार मूल्यह्रास:

कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के आधार पर पूर्व में लेखाकृत "सरकारी अनुदान" को पुन: दर्शाया है और उसे पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया है। कंपनी ने उपर्युक्त त्रुटि, अर्थात पिछले वित्तीय वर्षों में "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कर आधार" में वृद्धि के कारण कोई समायोजन नहीं किया है, जिससो आस्थगित कर की गणना प्रभावित हो सकती है।

कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कर आधार" में वृद्धि की है। "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कर आधार" में परिवर्तन के कारण इस समायोजन के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों की आस्थगित कर देनदारियों में परिवर्तन हुआ है और पिछले वर्ष के अनवशोषित मूल्यह्रास के दावे के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ तैयार हुई हैं। 348.08 करोड़ रुपये के लिए उपर्युक्त का शुद्ध प्रभाव इंड एएस 8 "लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों" की आवश्यकताओं के अनुसार पिछले वित्तीय वर्षों की पुनर्संरचना के बजाय "अन्य इक्विटी" के अंतर्गत प्रतिधारित कमाई के शुरुआती शेष में किए गए समायोजन के माध्यम से किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अपने आयकर रिटर्न में संशोधन के लिए आवेदन किया है, जो कि समय-सीमा के कारण वर्जित हैं। यदि आईटीआर में संशोधन की अनुमति दी जाती है और उनमें संशोधन किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप 502.56 करोड़ रुपये का अनवशोषित मूल्यह्रास अग्रेनीत किया जाएगा और इसके कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियों में 126. 48 करोड़ रुपये की वृद्धि भी होगी। हालाँकि, आज की तिथि तक निर्धारण वर्ष 2022-23 के संबंध में दायर आवेदन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी ने विवेकपूर्ण तरीके से 126.48 करोड़ रुपये की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी है।

10. व्यापारिक प्राप्य शेषों की पुष्टि:

प्रबंधन के पास आवधिक आधार पर व्यापारिक प्राप्य शेषों के समाधान हेतु कोई उचित प्रणाली नहीं है। ये शेष संबंधित पक्षों द्वारा पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अलावा, लेखा प्रणाली, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम सहित व्यापारिक प्राप्य शेष की चालान-वार (इनवाइस-वाइज) सूची प्रदान नहीं करती है, जो सामान्य खाता-बही शेष से विधिवत मेल खाती हो। व्यापारिक प्राप्य से प्राप्तियों/बकाया राशि के बिल-वार अभिलेखन और शेष राशि की पुष्टि के अभाव में वित्तीय विवरण के नोट संख्या 8(बी) में उल्लिखित आयु विश्लेषण से संबंधित उचित आधार सत्यापित नहीं किया जा सकता है। यह भी देखा गया कि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 109 "वित्तीय उपकरण" के अनुसार व्यापारिक प्राप्य पर कोई अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) प्रावधान निर्धारित या निर्मित नहीं किया है। ऐसी शेष राशि की पुष्टि, समाधान, समय-वार विश्लेषण के आधार और ईसीएल के लिए प्रावधान की गणना न होने तक वित्तीय विवरण पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन समस्त शेष राशि की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

11. व्यापार देय शेष राशि की पुष्टि:

प्रबंधन के पास आवधिक आधार पर व्यापार देय शेष राशि के समाधान के लिए कोई उचित प्रणाली नहीं है। समस्त शेष राशि संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि और समाधान के अधीन है। इसके अलावा, लेखा प्रणाली आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिम सहित व्यापार देय शेष राशि की चालान-वार सूची प्रदान नहीं करती है जो सामान्य खाता-बही शेष राशि से मेल खाती हो। व्यापार देय राशि के भुगतान/बकाया राशि के बिल-वार रिकॉर्ड और शेष राशि की पुष्टि के अभाव में वित्तीय विवरण के नोट संख्या 13(ए) में बताए गए लेनदारों की समय-वृद्धि के उचित आधार को सत्यापित

नहीं किया जा सकता है। ऐसी पुष्टि, समाधान और समय-वार विश्लेषण के आधार तक, वित्तीय विवरण पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन शेष राशि की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

12. वारंटी के लिए प्रावधान का प्रत्यावर्तन:

कंपनी ने निष्पादन गारंटी और बेचे गए माल के प्रतिस्थापन/मरम्मत के कारण वारंटी प्रावधानों को मान्यता दी थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्षों में किए गए 10.38 करोड़ रुपये के प्रावधानों को प्रत्यावर्तित किया है। कंपनी ने हमें प्रावधानों के उपर्युक्त प्रत्यावर्तन के लिए कोई आधार नहीं बताया है। इसलिए, हम खातों में इस तरह के प्रत्यावर्तन की शुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

उपर्युक्त कारणों से कंपनी के निर्धारित वर्ष के लाभ को 8.38 करोड़ रुपये (शुद्ध) से अधिक दर्शाया गया है।

13. नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि से धनराशि का उपयोग:

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कंपनी को पिछले वर्ष भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, डीडीपी से 37.75 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी। वर्ष के दौरान यह पाया गया कि कंपनी ने निधि के अंतर्गत उपलब्ध राशि में से 9.40 करोड़ रुपये डेबिट करके उसका उपयोग किया है। उपर्युक्त निधि सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जारी की गई थी, जिससे पुराने और खराब हो चुके संयंत्र एवं मशीनरी को इस निधि से खरीदकर उन्हें प्रतिस्थापित किया जा सके। हालाँकि, कंपनी ने इस निधि का उपयोग संयंत्र एवं मशीनरी की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए किया है।

उपर्युक्त कारणों से कंपनी के संगत वर्ष के लाभ को 9.40 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया है।

14. विक्रय एवं क्रय मूल्य का प्रत्यावर्तन:

दिनांक 22/12/2023 और 23/12/2023 को सभी डीपीएसयू के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की बैठक में लाभ तत्व को पूर्व के 7.5% से घटाकर 6% करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, कंपनी को उन सभी डीपीएसयू को आनुपातिक क्रेडिट नोट जारी करने की आवश्यकता थी, जिनसे उसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7.5% का लाभ तत्व लिया था। ***कंपनी के पास मौजूद डेटा के अभाव में ऊपर उल्लिखित निर्णय के गैर-अनुपालन के प्रभाव को बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सकता है।***

15. अनुसूची III का अनुपालन न करना:

जिन परियोजनाओं का पूरा होना बाकी है, उन्हें पूरा होने का अपेक्षित समय दिखाते हुए वित्तीय विवरण में खुलासा करना आवश्यक है। वित्तीय विवरणों में इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है।

16. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का अनुपालन न किया जाना:

i) कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 16 की निम्नलिखित अपेक्षाओं का प्रकटीकरण नहीं किया है।

ए) पैरा 79 (ए) "अस्थायी रूप से निष्क्रिय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि।

बी) वर्तमान में उपयोग में आने वाले किसी भी पूर्णतः मूल्यह्रासित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सकल वहन राशि।

ii) परिसंपत्तियों की हानि: भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार कंपनी द्वारा हानि परीक्षण नहीं किया गया है। लाभ और हानि के विवरण में इसके प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

ii) भारतीय लेखा मानक 8 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन, जैसा कि "प्रतिकूल राय का आधार" बिंदु में बताया गया है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के "समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ" खंड में आगे वर्णित हैं। हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और इसके संयुक्त उद्यम के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (!CAI) द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य और अन्य ऑडिटरों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामलों के खंड के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, हमारी प्रतिकूल राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी भी शामिल है लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन या निष्कर्ष नहीं देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरण से भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके किसी विवरण में बड़ी चूक है, तो हमें इस मामले को संबंधित अधिकारियों को सूचित करना होगा और आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करनी होगी।

समेकित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित) और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण तथा कंपनी के समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। समूह और संयुक्त उद्यम में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाने के लिए जिम्मेदार हैं और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त हैं, जिनका उपयोग कंपनी के निदेशकों द्वारा पूर्वोक्त अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम का निदेशक मंडल कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम की किसी गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, गोइंग कंसर्न संबंधी मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के गोइंग कंसर्न के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी या उसके संयुक्त उद्यम का परिसमापन करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखे, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम का निदेशक मंडल कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र समेकित वित्तीय विवरण में कोई धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण विवरण में महत्वपूर्ण गलती तो नहीं है, साथ ही लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करने में हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार की गई लेखा परीक्षा से किसी विवरण में बड़ी गलती का हमेशा पता लगाया जा सके। गलत विवरण धोखाधड़ी के कारण या त्रुटिपूर्ण ढंग से हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से संभावना हो।

लेखा परीक्षा मानक (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान चीजों को संदिग्ध रुप से देखते हैं। इसके साथ ही हम:

- समेकित वित्तीय विवरण में किसी बड़ी गलती के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों। हम उन जोखिमों से संबंधित उत्तरदायी लेखा परीक्षा की प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और ऐसी लेखा परीक्षा साक्ष्य एकत्र करते हैं, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी बड़ी गलती का पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत विवरण या आंतरिक नियंत्रण आदि उल्लंघन शामिल हो सकते हैं।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझे ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या समेकित कंपनी के पास समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे नियंत्रण का संचालन कितना प्रभावी है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन में गोइंग कंसर्न के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य के आधार पर कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भारी अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके संयुक्त उद्यम का लेखांकन जारी रखने की उसकी क्षमता पर संदेह पैदा करे। यदि हमरा निष्कर्ष होता है कि कोई भारी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरण में संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण समूह और उसका संयुक्त उद्यम लेखांकन में गोइंग कंसर्न बंद कर सकेंगे।
- समेकित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं और यह भी कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरण पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य एकत्र करें। हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल ऐसी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संयुक्त उद्यम के लिए, जिनकी लेखा परीक्षा किसी अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक अपने द्वारा की गई लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे। हम अपनी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी बने रहेंगे।

हम, समेकित कंपनी, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, उसके प्रशासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों सहित, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय-सीमा तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा संबंधी निष्कर्षों, जिनमें लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण संबंधी कोई बड़ी त्रुटि भी शामिल है, उसके बारे में सूचित करते हैं।

हम प्रशासन के प्रभारी अधिकारियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्र तौर पर संगत प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और हम उन्हें उन सभी के बारे में तथा अन्य मामलों के विषय में और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी सूचित करते हैं, जिनसे हमारी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

अन्य मामले

i. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए 6.67 करोड़ रुपये की कुल व्यापक आय (लाभ और अन्य व्यापक आय सहित) में कंपनी का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, संयुक्त उद्यम (इंडो रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड) के संबंध में जिसके वित्तीय विवरणधवित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की गई है। ये लेखा परीक्षा न किए गए वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी हमें प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई है और समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जहाँ तक यह इस संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा

(3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जिसमें अन्य जानकारी पर रिपोर्ट भी शामिल है, जहाँ तक यह उपर्युक्त संयुक्त उद्यम से संबंधित है, बिना लेखा परीक्षा के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षा न किए गए वित्तीय विवरण पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामलों में संशोधित नहीं की गई है।

ii. दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा कंपनी के पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक द्वारा की गई थी, जहाँ उन्होंने ऐसे समेकित वित्तीय विवरण पर 27 सितंबर 2024 की अपनी संशोधित रिपोर्ट के माध्यम से प्रतिकूल राय व्यक्त की थी।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3(xxi) के अनुसार हम संयुक्त उद्यम के एकल वित्तीय विवरण के संबंध में CARO रिपोर्ट में शामिल पात्रता या प्रतिकूल टिप्पणियों की रिपोर्ट नहीं कर सके, क्योंकि हमारी रिपोर्ट, जैसा कि निम्नलिखित अनुलग्नक "ए" में वर्णित है, उस पर हस्ताक्षर करने की तिथि तक संयुक्त उद्यम का कोई लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं था।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि -

ए) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, **लेकिन हमारी रिपोर्ट के ष्प्रतिकूल राय का आधारष् के पैरा 7 (डी) में संदर्भित दुर्भर अनुबंध में नुकसान की राशि की गणना किए जाने के उपाय इसमें शामिल नहीं हैं।**

बी) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है **लेकिन कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्रफ 2(जी) (vi) में वर्णित मामले इसमें शामिल नहीं हैं।**

सी) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित बैलेंस शीट, लाभ-हानि का समेकित विवरण (टन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और नकदी प्रवाह का समेकित विवरण तथा तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरण प्रासंगिक लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के अनुरूप हैं।

डी) हमारी राय में पैरा "3" और "4" में उल्लिखित भारतीय लेखा मानक 16 को छोड़कर; पैरा "2" में उल्लिखित भारतीय लेखा मानक 101; पैरा "6" में उल्लिखित भारतीय लेखा मानक 2 "इन्वेंटरी का मूल्यांकन"; भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा "1," "4" और "8" में उल्लिखित "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां; प्रतिकूल राय के आधार के पैरा 16 के अनुसार भारतीय लेखा मानक के प्रकटीकरण की आवश्यकता, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक, सहपठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित का अनुपालन किया जाता है।

भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी होने के कारण संबंधित अधिनियम की धारा 164 की उप-धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे, इसलिए हम अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार संयुक्त उद्यम के निदेशकों की अयोग्यता पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

ई) समूह के समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रण के संचालन के प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया इस रिपोर्ट के "अनुलग्नक बी" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

एफ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. समेकित वित्तीय विवरण में समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च, 2025 तक लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट 25 देखें।

ii. समेकित कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भारी पूर्वानुमानित हानि हुई हो।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम की ओर से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यक रही हो।

iv. (ए) कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम के प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन दिया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी और संयुक्त उद्यम द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ ("मध्यस्थ") शामिल हैं, उनको कोई धनराशि अग्रिम, ऋण के बतौर नहीं दिया गया है और न ही कोई निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से, शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा कि मध्यस्थ:

- चाहे, कंपनी और संयुक्त उद्यम द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दे या निवेश करे या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।

(बी) कंपनी और संयुक्त उद्यम के प्रबंधन ने हमें सूचित किया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी और संयुक्त उद्यम द्वारा या किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्थाओं, जिनमें विदेशी संस्थाएँ ("फंडिंग पार्टियाँ") शामिल हैं, उनसे कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है, इस सहमति के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी और संयुक्त उद्यम,

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देंगे या निवेश करेंगे या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेंगे।

(सी) हमारे द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रिया जिसे परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(4) के उप-खंड (ए) और (बी) के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदनों में किसी भी विवरण में बड़ी गलती है।

v. कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम द्वारा वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित और न ही भुगतान किया गया है।

vi. हमारी जाँच में परीक्षण जाँच भी शामिल है, जिसके आधार पर कंपनी लेखांकन के लिए दो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है, जो निम्नानुसार हैं:

ए) **टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग:** वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु दैनिक लेन-देन के लेखांकन हेतु उपयोग किया जाता है।

हमारी जाँच में परीक्षण जाँच भी शामिल है, जिसके आधार पर कंपनी ने अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इसका उपयोग पूरे वर्ष सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए किया गया है।

इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें टैली में ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं मिला।

इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष में जहाँ ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) को इनेबल नहीं किया गया था, उसके अलावा, कंपनी द्वारा रिकॉर्ड को बनाए रखने की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित रखा गया है।

बी) **पीपीसी पैकेज:** इन्वेंटरी से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने, खरीद और बिक्री को रिकॉर्ड करने, विक्रेता और कर्मचारी प्रोफाइल बनाने, वेतन की गणना आदि के लिए।

पीपीसी पैकेज के हमारे सत्यापन और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर पीपीसी पैकेज में ऑडिट ट्रेल को इनेबल नहीं किया गया है। कंपनी के पास पहले के लेन-देन में कोई भी बदलाव करने के लिए लिखित अनुमति लेने की प्रणाली है, जिसके परिणामस्वरूप लेन-देन को प्रतिस्थापित किया जाता है और उसे अधिलेखित कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मूल लेन-देन को हटा दिया जाता है।

इसके अलावा, संयुक्त उद्यम के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। इसलिए, हम संयुक्त उद्यम मेसर्स इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में ऑडिट ट्रेल की स्थिति पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे ऑडिट के दौरान हमें टैली में ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

जी) भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों के अनुसार की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है। संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, इसलिए हम अधिनियम की अनुसूची V के साथ धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001099सी

(सीए रणजीत सिंह)
पार्टनर
एम. संख्या: 073488
यूडीआईएन: 25073488BMTDJO7651
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05 अगस्त 2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एडवांस्ड वेपन्स इक्विपमेंट एंड इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर कंपनी के सदस्यों को दी गई हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत "पैरा 1" में संदर्भित।

कंपनी के संयुक्त उद्यम, इंडो रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड की लेखा परीक्षा इस कंपनी की समेकित ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने तक नहीं की गई है। तदनुसार, इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001099सी

(सीए रणजीत सिंह)
पार्टनर
एम. संख्या: 073488
यूडीआईएन: 25073488BMTDJO7651
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05 अगस्त 2025

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक "बी"

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत "पैरा 2(ई)" में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी लेखा परीक्षा के संयोजन में हमने कंपनी तथा इसके संयुक्त उद्यम के समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार किया जाना शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और बनाए रखा गया था और यह कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरण और उनके प्रभावी संचालन के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्ता के बारे में लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का प्रदर्शन करना शामिल है। समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, किसी वड़ी कमी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना और प्रभावी संचालन का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण में किसी बडी गलती के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में समेकित कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

इन समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरण को तैयार किए जाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इन समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:-

(1) उन अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी के आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका समेकित वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण हेतु प्रबंधन के अतिलंघन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण विवरण में बड़ी गलती, जिनका पता न लगाया जा सके। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के प्रभावी अनुपालन में गिरावट हो सकती है।

योग्य राय का आधार

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2025 तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमजोरियों की पहचान की गई है:

ए) किसी महत्वपूर्ण खाते या प्रक्रिया में कर्तव्यों का निर्धारण न होना या अपर्याप्त पृथक्करण - बही खातों में लेनदेन दर्ज करते समय कोई नियंत्रण मौजूद नहीं है, यानी, नियमित निष्पादक या परीक्षक की अवधारणा का अभाव है।

बी) **सामान्य और एप्लीकेशन संबंधी नियंत्रण की अपर्याप्त संरचना, जिससे सूचना प्रणाली को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्यों और वर्तमान जरूरतों के अनुरूप पूर्ण और सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है।**

i) कंपनी के पास ऐसी कोई स्थापित प्रक्रिया या दिशा-निर्देश नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किन सेवाओं के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इस संबंध में उदाहरण हैं: निर्माण कार्य के लिए एमईएस से बिल, मरम्मत और रख-रखाव के लिए एएमसी और अनुबंध श्रम संबंधी भुगतान।

ii) यात्रा व्यय, एलटीसी और चिकित्सा व्यय के संबंध में व्यय के लेखांकन के लिए विभिन्न इकाइयाँ अलग-अलग प्रणाली अपना रही हैं। उचित प्रणाली के अभाव में बुक किए गए खर्च और लेखा बही में दिखाई देने वाले अग्रिम सत्यापित नहीं हो पाते हैं।

iii) कुछ इकाइयों द्वारा प्रोडक्शन शॉप में उत्पादन मशीनों के ब्रेकडाउन होने का विवरण ठीक से दर्ज नहीं किया जा रहा है। कुछ इकाइयों में मशीनें 3 से 4 वर्षों से खराब हैं और उस पर मूल्यह्रास भी लगाया जाता है और उन्हें उत्पादन लागत में आवंटित किया जाता है, जो कि गलत है।

सी) **महत्वपूर्ण खातों के समाधान में किलता:** कंपनी के पास अग्रिम, व्यापार देय और व्यापार प्राप्तियों आदि के संबंध में बैलेंस पुष्टि और समाधान के लिए उचित प्रणाली नहीं है।

डी) बोर्ड के अनुमोदन के बिना अग्रिम प्राप्ति हेतु कारपोरेट गारंटी जारी की गई।

ई) **अंतर-इकाई हस्तांतरण के लेखांकन में भिन्नता:** कंपनी की इकाइयों में अंतर-इकाई हस्तांतरण के संबंध में कोई एकरूपता नहीं है। कंपनी की इकाई गन एंड कैरिज फैक्टरी, जबलपुर में अंतर-इकाई हस्तांतरण के अंतर्गत प्राप्त माल का लेखा रसीद वाउचर (टारवी) के बजाय सामग्री आवक पर्ची (एमआईएस) के आधार पर किया गया है।

एफ) **रोकड़ बही का रखरखाव न करना:** हमारी जानकारी में आया है कि वर्ष के दौरान नकद जमा और निकासी लेनदेन के बावजूद कंपनी द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव नहीं किया गया है।

जी) **एक ही चालान का दो बार भुगतान:** हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया है कि कंपनी की इकाई, आयुध निर्माणी कानपुर में एक ही चालान के लिए 78.93 लाख रु. का दो बार भुगतान किया गया है।

एच) **विगत वर्ष के अंतर-इकाई स्टॉक अंतरण का समायोजन न हो पाना:** हमारे संज्ञान में आया है कि पिछले वर्ष के दौरान किए गए अंतर-इकाई हस्तांतरण को विभिन्न इकाइयों में चालू वर्ष के दौरान विनियमित नहीं किया गया है।

'मटेरियल वीकनेस' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी या कमियों का संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरण में बड़ी गलती को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित मटेरियल वीकनेस के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने समस्त महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जो "कंपनी में विद्यमान वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण" पर आधारित थे और हमारी लेखा परीक्षा अवधि के दौरान अद्यतन किए गए थे, जिसमें भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया था।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2025 के समेकित वित्तीय विवरण की अपनी लेखा परीक्षा में लागू लेखा परीक्षा परीक्षण के स्वरुप, समय और सीमा का निर्धारण करते समय निर्दिष्ट एवं बताई गए मटेरियल वीकनेस पर विचार किया है और ये भौतिक कमजोरियाँ कंपनी के समेकित भारतीय लेखा मानक (IDA) वित्तीय विवरण पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

योग्य राय

हमारी राय में कंपनी के पास 31 मार्च, 2025 तक भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

अन्य मामले

इस समेकित कंपनी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने तक कंपनी के संयुक्त उद्यम, इंडो रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड की लेखा परीक्षा नहीं की गई है। तदनुसार, इस रिपोर्ट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001099सी

(सीए रणजीत सिंह)
पार्टनर
एम. संख्या: 073488
यूडीआईएन: 25073488BMTDJO7651
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05 अगस्त 2025

समेकित बैलेंस शीट

'करोड़ रु. में

विवरण	नोट	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
परिसंपत्तियाँ			
I. निवर्तमान संपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	6	1,847.61	1,854.07
(ख) जारी पूँजीगत कार्य	6	174.57	208.29
(ग) निवेश संपत्तियाँ		–	–
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	32.41	11.90
(ङ) विकासोन्मुख अमूर्त संपत्तियाँ	7	51.62	35.26
(च) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	–		–
(छ) वित्तीय परिसंपत्तिचाँ			
(i) निवेश	8 (ए)	16.59	8.87
(ii) ऋण	8 (सी	–	–
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8 (एफ)	109.44	127.38
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		74.53	–
(झ) अन्य निवर्तमान परिसंपत्तियाँ	9	51.66	3.00
कुल निवर्तमान परिसंपत्तियाँ (क)		2,358.43	2,248.77
II वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) इन्वेंटरी	10	2,947.26	2,659.31
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार से प्राप्य	8 (बी)	1,539.56	1,219.09
(ii) नकद एवं नकद के समतुल्य	8 (डी)	260.77	610.10
(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक बैलेंस	8 (ई)	1,116.40	718.29
(iv) ऋण	8 (सी	1.32	2.83
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8 (एए)	34.64	29.09
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	9	7.14	–
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	9	243.94	118.83
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		**6,151.03**	**5,357.54**
iii बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ (ग)	6 (सी)	6.97	7.44
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख+ग)		**8,516.43**	**7,613.75**
इक्विटी एवं देयता			
इक्विटि			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	11	17,860.79	17,531.53
(बी) अन्य इक्विटी	12	–12,706.74	–13,140.01
कुल इक्विटी (क)		5,154.05	4,391.52
देयताएँ			
निवर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	–	–	–

विवरण	नोट	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(ii) पट्टा संबंधी देयताएँ	–	–	–
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	13 (बी)	–	–
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	4	516.21	675.88
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (कुल)	24	–	251.12
कुल निवर्तमान देयताएँ (ख)		516.21	927.00
वर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	–	–	–
(ii) पट्टा संबंधी देयताएँ	–	–	–
(iii) व्यापार देय	13 (ए)		
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		28.01	7.72
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य का कुल बकाया		808.59	321.68
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	13 (बी)	190.74	192.49
(ख) अल्पकालिक प्रावधान	4	2.00	10.38
(ग) वर्तमान कर देएताएँ	6	–	4.46
(घ) अन्य वर्तमान देयताएँ	5	1,816.83	1,758.50
कुल चालू देयताएँ (ग)		**2,846.17**	**2,295.23**
कुल इक्विटी और देयताएँ (क+ख+ग)		**8,516.43**	**7,613.75**
सामग्री लेखांकन नीतियाँ	4		

संलग्न नोट इन समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001099C

उमेश सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08373608

रणजीत सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 073488

स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

जय गोपाल महाजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10824241

स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

मनीष कुमार सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F12879

स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

लाभ और हानि का समेकित विवरण

'करोड़ रु. में

विवरण	नोट	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
I. आय			
(ए) संचालन से आय	17	2,530.93	2,041.73
(बी) अन्य आय	18	326.22	379.72
कुल आय (I)		**2,857.15**	**2,421.45**
ii. व्यय			
(ए) कच्चे माल और प्रयुक्त सहायक उपकरणों की लागत	19	825.68	926.30
(बी) स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	–	–	–
(सी) तैयार माल की इन्वेंटरी और जारी कार्य में परिवर्तन	20	160.53	-172.43
(डी) कर्मचारी हित में व्यय	21	1,393.68	1,288.16
(ई) वित्त लागत	22ए	0.19	1.01
(एफ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	22बी	139.91	134.71
(जी) अन्य व्यय	23	247.16	213.91
कुल व्यय (ii)		**2,767.15**	**2,391.66**
iii. संयुक्त उद्यम के शेयरों के लाभ/(हानि), असाधारण मद एवं कर (A-AA) के पूर्व लाभ/(हानि)		90.00	29.79
iv. इक्विटी विधि से गणना किए गए संयुक्त उद्यम के लाभ का शेयर		6.65	0.05
v. असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ (III+IV)		**96.65**	**29.84**
vi. असाधारण मदें		–	–
vii. कर से पहले लाभ/(हानि) (V+VI)		**96.65**	**29.84**
viii. कर व्यय	24		
(ए) वर्तमान कर		–	14.67
(बी) पिछले वर्ष हेतु कर का कम प्रावधान		-15.17	–
(सी) आस्थगित कर (क्रेडिट)/प्रभार		22.43	-5.12
कुल कर व्यय (VIII)		**7.26**	**9.55**
IX. **वर्ष के लिए लाभ/(हानि)** (VII-VIII)		**89.39**	**20.29**
X. अन्य व्यापक लाभ		0.02	-0.02
ए. इक्विटी विधि से गणना किए गए संयुक्त उद्यम के अन्य व्यापक आय का शेयर			
वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय		**0.02**	**-0.02**
XI. वर्ष के लिए कुल व्यापक आय, कर के बाद शुद्ध (VII+VIII)		**89.41**	**20.27**
XII. प्रति इक्विटी शेयर आय	30		
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य ₹10			
– मूल और डायलूट किया हुआ		0.05	0.01
सामग्री लेखांकन नीतियाँ	4		

संगत टिप्पणियाँ इस समेकित वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001099C

उमेश सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08373608

रणजीत सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 073488
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

जय गोपाल महाजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10824241
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

मनीष कुमार सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F12879
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

'करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
ए प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
कराधान पूर्व लाभ		**96.65**		**29.84**
कर-पश्चात लाभ को शुद्ध नकदी प्रवाह से समायोजित करने के लिए समाधान)				
संयुक्त उद्यम से लाभ का हिस्सा	-6.65		-0.05	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	139.91		134.71	
मूल्यह्रास में समायोजन	0.66			
ब्याज पर व्यय	0.19		1.01	
ब्याज से आय	-89.30		-72.84	
अप्राप्त विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	-		-0.45	
लाभांश आय	-		-0.42	
दुर्भर अनुबंध के लिए प्रावधान को उलटना	-159.80		-88.77	
पूर्व अवधि के व्यय को अन्य इक्विटी से डेबिट किया गया	-4.70		-	
नवीनीकरण और प्रतिस्थापन निधि के माध्यम से व्यय	-9.40		-	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	-1.41		-0.70	
		-130.50		-27.51
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले संचालन से लाभ		-33.85		2.33
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन:				
इन्वेंटरी में परिवर्तन	-287.95		-248.58	
व्यापार प्राप्तियों में परिवर्तन	-320.47		-575.02	
ऋण एवं अग्रिम में परिवर्तन	1.51		0.15	
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियो में परिवर्तन	18.70		-21.20	
अन्य सम्पत्तियो में परिवर्तन	-125.11		-0.68	
व्यापार देय में परिवर्तन	507.20		50.15	
अन्य वित्तीय देदनदारियो में परिवर्तन	-1.75		3.21	
अन्य वर्तमान देनदारियों में परिवर्तन	96.20		514.61	
इन्वेंटरी में परिवर्तन	-8.38		-	
कार्यशील पूंजी में शुद्ध परिवर्तन		**-120.05**		**-277.36**
संचालन से उत्पन्न नकदी		**-153.90**		**-275.03**
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी (शुद्ध)		3.57		-3.28
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी का प्रवाह (ए)		**-150.33**		**-278.31**
बी निवेश गतिविधियों से नकदी का प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	-164.15		-79.23	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय	0.88		3.97	
प्रदत्त पूंजीगत अग्रिम	-48.66		0.92	
संचार (रक्षा) परीक्षण फाउंडेशन में निवेश	-1.05		-	
अन्य बैंक के बैलेंस में परिवर्तन जिन्हें नकदी और नकदी समकक्ष के रूप में नहीं माना जाता	-384.17		-144.86	
लाभांश से आय	-		0.42	
प्राप्त ब्याज	69.08	-528.07	73.70	-145.08
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी का प्रवाह (बी)		**-528.07**		**-145.08**
सी वित्तीय गतिविधियों से नकदी का प्रवाह				
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय	329.26		225.00	
ब्याज पर व्यय	-0.19	329.07	-1.05	223.95
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुद्र शुद्ध नकदी का प्रवाह (सी)		**329.07**		**223.95**
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		**-349.33**		**-199.44**
वर्ष के आरंभ में नक और नकद के समतुल्य		**610.10**		**809.09**

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
जोड़ें/(घटाएँ): अप्राप्त विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		-		0.45
वर्ष के अंत में नकद और नकद के समतुल्य		260.77		610.10

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
नकदी और नकद समकक्षों में शामिल हैं		
हाथ में नकदी	-	(15,750/-)
हाथ में चेक	-	-
बैंकों में शेष राशि'	260.77	610.10
नकदी और नकद समकक्ष	260.77	610.10

संलग्न नोट इन समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

नोट:

1. समेकित नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस 7) ष्नकदी प्रवाह विवरणष् में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001099C

उमेश सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08373608

रणजीत सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 073488
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

जय गोपाल महाजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10824241
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

मनीष कुमार सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F12879
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	करोड़ रु. में
1 अप्रैल, 2023 तक	17,123.91
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी	407.62
31 मार्च, 2024 तक	17,531.53
31 मार्च, 2024 तक	17,531.53
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी	329.26
31 मार्च, 2025 तक	17,860.79

बी. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि और अधिशेष				आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	कुल अन्य इक्विटी
	आरक्षित पूँजी	व्यवसाय पुनर्गठन पर आरक्षित पूँजी	नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन राहत निधि	प्रतिधारित आय		
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	4.25	-16,220.67	-	3,051.56	182.62	-12,982.24
भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) कार्यान्वयन पर आस्थगित कर	-	-		-	-	-
वर्ष का लाभ	-	-		20.29	-	20.29
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	-		-0.02	-	-0.02
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों के लिए उपयोग	-	-		-	-182.62	-182.62
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	4.25	-16,220.67	-	3,076.41	-	-13,140.01
31 मार्च, 2024 तक बैलेंस	**4.25**	**-16,220.67**	**-**	**3,076.41**	**-**	**-13,140.01**
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	**4.25**	**-16,220.67**	**-**	**3,076.41**	**-**	**-13,140.01**
वर्ष का लाभ	-	-		89.39	-	**89.39**
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	-		0.02	-	**0.02**
अन्य चालू देनदारियों से पुनर्वर्गीकरण			37.75		-	37.75
प्रतिधारित आय में समायोजन (नोट संख्या 38 देखें)				315.51	-	315.51
वर्ष के दौरान उपयोग			-9.40			-9.40
वर्ष के दौरान वृद्धि					-	-
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों के लिए उपयोग					-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**4.25**	**-16,220.67**	**28.35**	**3,481.33**	**-**	**-12,706.74**
31 मार्च, 2025 तक बैलेंस	**4.25**	**-16,220.67**	**28.35**	**3,481.33**	**-**	**-12,706.74**

संलग्न नोट इन समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001099C

रणजीत सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 073488
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

उमेश सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08373608

जय गोपाल महाजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10824241
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

मनीष कुमार सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F12879
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट सं. 1

कॉर्पोरेट जानकारी

एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (इसके पश्चात इसे "कंपनी" कहा जाएगा) भारत में निगमित है और शेयरों (सीआईएन सं.:U29270UP2021GOI150734) द्वारा लिमिटेड है, जो आयुध निर्माणी बोर्ड को पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों में परिवर्तित करके गठित किए गए सात (7) नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है। इस कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 14 अगस्त, 2021 को शामिल किया गया है और डीडीपी की अधिसूचना पर इसका व्यवसाय 1 अक्टूबर, 2021 को प्रारंभ हुआ। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ओएफसी, कालपी रोड, कानपुर - 208009 में स्थित है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उत्पादन और गैर-उत्पादन इकाइयाँ शामिल हैं: राइफल फैक्टरी ईशापुर, लघु शस्त्र निर्माणी, गन एंड शेल फैक्टरी काशीपुर, आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली, आयुध निर्माणी कानपुर, फील्ड गन फैक्टरी कानपुर, गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर और आयुध निर्माणी परियोजना कोरवा और गैर-उत्पादन इकाइयों में एडब्ल्यूटीएम ईशापुर है।

05 अगस्त 2025 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण जारी करने हेतु प्राधिकृत हुआ।

नोट सं. 2

तैयार करने का आधार

ए) अनुपालन विवरण

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण लेखांकन की उपार्जन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं एवं वित्तीय विवरण पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड II की प्रस्तुत आवश्यकताओं (इंड एएस अनुसूची III के अनुरूप) का अनुपालन करते हैं।

बी) समेकन और इक्विटी लेखांकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण में एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के वित्तीय विवरण शामिल हैं। नियंत्रण तब प्रमाणित होता है जब ग्रुप के पास निवेशिती पर अधिकार होता है अथवा एक्सपोज्ड होता है, या निवेशिती के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का अधिकार रखता है और निवेशिती पर अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मौजूदा अधिकारों के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है जो प्रासंगिक गतिविधियों को दिशा देने की क्षमता देता है, जो कि इकाई के रिटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

संयुक्त उपक्रम

संयुक्त उद्यम एक प्रकार की संयुक्त व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जिन पार्टियों के पास व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होता है, उनके पास संयुक्त उद्यम की कुल परिसंपत्ति का अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण को साझा करने की कॉन्ट्रैक्चअल रूप से सहमति है, जो तभी होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति से सहमति की आवश्यकता होती है। इक्विटी पद्धति का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में ग्रुप के निवेश का लेखा-जोखा रखा जाता है।

इक्विटी पद्धति

इक्विटी पद्धति के अंतर्गत संयुक्त उद्यम में निवेश को पहले लागत माना जाता है। अधिग्रहण की तारीख के बाद से संयुक्त उद्यम की शुद्ध संपत्ति में ग्रुप की हिस्सेदारी में बदलाव को दर्शाने के लिए निवेश की वहन राशि को समायोजित किया जाता है। संयुक्त उद्यम की साख को निवेश की वहन राशि में शामिल किया जाता है और केवल हानि के लिए जाँच नहीं की जाती है।

लाभ और हानि का समेकित विवरण संयुक्त उद्यम के संचालन के परिणाम में समूह की हिस्सेदारी को दर्शाता है। उन निवेशिति के ओसीआई में किसी भी बदलाव को ग्रुप के ओसीआई के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके

अलावा जब संयुक्त उद्यम की इक्विटी में किसी बदलाव की सीधे तौर पर पहचान होती है, तो इक्विटी में बदलाव के विवरण में, जब भी लागू हो तब तक, किसी भी परिवर्तन में ग्रुप अपनी भागीदारी मानता है। समूह और संयुक्त उद्यम के बीच लेनदेन से होने वाले अप्राप्य लाभ और हानि को संयुक्त उद्यम में हित की सीमा तक निकाल दिया जाता है। संयुक्त उद्यम के लाभ या हानि में ग्रुप की हिस्सेदारी का कुल योग, लाभ और हानि के समेकित विवरण में दिखाया जाता है। संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण, ग्रुप के समान रिपोर्टिंग अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं। जब आवश्यक हो, लेखांकन नीतियों को समूह की नीतियों के अनुरूप लाने के लिए समायोजन किए जाते हैं। इक्विटी पद्धति को लागू करने के बाद समूह यह निर्धारित करता है कि क्या उसके संयुक्त उद्यम में निवेश पर हानि की जानकारी आवश्यक है। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तिथि पर ग्रुप यह निर्धारित करता है कि क्या इस बात का निष्पक्ष साक्ष्य है कि संयुक्त उद्यम के निवेश में कमी हुई है। यदि ऐसा कोई सबूत है, तो ग्रुप संयुक्त उद्यम की वसूली योग्य राशि और उसके वहन मूल्य के बीच अंतर के रूप में हानि की गणना करता है और फिर लाभ और हानि के समेकित विवरण में हानि को श्संयुक्त उद्यम के लाभ का हिस्साश के रूप में मानता है।

संयुक्त उद्यम में संयुक्त नियंत्रण में हानि होने पर समूह किसी भी मौजूदा निवेश को उसके उचित मूल्य पर आंकलन करता है और इसे मान लेता है। महत्वपूर्ण कारक या संयुक्त नियंत्रण के नुकसान पर संयुक्त उद्यम की वहन राशि और रखे गए निवेश के उचित मूल्य और डिस्पोजल से प्राप्त आय के बीच कोई भी अंतर, लाभ और हानि के विवरण से जाना जाता है ।

सी) मूल्यांकन का आधार

निम्नलिखित को छोड़कर, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:

- ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां, जिन्हें उचित मूल्य पर आँका जाता है; और
- बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों की लागत को घटाकर बिक्री हेतु उचित मूल्यांकन किया जाता है।

उचित मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा वित्तीय विवरण के नोट्स में की जाती है।

ऐतिहासिक लागत, भुगतान की गई नकद या नकद की समकक्ष राशि या उनके अधिग्रहण के समय परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए किए गए निर्धारण का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, या अपेक्षित नकद या नकद समकक्ष की मात्रा है, जिसका व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुबंध (टॉब्लिगेशन) को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाना होता है। उचित मूल्य वह कीमत है, जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या मूल्यांकन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा ।

डी) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ("आई.एन.आर") में दर्शाए जाते हैं और जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, तब तक समस्त मूल्य को अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार करोड़ में निकटतम रुपये में रखा जाता है। यदि रु. 50,000/- से कम के आंकड़ों को अलग से दर्शाने की आवश्यकता है, तो उन्हें वास्तविक रूप (रु.) में कोष्ठक में दर्शाया जाता है ।

ई) वर्तमान बनाम निवर्तमान वर्गीकरण

कंपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमानधनिवर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में दर्शाती है।

किसी परिसंपत्ति के वर्तमान होने के निम्नलिखित आधार हैं:

- यदि उसके सामान्य संचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो;
- यदि उसे मुख्यत: व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो;
- यदि रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है; या
- यदि नकद या नकद के समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक विनिमय या देयता के निपटान के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न लगाया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को निवर्तमान श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

किसी देयता के वर्तमान होने के निम्नलिखित आधार हैं:

- यदि इसके सामान्य संचालन चक्र में निस्तारित होने की अपेक्षा है;
- यदि इसे मुख्यत: व्यापार के उद्देश्य से रखा गया है;
- यदि इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निस्तारित किया जाना है; या
- यदि रिपोर्टिंग अवधि के बाद, कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी को निस्तारित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

कंपनी अन्य सभी देनदारियों को निवर्तमान श्रेणी में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को निवर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी का संचालन चक्र, प्रोसेस के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समतूल्य में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है। चूंकि, कंपनी का सामान्य संचालन चक्र स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जा सकता है, इसलिए इसे बारह महीने माना जाता है।

नोट सं. 3

वित्तीय विवरण का पुनर्कथन:

भूतलक्षी पुनर्कथन में वित्तीय विवरण के घटकों की मात्र का निर्धारण, मापन और प्रकटीकरण को इस प्रकार ठीक किया जाता है, मानो पहले कभी कोई त्रुटि हुई ही न हो ।

इंड-एएस 8 में यह अनिवार्य किया गया है कि पूर्व अवधि की त्रुटि को भूतलक्षी पुनर्कथन द्वारा ठीक किया जाएगा, बशर्ते उस सीमा तक जब त्रुटि के अवधि-विशिष्ट प्रभाव या संचयी प्रभाव को निर्धारित करना अव्यावहारिक हो।

मानक यह भी प्रदान करता है कि:

ए. जब वर्तमान अवधि के आरंभ में सभी पूर्ववर्ती अवधियों पर किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव का निर्धारण करना अव्यावहारिक हो, तो इकाई, त्रुटि को यथाशीघ्र सुधारने के लिए तुलनात्मक जानकारी को पुन: प्रस्तुत करेगी।

बी. किसी पूर्व अवधि की त्रुटि के सुधार को उस अवधि के लाभ या हानि से बाहर रखा जाएगा, जिसमें त्रुटि पाई गई है। वित्तीय आंकड़ों के किसी भी ऐतिहासिक सारांश सहित, पूर्व अवधियों के बारे में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी यथासंभव पहले से ही पुन: प्रस्तुत की जाती है।

पूर्व अवधि की त्रुटियाँ एक या एक से अधिक पूर्व अवधि के लिए इकाई के वित्तीय विवरण में चूक और गलत विवरण हैं, जो कि विश्वसनीय जानकारी का उपयोग न कर पाने या दुरुपयोग के कारण होती हैं, जो कि:

(ए) उन अवधियों के वित्तीय विवरण जारी करने हेतु अनुमोदन के समय थीं।

(बी) वित्तीय विवरण को तैयार करने और प्रस्तुत करने में पूरी तरह से अपेक्षित रहा होगा तथा उन्हें ध्यान में रखा गया होगा।

ऐसी त्रुटियों में गणितीय गलतियाँ, लेखांकन नीतियों को लागू करने में गलतियाँ, तथ्यों की अनदेखी या गलत व्याख्या तथा धोखाधड़ी शामिल हैं।

तदनुसार, व्यावहारिकता के आधार पर इन वित्तीय विवरण में केवल 01.04.2024 तक की परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष का ही पुनर्कथन किया गया है और सभी पूर्व अवधि की त्रुटियों/चूक के प्रभाव को वर्ष के लाभ-हानि विवरण से बाहर रखा गया है, क्योंकि पिछली अवधियों के पुनर्कथन व्यावहारिक नहीं है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. आस्थगित कर परिसंपत्तियोंध्देयताओं का पुनर्कथन:

कंपनी एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू) है और इसका गठन 16 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने 24 सितंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आयुध निर्माणियों के कार्यों का निगमीकरण करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, सरकार द्वारा किए जा रहे व्यवसाय से संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनके शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर नए डीपीएसयू को हस्तांतरित कर दिया गया।

इस प्रकार, सभी अचल परिसंपत्तियों को सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया। कंपनी की तत्कालीन बैलेंस शीट में वित्तीय विवरण में इंड-एएस 20 के अनुसार निधियों का लेखा-जोखा रखा गया और उन्हें "सरकारी अनुदान" के रूप में प्रस्तुत किया गया ।

इंड एएस 20 के अनुच्छेद 26 के अनुसार, 'सरकारी अनुदानों का लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण' को कंपनी ने सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त निधियों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे उन परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में माना गया है, जिनके लिए निधियां प्राप्त हुई थीं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी की उक्त लेखा नीति पर प्रतिकूल टिप्पणी की। इसका अंश नीचे प्रस्तुत है:

"16 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने 24 सितंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आयुध निर्माणियों के कार्यों का निगमीकरण करने का निर्णय लिया। तदनुसार, सरकार द्वारा किए जा रहे व्यवसाय के संबंध में संपत्ति और देनदारियों को उनके शुद्ध संपत्ति मूल्य पर नए डीपीएसयू को हस्तांतरित कर दिया गया। हालांकि, कंपनी ने 2158.24 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की अनुमानित लागत को सरकारी अनुदान के रूप में माना है, जिसमें से 65.65 करोड़ रुपये की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास को 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में शामिल किया गया था। 31 मार्च 2022 तक कंपनी की बैलेंस शीट में 2092.58 करोड़ रुपये देनदारी के रूप में दर्ज किए गए (निवर्तमान के रूप में 1998.74 करोड़ रुपये और वर्तमान के रूप में 93.84 करोड़ रुपये)।

(iii) इसके परिणामस्वरूप कंपनी के लाभ के साथ-साथ 'अन्य आय' को 65.65 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप सरकारी अनुदान को 2092.58 करोड़ रुपये अधिक तथा 'अन्य इक्विटी' को 2158.24 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है।

उपर्युक्त टिप्पणी के जवाब में कंपनी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और मामले को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (eAC) को भेज दिया, जिसमें कंपनी द्वारा सरकार से प्राप्त पूंजीगत परिव्यय (कैपिटल आउटले) के लिए अग्रेनीत निधि के लेखांकन की शुद्धता या अशुद्धता पर राय मांगी गई।

आईसीएआई की ईएसी की राय कंपनी को दिनांक 25.04.2024 को प्राप्त हुई, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई हैं:

"18. समिति ने नोट किया कि मौजूदा मामले में कंपनी के निगमन से पहले आयुध निर्माणियों या व्यवसायों का स्वामित्व और नियंत्रण भारत सरकार के पास आयुध निर्माणी बोर्ड के माध्यम से था और ये व्यवसाय पहले सरकार की ओर से तत्कालीन ओएफबी द्वारा किए जा रहे थे। इसके अलावा, "नई पूंजी" शीर्षक के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए पूर्ववर्ती ओएफबी को अलग से धनराशि आवंटित की जाती थी। इसके अलावा, समिति ने नोट किया कि पहले निर्माणियों द्वारा तैयार किए गए खातों में इन्हें सरकारी अनुदान के रूप में नहीं बल्कि श्पूंजी परिव्ययश के रूप में प्रस्तुत किया गया था और एएस 12 के अंतर्गत आस्थगित आय (डेफर्ड इनकम) के रूप में नहीं माना गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सरकार से प्राप्त धनराशि मालिक की क्षमता में थी न कि सरकारी अनुदान के रूप में। इसके अलावा, निर्माणियों या व्यवसाय से संबंधित परिसंपत्तियों को कंपनी को हस्तांतरित करने के बाद भी, भारत सरकार कंपनी का स्वामित्व बरकरार रखती है और बदले में, व्यवसाय को नियंत्रित करती है। समिति का मानना है कि ओएफबी के अंतर्गत आयुध निर्माणियों से कंपनी के रूप में कारोबार का पुनर्गठन करने मात्र से सरकार द्वारा ऑनर्स के तौर पर प्रदान किए जा रहे फंड की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि यह इंड एएस 20 के अनुप्रयोग पर सरकारी अनुदान के रूप में हो जाता है। इसलिए, इंड एएस 20 के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान किए गए फंड को सरकारी अनुदान के रूप में कंपनी द्वारा लेखांकन में लिया जाना गलत है।"

आईसीएआई की ईएसी की राय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के मद्देनजर विगत वर्ष के वित्तीय विववरण में उक्त लेखांकन पद्धति में संशोधन कर दिया गया है। हालांकि, विगत वर्ष के लिए प्रयोज्य कर कानून के अनुसार तथा अनवशोषित मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप संपति, संयंत्र तथा उपकरण के कर आधार में परिवर्तन के

संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार, शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं पर ऐसे परिवर्तन के प्रभाव को निम्नलिखित विधि से किया गया है–

ii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष में सुधार:

कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष में उन परिसंपत्तियों का सुधार किया है जो यद्यपि पूर्ववर्ती ओएफबी (टब पुनर्गठन योजना के अंतर्गत कंपनी का हिस्सा) की संबंधित फैक्टरी द्वारा अधिग्रहित की गई थीं और इस प्रकार कंपनी की इकाई की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य का हिस्सा थीं, लेकिन उन्हें किसी अन्य घटक फैक्टरी द्वारा उपयोग के लिए सौंप दिया गया था। सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार, ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य को चालू वर्ष में अमान्य कर दिया गया है।

iii. सामग्री की पूर्व अवधि की त्रुटियाँ में सुधार:

कंपनी ने पूर्व अवधि से संबंधित कई व्यय/क्रेडिट की पहचान की है, जिनकी उस अवधि में गणना नहीं की जा सकी थी।

वित्तीय विवरण के तत्वों पर उपरोक्त पुनर्कथन का प्रभाव नोट संख्या 38 में निहित है।

नोट सं. 4

1. सामग्री लेखांकन नीतियां

i. संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण

1.1 प्रारंभिक पहचान और मूल्यांकन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम को परिसंपत्ति के रूप में तभी माना जाता है जब यह संभावना हो कि उससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और उसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जाएगा।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मदों को शुरू में लागत पर माना जाता है। लागत में आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद कर सहित खरीद मूल्य शामिल है, जिसमें व्यापार छूट और रिबेट, परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार कोई भी लागत और डिस्मेंटलिंग, रिमूवल और रिस्टोरेशन की लागत के प्रारंभिक अनुमान का वर्तमान मूल्य शामिल है। ऐसी लागत में संयंत्र और उपकरण के पार्टस् को बदलने की लागत और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए उधार लेने की लागत शामिल है।

इसके बाद लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित हानि को घटाकर मूल्यांकन किया जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भाग का मूल्य महत्वपूर्ण होता है तथा मुख्य परिसंपत्ति की तुलना में उसका उपयोगी जीवनकाल अलग होता है, तो उन्हें अलग से दर्शाया जाता है ।

उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, उनका पूंजीकरण (कैपटलाइजेशन) अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अंतर्गत अनंतिम आधार पर किया जाता है ।

स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हैं, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है। अन्य स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंटरी के रूप में रखा जाता है और उपयोग पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है ।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कुछ मदों का अधिग्रहण या निर्माण, हालांकि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी विशेष मौजूदा वस्तु के भविष्य के आर्थिक लाभ को सीधे तौर पर नहीं बढ़ाता है, लेकिन कंपनी के लिए अपनी अन्य परिसंपत्तियों से भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है। ऐसी वस्तुओं को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माना जाता है ।

1.2 परवर्ती लागत

परवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रेनीत राशि में तब माना जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत का विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सकेगा।

उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और ओवरहाल पर व्यय को तब कैपिटलाइज किया जाता है, जब वह परिसंपत्ति मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करता है। पिछले निरीक्षण और ओवरहाल की लागत की शेष वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम के प्रमुख भाग को बदलने की लागत को आइटम की वहन राशि के तौर पर जाना जाता है यदि यह संभावना है कि उस भाग में निहित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सकेगा। प्रतिस्थापित भाग (रिप्लेस्ड पार्ट) की वहन राशि को इस बात का ध्यान रखे बिना हटा दिया जाता है कि प्रतिस्थापित भाग का अलग से मूल्यह्रास किया गया है या नहीं। यदि प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है, तो कंपनी प्रतिस्थापन की लागत का उपयोग इस बात के संकेत के रूप में करती है कि प्रतिस्थापित भाग की लागत उस समय क्या थी जब इसे खरीदा या निर्मित किया गया था। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत को लाभ और हानि के विवरण में तब दर्शाया जाता है जब तक वह खर्च होता है।

1.3 डीकमीशनिंग लागत

यदि किसी प्रावधान के मूल्यांकन मानदंड पूरे होते हैं, तो परिसंपत्ति के उपयोग के बाद उसे डीकमिशन करने की अपेक्षित लागत को वर्तमान मूल्य संबंधी परिसंपत्ति की लागत में शामिल कर लिया जाता है ।

1.4 डी- रिकॉग्निशन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तब डी-रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम को डी-रिकॉग्नाइज करने पर लाभ और हानि का निर्धारण निपटान से बिक्री आय, यदि कोई हो, और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और लाभ और उसे हानि के विवरण में दर्शाया जाता है ।

ऐसी परिस्थिति में जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का कोई मद उपयोग लायक नहीं रह जाता है, तो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संबंधी शुद्ध वहन लागत को उसी अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है ।

1.5 मूल्यह्रास

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास का प्रावधान इस प्रकार किया जाता है कि परिसंपत्तियों की लागत में से परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल के दौरान अवशिष्ट मूल्य को घटाकर कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग C के अंतर्गत निर्धारित स्ट्रैट लाइन पद्धति का उपयोग किया जा सके, सिवाय उन परिसंपत्तियों के जहां अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन काल और प्रबंधन के अनुमान अलग-अलग हैं। यदि प्रबंधन का अनुमान भिन्न हैं तो उपयोगी जीवन काल का प्रबंधन के अनुमान के अनुसार मूल्यह्रास निर्धारित किया जाता है। जिसके दौरान प्रबंधन को इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवनकाल से अलग है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भाग का उपयोगी जीवनकाल अलग-अलग होता है, तो उन्हें अलग-अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में हिसाब में लिया जाता है और उनके उपयोगी जीवन पर या मूल परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल पर, जो भी कम हो, मूल्यह्रास किया जाता है।

क्र.सं.	परिसंपत्ति	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवनकाल	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल
I	निर्माणी के भवन	30 वर्ष	30-60 वर्ष
II	निर्माणी के भवनों के अलावा	60 वर्ष	30-60 वर्ष
III	सड़कें (टारसीसी एवं आरसीसी के अलावा)	5 एवं 10 वर्ष	10 वर्ष
IV	संयंत्र और मशीनरी	15 वर्ष	10-20 वर्ष
V	फर्नीचर और फिक्सचर (एयर कंडीशनर और कार्यालय उपकरण सहित)	10 वर्ष	3-10 वर्ष
VI	वाहन	8 वर्ष	3-8 वर्ष
VII	कंप्यूटर (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर)	3 एवं 6 वर्ष	4-5 वर्ष
VIII	प्रयोगशाला उपकरण (सभी QC उपकरण सहित, किंतु निरीक्षण में प्रयुक्त गेज को छोड़कर)	10 वर्ष	10 वर्ष
IX	विद्युत स्थापना और उपकरण	10 वर्ष	10 वर्ष

प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवनकाल उस अवधि को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है जिसके दौरान प्रबंधन को इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ii के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवनकाल से अलग है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भाग का उपयोगी जीवनकाल अलग-अलग होता है, तो उन्हें अलग-अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में हिसाब में लिया जाता है और उनके उपयोगी जीवन पर या मूल परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल पर, जो भी कम हो, मूल्यह्रास किया जाता है।

किसी अवधि के दौरान खरीदीध्बेची गई संपत्तियों का मूल्यह्रास उपयोग की अवधि के अनुपात में लगाया जाता है। भवन, संयंत्र और मशीनरी के अलावा अन्य संपत्तियों, जिनकी लागत ₹10,000/- से कम है, पर 100% मूल्यह्रास लगाया जाता है।

पूंजीकृत किए गए प्रमुख ओवरहॉल और निरीक्षण लागतों का मूल्यह्रास अगले निर्धारित आउटेज या वास्तविक प्रमुख निरीक्षण/ओवरहाल, जो भी पहले हो, तक की अवधि में किया जाता है। तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर 2 से 40 वर्षों के बीच उपयोगी जीवन को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत पुर्जों का मूल्यह्रास किया जाता है।

जहां यह संभावना है कि किए गए व्यय से प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर बाद के व्यय के साथ-साथ इसकी अशोधित मूल्यह्रास राशि को तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित उपयोगी जीवनकाल पर भावी रूप से चार्ज किया जाता है ।

किसी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास उस तारीख से समाप्त हो जाता है, जिस तारीख को परिसंपत्ति को इंड एएस 105 के अनुसार, बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (या बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में शामिल किया जाता है) और उस तारीख से जब परिसंपत्ति को डी-रिकॉग्नाइज किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवनकाल और मूल्यह्रास के तरीकों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और उपयुक्तता के अनुसार उन्हें भावी रूप से समायोजित किया जाता है ।

II. जारी पूंजीगत कार्य

ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर व्यय की गई लागत, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अपने वांछित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को जारी पूंजीगत कार्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है ।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम की लागत, परिसंपत्तियों को प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई अन्य लागत और अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए प्रभावी उधार लागत शामिल हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाला व्यय जब तक कि वे अपने वांछित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते, उन्हें संबंधित परिसंपत्तियों की लागत के आधार पर व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन और आबंटन किया जाता है ।

III. अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासोन्मुख अमूर्त परिसंपत्तियां

3.1 प्रारंभिक पहचान और माप

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को तभी माना जाता है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्ति से अपेक्षित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा परिसंपत्ति की लागत का विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सकेगा।

कंपनी द्वारा अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियां, जिनका उपयोगी जीवनकाल सीमित होता है, उनको लागत पर दर्शाया जाता हैं। बाद में, लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि को घटाकर मूल्यांकन किया जाता है। लागत के अंतर्गत आयात शुल्क, व्यापार छूट और रिबेट में कटौती के बाद गैर-वापसी योग्य कर और संपत्ति को उसके वांछित उपयोग के लिए तैयार करने के किसी भी सीधे तौर पर लागू व्यय सहित खरीद मूल्य शामिल है।

विकास गतिविधियों पर व्यय को केवल तभी पूँजीकृत किया जाता है, जब व्यय का विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हों और कंपनी के पास विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या उसे बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन हों।

अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूँजीकरण के लिए पात्र व्यय को तब तक विकासोन्मुख अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में रखा जाता है, जब तक कि वे अपने वांछित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।

अनुसंधान व्यय और विकास व्यय, जो उपर्युक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें व्यय के रूप में माना जाता है ।

3.2 परवर्ती लागतें

जब यह संभावना हो है कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे तथा मद के लागत का विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सकेगा, तब अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रेनीत राशि में वृद्धि के रूप में माना जाता है ।

3.3 डी - रिकॉग्निशन

अमूर्त परिसंपत्ति को तब मूल्यांकन से वंचित किया जाता है, जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। अमूर्त परिसंपत्ति का मूल्यांकन समाप्त करने पर लाभ या हानि का निर्धारण शुद्ध निपटान आय, यदि कोई हो, और अमूर्त परिसंपत्तियों की अग्रेनीत राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और लाभ तथा हानि के विवरण में दर्शाया जाता है ।

3.4 परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पहचाने जाने वाले सॉफ्टवेयर की लागत, उपयोग के कानूनी अधिकार की अवधि या 5 वर्ष, जो भी कम हो, पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर परिशोधित की जाती है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के कानूनी अधिकार की अवधि या संबंधित परिसंपत्तियों के जीवन, जो भी कम हो, पर सीधी-रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहाँ भी आवश्यक हो, भावी रूप से समायोजित की जाती है ।

IV. बिक्री के लिए रखी गई निवर्तमान परिसंपत्तियाँ

कंपनी निवर्तमान परिसंपत्तियों और डिस्पोजल ग्रुप्स को बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी अग्रेनीत राशि निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से प्राप्त की जाएगी और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है।

प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसके लिए वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में दर्शाने के लिए अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, और बिक्री की योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से यह संकेत मिलना चाहिए कि इस बात की संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

बिक्री और डिस्पोजल ग्रुप्स के लिए रखी गई निवर्तमान परिसंपत्तियों को उनकी वहन राशि और उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर जो भी कम हो, उसके आधार पर मापा जाता है। बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

V. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी परिसंपत्ति की रिकवरी योग्य राशि का अनुमान लगाती है।

किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की रिकवरी योग्य राशि उसके उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर तथा उसके उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग के अंतर्गत मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी कैश फ्लो को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के वर्तमान मूल्य तथा परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। यह एक व्यद्रिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति ऐसा कैश फ्लो उत्पन्न न करे जो कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से कफी हद तक अलग हों।

कम बिक्री लागत को घटा कर उचित मूल्य निर्धारित करने में, यदि उपलब्ध हो तो, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की पुष्टि अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा की जाती है।

जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी रिकवरी योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उसे उसकी रिकवरी योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है। हानि को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है। सीजीयू के संबंध में दर्शायी गयी हानि को सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि (कैरिंग एमाउंट) से घटाया जाता है।

साख (गुडविल) को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि पहले दर्शायी गयी हानि अब मौजूद नहीं हो सकती है या कम हो सकती है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति या CGU की रिकवरी योग्य राशि का अनुमान लगाती है। पहले से दर्शायी गयी हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है जब पिछली हानि को दर्शाये जाने के बाद से परिसंपत्ति की रिकवरी योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो। उलटफेर (रिवर्सल) सीमित है ताकि परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही वह वहन राशि से अधिक हो जो पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई हानि न दर्शाने पर, मूल्यह्रास के शुद्ध मूल्य पर निर्धारित की गई होती।

VI. इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। लागत में खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और इन्वेंटरी को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं। उधार लेने की लागत को छोड़कर, तैयार माल और जारी कार्य के मामले में लागत में प्रत्यक्ष सामग्री और श्रम की लागत और सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर विनिर्माण ओवरहेड्स का अनुपात शामिल है। लागत वेटेड औसत के आधार पर निर्धारित की जाती है। खरीदी गई इन्वेंटरी की लागत छूट, व्यापार छूट और अन्य समान मदों को घटाने के बाद निर्धारित की जाती है।

इंड-एएस 2 के पैरा 32 के अनुसार, यदि तैयार उत्पाद, जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, के लागत पर या उससे अधिक पर बेचे जाने की उम्मीद है, तो इन्वेंटरी के उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्रियों और अन्य आपूर्तियों को लागत से कम नहीं दर्शाया जाता है।

शुद्ध रिकवरी योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य होता है, जिसमें से पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटा दी जाती है। स्टोर और स्पेयर की अप्रचलित, अनुपयोगी, अधिशेष और नॉन - मूविंग वस्तुओं के मूल्य में कमी की समीक्षा करके पता लगाया जाता है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

स्टील स्क्रैप का मूल्यांकन अनुमानित प्राप्य मूल्य पर किया जाता है।

VII. निवेश

ए. संयुक्त उद्यम में निवेश

संयुक्त उद्यमों में निवेश, भारतीय लेखा मानक (इंड अकाउंट्स) में परिवर्तन के समय लागू लागत/मान्य लागत पर संचित हानि (यदि कोई हो) को घटाकर किया जाता है। जहाँ हानि का संकेत मौजूद हो, वहाँ निवेश की वहन राशि का आकलन किया जाता है और यदि आवश्यक हो, तो उसकी वसूली योग्य राशि तक हानि प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

बी. संपत्ति में निवेश

- किसी संपत्ति को निवेश संपत्ति तभी माना जाता है जब उसे किराया कमाने और/या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखा गया हो। कंपनी द्वारा (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से) रखी गई संपत्तियाँ, जिनका उपयोग प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में किया जाता है, उन्हें निवेश संपत्ति नहीं माना जाता है।
- कंपनी के पास निर्माणी की जमीन और इमारतों, प्रशासनिक भवनों के अलावा अन्य संपत्तियाँ भी हैं जिनका उपयोग कंपनी के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध आवासीय क्वार्टरों के रूप में किया जाता है। कर्मचारियों की सुविधा के उद्देश्य से कंपनी द्वारा रखी गई ऐसी संपत्ति, जिसके लिए केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार न्यूनतम लाइसेंस शुल्क लिया जाता है, निवेश संपत्ति नहीं मानी जाती है।

VIII. वित्तीय साधन - प्रारंभिक पहचान और परवर्ती मूल्यांकन

वित्तीय साधन वह अनुबंध है, जिससे किसी इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन तैयार होता है। कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को तभी मानती है जब वह इंस्ट्रूमेंट के संविदात्मक प्रावधानों की पार्टी बन जाती है।

ए) वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(I) वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रारंभिक पहचान और मूल्यांकन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक पहचान होने पर उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है, सिवाय व्यापार प्राप्तियों के, जिन्हें शुरू में लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत, जिनका लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मूल्यांकन नहीं किया जाता है, प्रारंभिक पहचान पर उचित मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं।

(II) वित्तीय परिसंपत्तियों का परवर्ती मूल्यांकन

परवर्ती मूल्यांकन के उद्देश्य से वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

ख्रपरिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मूल्यांकन किए गए इक्विटी उपकरण
- **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि:

- वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक कैश फ्लो जमा करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना होता है, और
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों से निर्दिष्ट तिथियों पर कैश फ्लो होता है, जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

यह श्रेणी कंपनी के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि के अंतर्गत वित्त आय में शामिल किया

जाता है। हानि से होने वाले नुकसान को लाभ या हानि के अंतर्गत माना जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

- **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि:

- वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक कैश फ्लो को एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, तथा
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों से निर्दिष्ट तिथियों पर कैश फ्लो होता है, जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर आंकलन किया जाता है। उचित मूल्य को अन्य व्यापक आय (oCI) के अंतर्गत माना जाता है। जबकि, कंपनी ब्याज आय, हानि और प्रतिवर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पी एंड एल में दर्शाती है। परिसंपत्ति डी-रिकॉग्नाइज होने पर ओसीआई में पहले से रिकॉग्नाइज्ड संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई वित्तीय परिसंपत्ति धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज के रूप में आय को रिपोर्ट किया जाता है।

- **लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**
  - एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी होती है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को निर्धारित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अन्य व्यापक आय मानदंडों के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य को पूरा करती है। हालाँकि, इस तरह के चयन की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से मूल्यांकन या रिकॉग्निशन असंगतता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है)। कंपनी ने किसी भी ऋण साधन को एफवीटीपीएल के रूप में नामित नहीं किया है ।

प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ऐसे निवेश पर ब्याज आय को "अन्य आय" के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

(III) वित्तीय परिसंपत्तियों का डी-रिकॉग्निशन

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को डी - रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब:

- वित्तीय परिसंपत्ति से कैश फ्लो के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं,

या

- कंपनी ने परिसंपत्ति से कैश फ्लो प्राप्त करने के लिए अपने संविदात्मक अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या 'पास-/रू' व्यवस्था के अंतर्गत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी भौतिक विलम्ब के प्राप्त कैश फ्लो का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया हैय और या तो (ए) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और रिवार्ड को मूलत: हस्तांतरित कर दिया है, या (बी) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और लाभ को मूलत: हस्तांतरित या बरकरार नहीं रखा है, बल्कि परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से कैश फ्लो प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित किया है या पास-/रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो वह इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिम और लाभों को बरकरार रखा है। जब उसने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और लाभ को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है, तो कंपनी, कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को मानते रहना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी मानती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबद्ध देयता को उस आधार पर मापा जाता है, जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है।

हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी के रूप में निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल अग्रेनीत राशि तथा निर्धारण की अधिकतम राशि, जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है, में से न्यूनतम राशि पर मापा जाता है।

(IV) वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है, जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण इंस्ट्रूमेंट हैं, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है, जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। व्यवसाय मॉडल में बदलाव होने की कम उम्मीद होती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में बदलाव का निर्धारण करता है, जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बदलाव बाहरी पक्षों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव तब होता है जब कंपनी अपने संचालन के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि शुरू या बंद करती है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो वह इसे पुनर्वर्गीकरण की तिथि से लागू करती है, जो व्यवसाय मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद की अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन होता है। कंपनी पहले से दर्शाए गए किसी लाभ, हानि (क्षति लाभ या हानि सहित) या ब्याज संबंधी पुनर्कथन नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरणों तथा उनके लेखांकन विधियों को दर्शाती है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन उपचार
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर मूल्यांकन किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को पी एंड एल में दर्शाया जाता है ।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य का पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर मूल्याकंन किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को ओसीआई के अंतर्गत दर्शाया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई बदलाव नहीं हुआ।
एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत वहन राशि बन जाती है। हालाँकि, ओसीआई के अंतर्गत संचयी लाभ या हानि को उचित मूल्य पर समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति का इस तरह मूल्यांकन किया जाता है जैसे कि इसे हमेशा परिशोधित लागत पर मूल्यांकन किया जाता था।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई वहन राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर आंकलन किया जाना जारी है। ओसीआई में पहले से दर्शाए गए संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर पी एडं एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है ।

(V) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड-एएस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम पर हानि का मूल्यांकन और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

- ऋण के साधन के रुप में आने वाले मद, जैसे-ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष आदि का मूल्यांकन वित्तीय परिसंपत्तियों के परिशोधित लागत पर किया जाता है
- व्यापार प्राप्य या नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार, जो इंड-एएस 115 के दायरे में आने वाले लेनदेन के कारण हो

कंपनी निम्नलिखित पर हानि क्षति भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है:

- इंड-एएस 115 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न व्यापार प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्तियां, यदि उनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है
- इंड-एएस 115 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न व्यापार प्राप्तियां या अनुबंध परिसंपत्तियां, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल है, यदि कंपनी धन के सामयिक मूल्य के पृथक्करण को नजरअंदाज करने के लिए व्यावहारिक सुविधा लागू करती है, और
- इंड-एएस 116 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टों से प्राप्य आय (लीज रिसीवेबल्स)

सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करने के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक पहचान से ही, ईसीएल के आधार पर आजीवन हानि भत्ते को दर्शाती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम पर हानि की पहचान के लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि की भरपाई के लिए 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो ईसीएल का आजीवन उपयोग किया जाता है। यदि बाद की अवधि में इन्स्ट्रूमेंट की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो इकाई 12 महीने की ईसीएल के आधार पर हानि की छूट मानने से पलट सकती है।

लाइफटाइम ईसीएल एक वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के अपेक्षित जीवनकाल में सभी संभावित डिफॉल्ट घटनाओं से उत्पन्न होने वाली अपेक्षित क्रेडिट हानियाँ हैं। 12 महीने की ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का एक हिस्सा है, जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर वित्तीय इंस्ट्रूमेंट पर डिफॉल्ट घटनाओं के कारण होती है।

ईसीएल सभी संविदात्मक कैश फ्लो के बीच का अंतर है, जो अनुबंध के अनुसार कंपनी को देय है और सभी कैश फ्लो, जो कंपनी को प्राप्त होने की उम्मीद है द्धयानी, नकदी की सभी कमी), मूल ईआईआर पर छूट दी गई है। नकदी प्रवाह का अनुमान लगाते समय इकाई को निम्न पर विचार करना आवश्यक है:

- वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) की अपेक्षित अवधि के दौरान वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तें (पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्पों सहित)। हालाँकि, दुर्लभ मामलों में जब वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवनकाल का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सके, तो कंपनी को वित्तीय साधन की शेष संविदात्मक अवधि का उपयोग करना आवश्यक होगा।
- एक ही प्रकार की बिक्री या अन्य ऋण वृद्धि से कैश फ्लो जो संविदात्मक शर्तों का अभिन्न अंग हैं

इस अवधि के दौरान मान्य ईसीएल हानि भत्ता द्धया विपर्यय) को लाभ और हानि (पी एंड एल) के विवरण में आय/व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। यह राशि पी एंड एल में "अन्य व्यय" शीर्षक के अंतर्गत एक अलग पंक्ति में दिखाई देती है। विभिन्न वित्तीय साधनों (इंस्ट्रूमेंट) के लिए बैलेंस शीट का प्रस्तुतिकरण नीचे दिया गया है:

- परिशोधित लागत, अनुबंध परिसंपत्तियों और पट्टा प्राप्तियों के रूप में दर्शायी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ: ईसीएल को भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात बैलेंस शीट में उन परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के एक अभिन्न अंग के रूप में। भत्ता शुद्ध वहन राशि को कम करता है। जब तक परिसंपत्ति राइट-ऑफ मानदंड को पूरा नहीं करती, तब तक कंपनी सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

ऋण जोखिम और क्षति से होने वाली हानि में वृद्धि का आकलन करने के लिए, कंपनी साझा ऋण जोखिम विशेषताओं के आधार पर वित्तीय साधनों को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य विश्लेषण को सुविधाजनक बनाना है जो ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि को समय पर पहचानने में सक्षम बनाता है।

कंपनी के पास कोई भी क्रय या मूलत: क्रेडिट इंपेयर्ड (पीओसीआई) वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है, अर्थात ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां जो क्रय/उत्पत्ति पर क्रेडिट इंपेयर्ड हैं।

बी) वित्तीय देनदारियाँ

(i) वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक पहचान और मूल्यांकन

वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक पहचान में लाभ या हानि, ऋण और उधार, देयताओं, या प्रभावी बचाव में हेजिंग इंस्ट्रूमेंटस् में डेरिवेटिव के रूप में निर्धारण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सभी वित्तीय दायित्वों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर माना जाता है, जिसमें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न किए गए वित्तीय दायित्वों के मामले में वित्तीय दायित्वों के निर्गमन के कारण होने वाली लेनदेन लागत को घटा दिया जाता है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार आदि शामिल हैं।

(ii) वित्तीय देनदारियों का परवर्ती मूल्यांकन

वित्तीय देनदारियों का मूल्यांकन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- **लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) पर वित्तीय देयताएं**

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक पहचान पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बशर्ते वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं।

व्यापार के लिए रखे गए दायित्वों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में दर्शाया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक पहचान पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को पहचान की प्रारंभिक तिथि पर निर्धारित किया जाता है और केवल तभी जब इंड - एएस 109 के अंतर्गत मानदंड पूरे होते हैं। एफवीटीपीएल के तौर पर निर्धारित देनदारियों के लिए स्वयं के क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीआई में दर्शाया जाता है। इन लाभ/हानि को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। हालाँकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी भी वित्तीय देयता को निर्धारित नहीं किया है।

- **ऋण और उधारी**

प्रारंभिक पहचान के बाद ब्याज-प्रभाव वाली उधारी को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि के अंतर्गत तब माना जाता है, जब देनदारियों को डी-रिकॉग्नाइज किया जाता है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी हटा दिया जाता है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

(iii) वित्तीय देनदारियों का डी - रिकॉग्निशन

वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा) को उसके बैलेंस शीट से केवल तभी हटाया जाता है, जब वह समाप्त हो जाता है, यानी जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व पूरा हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व का डी-रिकॉग्निशन करने और एक नए दायित्व के रिकॉग्निशन के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

सी) वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

यदि दर्शायी गयी राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार हैं और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं का एक साथ निपटान करने का इरादा है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है।

(iv) उचित मूल्य का निर्धारण

उचित मूल्य वह मूल्य है, जो मूल्यांकन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारण इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने का लेनदेन या तो होता है:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में या
- किसी प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में।

मुख्य या सर्वाधिक लाभप्रद बाजार कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं के आधार पर निर्धारित जाता है, जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय करते हैं, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं।

किसी गैर-वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य निर्धारण, परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करके या उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर, जो परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करते हुए आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की बाजार प्रतिभागी की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

प्रासंगिक दृष्टिगत इनपुट के उपयोग को अधिकतम करते हुए और अ-ष्टिगत इनपुट के उपयोग को न्यूनतम करते हुए कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है, जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य निर्धारण हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य निर्धारण किया जाता है या प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उधृत (Vसमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अप्राप्य है।

वित्तीय विवरण में आवर्ती आधार पर पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके (सबसे निचले स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है) यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुआ है या नहीं।

कंपनी का प्रबंधन आवर्ती उचित मूल्य निर्धारण, जैसे व्युत्पन्न (derivative) इंस्ट्रूमेंटस, तथा गैर-आवर्ती मूल्यांकन, जैसे बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ, दोनों के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है।

महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों जैसे कि संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं को शामिल किया जाता है। प्रबंधन द्वारा हर साल बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं की भागीदारी पर निर्णय लिया जाता है। चयन मानदंडों के अंतर्गत बाजार की जानकारी, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और पेशेवर मानकों को बनाए रखा जाता है अथवा नहीं, ये सब शामिल हैं। कंपनी के बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं के साथ चर्चा के बाद प्रबंधन यह तय करता है कि प्रत्येक मामले के लिए कौन सी मूल्यांकन तकनीक और इनपुट का उपयोग किया जाए।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करता है, जिन्हें कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार पुन: निर्धारित या पुन: मूल्यांकित किया जाना आवश्यक है। इस विश्लेषण के लिए प्रबंधन अनुबंधों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के लिए मूल्यांकन गणना में दी गई जानकारी से सहमत होकर नवीनतम मूल्यांकन में लागू किए गए प्रमुख इनपुट को सत्यापित करता है।

प्रबंधन, कंपनी के बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं के साथ मिलकर प्रत्येक परिसंपत्ति और देयता के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना प्रासंगिक बाह्य स्रोतों से करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह परिवर्तन वार्षिक आधार पर उचित है या नहीं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए कंपनी ने परिसंपत्ति या देयता की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गों का निर्धारण किया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

यह नोट उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीति का सारांश प्रस्तुत करता है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण संगत नोट में दिए गए हैं।

- महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और मान्यताएँ
- उचित मूल्यांकन पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की ट्रांजिशन की तिथि पर उचित मूल्यांकन
- वित्तीय इंस्ट्रूमेंटस् (परिशोधित लागत पर वहन किये जाने वाले इंस्ट्रूमेटस् सहित)

X. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान को तब दर्शाया जाता है, जब किसी पूर्व प्रसंग के परिणामस्वरूप, कंपनी के पास कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है, जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सके और यह संभावना हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्गन की आवश्यकता होगी। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो प्रावधान पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किए जाते हैं, जो धन के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में माना जाता है ।

प्रावधान के रूप में दर्शायी गयी राशि, रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान है, जिसमें दायित्व से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से रिकवर किए जाने की उम्मीद हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा, यदि यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकित किया जा सकेगा। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को, यदि कोई हो तो, प्रतिपूर्ति के शुद्ध लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

दुर्भर अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है, जिसमें अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती है। एक अनुबंध के अंतर्गत अपरिहार्य लागत अनुबंध से बाहर निकलने की सबसे कम शुद्ध लागत को दर्शाती है, जो इसे पूरा करने की लागत और इसे पूरा करने में किलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुआवजे या दंड में से कम होता है। कंपनी, एक प्रावधान के रूप में, किसी दुर्भर अनुबंध के अंतर्गत वर्तमान दायित्व को दर्शाती है। हालाँकि, किसी दुर्भर अनुबंध के लिए एक अलग प्रावधान करने से पहले कंपनी उस अनुबंध के लिए रखा गयी परिसंपत्तियों पर हुई हानि को दर्शाती है।

आकस्मिक देयताएँ संभावित दायित्व हैं, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहाँ यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के आउट फ्लो की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाएगा, जब तक कि आर्थिक लाभ के आउट फ्लो की संभावना दूर की बात न हो। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरण में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास वित्तीय विवरण में उचित रूप से परिलक्षित हो।

निष्पादन गारंटी और बिक्री की गई वस्तुओं के रिप्लेसमेंट/मरम्मत के कारण व्यय का प्रावधान ट्रेंड-आधारित अनुमानों के आधार पर किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां ट्रेंड का पता नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर वारंटी का प्रावधान किया जाता है।

XI. नकद और नकद के समतुल्य

बैलेंस शीट में नकद और नकद के समतुल्य में बैंकों और हाथ में मौजूद नकदी तथा तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाली अल्पकालिक जमा राशियां शामिल होती हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन होती हैं।

कैश फ्लो विवरण के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी और अल्पावधि जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट की शुद्ध राशि को कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

XII. राजस्व की मान्यता

ए) ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

i. कंपनी को मुख्य रूप से आर्टिलरी गन, फील्ड गन, आयुध और छोटे हथियारों तथा संबंधित सेवाओं की बिक्री से राजस्व प्राप्त होता है। राजस्व तब माना जाता है जब (या जैसे) कंपनी किसी ग्राहक को वादा किया गया सामान या सेवा (अर्थात् कोई परिसंपत्ति) हस्तांतरित करके निष्पादन दायित्व को पूरा करती है।

ii. समय के सापेक्ष निष्पादन दायित्व की संतुष्टि

ए) राजस्व को समय के सापेक्ष माना जाता है, जहां वस्तुओं या सेवाओं के नियंत्रण का हस्तांतरण उस निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में समय के सापेक्ष प्रगति के मूल्यांकन के साथ होता है, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक पूरा होता है:

- कंपनी का निष्पादन ग्राहक को कंपनी के निष्पादन के साथ-साथ लाभ प्राप्त करने और उपयोग करने का अधिकार देता है।
- कंपनी का निष्पादन किसी परिसंपत्ति का सृजन या वृद्धि करता है, जिसे ग्राहक परिसंपत्ति के निर्माण या वृद्धि के दौरान नियंत्रित करता है।
- कंपनी का निष्पादन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग वाली कोई परिसंपत्ति निर्मित नहीं करता है और कंपनी के पास उस दिन तक पूरे किए गए निष्पादन के लिए भुगतान पाने का बाध्यकारी अधिकार होता है।

बी. निष्पादन दायित्व को पूरा करने की दिशा में की गई प्रगति का मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि तक अनुबंध पर किए गए वास्तविक व्यय और अनुबंध को पूरा करने के लिए अपेक्षित अनुमानित कुल व्यय के अनुपात के आधार पर किया जाता है। यदि निष्पादन दायित्व के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और जहां यह संभावना है कि लागत रिकवर हो जाएगी, तो व्यय की गई लागत की सीमा तक राजस्व को दर्शाया जाता है।

iii. किसी समय पर निष्पादन दायित्व की पूर्ति

ए) ऐसे मामलों में जहां नियंत्रण का हस्तांतरण समय के सापेक्ष नहीं होता है, कंपनी निष्पादन दायित्वों को पूरा कर लेने पर उस राजस्व को दर्शाती है।

बी. जब ग्राहक परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तो निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है। नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कंपनी ने परिसंपत्ति का भौतिक कब्जा हस्तांतरित कर दिया है
- ग्राहक के पास परिसंपत्ति का कानूनी स्वामित्व है
- ग्राहक ने परिसंपत्ति स्वीकार कर ली है
- जब कंपनी के पास परिसंपत्ति के भुगतान का अधिकार हो
- ग्राहक के पास परिसंपत्ति के जोखिम और लाभ का अहम स्वामित्व हो। महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ स्वामित्व के हस्तांतरण का मूल्यांकन अनुबंधों की इन्को-टर्म्स के आधार पर किया जाता है।

कार्य-पूर्व अनुबंध - कार्य-पूर्व अनुबंध के मामले में राजस्व को तब दर्शाया जाता है जब निर्दिष्ट माल को पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद, यदि आवश्यक हो, बिना शर्त अनुबंध में विनियोजित किया जाता है।

एफओआर अनुबंधों के मामले में, राजस्व को तब दर्शाया जाता है जब माल को पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद खरीदार को भेजने के लिए वाहक को सौंप दिया जाता है, यदि निर्धारित हो तो, और एफओआर गंतव्य अनुबंधों के मामले में, यदि लेखांकन अवधि के भीतर माल के गंतव्य तक पहुंचने की समुचित संभावना होती है।

iv. मूल्यांकन

ए. राजस्व को लेनदेन मूल्य की राशि पर दर्शाया जाता है, जिसे निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है।

लेन-देन मूल्य वह राशि है, जिसे कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में पाने की उम्मीद करती है, जिसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है।

मूल्य वृद्धि और ईआरवी के मामले में राजस्व को अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ग्राहक से प्राप्त होने वाली सबसे संभावित राशि के रूप में माना जाता है।

बी. ऐसे मामले में जहां अनुबंध में एकाधिक निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं, कंपनी प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए सापेक्ष एकल विक्रय मूल्य के आधार पर लेनदेन मूल्य आवंटित करती है।

बहु तत्व - ऐसे मामलों में जहां इंस्टालेशन और कमीशनिंग या कोई अन्य अलग से पहचाने जाने योग्य घटक निर्धारित किया गया है और उसके लिए मूल्य पर अलग से सहमति हुई है, कंपनी लेनदेन के अलग से पहचाने गए घटकों (माल की बिक्री और इंस्टालेशन और कमीशनिंग आदि) पर निर्धारण मानदंड लागू करती है और उनके स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर उन अलग घटकों को राजस्व आवंटित करती है।

v. दंड

किसी अनुबंध में निर्दिष्ट दंड (डिलीवरी में देरी के लिए निश्चित क्षतिपूर्ति सहित) को लेनदेन मूल्य का अंतर्निहित भाग नहीं माना जाएगा, यदि उस पर लगाया गया जुर्माना ग्राहक द्वारा समीक्षा के अधीन हो।

vi. महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक

रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त अग्रिम राशि को महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक निर्धारित करने के लिए नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य अनुबंधित पार्टियों के हितों की रक्षा करना है।

बी. अन्य आय

i. ब्याज से आय

परिशोधित लागत पर मूल्यांकित सभी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत ब्याज वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके ब्याज से हुई आय दर्ज की जाती है। ईआईआर वह दर है, जो वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स के अपेक्षित जीवनकाल या कम अवधि में अनुमानित भविष्य की नकदी प्राप्तियों को, जहां उपयुक्त हो, वित्तीय परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कंपनी वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित कैश फ्लो का अनुमान लगाती है लेकिन अपेक्षित क्रेडिट घाटे पर विचार नहीं करती है। लाभ या हानि के विवरण में ब्याज से हुई आय को अन्य आय के रूप में शामिल किया जाता है।

ii. बीमा संबंधी दावे

बीमा के कारण प्राप्त होने वाले दावों का लेखा उस सीमा तक किया जाता है, जहां तक कंपनी को उनके अंतिम प्राप्ति के बारे में समुचित विश्वास हो।

iii. किराये से आय

संचालित पट्टों से प्राप्त आय को पट्टा अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जब तक कि किराये में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति के अनुरूप न हो या अन्यथा उचित न हो।

iv. अन्य आय

अन्य आय, जिसका ऊपर विशेष उल्लेख नहीं किया गया है, को उपार्जन आधार पर माना जाता है।

XIII. कर्मचारी लाभ

सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 से उत्पादन इकाइयों और चिन्हित गैर-उत्पादन इकाइयों (अनुलग्नक ए में निर्धारित संरचना के अनुसार) से संबंधित ओएफबी (समूह ए, बी और सी) के सभी कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 37ए के अनुसार, नियुक्ति तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभ में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर नए डीपीएसयू में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसे आगे 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

नए डीपीएसयू में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू सभी मौजूदा नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन बने रहेंगे, जिनमें उनके वेतनमान, भत्ते, अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं, कैरियर प्रगति और अन्य सेवा-शर्तें शामिल हैं।

सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों का वहन सरकार द्वारा रक्षा पेंशन के लिए रक्षा मंत्रलय ("एमओडी") के बजट से किया जाता रहेगा।

दिनांक 01.01.2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रचलन में है और इसे नए डीपीएसयू द्वारा अपनाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू सभी विशेष प्रावधानों को जारी रखना शामिल है।

कंपनी के अन्य सभी कर्मचारियों के लिए, कंपनी के पास कोई संरचित कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना नहीं है। हालाँकि, "ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972" के अनुसार सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या अन्य किसी भी स्थिति में रोजगार की समाप्ति पर कंपनी निहित कर्मचारियों को एकमुश्त राशि प्रदान करती है। यह राशि संबंधित कर्मचारी की अंतिम आहरित राशि पर आधारित होती है। वेतन और कार्यकाल रोजगार के साथ कंपनी कोई अंशदान नहीं करती है तथा जब और जैसै कोई दावा किया जाता है, कंपनी अपने स्रोतों से ग्रेच्युटी देयता को पूरा करती है।

अल्पावधि कर्मचारी लाभ

बारह महीने की सेवा के अंदर देय सभी कर्मचारी लाभ को अल्पकालिक लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे लाभों में वेतन, मजदूरी, बोनस, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति, पुरस्कार, अनुग्रह राशि, परफॉरमेंस वेतन आदि शामिल हैं और इन्हें उस अवधि के अंतर्गत माना जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

XIV. आयकर

कर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, सिवाय उस सीमा तक जब यह सीधे औसीआई या इक्विटी के अंतर्गत माने गए मदों से संबंधित हो, जिस स्थिति में इसे क्रमश: ओसीआई या इक्विटी में दर्शाया जाता है।

चालू कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है, जिसकी गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन का उपयोग करके की जाती है।

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रेनीत राशि; और परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर, बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके दर्शाया जाता है ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को आगे ले जाने तथा किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे के लिए माना जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को आगे ले जाने तथा अप्रयुक्त कर घाटे का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते:

- कटौती योग्य अस्थायी अंतर से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति किसी लेनदेन में परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक पहचान के कारण है, जो व्यवसाय संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय न तो लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करती हैय
- सहायक कंपनियों, सहयोगियों तथा संयुक्त व्यवस्थाओं में हितों में निवेश से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक माना जाता है, जहां यह संभावना हो कि

अस्थायी अंतर निकट भविष्य में विपरीत हो जाएंगे तथा कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके लिए अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकेगा।

निम्नलिखिति के अलावा, आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए माना जाता है:

- जब आस्थगित कर देयता किसी ऐसे लेनदेन में साख (गुडविल) या परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक पहचान के कारण है, जो व्यवसाय संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय, न तो लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है;
- सहायक कम्पनियों में निवेश और संयुक्त व्यवस्थाओं में हितों से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में, जब अस्थायी अंतरों के विपरीत होने के समय को नियंत्रित किया जा सकता है और यह संभावना रहती है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में विपरीत नहीं होंगे।

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर, अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है, बशर्ते वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, सिवाय उस सीमा के जब यह सीधे ओसीआई या इक्विटी में दर्शायी गयी वस्तुओं से संबंधित हो, जिस स्थिति में इसे क्रमश: ओसीआई या इक्विटी में माना जाता है। कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस सीमा तक माना जाता है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिसके लिए कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उन्हें इस सीमा तक कम किया जाता है कि यह अब संभव नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिससे आस्थगित कर परिसंपत्तियों के सभी या हिस्से का उपयोग किया जा सके।

XV. विदेशी मुद्रा लेनदेन और विनिमय

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को प्रारंभ में कंक्शनल करेंसी स्पॉट विनिमय दरों पर उस तिथि पर दर्ज किया जाता है, जिस तिथि को लेनदेन पहली बार मान्यता के लिए पात्रता हासिल करता है।

विदेशी मुद्राओं के मूल्य वर्ग में मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक करेंसी का विनिमय स्पॉट पर किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या विनिमय से होने वाले अंतर को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, जिसमें यह उत्पन्न होता है।

विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग में गैर-मौद्रिक आइटम, जिन्हें ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मूल्यांकित किया जाता है, उन्हें लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मूल्यांकित गैर-मौद्रिक वस्तुओं को उचित मूल्य निर्धारित होने की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके रूपांतरित किया जाता है। उचित मूल्य पर मूल्यांकित गैर-मौद्रिक वस्तुओं के रूपांतरण पर होने वाले लाभ या हानि को आइटम के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ या हानि के अनुरूप माना जाता है (यानी, उन वस्तुओं पर रूपांतर अंतर जिनके उचित मूल्य लाभ या हानि को ओसीआई या लाभ या हानि में माना जाता है, उन्हें भी क्रमश: ओसीआई या लाभ या हानि में दर्शाया जाता है)।

विदेशी मुद्रा में प्राप्त या भुगतान किए गए अग्रिम के मामले में संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या उसके भाग) की प्रारंभिक पहचान पर उपयोग किए जाने वाले विनिमय दर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए लेनदेन की तिथि वह होती है, जब कंपनी अग्रिम के भुगतान या प्राप्ति से उत्पन्न होने वाली गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर-मौद्रिक देयता को प्रारंभिक रूप से मानती है ।

XVI. प्रति शेयर आय

मूल ईपीएस की गणना कंपनी के साधारण इक्विटी धारकों को वर्ष के लिए होने वाले लाभ/हानि को वर्ष के दौरान बकाया साधारण शेयरों के वेटेड एवरेज नंबर से विभाजित करके की जाती है।

डाइल्युटेड ईपीएस की गणना मूल कंपनी के साधारण इक्विटी धारकों को होने वाले लाभ/हानि को वर्ष के दौरान बकाया साधारण शेयरों के प्रभारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, साथ ही साधारण शेयरों के प्रभारित

औसत संख्या को भी विभाजित किया जाता है, जो सभी डाइल्युट होने वाले साधारण शेयरों को साधारण शेयरों में परिवर्तित करने पर जारी की जाएगी।

XVII. **कैश फ्लो विवरण**

कैश फ्लो विवरण इंड एएस 7- कैश फ्लो विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

XVIII. उत्पादों की खरीद

उत्पाद की खरीद के मामले में, खरीद का दायित्व तभी दर्ज किया जाता है, जब उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण में पास हो जाता है और ऐसी खरीद के संबंध में सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं।

XIX. **पट्टे**

ए. पट्टेदार के रूप में कंपनी:

तीसरे पक्ष के साथ अनुबंध, जो कंपनी को किसी परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार देता है, का लेखांकन भारतीय लेखा मानक 116 – "पट्टे" के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है, बशर्ते लेखांकन मानक में निर्दिष्ट मान्य मानदंडों को पूरा किया गया हो।

अल्पावधि पट्टे (बारह महीने या उससे कम अवधि) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टे से संबंधित पट्टा भुगतान, पट्टा अवधि या अन्य व्यवस्थित आधार पर, जैसा भी लागू हो, स्ट्रेट लाइन के आधार पर व्यय के रूप में प्रभारित किए जाते हैं।

प्रारंभ होने की तिथि पर, "उपयोग के अधिकार" का मूल्य बकाया पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के साथ-साथ अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने और विघटित करने की किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अनुमानित लागत (यदि कोई हो) को जोड़कर पूंजीकृत किया जाता है।

पट्टे के लिए देयता बकाया पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि के लिए बनाई जाती है। बाद में किसी प्रकार का मूल्यांकन करने के लिए लागत मॉडल का उपयोग किया जाता है।

प्रत्येक पट्टा भुगतान सृजित देयता और वित्तीय लागत के बीच आवंटित किया जाता है। वित्तीय लागत को पट्टा अवधि के लाभ-हानि विवरण में इस प्रकार दर्ज किया जाता है कि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष पर एक स्थिर आवधिक ब्याज दर प्राप्त हो।

परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि में से जो भी कम हो, उस पर स्ट्रेट लाइम के आधार पर किया जाता है।

पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में छूट दी जाती है, बशर्ते वह दर निर्धारित की जा सके, या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जा सके।

यदि मानक में निर्दिष्ट मान्य मानदंड पूरे होते हैं तो पट्टें संबंधी संशोधनों को, यदि कोई हो, एक अलग पट्टे के रूप में गणना की जाएगी

बी. पट्टादाता के रूप में कंपनीरू

पट्टों को भारतीय लेखा मानक 116 – पट्टों में निर्दिष्ट मान्य मानदंडों के आधार पर वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

i. वित्त पट्टा

आरंभ होनो की तिथि पर, "पट्टे में शुद्ध निवेश" के बराबर राशि प्राप्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है। "पट्टे में शुद्ध निवेश" के मूल्यांकन के लिए अंतर्निहित ब्याज दर का उपयोग किया जाता है।

प्रत्येक पट्टे के भुगतान को सृजित प्राप्य और वित्तीय आय के बीच आवंटित किया जाता है। वित्तीय आय को पट्टे की अवधि के लाभ-हानि विवरण में इस प्रकार दर्शाया जाता है कि पट्टे में शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की एक स्थिर आवधिक दर परिलक्षित हो।

परिसंपत्ति का परीक्षण भारतीय लेखा मानक 109-वित्तीय उपकरण के अनुसार डी-रिकाग्निशन और क्षति आवश्यकताओं के लिए किया जाता है।

यदि मानक में निर्दिष्ट मान्य मानदंड पूरे होते हैं, तो पट्टे संबंधी संशोधनों को, यदि कोई हो, एक अलग पट्टे के रूप में गणना की जाएगी।

ii. संचालन पट्टा

कंपनी, यदि आवश्यक हो तो, परिचालन पट्टों से प्राप्त पट्टा भुगतान को या तो स्ट्रेट लाइन के आधार पर या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

यदि मानक में निर्दिष्ट मान्य मानदंड पूरे होते हैं, तो पट्टा संबंधी संशोधनों को, यदि कोई हो, एक अलग पट्टे के रूप में गणना की जाएगी।

किसी पट्टे को आरंभिक तिथि पर वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

XX. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 1/2/2014-सीएल-वी दिनांक 23.02.2018 के माध्यम से रक्षा उत्पादन में लगी सरकारी कंपनियों को इंड-एएस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट के उपयोग की सीमा तक छूट दी है।
कंपनी इंड एएस नियमों के अनुलग्नक के भाग ए में निर्धारण के अनुसार, इंड एएस, जो कि निर्दिष्ट हैं, कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। हालाँकि, यदि कानून में बाद के संशोधनों के कारण, कोई विशेष इंड एएस को कानून के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो उक्त कानून के प्रावधान लागू होंगे और वित्तीय विवरण ऐसे कानून के अनुरूप तैयार किए जाने चाहिए।

इस प्रकार सेगमेंट संबंधी जानकारी का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

XXI. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजित की जाने वाली घटनाएँ ऐसी घटनाएँ हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान स्थितियों का और अधिक साक्ष्य प्रदान करती हैं। इश्यू के लिए प्राधिकृत करने से पहले, वित्तीय विवरणों को ऐसी घटनाओं में समायोजित किया जाता है। समायोजित न की जाने वाली घटनाएँ ऐसी घटनाएँ हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद उत्पन्न स्थितियों का संकेत देती हैं। रिपोर्टिंग तिथि के बाद समायोजित न की जाने वाली घटनाओं का हिसाब नहीं रखा जाता बल्कि उन्हें प्रकट किया जाता है।

XXII. अपवाद स्वरूप मद

आय या व्यय का वह मद जिसके आकार, प्रकार या घटना के कारण कंपनी के निष्पादन के तालमेल में सुधार करने के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, उसे अपवाद स्वरूप मद माना जाता है तथा उसका प्रकटीकरण लेखा टिप्पणियों में किया जाता है ।

XXIII. हाल की घोषणाएँ

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रलय ("एमसीए") समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एमसीए ने कंपनी पर लागू किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

नोट सं. 5

जटिल लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता का प्रमुख स्रोत

कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण को तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है, जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और संलग्न प्रकटीकरण तथा आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं, जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता होती है। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं, जिन्हें परिस्थितियों के अंतर्गत उचित और विवेकपूर्ण माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान और आधारभूत मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में माने जाते हैं, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य में प्रभावित होने वाली किसी भी अवधि में माने जाते हैं। निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय और आकलन वे हैं जो कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा

किए गए हैं और जिनका वित्तीय विवरणों में दर्शायी गयी राशि और/या आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोतों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रेनीत राशि में महत्वपूर्ण समायोजन होने का गंभीर जोखिम हो सकता है।

I. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल कई कारकों पर आधारित होता है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव और परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के कैश फ्लो को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव के स्तर पर व्यय शामिल होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कंपनी के परिसंपत्ति आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दर्शाते हैं। ऐसी परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और उसके अवशिष्ट मूल्य के आधार पर निकाला जाता है।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करती है।

II. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि, विशेष रूप से अपेक्षित बाजार परिदृश्य तथा संयंत्रें से जुड़े भावी कैश फ्लो के बारे में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन वसूली योग्य राशि के मूल्यांकन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

III. बिक्री हेतु निर्धारित परिसंपत्तियाँ

इंड एस 105 – 'बिक्री के लिए निर्धारित निवर्तमान परिसंपत्तियां और बंद किए गए संचालन' के अंतर्गत बिक्री निर्धारित परिसंपत्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रयोज्यता का आकलन करने में प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए संपत्ति की उपलब्धता, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के भीतर बिक्री की संभावना का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूली जाएगी न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से।

IV. वित्तीय इंस्ट्रूमेंटस् का उचित मूल्यांकन

जब बैलेंस शीट में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उधृगत कीमतों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, तो मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके उनका उचित मूल्यांकन किया जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहाँ संभव हो, वहाँ दृष्टिगोचर होने वाले बाजार से लिए जाते हैं, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, वहाँ उचित मूल्य निर्धारित करने में कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट के घटक शामिल होते हैं। इन कारकों से संबंधित पूर्वानुमानों में परिवर्तन से वित्तीय इंस्ट्रूमेटस के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।

V. आयकर

वर्तमान और आस्थगित कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल होते हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतानध्वसूली जाने वाली अपेक्षित राशि भी शामिल होती है।

VI. इन्वेंटरी

इन्वेंटरी प्रावधान को उन मामलों के लिए दर्शाया जाता है, जहां प्राप्त मूल्य इन्वेंटरी वहन मूल्य से कम होने का अनुमान होता है। इन्वेंटरी प्रावधान का अनुमान विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है, जिनमें इन्वेंटरी आइटम की मौजूदा बिक्री कीमतें, आइटम की बिक्री प्रोफाइल की समयानुकूलता और समाप्तध्स्लो मूविंग इन्वेंटरी आइटम से जुड़े नुकसान शामिल होते हैं।

VII. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

हानि तब होती है जब किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है, जो उसके उचित मूल्य में से डिस्पोजल की लागत और उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, होती है। उचित मूल्य में से डिस्पोजल की लागत की गणना, समान परिसंपत्तियों के लिए निष्पक्ष रुप से संपादित

किए गए बाध्यकारी बिक्री लेनदेन से उपलब्ध आंकड़ों या परिसंपत्ति के डिस्पोजल के लिए बढ़ती लागतों को घटाकर दृष्टिगोचर होने वाले बाजार मूल्य की जाती है। प्रचलित मूल्य की गणना डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है। कैश फ्लो अगले पांच वर्षों के बजट से प्राप्त होते हैं और इसमें नवीनीकरण की गतिविधियाँ शामिल नहीं होती हैं जो कंपनी अभी तक करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है या भविष्य के महत्वपूर्ण निवेश जो कि परीक्षण किए जा रहे सीजीयू की परिसंपत्ति के कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे। रिकवर योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह और बाह्य गणन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली विकास दर के प्रति संवेदनशील होती है।

VIII. प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन इंड एएस 37-'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभाव्यता के मूल्यांकन के लिए मुमकिन नुकसान के जोखिम की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अप्रत्याशित घटनाक्रमों के बाद यदि परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो यह संभावना बदल सकती है।

व्यवसाय के सामान्य क्रम में, कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देनदारियां आ सकती हैं। वित्तीय विवरण में इसके लिए समुचित प्रकटीकरण किया गया है।

कुछ दायित्व ऐसे हैं, जिनके बारे में प्रबंधन ने सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि भुगतान की संभावना नहीं है या उन्हें विश्वसनीय रूप से निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, और ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना जाता है और नोटस् में प्रकट किया जाता है, लेकिन वित्तीय विवरण में देनदारियों के रूप में नहीं दर्शाया जाता है। हालाँकि, कंपनी जिस कानूनी कार्यवाही में शामिल है, उसके अंतिम परिणाम के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है लेकिन यह उम्मीद नहीं की जाती है कि ऐसी आकस्मिकताओं का इसकी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

IX. संयुक्त उपक्रम की कंपनियों में निवेश का हानि परीक्षण

संयुक्त उद्यम की कंपनियों में निवेश की वसूली योग्य राशि, विशेष रूप से निवेशित कंपनी के संचालन से जुड़े भविष्य के कैश फ्लो के बारे में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित होती है। इन मान्यताओं में कोई भी बदलाव वसूली योग्य राशि के निर्धारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

समेकित वित्तीय स्टेटमेंट के लिए नोट

नोट 6: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

करोड़ रु. में

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	लीजहोल्ड भूमि (नोट 32बी देखें)	भवन	संयंत्र और मशीनरी	फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	वाहन	कंप्यूटर, सर्वर और नेटवर्क	कुल	CWIP
सकल वहन राशि										
31 मार्च, 2023 तक	32.04	(₹ 3/-)	384.70	1,648.76	1.31	3.30	7.64	3.67	2,081.42	270.89
समायोजन	–	–	-3.50	5.66	0.28	-2.45	–	0.01	0.00	
वृद्धि	–	–	43.79	58.51	1.20	0.06	0.05	2.61	106.22	21.73
सक्रिय उपयोग हेतु अनुपयोगी परिसंपत्तियाँ	–	–	0.01	7.20	–	–	0.02	–	7.23	–
पुनर्कथन के कारण परिवर्तन	–	–	0.41	3.53	–	–	0.02	-0.01	3.95	
कटौतियाँ	–	–	0.01	1.20	–	0.02	0.09	0.08	1.40	84.33
31 मार्च, 2024 तक	32.04	(₹ 3/-)	425.38	1,708.06	2.79	0.89	7.60	6.20	2,182.96	208.29
वृद्धि			49.64	99.38	1.88	0.61	1.68	3.88	157.07	84.55
सक्रिय प्रयोग हेतु अनुपयोगी परिसंपत्तियाँ			–	1.60	0.04	–	0.06	–	1.70	
कटौतियाँ			27.35	0.01	–	–	0.06	0.01	27.43	118.27
31 मार्च, 2025 तक	32.04	(₹ 3/-)	447.67	1,805.83	4.63	1.50	9.16	10.07	2,310.90	174.57
संचित मूल्यह्रास और क्षति										
31 मार्च, 2023 तक	–	–	12.88	180.33	0.17	0.28	2.32	0.55	196.53	
समायोजन	–	–	–	0.17	0.01	-0.19	–	–	-0.01	–
वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यह्रास			9.20	120.94	0.52	0.09	1.28	1.05	133.08	–
सक्रिय उपयोग हेतु अनुपयोगी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास			–	0.65	–	–	–	–	0.65	–
पुनर्कथन के कारण परिवर्तन	–	–	0.02	0.98	–	–	–	–	1.00	–
कटौतियाँ			0.04	1.02	–	–	–	–	1.06	–
31 मार्च, 2024 तक	–	–	22.06	300.75	0.70	0.18	3.60	1.60	328.89	–
वर्ष 2024-25 के लिए मूल्यह्रास			9.37	123.15	0.37	0.49	1.19	1.43	136.00	–
वर्ष 2024-25 के लिए मूल्यह्रास				0.66					0.66	
सक्रिय उपयोग हेतु अनुपयोगी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास			–	1.02	0.04	–	0.06	–	1.12	–
कटौतियाँ			1.10	–	–	–	0.04	–	1.14	–
31 मार्च, 2025 तक	–	–	30.33	423.54	1.03	0.67	4.69	3.03	463.29	–
शुद्ध वहन राशि										
31 मार्च, 2025 तक	32.04	(₹ 3/-)	417.34	1,382.29	3.60	0.83	4.47	7.04	1,847.61	174.57
31 मार्च, 2024 तक	32.04	(₹ 3/-)	403.32	1,407.31	2.09	0.71	4.00	4.60	1,854.07	208.29

नोट:

अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं (डन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और जहां पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैंऋ।

कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्ति का विवरण निम्नलिखित है

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	संपत्ति का सकल मूल्य	विलेख धारक का नाम	विलेख धारक के साथ संबंध	संपत्ति धारण की अवधि	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	मुद्र भूमि	32.04	रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रलय के अधीन आयुध निर्माणी बोर्ड (टोएफबी)	प्रमोटर	42 माह	दिनांक 1 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना संख्या "CG-DL-E-1102021&230101" के संदर्भ में, ओएफबी की सभी अचल संपत्तियाँ नवगठित डीपीएसयू को हस्तांतरित कर दी गई हैं, जिनमें एडब्ल्यूईआईएल भी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
	पट्टा भूमि	(₹ 3/-)				

पट्टा-भूमि पर स्थित भवन का मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है, न कि प्राथमिक पट्टा अवधि पर, क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि पट्टे का नवीनीकरण आपसी सहमति से किया जाएगा।

संविदात्मक प्रतिबद्धताएँ

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण के लिए नोट 26 देखें

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर कोई शुल्क या ग्रहणाधिकार नहीं है

कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है और इसलिए यह खुलासा करना आवश्यक नहीं है कि क्या पुनर्मूल्यांकन पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है, जैसा कि कंपनी द्धपंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है

समेकित वित्तीय स्टेटमेंट के लिए नोट

जारी पूंजीगत कार्य की काल-निर्धारण अनुसूची

31 मार्च, 2025 तक

जारी पूंजीगत कार्य	अवधि के लिए जारी पूंजीगत कार्य की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
जारी परियोजनाएँ	67.55	1.33	6.62	99.07	174.57
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ					–
कुल	**67.55**	**1.33**	**6.62**	**99.07**	**174.57**

31 मार्च, 2024 तक

जारी पूँजीगत कार्य	अवधि के लिए जारी पूंजीगत कार्य की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ	21.29	48.44	63.71	74.85	208.29
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	–	–	–	–	–
कुल	**21.29**	**48.44**	**63.71**	**74.85**	**208.29**

ऐसी परियोजनाएँ जिनका पूरा होना विलंबित है या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है

जारी पूँजीगत कार्य

31 मार्च, 2025 तक

जारी पूंजीगत कार्य	पूरा किए जाने की अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना 1	–	–	–	–	–
					–
कुल	–	–	–	–	–

31 मार्च, 2025 तक

जारी पूंजीगत कार्य	पूरा किए जाने की अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना 1	–	–	–	–	–
					–
कुल	–	–	–	–	–

बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों का विवरण

विवरण	मार्च, 2025 तक	मार्च, 2024 तक
संयंत्र और मशीनरी	6.82	7.36
कार्यालय उपकरण	0.08	0.03
वाहन	0.05	0.03
कंप्यूटर, सर्वर और नेटवर्क	0.02	0.02
कुल	**6.97**	**7.44**

समेकित वित्तीय स्टेटमेंट के लिए नोट्स

नोट 7: अमूर्त संपत्तियां

करोड़ रु. में

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अनुसंधान एवं विकास	तकनीकी जानकारी	कुल	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ
सकल वहन राशि					
31 मार्च, 2023 तक	0.55	5.26	7.53	13.34	1.80
जोड़े	1.77	0.39		2.16	33.46
घटाएँ	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2024 तक	2.32	5.65	7.53	15.50	35.26
जोड़े	8.12	13.63	2.69	24.44	26.74
घटाएँ				–	10.38
31 मार्च, 2025 तक	10.44	19.28	10.22	39.94	51.62
संचित परिशोधन					
31 मार्च, 2023 तक	0.19	0.53	0.90	1.62	–
वर्ष के लिए परिशोधन	0.23	1.15	0.60	1.98	–
घटाएँ	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2024 तक	0.42	1.68	1.50	3.60	–
वर्ष के लिए परिशोधन	1.37	1.39	1.17	3.93	–
घटाएँ	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2025 तक	1.79	3.07	2.67	7.53	–
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2025 तक	8.65	16.21	7.55	32.41	51.62
31 मार्च, 2024 तक	1.90	3.97	6.03	11.90	35.26

नोट:

1. कंपनी ने अपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है और इसलिए यह खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या पुनर्मूल्यांकन कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अंतर्गत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।

2. विकासोन्मुख काल-निर्धारण अनुसूची के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

31 मार्च, 2025 तक निम्नानुसार है -

जारी पूंजीगत कार्य	अवधि के लिए जारी पूंजीगत कार्य की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
जारी परियोजनाएँ	22.88	21.49		7.24	51.61
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	–	–	–	–	–
कुल	22.88	21.49	–	7.24	51.61

31 मार्च, 2024 तक निम्नानुसार है -

जारी पूँजीगत कार्य	अवधि के लिए जारी पूंजीगत कार्य की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
जारी परियोजनाएँ	33.46	0.77	1.02	–	35.25
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	–	–	–	–	–
कुल	33.46	0.77	1.02	–	35.25

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट

नोट 8: वित्तीय परिसंपत्तियाँ

8 (ए) निवेश

करोड़ रु. में

विवरण	अंकित मूल्य प्रति शेयर (रु. में)	शेयरों की सं. 31 मार्च, 2025 तक	शेयरों की सं. 31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
निवर्तमान निवेश					
(ए) इक्विटी शेयरों में निवेश (पूर्णत: चुकता)					
संयुक्त उद्यम – लागत पर मूल्यांकन उद्धृत नहीं)					
इंडो रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड	100	425,000	425,000	15.54	8.87
संचार (रक्षा) परीक्षण प्रतिष्ठान	1000	10,452	–	1.05	–
कुल निवेश				16.59	8.87
उद्धृत निवेश की कुल राशि				–	–
अउद्धृत निवेश की कुल राशि				16.59	8.87
अउद्धृत निवेश की राशि में क्षति				–	–

8 (बी) व्यापारिक प्राप्य_चालू

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
असुरक्षित, अच्छा माना गया	1539.56	1219.09
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	–	–
क्रेडिट क्षति	–	–
कुल व्यापार से प्राप्य	**1539.56**	**1219.09**

नोट:

1) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई भी व्यापारिक प्राप्य राशि अलग-अलग या किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय नहीं है, न ही ऐसी फर्मों या निजी कंपनियों से कोई व्यापारिक प्राप्य राशि देय है जिनमें कोई निदेशक निदेशक, भागीदार या सदस्य है।

2) व्यापारिक प्राप्य राशि ब्याज रहित होती हैं और सामान्यत: 7 से 200 दिनों की अवधि की होती हैं।

3) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी ऋण जोखिम जोखिम वाली वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि का मूल्यांकन और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

ए. सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से प्राप्त कालातीत बकाया राशि को आमतौर पर ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति के ऋण जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है

बी. जहाँ कानूनी कार्यवाही में बकाया राशि पर विवाद होता है, वहाँ कंपनी के विरुद्ध कोई निर्णय दिए जाने पर प्रावधान किया जाता है, भले ही उस पर उच्च प्राधिकारियों/न्यायालय में अपील की गई हो

सी. लंबे समय से बकाया राशि की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक मामले के आधार पर प्रावधान किया जाता है

भुगतान की नियत तिथि से व्यापार से प्राप्य राशि का काल-निर्धारण निम्नानुसार है -

करोड़ रु. में

विवरण	बिल रहित	अदेय	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	949.69	133.72	234.10	150.78	71.27	1,539.56
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	–	–	–	–	–	–	–	–
अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	–	–	949.69	133.72	234.10	150.78	71.27	1,539.56

भुगतान की नियत तिथि से व्यापार से प्राप्य राशि का काल-निर्धारण निम्नानुसार है -

करोड़ रु. में

विवरण	बिल रहित	अदेय	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	837.07	132.47	193.69	49.99	5.87	1,219.09
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	–	–	–	–	–	–	–	–
अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	–	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	–	–	837.07	132.47	193.69	49.99	5.87	1,219.09

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट

8 (सी) ऋण

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(असुरक्षित, अन्यथा बता, जाने तक अच्छा माना गया		
निवर्तमान	–	–
	–	–
चालू		
ऋण		
– कर्मचारियों को	1.32	2.83
	1.32	**2.83**
कुल ऋण	**1.32**	**2.83**

नोट:

1. निदेशकों या किसी फर्म/कंपनी, जिसमें निदेशक की रुचि हो, से कोई ऋण देय नहीं है।

2. प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित) को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया जाता है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए बिना चुकाने योग्य हो।

8 (डी) नकद और नकद के सममूल्य

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
हाथ में नकदी	–	(15,750/-)
बैंकों में शेष राशि		
चालू खातों में	0.64	11.28
बैंक में जमा राशि जिसकी परिपक्वता अवधि 3 महीने से कम है	260.13	598.82
कुल नकद और नकद के सममूल्य	**260.77**	**610.10**

8 (ई) अन्य बैंक बैलेंस

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
बैंक में 3 महीने से अधिक और 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशि*	1,116.40	718.29
कुल अन्य बैंक शेष	**1,116.40**	**718.29**

* इसमें एलसी सुविधा हेतु बैंक के पास ग्रहणाधिकार के अंतर्गत ₹78.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹100 करोड़) की सावधि जमा राशि शामिल है

* कंपनी को ₹150 करोड़ की ओवरड्राफ्ट सीमा स्वीकृत की गई है। इस सुविधा के लिए ₹170 करोड़ का एफडीआर ग्रहणाधिकार के अंतर्गत है

8 (एफ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(असुरक्षित, अन्यथा बताए जाने तक अच्छा माना गया		
निवर्तमान		
सुरक्षा जमा	22.51	26.51
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा*	86.93	100.87
	109.44	**127.38**
चालू		
सुरक्षा जमा	6.19	1.36
अर्जित ब्याज	27.90	7.68
अन्य प्राप्य	**0.55**	**20.05**
	34.64	**29.09**
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**144.08**	**156.47**

** एलसी सुविधा के लिए सुरक्षा के रूप में बैंक के पास ग्रहणाधिकार के अंतर्गत/ ₹86.92 करोड़ की ईएमडी पर निर्धारित (पिछले वर्ष ₹ 102.87 करोड़)/'

8 (जी) श्रेणीवार वित्तीय साधन

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक				
	लागत	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (FVTOCI)	परिशोधित लागत	कुल
निवेश	16.59	–	–	–	**16.59**
व्यापार से प्राप्य	–	–	–	1,539.56	**1,539.56**
ऋण	–	–	–	1.32	**1.32**
नकद और नकद सममूल्य	–	–	–	260.77	**260.77**
अन्य बैंक शेष	–	–	–	1,116.40	**1,116.40**
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	–	–	–	144.08	**144.08**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**16.59**	–	–	**3,062.13**	**3,078.72**

विवरण	31 मार्च, 2024 तक				
	लागत	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (FVTOCI)	परिशोधित लागत	कुल
निवेश	8.87	–	–	–	**8.87**
व्यापार से प्राप्य	–	–	–	1,219.09	**1,219.09**
ऋण	–	–	–	2.83	**2.83**
नकद और नकद समतुल्य	–	–	–	610.10	**610.10**
अन्य बैंक शेष	–	–	–	718.29	**718.29**
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	–	–	–	156.47	**156.47**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**8.87**	–	–	**2,706.78**	**2,715.65**

नोट 9: अन्य परिसंपत्तियां

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(असुरक्षित, अन्यथा बताए जाने तक अच्छा माना गया		
निवर्तमान		
पूंजीगत अग्रिम	51.66	3.00
अन्य निवर्तमान परिसंपत्तियाँ	–	–
	51.66	**3.00**
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	115.45	49.38
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष (नीचे नोट (i) देखें)	109.68	62.51
कर्मचारियों को अग्रिम	**5.30**	**5.22**
अन्य चालू परिसंपत्तियां	**13.51**	**1.72**
	243.94	**118.83**
कुल (ए) + (बी)	**295.60**	**121.83**

नोट:

(i) सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष राशि में मुख्य रूप से उपलब्ध इनपुट क्रेडिट शामिल है

(ii) कंपनी के निदेशकों या प्रमोटरों से अलग-अलग या किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई अग्रिम राशि बकाया नहीं है

(iii) अन्य चालू परिसंपत्तियों में कंपनी के औद्योगिक कैंटीन के बैंक खातों में जमा राशि से संबंधित 0.26 करोड़ रुपये शामिल हैं

नोट 10रू इन्वेंटरी (लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो)

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कच्चा माल और घटक (नीचे नोट 1 देखें)	1,574.76	1,126.28
परिवहन में कच्चा माल	–	–
जारी कार्य	1,222.95	1,283.85
तैयार माल	133.05	232.05
स्क्रैप	16.50	17.13
कुल	**2,947.26**	**2,659.31**

नोट:

1) कंपनी के ₹236.30 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹125.39 करोड़) के कच्चे माल और कंपोनेन्ट में अंतर-इकाई पारगमन शामिल है।

2) इन्वेंटरी के राइट डाउन का लेखा-जोखा, इन्वेंटरी का स्वरुप, एजिंग और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष तक ऐसे राइट डाउन का मूल्य ₹175.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹58.55 करोड़) है। ऐसे राइट डाउन का प्रभाव लाभ-हानि विवरण के माध्यम से दर्शाया जाता है।

नोट 11: इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रु. में	शेयरों की संख्या	करोड़ रु. में
प्रधिकृत शेयर पूंजी ₹10 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर	20,500,000,000	20,500.00	20,500,000,000	20,500.00
निर्गत, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी ₹10 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर	17,860,790,000	17,860.79	17,531,530,000	17,531.53
कुल	**17,860,790,000**	**17,860.79**	**17,531,530,000**	**17,531.53**

11.1. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों का समाधान:

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रु. में	शेयरों की संख्या	करोड़ रु. में
अवधि की शुरुआत में	17,531,530,000	17,531.53	17,123,910,000	17,123.91
जोड़ें: नकद में शेयर पूंजी का निर्गम	329,260,000	329.26	407,620,000	407.62
जोड़ें: गैर-नकद शेयर पूंजी का निर्गम (नोट 10.2 देखें)		–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया	17,860,790,000	17,860.79	17,531,530,000	17,531.53

11.2. इक्विटी शेयरों का निर्गम

कंपनी ने दिनांक 09.01.2025 को भारत सरकार को ₹10/- मूल्य के 32,92,60,000 शेयर जारी किए हैं, जिनका पूर्ण भुगतान ₹3,29,26,00,000 है।

भारत के महामहिम राष्ट्रपति और कंपनी के बीच 29 सितंबर, 2021 को हुए समझौता ज्ञापन के आधार पर रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रलय के अधीन आयुध निर्माणी बोर्ड की गतिविधियों को परिसंपत्तियों और देनदारियों सहित, नियत तिथि अर्थात 01 अक्टूबर, 2021 से कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। देय प्रतिफल कंपनी को हस्तांतरित शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आधार पर, कंपनी द्वारा भारत सरकार को जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के रूप में सहमति बनी थी। शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आधार पर कंपनी ने भारत सरकार को ₹10/- प्रत्येक के 16,22,06,70,000 शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए जारी किए हैं, जिनकी राशि ₹16,220.67 करोड़ है। जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशि और कंपनी को अंतरित शुद्ध परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बीच के अंतर को आरक्षित पूंजी में अंतरित कर दिया गया है।

11.3. इक्विटी शेयर से संबद्ध अधिकार, प्राथमिकताएँ और सीमाएँ:

कंपनी के पास प्रति शेयर 10 रु. मूल्य वर्ग के शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक एक धारित शेयर के एवज में एक वोट के लिए अधिकृत है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित अंतिम लाभांश वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। लिक्विडेशन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक, धारित शेयर के अनुपात में अधिमान्य राशि के संवितरण के उपरांत कंपनी की शेष परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं।

11.4. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास शेयरों की संख्या

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भारत सरकार (नामित व्यक्तियों सहित)	17,860,790,000	100.00	17,531,530,000	100.00

11.5. प्रमोटरों की शेयरधारिता

प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भारत सरकार (नामित व्यक्तियों सहित)	17,860,790,000	100.00	17,531,530,000	100.00

11.6. विकल्प और अनुबंध के अंतर्गत जारी किए जाने हेतु आरक्षित शेयर:

शून्य

11.7. पूँजी प्रबंधन का उद्देश्य, नीति एवं प्रक्रिया:

नोट 35 देखें।

नोट 12: अन्य इक्विटी

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आरक्षित पूँजी		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	4.25	4.25
वर्ष के अंत में शेष राशि	**4.25**	**4.25**
व्यावसायिक पुनर्गठन पर आरक्षित पूँजी		
पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार शेष राशि	-16,220.67	-16,220.67
वर्ष के दौरान सृजित	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि (नोट 10.2 देखें)	**-16,220.67**	**-16,220.67**
शेयर आवेदन, जिसके आवंटन में राशि लंबित है		
पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार शेष राशि	-	182.62
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों के लिए उपयोग	-	-182.62
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन राहत कोष		
पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार शेष राशि	-	-
जोड़ें: अन्य चालू देनदारियों से पुनर्वर्गीकरण	37.75	
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-9.40	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**28.35**	**-**
प्रतिधारित आय		
पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार शेष राशि	3,076.43	3,056.14
जोड़ें: आरंभिक क्ज।ध्क्ज्स का समायोजन	348.08	
जोड़ें: पूर्व अवधि समायोजन (नोट 38 देखें)	-32.57	
पुनर्निर्धारित शेष राशि	**3,391.94**	**3,056.14**
जोड़ें: वर्ष का लाभ	89.39	20.29
वर्ष के अंत में शेष राशि	**3,481.33**	**3,076.43**
इक्विटी के अन्य घटक		
अन्य व्यापक आय से उचित मूल्य (fVOCI)		
पिछले वित्तीय स्टेटमेंट के अनुसार बैलेंस	**-0.02**	**-**
जोड़ें: संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय का शेयर	**0.02**	**-0.02**
वर्ष के अंत में बैलेंस	**-**	**-0.02**
कुल अन्य इक्विटी	**-12706.74**	**-13140.01**

इक्विटी के अंतर्गत प्रत्येक आरक्षित निधि का स्वरूप और उद्देश्य का विवरण इस प्रकार है

ए. आरक्षित पूँजी

आरक्षित पूँजी, संयुक्त उद्यम में निवेश की प्रारंभिक मान्यता पर समायोजन को दर्शाती है।

बी. व्यवसाय पुनर्गठन पर आरक्षित पूँजी

व्यवसाय पुनर्गठन पर आरक्षित पूंजी, जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशि और कंपनी को हस्तांतरित शुद्ध परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बीच के अंतर को दर्शाती है।

सी. नवीकरण एवं प्रतिस्थापन राहत कोष

नवीकरण एवं प्रतिस्थापन कोष भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को दर्शाता है जिसका उपयोग पूंजीगत कार्यों के लिए किया जाता है।

डी. प्रतिधारित आय

(ए) संबंधित इकाइयों की दिनांक 01.10.2021 तक शुद्ध परिसंपत्तियों (परिसंपत्तियों में से देयताएँ घटाकर) का मूल्य को पुनर्गठित किया गया और इसे ओएफबी की निगमीकरण योजना का हिस्सा बनाया गया। इसे पीसीएफए और संबंधित इकाइयों के अनुसार वहन मूल्यों के अंतर के लिए समायोजित किया गया था। ऐसे समायोजनों के मूल्य के परिणामस्वरूप कुल प्रतिधारित आय में 85.34 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष - 85.34 करोड़ रुपये) की कमी आई है।

(बी) भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन के कारण समायोजन

(सी) निगमीकरण के बाद कंपनी का कर पश्चात वार्षिक शुद्ध लाभ/हानि ।

नोट 13: वित्तीय देनदारियाँ

13 (ए) व्यापार देयताएँ

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
चालू		
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	28.01	7.72
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य का कुल बकाया	808.59	321.68
कुल	836.60	329.40

नोट:

(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) की धारा 22 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए दी जाने वाली अपेक्षित जानकारी। यह जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान करने की सीमा तक निर्धारित की गई है।

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज (लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार नियत तिथि के भीतर)		
– सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को देय मूल राशि	28.01	7.72
– उपरोद्र पर देय ब्याज	–	–
(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही अवधि के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	–	–
(iii) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज (जो भुगतान किया गया है लेकिन अवधि के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	–	–
(iv) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त ब्याज की राशि ।	–	–
(v) आगामी वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दी जाती ।	–	–

(ii) व्यापार देयताओं का काल-निर्धारण

31 मार्च, 2025 तक निम्नानुसार है

करोड़ रु. में

विवरण	अदेय	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
		1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	–	21.31	0.86	0.82	5.02	28.01
अन्य	–	714.75	57.77	10.71	21.79	805.02
विवादित बकाया – सूक्ष्म एवं लघु	–	–	–	–	–	–
विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–	–
बिना बिल का बकाया	3.56	–	–	–	–	3.56
कुल	3.56	736.06	58.63	11.53	26.81	836.59

31 मार्च, 20224 तक निम्नानुसार है

करोड़ रु. में

विवरण	अदेय	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
		1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	–	1.38	2.14	1.62	2.54	7.68
अन्य	–	264.73	36.19	10.78	4.22	315.92
विवादित बकाया – सूक्ष्म एवं लघु	–	–	–	0.04	–	0.04
विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–	–
बिना बिल वाला बकाया	5.76	–	–	–	–	5.76
कुल	5.76	266.11	38.33	12.44	6.76	329.40

13 (बी) अन्य वित्तीय देनदारियाँ

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
गैर वर्तमान	–	–
	–	–
वर्तमान		
कर्मचारियों को देय	115.83	119.13
ग्राहकों और अन्य लोगों से सुरक्षा जमा	6.42	10.11
उपार्जित प्रतिबद्ध देयताएँ	19.24	29.78
अन्य	49.25	33.47
	190.74	192.49
कुल	**190.74**	**192.49**

13 (सी) श्रेणीवार वित्तीय देनदारियाँ

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		
	लाभ और हानि (एफबीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	कुल
व्यापार देय	–	836.60	**836.60**
अन्य वित्तीय देयताएँ	–	190.74	**190.74**
कुल वित्तीय देयताएँ	–	1,027.34	**1,027.34**

विवरण	31 मार्च, 2024 तक		
	लाभ और हानि (एफबीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	कुल
व्यापार देय	–	329.40	**329.40**
अन्य वित्तीय देयताएँ	–	192.49	**192.49**
कुल वित्तीय देयताएँ	–	521.89	**521.89**

1. वित्तीय साधनों के जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य और नीतियाँ। (नोट 34 देखें)

2. वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए उचित मूल्य प्रकटीकरण और उचित मूल्य पदानुक्रम। (नोट 33 देखें)

नोट 14: प्रावधान

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
दीर्घकालिक		
दुर्भर अनुबंधों के लिए प्रावधान	516.08	675.88
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	0.13	–
	516.21	**675.88**
अल्पकालिक		
वारंटी के लिए प्रावधान	2.00	10.38
	2.00	**10.38**
कुल	**518.21**	**686.26**

प्रावधानों का संचलन

करोड़ रु. में

विवरण	वारंटी के लिए प्रावधान	दुर्भर अनुबंधों के लिए प्रावधान
31 मार्च, 2023 तक	**10.38**	**764.65**
जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य प्रावधान	2.00	
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–	88.77
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	**2.00**	
31 मार्च, 2024 तक बैलेंस	**10.38**	**675.88**
जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य प्रावधान	2.00	–
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	–	159.80
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	10.38	
31 मार्च, 2025 को बैलेंस	**2.00**	**516.08**

प्रावधानों की प्रकृति और उद्देश्य का विवरण इस प्रकार है।

वारंटी के लिए प्रावधान

कंपनी ने प्रदर्शन गारंटी और बेचे गए माल के प्रतिस्थापन/मरम्मत के लिए वारंटी प्रावधान किया है।

दुर्भर अनुबंधों के लिए प्रावधान

एडब्ल्यूईआईएल के अंतर्गत आने वाली निर्माणियाँ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सेना/नौसेना आदि और सामरिक महत्व के अन्य संगठनों/संस्थानों को सेवाएँ प्रदान कर रहे थे और इन्हें वाणिज्यिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सरकार और राष्ट्रीय निकायों की रक्षा उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था।

उपर्युक्त के कारण, कंपनी ने निगमीकरण के बाद, कई पुराने बिक्री अनुबंधों को आगे बढ़ाया है जो निगमीकरण से पहले के हैं। इनमें से कुछ अनुबंधों को दुर्भर माना गया है, अर्थात आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/उपकरण की उत्पादन लागत अनुबंधित बिक्री मूल्य से अधिक है और तदनुसार, कंपनी ने अपने पिछले वित्तीय विवरण में ऐसे अनुबंधों के लिए प्रावधान किया था, जो दुर्भर अनुबंध थे। ऐसे अनुबंधों के निष्पादन के वर्ष में अनुबंध निष्पादन पर प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है।

इन वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के संबंध में कोई हानि नहीं पाई गई, क्योंकि ये इकाइयां औरध्या पीपीई के विशिष्ट घटक ऐसे अनुबंधों के लिए समर्पित नहीं हैं तथा इनका उपयोग कई उत्पादों के लिए किया जाता है और ऐसे पीपीई का वहन मूल्य इसके वसूले जाने वाले मूल्य से अधिक नहीं है।

नोट 15: अन्य चालू देयताएं

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ग्राहकों से अग्रिम (नीचे नोट 1 देखें)	1,588.11	1,510.11
विधिक बकाया	141.40	105.48
भारत सरकार को देय (नीचे नोट 2 देखें)	17.89	77.66
अन्य देनदारियाँ	69.42	65.24
कुल	**1,816.82**	**1,758.49**

नोट:

1. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम में निर्यात पर अग्रिम शामिल है, जिसके लिए कंपनी द्वारा 1,22,14,522 अमेरिकी डॉलर (लगभग 104.34 करोड़ रुपये) की सममूल्य राशि की कॉर्पोरेट गारंटी जारी की गई है।

2. इसमें भारत सरकार से प्राप्त शून्य रुपये (पिछले वर्ष – 37.75 करोड़ रुपये) की नवीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि का शेष शामिल है। इसे चालू वर्ष के दौरान 'अन्य इक्विटी' के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिसे नोट संख्या 12 में अलग से दर्शाया गया है।

नोट 16: वर्तमान कर परिसंपत्ति/ (देयता)

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कर के लिए प्रावधान	–	-15.17
अग्रिम कर (टीडीएस) (प्रावधान के बाद शुद्ध)	7.14	10.71
शुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्ति/(देयता)	**7.14**	**-4.46**

नोट 17: संचालन से राजस्व

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	2,498.93	2,006.42
सेवाओं की बिक्री	3.75	3.39
अन्य संचालन आय		
स्क्रैप और अधिशेष/अनुपयोगी भंडार का निपटान	28.25	31.92
कुल	**2,530.93**	**2,041.73**

I. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का पृथक्करण

भौगोलिक आधार पर राजस्व

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
घरेलू	2,493.35	2,002.67
निर्यात	37.58	39.06
संचालन से राजस्व	**2,530.93**	**2,041.73**

नोट्स:

(ए) अधिकांश अनुबंधों में निष्पादन दायित्व "एक निश्चित समय पर" पूरा होता है, जिसका निर्धारण ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने पर मुख्य रूप से किया जाता है। इसके लिए विचारित प्रमुख संकेतकों में से अनुबंध की शर्तों के आधार पर ग्राहक को महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल का हस्तांतरण है। जहाँ किसी अनुबंध में कई निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं, वहाँ निष्पादन दायित्व पूरा होने के समय को निर्धारित करने के लिए भारतीय लेखा मानक 115 में निर्दिष्ट मानदंड लागू किए जाते हैं।

(बी) ग्राहक के साथ अनुबंध में सामान्यत: कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है और ग्राहक द्वारा प्राप्त कोई भी अग्रिम भुगतान औरध्या रखी गई राशि, अनुबंध के किसी भी पक्ष को सुरक्षित रखने के इरादे से होती है।

(सी) कंपनी के कारोबार में मुख्य रूप से रक्षा उपकरणों और प्रणालियों की आपूर्ति शामिल है।

(डी) प्रदान की गई वारंटी का स्वरूप मुख्यत: निष्पादन वारंटी जैसा होता है।

(ई) ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों में आमतौर पर वापसी/प्रतिदाय का प्रावधान नहीं होता है।

(एफ) चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष के दौरान कोई भी गैर-नकद राशि न तो प्राप्त की गई और न ही दी गई है।

(जी) कंपनी द्वारा किया गया 37.58 करोड़ रुपये का 'निर्यात', प्रत्यक्ष निर्यात से संबंधित है। 72.71 करोड़ रुपये की बिक्री, जो एक व्यापारिक निर्यात व्यवस्था के अंतर्गत, आगे के निर्यात के लिए बिल और होल्ड आधार पर एक भारतीय पक्ष को की गई बिक्री है, जिसमें कंपनी प्रमुख निर्माता है और इसे घरेलू बिक्री के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है।

II. परिचालन से प्राप्त राजस्व का अनुबंध मूल्य के साथ मिलान

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
अनुबंध मूल्य के अनुसार ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	2,574.37	2,067.17
घटाएँ: अनुबंध मूल्य में निम्नलिखित के कारण किया गया समायोजन		
ए) छूट और रियायतें	–	–
ब) बिक्री से प्राप्त प्रतिफल	43.44	25.44
संचालन से राजस्व	**2,530.93**	**2,041.73**

नोट 18: अन्य आय

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को परिशोधित लागत पर मापा जाता है		
– बैंक से ब्याज	88.08	72.33
– अन्य ब्याज से आय	0.73	0.16
– आयकर रिफंड पर ब्याज	0.49	0.35
लाभांश आय	–	0.42
दुर्भर अनुबंधों के लिए प्रावधान का विपर्यय (इंड एएस नोट 14 देखें)	159.80	88.77
प्रावधान अब आवश्यक नहीं (नेट)	8.38	–
सीमा-शुल्क में त्रुटि	1.16	0.06
विदेशी मुद्रा लाभ	1.25	1.41
किराए से आय	7.56	7.47
लिखित शेष राशि (नीचे नोट 1 देखें)	3.74	178.03
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	1.44	0.70
एनपीएस अंशदान की वापसी पर लाभ (नीचे नोट 2 देखें)	0.10	4.35
परिसमाप्त क्षति से आय	44.18	9.61
विविध आय	9.31	16.06
कुल	**326.22**	**379.22**

नोट:1

जिन क्रेडिट बैलेंस से भविष्य में नकदी का बहिर्वाह अपेक्षित नहीं है, उन्हें पुनरांकित किया गया है।

नोट: 2

डीओपीपीडब्ल्यू आईडी ओएम संख्या 57/05/2021-पी एंड पीडब्लू (बी) दिनांक 03.03.2023 की अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि, उन सभी मामलों में, जहां केंद्र सरकार के असैन्य कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन योजना की अधिसूचना की तारीख यानी 22.12.2003 से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किसी पद या रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया है और 01.04.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है, उसे सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (Vc 2021) के अंतर्गत कवर होने का एकमुश्त विकल्प दिया जा सकता है।

नोट 19 कच्चे माल और घटकों की लागत

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में इन्वेंटरी	1,126.28	1,049.00
जोड़े: वर्ष के दौरान खरीद	1,274.16	1,003.58
	2,400.44	2,052.58
वर्ष के अंत तक इन्वेंटरी	1,574.76	1,126.28
कुल	**825.68**	**926.30**

नोट 20: तैयार माल की सूची और जारी कार्य में परिवर्तन

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अन्त मे इन्वेटरी		
तैयार माल	133.05	232.05
जारी कार्य	1,222.95	1,283.85
स्क्रैप	16.50	17.13
	1,372.50	**1,533.03**
वर्ष के आरम्भ मे उपलब्ध इन्वेटरी		
तैयार माल	232.05	329.88
जारी कार्य	1,283.85	1,013.71
स्क्रैप	17.13	17.01
	1,533.03	**1,360.60**
इन्वेटरी मे वृद्धि/कमी	**160.53**	**-172.43**

नोट: 21 कर्मचारी लाभ पर व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजदूरी	1,256.96	1,175.34
भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान (नोट 28 देखें)	64.79	53.62
कर्मचारी कल्याण और प्रशिक्षण पर व्यय	2.48	2.47
अनुबंध श्रमिक	69.43	56.73
ग्रैच्युटी का प्रावधान	0.02	–
कुल	**1,393.68**	**1,288.16**

नोट 22: वित्त लागत

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
बैंक और अन्य से ब्याज	0.19	1.01
कुल	**0.19**	**1.01**

नोट 22 बी: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास (नोट 5 देखें)	136.03	132.73
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन(नोट 6 देखें)	3.88	1.98
कुल	**139.91**	**134.71**

नोट 23 अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
बैंक प्रभार	0.24	0.04
बिजली, ईंधन और जल शुल्क	87.59	83.16
सुरक्षा शुल्क	74.62	73.59
मरम्मत:		
इमारत	14.01	8.38
अन्य	1.92	11.03
परिवहन शुल्क	9.63	4.40
परिवहन और यात्रा व्यय	10.68	8.60
कमीशन और ब्रोकरेज	9.74	0.45
मुद्रण, स्टेशनरी और संचार	2.75	2.51
दर और कर	1.62	2.37
कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर व्यय	2.82	1.87
बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनी पर व्यय	1.40	0.86
कानूनी, पेशेवर शुल्क	2.32	1.41
बैलेंस रिटेन	2.34	1.40
निरीक्षण और जाँच	7.26	3.61
परिसंपत्तियों की बिक्री से निपटान पर हानि	0.03	0.01
कारपोरेट सामाजिक दायित्व (नोट 36 देखें)	0.26	0.10
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (निम्नलिखित नोट (i) देखें)	0.27	0.30
अनुसंधान और विकास व्यय	5.47	6.48
विविध व्यय	10.15	3.34
दावा तथा प्रतिपूर्ति	2.04	–
पूर्व अवधि के व्यय		
कुल	**247.16**	**213.91**

i) लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का ब्यौरा

करोड़ रु. में

लेखा परीक्षकों को भुगतान	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षक	0.25	0.25
कर के लिए	0.02	0.02
व्यय की प्रतिपूर्ति के लि,	–	0.03
कुल	**0.27**	**0.30**

नोट 24: आयकर

आयकर व्यय का प्रमुख घटक इस प्रकार है-

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
लाभ हानि का विवरण		
-वर्तमान कर	–	14.67
-पिछले वर्ष के लिए कम कर का प्रावधान	-15.17	–
-आस्थगित कर व्यय/(क्रेडिट)	22.43	-5.12
लाभ और हानि के विवरण में आयकर व्यय/(क्रेडिट)	**7.26**	**9.55**
अन्य व्यापक आय का विवरण		
-वर्तमान कर	–	**-0.02**
-आस्थगित कर व्यय/(क्रेडिट)	–	–
ओसीआई में मान्य आयकर व्यय/(क्रेडिट)	–	**-0.02**

घरेलू कर की दर के गुणक से कर व्यय और लेखांकन लाभ का समायोजन:

ए. वर्तमान कर

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
कर से पहले लेखांकन लाभ	96.65	29.84
कर दर	25.168%	25.168%
भारत में अधिनियमित आयकर दर पर कर पूर्व लाभ पर वर्तमान कर व्यय	24.32	7.51
समायोजन		
संयुक्त उद्यम से लाभ का हिस्सा	-1.67	-0.01
छूट प्राप्त आय/कर के लिए उत्तरदायी नहीं	-40.22	-22.34
कर हेतु कटौती न किए जाने योग्य व्ययध्कर अदेयता	41.73	-35.45
अन्य कटौतियां	-55.40	-5.94
अग्रेनीत अनवशोषित मूल्यह्रास	31.24	–
कुल आयकर व्यय/(क्रेडिट)	–	**14.67**
प्रभावी कर की दर	लागू नहीं	49.16%

बी. आस्थगित कर

करोड़ रु. में

विवरण	बैलेंस शीट की अवधि	दिनांक को समाप्त अवधि हेतु लाभ तथा हानि एवं ओसीआई संबंधी स्टेटमेंट	बैलेंस शीट की अवधि	दिनांक को समाप्त अवधि हेतु लाभ तथा हानि एवं ओसीआई संबंधी स्टेटमेंट
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को
कर उद्देश्यों के लिए मूल्यह्रास	439.09	**17.87**	**421.22**	**-27.46**
प्रतिधारित आय में मूल्यह्रास का प्रभाव	-310.59			
प्रतिधारित आय में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनवशोषित मूल्यह्रास का प्रभाव	-36.41			
प्रतिधारित आय में धारा 43 बी के अंतर्गत अस्वीकृति का प्रभाव	-1.08			
वर्ष के लिए अवशोषित मूल्यह्रास का प्रभाव	-35.66	-35.66	–	–
दुर्भर अनुबंध के प्रावधान का प्रभाव	-129.88	40.22	-170.10	22.34
आस्थगित आय व्यय(आय)		**22.43**		**-5.12**
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं (परिसंपत्तियां)	**-74.53**		**251.12**	
बैलेंस शीट में निम्नानुसार दर्शाया गया है				
आस्थगित कर देयताएं	128.50		421.22	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-203.03		-170.10	
आस्थगित परिसंपत्ति/देयताएं (शुद्ध)	**-74.53**		**251.12**	

नोट:

i) कंपनी कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तभी करती है जब उसके पास वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर समायोजन का विधिक अधिकार हो तथा आयकर से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ तथा आस्थगित देनदारियां एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाई गई हों।

कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिए अपने आयकर रिटर्न में संशोधन के लिए आवेदन किया है, जो कि समय सीमा के कारण वर्जित है। यदि आईटीआर में संशोधन की अनुमति दी जाती है, तो 502.56 करोड़ रुपये का अवशोषित मूल्यह्रास आगे ले जाया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप कंपनी की आस्थगित कर परिसंपत्ति में 126.48 करोड़ की वृद्धि होगी। हालाकि, आज की तिथि तक, निर्धारण वर्ष 2022-23 के संबंध में दायर आवेदन सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित है, जबकि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन अस्वीकृत है। तदनुसार, कंपंनी ने विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए 126.48 करोड़ रुपये के डीटीए को मान्यता नहीं दी है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देयताओं) का समायोजन, शुद्ध

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आदि शेष	251.12	256.24
अनुसंधान और विकास मद में वर्ष के दौरान मान्य आस्थगित कर देयता		–
वर्ष के दौरान मान्य प्रतिधारित आय में आस्थगित कर से आय (वयय)	-348.08	
लाभ या हानि के मद में निर्धारित अवधि के दौरान आस्थगित कर से आय/(वयय)।	22.43	-5.12
अवधि के दौरान ओसीआई में मान्य आस्थगित कर से आय/(वयय)।		–
अंत शेष	**-74.53**	**251.12**

नोट 25: आकस्मिक देयताएं

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया		
(i) कंपनी पर किए गए दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	122.91	33.68
(ii) प्रदत्त गारंटी	0.02	–
(iii) उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के संबंध में विवादित मांगें	1.68	3.54

नोट:

ए. कंपनी के लिए उपर्युक्त लंबित समाधान के संबंध में नकदी बहिर्वाह के समय का अनुमान लगा पाना व्यावहारिक नहीं है।

बी. कंपनी उपरोक्त आकस्मिक देनदारियों के संबंध में किसी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा नहीं करती है।

सी. कंपनी का मानना है कि इन कार्यवाहियों परिणामस्वरुप कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट 26: पूंजीगत प्रतिबद्धता और अन्य प्रतिबद्धताएं

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(ए) पूंजी प्रतिबद्धताएँ पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों का शुद्ध)	60.94	2.99
(बी) अन्य प्रतिबद्धताएँ	–	–

नोट 27: विदेशी मुद्रा के लिए जोखिम प्रबंधन न किया जाना

जोखिम का स्वरुप	मुद्रा	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
		FC In Mn	करोड़ ₹ में	FC In Mn	करोड़ ₹ में
ऋणदाताओं को देय	यूएसडी	–	–	0.05	4.87
	यूरो	75.07	6.53		
	एसईके				

नोट 28: कर्मचारी लाभ के अनुसार प्रकटीकरण

ए. परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

₹ 64.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹53.61 करोड़) की राशि को व्यय के रूप में माना गया है, जिसे नोट संख्या 21 "कर्मचारी लाभ पर व्यय" में शामिल किया गया है।

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
(i) राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान [नोट (क)]	64.79	53.62
योग	**64.79**	**53.62**

नोट:

(ए) कंपनी के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से लाभ मिलता है, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है। पात्र कर्मचारी के साथ-साथ कंपनी का अंशदान नई पेंशन योजना में मासिक अंशदान के रूप में जाता है, जो कि कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर होता है। इस योजना के अंतर्गत एकत्रित राशि सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में जमा की जाती है। ऐसे अंशदान को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में दर्ज किया जाता है और जब वे लाभ और हानि के विवरण में देय होते हैं, तो उन्हें कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी के पास अपने अंशदान के अलावा कोई अन्य दायित्व नहीं है।

(बी) कंपनी के कर्मचारियों को भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 (5)/2021/ओएफ/डीपी (-वी)/02 दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के माध्यम से नियत तिथि अर्थात 01 अक्टूबर 2021 से दो साल के लिए नियोजन की नियम और शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है और भारत सरकार द्वारा नियोजन के नियमों और शर्तों के अनुसार उनके पेंशन देनदारियाँ का भुगतान वर्ष के दौरान किया जाता है। उपर्युक्त मानद प्रतिनियुक्ति (डीम्ड डेपुटेशन) की अवधि को पूर्व में जारी नियम और शर्तों के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

नोट -29 संबंधित पक्ष लेनदेन

"संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" (इंड एएस 24) पर भारतीय लेखा मानक के अनुसार, कंपनी से संबंधित पक्षकार निम्नानुसार हैं -

(ए) संबंधित पार्टियों के नाम और संबंध का स्वरूप:

(I)	**संयुक्त उद्यम**	
1	इंडो रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड	
(II)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिक**	
1	श्री अखिलेश कुमार मौर्य	निदेशक (14 अगस्त 2021 से)
2	श्री जय गोपाल महाजन	निदेशक (वित्त सह सीएफओ) (30 अक्टूबर 2024 से)
3	डॉ. गरिमा भगत	सरकार द्वारा नामित निदेशक (10 दिसंबर 2024 से)
4	श्री राजेश गंगाधर चौधरी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (14 अगस्त 2021 से 15 दिसम्बर 2024)
5	श्री शंभू नाथ जसरा	सरकार द्वारा नामित निदेशक (10 अक्टूबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक)
6	श्री जयंत कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक (27 फरवरी 2023 से 10 अक्टूबर 2024 तक)
7	श्री विश्वजीत प्रधान	निदेशक (10 फरवरी 2023 से 30 नवंबर 2024 तक)
8	श्री सुशील सिन्हा	निदेशक (वित्त सह सीएफओ) (01 मार्च 2023 से 30 जून 2024 तक)
9	श्री मनीष कुमार सिंह	कंपनी सचिव (22 सितम्बर 2022 से)

(बी) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन संबंधी प्रकटीकरण:

करोड़ रु. में

क्रम	विवरण	संयुक्त उद्यम		संबंधित पार्टियों के नाम और संबंध का स्वरूप:		कुल	
		दिनांक को समाप्त वर्ष		दिनांक को समाप्त वर्ष		दिनांक को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
(I)	वर्ष के दौरान लेन-देन						
	पारिश्रमिक		-	1.41	1.71	1.41	1.71
	पट्टे	नीचे नोट 1 देखें	नीचे नोट 1 देखें				
	वस्तु की बिक्री और सेवाएँ	1.39	(Rs-14,139)			1.39	-
	किराया से प्राप्त	0.79	0.66			0.79	0.66
(II)	वर्ष के अंत में बैलेंस						
	निवेश	**15.54**	**8.87**	-	-	**15.54**	**8.87**
	बिक्री के लिए अग्रिम	109.67	83.23			109.67	83.23

नोट:

1. कंपनी ने इंडो-रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) के साथ एक पट्टा समझौता किया है, जिसके अंतर्गत कंपनी ने 8.65 एकड़ भूमि के साथ-साथ उस पर निर्मित भवन, संयंत्र और मशीनरी सहित संयुक्त 50 एकड़ जमीन को 30 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 1/- प्रति वर्ष के सांकेतिक किराए पर दिया है।

(सी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार प्रकटीकरण।

ऋण के रूप में ऋण और अग्रिम - ₹. शून्य

(डी) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन की शर्तें और नियम

संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन प्रचलित समतुल्य शर्तों के आधार पर किया जाता है जो कि आर्म्स लेन देन में प्रचलित होती है ।

(ई) संबंधित पार्टियों के साथ प्रतिबद्धताएँ

कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं दर्शायी है।

(एफ) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन-देने

कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिपूर्ति

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	1.39	1.71
सेवांत लाभ	0.02	–
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त कुल प्रतिपूर्ति	**1.41**	**1.71**

तालिका में दर्शायी गई राशि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों से संबंधित व्यय के रूप में चिह्नित राशि है।

(जी) सरकार और सरकारी संस्थाओं के साथ लेन-देन

चूँकि एडब्ल्यूईआईएल, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी को इंड एएस 24 के अंतर्गत सरकार एवं सरकारी कंपनियों के साथ लेन-देन के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है।

हालाँकि, भारतीय लेखा मानक 24 के अंतर्गत यथावश्यक, निम्नलिखित लेन-देन व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हैं:

कंपनी का 90% टर्नओवर सरकार एवं सरकारी कंपनियों से व्यापार तथा ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम है

नोट 30: प्रति शेयर आय

विवरण		31 मार्च, 2025 वर्ष की समाप्ति पर	31 मार्च, 2024 वर्ष की समाप्ति पर
प्रति शेयर आय बेसिक एवं डायल्यूटेड			
साधार.ा इक्विटी धारकों के कारण लाभ	करोड़ ₹ में	89.39	20.29
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	No.	17,860,790,000	17,531,530,000
बेसिक एवं डायल्यूटेड ईपीएस* के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या*	No.	17,604,598,658	17,333,862,219
इक्विटी शेयरों का नाममात्र मूल्य	Rs.	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड	Rs.	0.051	0.012

*नोट संख्या 11.2

नोट 31: सेगमेंट रिपोर्टिंग

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रलय ने 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना संख्या 1/2/2014-सीएल-वी के माध्यम से रक्षा उत्पादन में लगी सरकारी कंपनियों को "ऑपरेटिंग सेगमेंट" पर इंड एएस 108 के आवेदन की सीमा तक छूट दी है।

नोट 32: पट्टे

ए. प्रचालन संबंधी पट्टे

1. कंपनी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक पट्टा समझौता किया है, जिसके अंतर्गत कंपनी ने 30 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 1/- प्रति वर्ष के सांकेतिक किराए पर 50 एकड़ भूमि पट्टे पर दी है।

बी. कम मूल्य के पट्टे

1. कंपनी ने भारत सरकार से 4,15,083 वर्ग फीट भूमि 20 वर्षों के लिए 0.01 करोड़ रुपये के वार्षिक किराये पर पट्टे पर ली है, जिसकी अवधि 31 मार्च, 2029 को समाप्त होगी। इस अनुबंध में आपसी सहमति से इसके नवीनीकरण का विकल्प भी शामिल है।

2. कंपनी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से 29.42 एकड़ भूमि 30 वर्षों के लिए ₹ 1/- प्रति वर्ष के किराए पर पट्टे पर ली है, जिसकी अवधि दिनांक 01 दिसंबर, 2037 को समाप्त होगी। इस अनुबंध में आपसी सहमति से इसके नवीनीकरण का विकल्प भी शामिल है।

3. कंपनी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से 9.26 एकड़ भूमि 30 वर्षों के लिए ₹ 1/- प्रति वर्ष के किराए पर पट्टे पर ली है, जिसकी अवधि दिनांक 17 मार्च 2043 को समाप्त होगी। इस अनुबंध में आपसी सहमति से इसके नवीनीकरण का विकल्प भी शामिल है।

4. कंपनी ने केन्द्रीय विद्यालय के साथ पट्टा समझौता किया है, जिसके अंतर्गत कंपनी ने दिनांक 28.04.1988 से दिनांक 27.04.2087 तक 99 वर्षों के लिए 01 रु. वार्षिक सांकेतिक किराए पर 5400 वर्ग मीटर भूमि का प्लॉट दिया है।

5. कंपनी ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक पट्टा समझौता किया है ,जिसके अंतर्गत कंपनी ने 1 रुपये प्रति माह यानी 12 रुपये प्रति वर्ष की दर से जमीन का प्लॉट दिया है।

उपरोक्त सभी पट्टे कम मूल्य के हैं, इसलिए उपयोग के अधिकार वाली कोई परिसंपत्ति या देनदारी नहीं बनाई गई है।

सी. उप पट्टा

1. कंपनी ने इंडो-रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) के साथ एक पट्टा समझौता किया है, जिसके अंतर्गत कंपनी ने 8.65 एकड़ भूमि के साथ-साथ उस पर निर्मित भवन, संयंत्र और मशीनरी सहित संयुक्त 50 एकड़ जमीन को 30 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 1/- प्रति वर्ष के सांकेतिक किराए पर दिया है।

नोट 33: वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण:

ए. नीचे कंपनी के वित्तीय साधनों की वहन राशि और उचित मूल्य की, वर्ग के अनुसार, तुलना दी गई है, सिवाय उन साधनों के जिनकी वहन राशि उचित मूल्यों के औचित्यपूर्ण अनुमान के बराबर है

करोड़ रु. में

विवरण	वहन राशि 31 मार्च, 2025 तक	उचित मूल्य 31 मार्च, 2025 तक	वहन राशि 31 मार्च 2024 वर्ष की समाप्ति पर	उचित मूल्य 31 मार्च 2024 वर्ष की समाप्ति पर
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
लागत पर निवेश	16.59	16.59	8.87	8.87
	16.59	**16.59**	**8.87**	**8.87**
वित्तीय देनदारियाँ	–	–	–	–
योग	–	–	–	–

प्रबंधन का आकलन है कि नकद और नकद के सममूल्य राशि, अन्य बैंक बैलेंस, ऋण, व्यापार से प्राप्य राशि, अन्य मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियों, व्यापार देय और अन्य मौजूदा वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य इन साधनों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी वहन राशि है।

(बी) उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नलिखित तालिका में कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्यांकन पदानुक्रम में दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2025 एवं 31 मार्च, 2024 तक परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण हेतु उचित मूल्यांकन पदानुक्रम।

विवरण	उचित मूल्य के मूल्यांकन संबंधी विधि			
	योग	"सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (सतर 1)"	"महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट (लेवल 2)"	"महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट (सतर 3)"
31 मार्च, 2025 तक उचित मूल्यांकन वाली परिसंपत्तियाँ	–	–	–	–
31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्यांकन वाली परिसंपत्तियाँ	–	–	–	–

31 मार्च, 2024 एवं 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय देनदारियों के लिए उचित मूल्यांकन पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण

विवरण	उचित मूल्य के मूल्यांकन संबंधी विधि			
	योग	"सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (सतर 1)"	"महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट (लेवल 2)"	"महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट (सतर 3)"
31 मार्च, 2025 तक उचित मूल्यांकन वाली परिसंपत्तियाँ	–	–	–	–
31 मार्च, 2024 तक उचित मूल्यांकन वाली परिसंपत्तियाँ	–	–	–	–

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी साधन आते हैं, जिनकी कीमत उद्धृत की गई है। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी साधन का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के समापन पर मूल्य का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों (उदाहरण के लिए, कारोबार किए जाने वाले बॉन्ड, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव) के उचित मूल्य निर्धारण में मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें इकाई-विशेष के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर रहते हुए मार्केट डेटा का अधिकतम उपयोग किया जाता है। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य हैं, तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट, अवलोकन योग्य मार्केट डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो साधन को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। इस गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक व्यय और क्षतिपूर्ति परिसंपत्ति को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान स्तर 1, 2 और 3 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ है।

कंपनी की नीति में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तरों में अंतरण और उससे बाह्य अंतरण को मान्यता देना है।

नोट 34: वित्तीय साधन जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना तथा इसे सहयोग प्रदान करना है। इस कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, दिए गए ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य राशि, नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो इसके संचालन से सीधे प्राप्त होते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, जो उसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। कंपनी ने अपने व्यावसायिक संचालन के आधार पर निम्नलिखित जोखिमों का मूल्यांकन किया है:

ए) विदेशी मुद्रा जोखिमरू

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जो विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण किसी जोखिम के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव का कारण बनता है। कंपनी स्थानीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा, मुख्यत: अमेरिकी डॉलर में, में कारोबार करती है। विनिमय दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्यत: कंपनी के आयातों से संबंधित है, जिनका भुगतान कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में किया जाना होता है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा व्यापार प्राप्य भी हैं और इसलिए, वह विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति संवेदनशील है।

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

निम्नलिखित तालिकाएँ इकाई की कार्यात्मक मुद्रा के लिए अमेरिकी डॉलर की दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती हैं, जबकि अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं। कंपनी के कर-पूर्व लाभ पर प्रभाव मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है।

विवरण	यूएसडी दर में परिवर्तन	कर-पूर्व लाभ पर प्रभाव	यूरो दर में परिवर्तन	कर-पूर्व लाभ पर प्रभाव	SEK दर में परिवर्तन	कर-पूर्व लाभ पर प्रभाव
31 मार्च, 2025	+2%	–	+2%	–	+2%	(0.13)
	-2%	–	-2%	–	-2%	0.13
31 मार्च, 2024	+2%	–	+2%	(0.10)	+2%	–
	-2%	–	-2%	0.10	-2%	–

(बी) ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को होने वाले वित्तीय नुकसान का जोखिम है। यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में किल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है। क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों, ऋणों और अग्रिम, आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिम (वस्तु, सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए), नकद और नकद के सममूल्य और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास जमा से उत्पन्न होता है। वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अपनी कुल बिक्री का 93% सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं को बिक्री से प्राप्त करती है। कंपनी को उम्मीद है कि वह अपनी अधिकांश बिक्री सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं से रक्षा मंत्रलय, भारत सरकार - कंपनी के प्रमुख शेयरधारक और प्रशासनिक मंत्रालय के अनुबंधों के तहत प्राप्त करना जारी रखेगी।

ग) अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान -

चूँकि कंपनी के देनदार मुख्यत: भारत सरकार (भारतीय रक्षा सेवाएँ, विदेश मंत्रालय), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जहाँ प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहाँ चूक का जोखिम शून्य/नगण्य है। तदनुसार, कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, अपेक्षित ऋण हानि के कारण होने वाली हानि का आकलन, लंबी अवधि से बकाया राशि के संबंध में, मामला-दर-मामला आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन का मानना है कि बकाया अप्रभावित राशि, ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार और ग्राहक ऋण जोखिम के व्यापक विश्लेषण के आधार पर, पूर्ण रूप से वसूली योग्य है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसका निपटान नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करके किया जाता है। आम तौर पर, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय दायित्वों के निर्वहन सहित अपेक्षित संचालन व्यय को पूरा करने के लिए उसके पास मांग के अनुरूप पर्याप्त नकदी है।

निम्नलिखित तालिका में अनुबंधित छूटरहित भुगतान के आधार पर कंपनी की वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का सारांश प्रस्तुत किया गया है:

विवरण	एक वर्ष से कम	1 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2025 तक		
व्यापार देयताएं	736.06	96.97
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	190.74	–
कुल	**926.80**	**96.97**
31 मार्च, 2024		
व्यापार देयताएं	266.11	57.53
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	192.49	–
कुल	**458.60**	**57.53**

कंपनी की मानक अनुबंध शर्तों में प्रावधान है कि कंपनी को किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय भारत सरकार और भारतीय रक्षा सेवाओं सहित लागू अनुबंधों के अनुसार ग्राहकों से अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है और उपलब्धि असाधारण होने पर असामान्य भुगतान प्राप्त होता है। इन भुगतान का उपयोग कंपनी की कार्यशील पूंजी की जरूरतों (कंपनी के लिए कार्यशील पूंजी का उच्च स्तर बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि कंपनी के उत्पाद विकास तथा उत्पादन चक्र में लंबी अवधि लगती हैं) को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय रक्षा सेवाओं की ओर से इस कंपनी को भुगतान भारत सरकार द्वारा बजटीय विनियोजन की निरंतर उपलब्धता पर निर्भर है और ऐसे विनियोजनों की उपलब्धता में कोई भी व्यवधान कंपनी के नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

ई) बाजार जोखिम:

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) और भारत सरकार (जीओआई) की ओर से घरेलू रक्षा विनिर्माण तथा आधारभूत संरचना के विकास हेतु निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 ("डीएपी 2020") जैसी रक्षा नीति में सुधार के प्रयास जारी हैं। चूँकि रक्षा मंत्रालय ने पूंजीगत खरीद के लिए स्वदेशी रुप से डिजाइन पर विकसित और निर्मित ("आईडीडीएम") उत्पादों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, इसलिए इस कंपनी को ऐसे अनुबंधों के लिए भारतीय उत्पादन एजेंसी के रूप में चुने जाने के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इन नीतियों से कंपनी द्वारा संचालित क्षेत्रों में बाजार की प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ गया है।

एफ) जोखिम शमन प्रक्रिया:

कंपनी में जोखिम प्रबंधन को संस्थागत बनाने के एक कदम के रूप में, एक विस्तृत ढाँचा विकसित किया गया है और कंपनी के शीर्ष प्रबंधन को कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढाँचे की स्थापना और निगरानी की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस ढाँचे का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कंपनी भर में एक संरचित और व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है जो यह सुनिश्चित करती है कि जोखिमों की उचित पहचान की जा रही है और इन जोखिमों को कम किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम की पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम निधारण, जोखिम न्यूनीकरण और जोखिमों की नियमित समीक्षा और निगरानी शामिल है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य वित्तीय विवरणों में अस्थिरता को कम करना है, साथ ही कंपनी की व्यावसायिक योजना में पूर्वानुमान प्रदान करने और बाजार की गतिविधियों में उचित भागीदारी के बीच संतुलन बनाए रखना है।

नोट 35: पूंजी प्रबंधन:

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में जारी इक्विटी पूंजी और कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए जिम्मेदार अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी अपने व्यवसाय को समर्थन देने और शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए एक कुशल पूंजी संरचना और स्वस्थ पूंजी अनुपात बनाए रखे।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक परिस्थितियों या व्यावसायिक आवश्यकताओं में बदलाव के अनुसार उसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी गियरिंग अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है, जो शुद्ध ऋण को कुल पूंजी और शुद्ध ऋण से विभाजित करने पर प्राप्त होता है।

गियरिंग अनुपात

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
शुद्ध ऋण (ए)	–	–
कुल इक्विटी		
इक्विटी शेयर पूंजी (नोट 11 देखें)	17,860.79	17,531.53
अन्य इक्विटी (नोट 12 देखें)	-12706.74	-13,140
कुल इक्विटी (बी	**5,154.05**	**4,391.53**
शुद्ध ऋण से इक्विटी अनुपात (ए/बी)	–	–

नोट 36: वित्तीय साधन जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

करोड़ रु. में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
ए) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि	0.26
बी) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (नकद में)	
i) किसी भी परिसंपत्ति का सृजन/अधिग्रहण	–
ii) विभिन्न ट्रस्टों/एनजीओ/समितियों/एजेंसियों को योगदान और उनका	0.26
iii) सीएसआर के लिए प्रशासनिक उपरिव्यय	–
सी) वर्ष के दौरान अव्ययित राशि	–
डी) पिछले वर्षों की तुलना में कुल कमी	–
ई) कमी के कारण	–
एफ) संबंधित पक्ष से लेनदेन का विवरण	
नाम	–
संबंध	–
राशि	–
जी) सीएसआर प्रावधान का विवरण	
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	–
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	–
(घटाएँ): वर्ष के दौरान प्रयुक्त	–
वर्ष के अंत में शेष राशि	–

नोट 37: वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	अनुपात का प्रकार	गणक	विभाजक	2024-25	2023-24	"परिवर्तन)% में)"	25% से अधिक परिवर्तन के लिए टिप्पणी
1	वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देयताएँ	2.16	2.33	(7.41%)	लागू नहीं
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	NA					
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)	NA					
4	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल (%)	कर के उपरांत शुद्ध लाभ	कुल इक्विटी	1.73%	0.46%	275.38%	राजस्व व ब्याज आय में बढ़ोत्तरी ने कंपनी की लाभप्रदता को बढ़ाने में योगदान दिया।
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	प्रचालन से राजस्व	औसत इन्वेंटरी	0.90	0.81	12%	लागू नहीं
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार से प्राप्य	1.83	2.19	-16%	लागू नहीं
7	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	सामान की खरीद	औसत व्यापार से देय	2.19	3.32	(34.15%)	सामान्य व्यावसायिक क्रम में वर्ष के अंत में अधिक खरीद
8	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात (समय में)	प्रचालन से राजस्व	क्रियाशील पूँजी	0.77	0.67	0.15	लागू नहीं
9	शुद्ध लाभ अनुपात (%)	कर के उपरांत शुद्ध लाभ	कुल राजस्व	3.13%	0.84%	273.38%	राजस्व व ब्याज आय में बढ़ोत्तरी ने कंपनी की लाभप्रदता को बढ़ाने में योगदान दिया।
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	ब्याज पूर्व लाभ, अपवाद वाले मद एवं कर	कुल नियोजित पूँजी	4.17%	3.09%	34.84%	राजस्व व ब्याज आय में बढ़ोत्तरी ने कंपनी की लाभप्रदता को बढ़ाने में योगदान दिया।
11	निवेश पर रिटर्न (%)	NA					

नोट 38: प्रतिधारित आय में समायोजन

1. इन वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 3, इंड एएस-8 –लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुसार, कंपनी द्वारा 01.04.2024 तक 'अन्य इक्विटी' के प्रारंभिक शेष में किए गए परिवर्तनों के तर्क और विवरण से संबंधित है।

2. निम्नलिखित मदों की विशेषता की वजह से अन्य इक्विटी के आदि शेष में समायोजन किए गए है–

ए. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के कर आधार में परिवर्तन के कारण समायोजन, जिसके परिणामस्वरूप पिछली अवधि की स्थगित देयताएं परिवर्तित हो गई है।

बी. पिछले वर्ष के अनवशोषित मूल्यह्रास के दावे के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति के सृजन की वजह से समायोजन, जो कंपनी की भावी कर योग्य आय पर सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध होगा। यह परिवर्तन उपरोक्त क्रम संख्या (क) में दिए गए परिवर्तन के परिणामस्वरूप है।

सी. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य में समायोजन।

डी. पूर्व अवधि की त्रुटि और चूक के कारण समायोजन, जिसमें शामिल हैं:

i. पिछले वर्षों के वित्तीय विवरण में राजस्व मद को गैर-राजस्व मद (टौर इसके विपर्यय) के रूप में वर्गीकृत करने में त्रुटियाँ

ii. विगत वर्षों के व्यय हेतु प्रावधान न किया जाना

उपरोक्त समायोजनों का प्रभाव इस प्रकार था:

इक्विटी का समायोजन

करोड़ रु. में

विवरण	01 अप्रैल 2024 तक
विगत लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अंतर्गत इक्विटी (ए)	**3076.43**
सरकारी अनुदान की मान्यता रद्द करने का प्रभाव	348.08
कुल योग बी	**348.08**
बैलेंस(सी = ए+बी)	**3424.51**
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के सुधार का प्रभाव	27.87
पूर्व अवधि की त्रुटियों के सुधार का प्रभाव (कुल)	4.70
कुल योग डी	**32.57**
इंड एएस के अनुसार इक्विटी (ई = सी - डी)	**3,391.94**

3. पूर्व अवधि की त्रुटियों का स्वरुप और प्रत्येक वित्तीय विवरण लाइन आइटम पर इसके प्रभाव का खुलासा निम्नानुसार किया गया है:

वित्तीय विवरण लाइन आइटम

संपत्तियाँ - वृद्धि/(कमी)	करोड़ रु. में
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	**-27.87**
जारी पूंजीगत कार्य	348.08
परिसंपत्तियों में वृद्धि	**320.21**
देयताएँ - (वृद्धि)/कमी	**करोड़ रु. में**
देयताएँ - (वृद्धि)/कमी	-4.70
देयताओं में कमी	-4.70
प्रतिधारित आय पर शुद्ध प्रभाव	**315.51**

4. उपर्युक्त समायोजन के बाद, 01 अप्रैल, 2024 तक प्रतिधारित आय निम्नानुसार होगी:

करोड़ रु. में

पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार प्रतिधारित आय	3076.43
जोड़ें: उपर्युक्त समायोजन के कारण वृद्धि	315.51
01 अप्रैल, 2024 तक प्रतिधारित आय का पुनर्कथन	**3391.94**

नोट 39: अन्य इकाई में ब्याज

हित के स्वामित्व का अनुपात

क्रम.सं.	इकाई का नाम	इसके निगमन का देश	गतिविधियाँ	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
	संयुक्त उद्यम				
1	इंडो रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	रक्षा	42.50%	42.50%
2	संचार (रक्षा) परीक्षण फाउंडेशन	भारत	रक्षा	10.00%	0.00%

(क) संयुक्त उद्यमों की आकस्मिक देयता में समूह का हिस्सा

क्रम.सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
1	विवादित मांगें	-	-
2	कॉर्पोरेट गारंटी	133.82	87.68
3	कंपनी पर दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	-	-

(ख) संयुक्त उद्य की पूंजीगत प्रतिबद्धताओं में समूह की हिस्सेदारी

क्रम.सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
1	पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष तथा प्रावधानित नहीं किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों को घटाकर)	48.28	0.08

नोट 40: कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त जानकारी

संस्थाओं का नाम	31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए							
	शुद्ध परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियों को घटाकर कुल देयताएं		लाभ या (हानि) में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	शुद्ध परिसंपत्तियों के समेकन के% के रूप में	करोड़ में	समेकित लाभ के% के रूप में	करोड़ में	समेकित OCI के % के रूप में	करोड़ में	कुल व्यापक आय के समेकन के % के रूप में	करोड़ में
मूल कंपनी: एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	99.68%	5137.46	92.56%	82.74	0.00%	-	92.54%	82.74
कुल	**99.68%**	**5,137.46**	**92.56%**	**82.74**	**0.00%**	-	**92.54%**	**82.74**
जोड़ना: संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) इंडो रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड	0.32%	16.59	7.44%	6.65	100.00%	0.02	7.46%	6.67
कुल योग	100.00%	5,154.05	100.00%	89.39	100.00%	0.02	100.00%	89.41

संस्थाओं का नाम	31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए							
	शुद्ध परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियों को घटाकर कुल देयताएं		लाभ या (हानि) में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	शुद्ध परिसंपत्तियों के समेकन के: के रूप में	करोड़ में	समेकित लाभ के % के रूप में	करोड़ में	समेकित OCI के % के रूप में	करोड़ में	कुल व्यापक आय के समेकन के % के रूप में	करोड़ में
मूल कंपनी: एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	99.80%	4,382.65	99.75%	20.24	0.00%	-	99.85%	20.24
कुल	**99.80%**	**4,382.65**	**99.75%**	**20.24**	**0.00%**	-	**99.85%**	**20.24**
जोड़ना: संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) इंडो रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड	0.20%	8.87	0.25%	0.05	100.00%	-0.02	0.15%	0.03
कुल योग	100.00%	4,391.52	100.00%	20.29	100.00%	-0.02	100.00%	20.27

नोट 41: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक प्रकटीकरण

ए. कंपनी के नाम पर कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। बेनामी लेनदेन प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा 45/1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी या उसके सहयोगियों के विरुद्ध बेनामी संपत्ति रखने के लिए न तो कोई कार्यवाही की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

बी. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

सी. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के साथ पठित कंपनी (सतर की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के तहत निर्धारित परतों की संख्या के संबंध में अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

डी. उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग

I. कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यद्रि या संस्थाओं को इस समझ के साथ अग्रिम या ऋण नहीं दिया है या धन का निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ: क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल कंपनी (टंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यद्रियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करेगा।

II. कंपनी ने किसी भी व्यद्रि या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधिकरण पक्ष) भी शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी: क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधिकरण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी।

ई कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में निवेश या व्यापार नहीं किया है।

एफ कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण (जैसे तलाशी या सर्वेक्षण) में वर्ष के दौरान कोई भी आय समर्पित या आय के रूप में प्रकट नहीं की है, जिसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

जी कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

नोट 42: स्वदेशीकरण कोष

डीपीएसयू/ओएफबी के लिए रक्षा प्लेटफार्मों में उपयोग किए जाने वाले घटकों और पुर्जों के स्वदेशीकरण के लिए नीति पर अधिसूचना 08 मार्च, 2019 को जारी की गई थी। चूंकि 31 मार्च, 2025 तक तौर-तरीकों के संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) से दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इस अवधि के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

टिप्पणी 44: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक प्रकटीकरण

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, वस्तुओं और सेवाओं पर प्राप्त अग्रिम के अंतर्गत दर्शाए गई शेष राशि का समाधान किया जा रहा है। चूँकि कंपनी रक्षा मंत्रलय के नियंत्रणाधीन एक सरकारी संस्थान है, इसलिए कंपनी का 90 प्रतिशत से अधिक कारोबार, व्यापार प्राप्य और ग्राहक अग्रिम सरकारी और सरकार से संबंधित संस्थाओं से संबंधित है। विभिन्न स्थानों पर स्थित प्रभागों द्वारा ग्राहकों को बिल जारी किए जाते हैं। हालांकि, प्रबंधन को इस तरह की लंबित पुष्टि/समाधान से कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

नोट 44:

बोर्ड की राय में, कंपनी के पास अचल संपत्तियों और निवर्तमान निवेशों के अलावा कोई अन्य संपत्ति नहीं है, जिसका सामान्य व्यावसायिक क्रम में प्राप्त मूल्य बताई गई राशि से कम हो।

नोट 45: रिपोर्टिंग अवधि के बाद होने वाली घटनाएँ

कंपनी के वित्तीय विवरण जारी करने की तिथि तक जारी किए गए, लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हुए मानकों में संशोधन नीचे बताए गए हैं। कंपनी इन मानकों को अंगीकार करेगी बशर्ते वे प्रभावी हों। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने 31 मार्च, 2023 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 के माध्यम से भारतीय लेखा मानक में कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है। निम्नलिखित मानकों में संशोधन किए गए हैं:

नोट 46: पुनर्समूहित, पुनर्संरचित, पुनर्वर्गीकृत

महत्वपूर्ण पुनर्समूहन: परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण, लाभ और हानि के विवरण और नकदी प्रवाह में, जहाँ भी आवश्यक हो, उचित समायोजन किया जा रहा है, आय, व्यय, परिसंपत्तियों, देनदारियों और नकदी प्रवाह के संबंधित मदों के पुनर्वर्गीकरण द्वारा उन्हें 31 मार्च 2025 तक कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार समूहों के अनुरूप लाया गया है।

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट संख्या 1 से 46 पर हस्ताक्षर

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

—ते बी.सी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001099C

रणजीत सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 073488
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

उमेश सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08373608

जय गोपाल महाजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10824241
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025

मनीष कुमार सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F12879
स्थान: कानपुर
दिनांक: 05.08.2025